दशम माला, खंड 9, अंक 11

सोमवार, 9 मार्च, 1992
19 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय–सूची

शम माला, खंड 9 तीसरा सत्र, 1992/1913 (शक)

अंक 11 सोमवार, मार्च 1992/19 फाल्गुन, 191 (शक)

विषय			पृष्ठ
ों के मौखिक उत्तर	....		1—27
*तारांकित प्रश्न संख्या : 163 से 169			
श्नों के लिखित उत्तर	....	...	27—225
तारांकित प्रश्न संख्या : 170 से 183	...	...	27—42
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1865 से 1880, 1882 से 2080, और 2082 से 2097,	....		42—216
ी द्वारा वक्तव्य	....		226 232
क) गेहूं और चावल की बिक्री के लिए क्यूबा का अनुरोध श्री पी० चिदम्बरम			226—232
(दो) गेहूं का निर्यात और आयात श्री तरुण गोगोई		....	227 – 228
भा पटल पर रखे गए पत्र	....		233—237
मू-कश्मीर बजट 1992-93— प्रस्तुत			237
अनपूरक अनुदानों की मांगें (अम्मू-कश्मीर) 1991-92 प्रस्तुत		...	237
पुर बजट 1992-93 प्रस्तुत			237
पूरक अनुदान की मांगें (मणिपुर), 199 -92 प्रस्तुत	....		237
य 377 के अधीन मामले	....	....	238—241

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न ही सदस्य ने पूछा था।

(एक) बस्तर जिले के आदिवासियों को पेयजल की आपूर्ति करने की एक विशेष योजना को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मानकूराम सोढी 238

(दो) अलगाव से विमान सेवाएं शीघ्र आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय कु० पाण्डिया .... 238—239

(तीन) इन्दिरा गांधी नहर के आसपास के क्षेत्रों में एकत्रित पानी से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री बीरबल 229

(चार) गुजरात में भावनगर और अहमदाबाद जिलों के अनेक गांवों को पेयजल की आपूर्ति करने की एक विशेष योजना लागू करने की आवश्यकता

श्री रतिलाल वर्मा ... . 239—240

(पांच) देश में "एड्स" के प्रकोप को रोकने के लिए एक नया विधान बनाने की आवश्यकता

श्रीमती महेन्द्र कुमारी 240

(छः) निर्यात निधि के चैक जारी करने के लिए आयात और निर्यात संयुक्त नियंत्रक, मुम्बई को आवश्यक निर्देश देने की आवश्यकता

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी 240

(सात) केरल में वयमकुलम ताप विद्युत केन्द्र को शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री थाइल जान अन्जलोज 241

(आठ) उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए जाने आवश्यकता

श्री हरपाल पंवार 241

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	....	....	42—2264 266—331
श्रीमती सरोज दुबे	....	....	242—245
डा० कार्तिकेश्वर पात्र	....	...	245—248
श्री इन्द्रजीत गुप्त	....	....	249—256
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	...	....	256—260
श्री मोहन रावले	...	....	260—262
श्री यश	....	...	262—264
श्री अनिल बसु	...	...	266—269
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	...	....	269—277
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	....	...	277—284
श्री पी०वी० नरसिंह राव	...	....	284—297
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	....	...	265—
भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय से प्राप्त नोटिस			

लोक सभा

सोमवार, 9 मार्च, 1992/19 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वर्धन समिति की रिपोर्ट

[हिन्दी]

+

*163 श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
श्री बारेलाल जाटव } क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रोनिक मीडिया के संबंध में वर्धन समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) । (क) से (ग) इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रतियोगिता शुरू करने के विषय पर गठित अन्तरविभागीय समिति की रिपोर्ट पर

सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो जवाब दिया है, वह बिल्कुल असन्तोषजनक जवाब है और गोलमटोल है, क्योंकि मूल प्रश्न जो पूछा गया था, उसका जवाब ही नहीं आया है। सवाल पूछा गया था कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया के सम्बन्ध में वर्धन समिति की रिपोर्ट क्या है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने उत्तर में केवल यह कहा है कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया में प्रतियोगिता शुरू करने के विषय पर गठित अन्तर्विभागीय समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। मैं साफ-साफ यह जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदया से, कि वर्धन समिति की रिपोर्ट में आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचारों को स्वायत्तता देने और इनके समाचार बुलेटिनों की गुणवत्ता सुधारने की बात कही गई है ? यदि नहीं, तो सरकार इसके लिए कोई वैकल्पिक उपाय करना चाहती है?

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न वर्धन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का था। सरकारी टी. वी. और रेडियो चैनलों के सम्बन्ध में स्पर्धा करने के लिए उपयुक्त संगठनों को प्रसारण अधिकार उपलब्ध कराने के सरकार के इरादे की घोषणा से और इस प्रकार श्रोताओं, दर्शकों को और विकल्प देने का प्रस्ताव सरकार की प्रसारण नीति में एक बहुत बड़े परिवर्तन का सूचक है, जिसके लिए 3 दिसम्बर, 1991 को मि. वर्धन, जो हमारे अपर सचिव हैं, की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 24 अक्टूबर, 1991 को पेश कर दी गई। मैंने अपने उत्तर में यही कहा कि सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि सरकारी टी. वी. और रेडियो चैनलों के सम्बन्ध में स्पर्धा बढ़ाने के लिए उपयुक्त संगठनों को आमंत्रित करे। इस रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार की सिफारिशें दी गई हैं और विभिन्न प्रकार के आल्टरनेटिव हैं, जिसमें कि एक दो का और मैं संकेत करना चाहूंगी कि संचालकों की अक्षमता के अध्यधीन स्वदेशी प्रसारणों के लिए देश के विभिन्न भागों में नये टी. वी., रेडियो के चैनल स्थापित करने के काम को तरजीह दी जानी चाहिए। उपयुक्त लाइसेंसधारियों को दूरदर्शन के दूसरे चैनल चार महानगरों में पट्टे पर दिये जा सकते हैं और साथ ही स्वतंत्र एफ. एम. केन्द्रों सहित अतिरिक्त रेडियो चैनल भी दिये जा सकते हैं। देश के विभिन्न स्थानों पर ट्रांसमीटर शृंखला स्थापित करने के लिए एजेन्सियों या कंजोरटियम को अनुमति देने का विकल्प भी है।

इसके साथ ही साथ वर्धन कमेटी ने उपग्रह के माध्यम से सीधे प्रसारण के लिए किसी उपग्रह पर ट्रांसपोन्डर पट्टे पर देने के लाइसेंस विकास अथवा शिक्षा सम्बन्धी प्रसारण के लिए उपयुक्त माना है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कमेटी के रिपोर्ट के बावजूद भी अनेक मंत्रालय इसके साथ जुड़े हुए हैं इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी को यह रिपोर्ट भेज दी गई है ताकि यथाशीघ्र जब भी दूसरे विभागों के सम्बन्ध में इसमें स्वीकृति मिल जायेगी, इसके विभिन्न विकल्पों पर विचार करके इसको लागू करने का विचार किया जायेगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो मूल प्रश्न था, स्वायत्तता के सम्बन्ध में, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं यह सीधा दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री महोदया यह समझती हैं कि वर्धन समिति की रिपोर्ट को लागू करने से इलैक्ट्रोनिक मीडिया को स्वायत्तता मिल जायेगी ? यदि स्वायत्तता मिलेगी तो कैसे मिलेगी और क्या प्रसार भारती एक्ट को आप पुनः लागू करना चाहते हैं या उसमें आपको कोई आपत्ति है ?

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों प्रश्न बिल्कुल अलग हैं। हमारी पार्टी के इलैक्शन मैनीफैस्टो में, खासकर जो सूचना पत्र जारी हुआ था, उसमें भी स्पष्ट कहा गया था ...उसमें स्पष्ट कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की स्वायत्तता देने की हमारी प्रतिबद्धता है और प्रसार भारती बिल उनमें से एक है, लेकिन प्रतिस्पर्धा, स्वायत्तता देने से नहीं हो जाती है। स्वायत्तता देने के साथ-साथ हमारे कार्यक्रम सुरूचिपूर्ण हों, इसलिए प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से हमें दूसरे चैनलों को भी काम में लेना चाहिए। इसी के लिए वर्धन कमेटी थी। स्वायत्तता अलग प्रश्न है, स्पर्धा अलग प्रश्न है और स्पर्धा के लिए वर्धन कमेटी बनाई गई थी।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : महोदय मैं अपने साथी द्वारा दिये गये उत्तर में कुछ और जोड़ना चाहूंगा।

माननीय सदस्य का प्रश्न स्वायत्तता के सम्बन्ध में था तथा इसमें पूछा गया था कि क्या वर्धन समिति द्वारा इस संबंध में कोई सिफारिश की गई थी। महोदय, वर्धन समिति का गठन भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया था : (क) हम किस तरह से भारत में अन्य विदेशी उपग्रहों की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं ? तथा (ख) क्या प्रसार भारती अथवा विदेशी उपग्रहों के साथ प्रतिस्पर्द्धा के लिए सार्वजनिक निगमों को प्रसारण करने की अनुमति दी जा सकती है। यही दो मुख्य प्रयोजन हैं।

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या दूरदर्शन नेटवर्क के संबंध में वर्धन समिति ने कोई सिफारिश की है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

कुमारी गिरिजा व्यास : इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण सकारात्मक है।

[हिंदी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने दो बातें कही हैं। एक बात तो यह है प्राइवेट चैनल की और एक उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र का उदाहरण दिया है। आप लोग तो अपना चुनाव घोषणा पत्र नहीं पढ़ते हैं, आपका घोषणा पत्र हम लोग ही ज्यादा पढ़ते हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है—

[अनुवाद]

"प्रसार भारती के साथ प्रतिस्पर्द्धा के लिए सार्वजनिक निगम को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर प्रसारण का अधिकार देने का प्रस्ताव।"

[हिन्दी]

पिछली बार आपने जवाब दिया था और यह भी कहा था कि हम एक साल में इसको लागू कर देंगे। मतलब यह कि एक साल में केवल चार महीने बचे हैं और उसमें बोर्ड आफ डायरैक्टर्स, एस एस का ट्रांसफर और दूसरी चीज एम्पलाई का टैस्ट करना भी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, प्राइवेट चैनलों पर खर्च आने का कितना अनुमान है और उस पर व्यय करने कौन जा रहा है? क्या यह सही है कि उस पर तीन हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे और खर्च को करने के लिए कौन तैयार है? जहां तक प्रसार भारती विधेयक का संबंध है, आपने कहा है कि एक साल के अन्दर उसको हम लागू करेंगे, इस संबंध में सरकार ने अभी तक क्या प्रगति की है?

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : जहां तक कि माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का संबंध है कि निजी चैनल अथवा सार्वजनिक निगमों द्वारा कितना खर्च किया जा सकता है तथा अन्य बातें, इनका ब्यौरा अभी तक नहीं आया है। लगभग 86 पार्टियों अथवा सार्वजनिक निगमों अथवा अन्य व्यक्तियों ने इसमें भाग लेने के लिए अपनी रुचि दिखाई है। उसमें भी, विभिन्न विचार सामने आए हैं। कुछ को दूसरे नैशनल नेटवर्क के लिए लिया गया है जिसे हम एन-2 कहते हैं। उनमें से कुछ विशेष क्षेत्र जैसे महानगरों, मुम्बई अथवा मद्रास अथवा कलकत्ता अथवा दिल्ली के लिए अपनाए गए हैं। कुछ को उनकी वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय क्षमता के अनुसार समय का बंटवारा करने के लिए कहा गया है। फिर भी, वास्तविक राशि अभी भी ज्ञात नहीं है। लेकिन सरकार ने दूसरे नैशनल नेटवर्क जो कि एन-2 है के लिए एक योजना तैयार की है जिसमें कि लगभग 27 करोड़ रु० की राशि व्यय होने का अनुमान है। हमने इसे योजना आयोग को सौंप दिया है। योजना आयोग ने मौखिक रूप से इसे पारित कर दिया है। हमें उनसे अब तक लिखित पुष्टि नहीं मिली है। यह स्थिति है।

जहां तक कि प्रसार भारती अधिनियम का सम्बन्ध है, समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। चार महीनों का समय कोई कम समय नहीं है और मुझे विश्वास है कि उसी समय के भीतर प्रसार भारती अधिनियम को लागू करने के बारे में प्रश्न सर्वसम्मति से निर्णय हो जाएगा। हमें विपक्ष से बात करनी है। विभाग में सभी कार्य पूरे हो गए हैं। विचार-विमर्श के उद्देश्य से इसे सी०सी०पी० ए० के पास भेजने के बाद हम पी. एम. ओ. के परामर्श पर निर्भर होते हैं। सी. सी. पी. ए. का परामर्श प्राप्त होने के तत्काल बाद निश्चय ही हम उसी के अनुसार कार्य करेंगे।

"स्पीड पोस्ट" सुविधा

[हिन्दी]

+

*164. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा
श्री डे० एच० मुनियप्पा } क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार किन-किन नगरों में "स्पीड पोस्ट" सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान अन्य नगरों में यह सुविधा आरंभ करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन नगरों के राज्यवार नाम क्या हैं ?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) इस समय देश में जिन शहरों/कस्बों में स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध है, उनकी राज्यवार सूची विवरण में दी गई है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर, 91 तक हमने एक केन्द्र में राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा और 214 युग्म-स्टेशनों में प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की है। सरकार की सामान्य योजना नियमित और विश्वसनीय ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के साथ अधिक से अधिक शहरों/कस्बों को, ज्यों ही वह व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहार्य हो जाते हैं, "प्वाइंट टू प्वाइन्ट" स्पीड पोस्ट सेवा के अधीन लाने की है। बाद में जब वे व्यावसायिक दृष्टि से अपनी व्यवहार्यता सिद्ध कर देते हैं तब उन्हें राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट नेटवर्क के अन्तर्गत लाया जाता है।

(ग) उपर्युक्त 'ख' को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यवार

देश के शहरों/कस्बों की सूची जहां स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध है

राज्य का नाम	राष्ट्रीय नेटवर्क के अन्तर्गत स्पीड पोस्ट केन्द्र	प्वाइंट-टू-प्वाइन्ट सेवा के अन्तर्गत स्पीड पोस्ट केन्द्र
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद 2. विजयवाड़ा 3. तिरुपति 4. विशाखपटनम	1. कुरनूल 2. गुंटूर 3. राजमुन्द्री 4. काकीनाडा 5. चिराला 6. टाडेपल्लीगुडम 7. अनन्तपुर
2. असम	1. गुवाहाटी 2. सिलचर	1. डिब्रूगढ़ 2. तिनसुकिया 3. उत्तरी लखीमपुर 4. जोरहाट 5. धुबरी

1	2	3
3. बिहार	1. पटना	1. गिरिडीह
	2. रांची	2. दरभंगा
	3. जमदेशपुर	3. बेगुसराय
	4. धनबाद	4. कटिहार
		5. मोतीहारी
4. गुजरात	1. अहमदाबाद	1. राजकोट
	2. सूरत	2. जामनगर
	3. बडोदरा	3. सुरेन्द्र नगर
		4. अंकलेश्वर
		5. वापी
		6. गांधी धाम
		7. कांडला
		8. आणद
		9. बल्लभ विद्यानगर
		10. विट्ठल उद्योग नगर
5. जम्मू कश्मीर	1. श्री नगर (कार्य नहीं कर रहा)	
	2. जम्मू	
6. हरियाणा	1. फरीदाबाद	1. अम्बाला
	2. गुड़गांव (एक्सटेंशन काउन्टर)	2. पानीपत
		3. रोहतक
		4. सोनीपत
		5. यमुना नगर
		6. पंच कुला
		7. हिसार
		8. गुड़गांव
7. हिमाचल प्रदेश	1. शिमला	1. धर्मशाला
		2. मंडी
		3. परवानू
		4. सोलन
8. पंजाब	1. लुधियाना	2. अमृतसर
	2. जालंधर	1. पटियाला
		3. भटिंडा

1	2	3
9. कर्नाटक	1. बेंगलूर	1. हुबली
	2. मैंगलूर	2. रनबेन्नूर
	3. मैसूर	3. धारवाड़
		4. बेलगांव
		5. मणिपाल
		6. गुलबर्गा
		7. दावणगेरे
10. मेघालय	1. शिलांग	1. तुरा
		2. जोवई
11. मणिपुर	1. इम्फाल	1. चूड़ाचांदपुर
12. त्रिपुरा	1. अगरतला	1. कैलाशहर
		2. राधाकिशोर पुर
13. मिजोरम	शून्य	1. ऐजवाल
14. नागालैंड	शून्य	1. दीमापुर
		2. कोहिमा
15. अरूणाचल प्रदेश	शून्य	1. इटानगर
		2. नाहरलागून
16. केरल	1. अल्वै	1. कोट्टायम
	2. कोच्चि	2. अल्लेपी
	3. त्रिवेन्द्रम	3. पालघाट
	4. क्वीलोन	4. तिरूर
	5. कालीकट	5. कन्नानोर
	6. त्रिचूर	6. मंजारी
17. महाराष्ट्र	1. मुम्बई	1. शोलापुर
	2. नागपुर	2. कोल्हापुर
	3. पुणे	3. सांगली
	4. नासिक (एक्सटेंशन काउंटर)	4. अकोला
	5. पाप्पे (एक्सटेंशन काउंटर)	5. अमरावती
		6. औरंगाबाद
		7. अहमदनगर

18. मध्य प्रदेश	1. भोपाल	1. जबलपुर
	2. रायपुर	2. रतलाम
	3. इन्दौर	3. रीवा
	4. ग्वालियर	4. उज्जैन
19. तमिलनाडु	1. मद्रास	1. इरोड
	2. कोयम्बटूर	2. करूर
	3. कांचिपुरम	3. पोल्लाची
	4. मदूरै	4. राजपलायम
	5. त्रिचि	5. शिवकाशी
	6. सलेम	6. पुडीकोटई
	7. तिरूपुर	7. तजावुर
	8. होसुर (एक्सटेंशन काउंटर)	8. कुम्बकोणम
		9. नेवेली
20. उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ	1. बरेली
	2. कानपुर	2. देहरादून
	3. इलाहाबाद	3. नैनीताल
	4. आगरा	4. झांसी
	5. वाराणसी	5. मसुरी
	6. मेरठ	6. मथुरा
	7. मुरादाबाद	7. अलीगढ़
	8. गोरखपुर	8. बस्ती
	9. गाजियाबाद (एक्सटेंशन काउंटर)	9. मुजफ्फरनगर
	10. नोएडा (एक्सटेंशन काउंटर)	10. मोदीनगर
		11. कड़की
		12. सहारनपुर
		13. गाजियाबाद
		14. नोएडा
		15. बहराइच
21. उड़ीसा	1. कटक	1. राउरकेला
	2. भुवनेश्वर	2. बारीपाड़ा
		3. बालासोर
		4. पुरी
		5. बरहामपुर
		6. बोलनगीर
		7. पारादीप
		8. सम्बलपुर

1	2	3
22. राजस्थान	1. जयपुर	1. जोधपुर 2. पाली 3. बीकानेर 4. कोटा 5. अजमेर 6. उदयपुर 7. अलवर 8. भरतपुर 9. जैसलमेर
23. पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता	1. सिलीगुड़ी 2. हल्दिया आयल रिफाइनरी
24. सिक्किम	शून्य	1. गंगटोक
25. गोवा	1. पणजी (गोवा)	शून्य
संघ राज्य क्षेत्र		
1. दिल्ली	1. नई दिल्ली	
2. पांडिचेरी	1. पांडिचेरी	शून्य
3. चण्डीगढ़	1. चण्डीगढ़	शून्य
4. अंडमान एवं निकोबार	शून्य	1. पोर्टब्लेयर 2. कारनिकोबार

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि सरकार की सामान्य योजना नियमित और विश्वसनीय ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के साथ अधिक से अधिक शहरों/कस्बों को ज्यों ही वह व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहार्य हो जाते हैं तो "प्वाइंट टू प्वाइंट" स्पीड पोस्ट सेवा के अधीन लाने की है। बाद में जब वे व्यावसायिक दृष्टि से अपनी व्यवहार्यता सिद्ध कर देते हैं तब उन्हें राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट नेटवर्क के अन्तर्गत लाया जाता है। मेरा सवाल यह है कि गुजरात के अन्दर भावनगर व्यवहार की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से कितना बड़ा है फिर भी आज तक कोई "प्वाइंट टू प्वाइंट" स्पीड पोस्ट में नहीं लाया गया, तो क्या उसे इसमें लाया जाएगा ?

[अनुवाद]

श्री पी० वी० रंगय्या नायडु : महोदय गुजरात में प्वाइंट टू प्वाइंट 77 स्टेशन हैं जो कि देश में सबसे अधिक है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि गुजरात राज्य को सही तरीके से सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ये भावनगर के बारे में कह रहे हैं।

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जवाब में उल्लेख किया गया है कि "प्वाइंट टू प्वाइंट" स्पीड पोस्ट सेवा का दर्जा बढ़ाकर उसे नैशनल ग्रिड में करने के लिए जो मानदंड है वह ट्रैफिक और राजस्व है। माननीय सदस्य ने भावनगर का उल्लेख किया है। मैं स्वयं देखूंगा कि क्या वहां ट्रैफिक है। लेकिन आज की तारीख में वहां 'प्वाइंट टू प्वाइंट' के आधार पर भी ट्रैफिक नहीं है। जबकि वे इसका दर्जा बढ़ाकर 'नैशनल ग्रिड' में करना चाहते हैं। हम निश्चय ही इस विषय पर जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि 1991 में स्पीड पोस्ट के सर्विस के अन्तर्गत कितनी डाक वस्तुओं की सुविधा प्राप्त है और यह 1990 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्पीड पोस्ट के लिए कितना धन निर्धारित किया गया और 92-93 के लिए इस योजना पर कितना धन खर्च करने का लक्ष्य है?

अध्यक्ष महोदय : आपके पास स्टेटिसटिक है तो दे दीजिए, नहीं तो लिख करके भेज दीजिए।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, स्पीड पोस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो कि प्रगति पर है और उस स्तर तक नहीं, जिस पर कि उम्मीद की गई थी, जब इसका आरम्भ हुआ था क्योंकि निजी संदेश वाहकों को अधिक कार्य मिल रहा है। यह वास्तविकता है। लेकिन पिछले पांच-छः वर्षों में इस पर किए जाने वाले व्यय की राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़कर 30 करोड़ रु० हो गई है। हम अनेक अन्य क्षेत्रों पर विचार कर रहे हैं जहां कि हम इसका विस्तार कर सकते हैं। इसलिए, वास्तव में हमने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि इस क्षेत्र में कितना खर्च किया जाए। इस समय यह विचाराधीन है।

श्री के० एच० मुनियप्पा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में उपमंत्री, श्री राजेश पायलट तथा श्री रंगय्या नायडु को स्पीड पोस्ट सेवाओं के प्रसार कार्य के लिए उनके द्वारा पूरी कोशिश करने पर व्यक्तिगत रूप से बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या देश के सभी जिलों तथा ताल्लुका मुख्यालयों तक इस स्पीड पोस्ट सेवा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और, यदि हां इन सब केन्द्रों में कब तक यह सेवा आरम्भ किए जाने की सम्भावना है। दूसरा, यह महसूस किया गया है कि स्पीड पोस्ट मंहगा कार्य है। इसलिए, जनता के लिए यह स्वाभाविक है कि वे बेहतर स्पीड पोस्ट सेवा की उम्मीद करें..... (व्यवधान)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है लेकिन आप सारे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते जा रहे हैं ।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि स्पीड पोस्ट सेवा का विस्तार मुख्यत: ट्रैफिक के मानदंड पर आधारित है । हम इस बात का निर्णय नहीं ले सकते कि प्रत्येक जिले में स्पीड पोस्ट होगा यदि वहां उस स्तर का ट्रैफिक नहीं है जो कि स्पीड पोस्ट मूलत: सामान्य डाक से अधिक तेजी से डाक पहुंचाने के लिए बनाई गई है । इसलिए हम हमेशा डाक के आवागमन, राजस्व तथा वहां यातायात की उपलब्धता पर विचार करते हैं क्योंकि इसमें एक मामूली से गारंटी शर्त है कि आपको उस वस्तु को 24 या 7 घंटों के भीतर पहुंचाना होगा । यदि नहीं पहुंचायेंगे, तो आपको कुछ राशि वापस करनी होगी जो कि ग्राहक देता है । इसलिए, इन सब पहलुओं पर विचार करना होता है । मैं नहीं समझता कि इस समय ऐसी कोई योजना है जिसमें हम सभी जिलों को सेवा शामिल करते हैं ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या—इस तथ्य के बावजूद कि श्री पायलट इस विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं—स्पीड पोस्ट, स्पीड स्लैम पोस्ट बन गया है ? इसका क्या कारण है ? सब जगह निजीकरण क्यों होता जा रहा है ? यदि यह उचित है तो इसे रोकने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस सेवा की गति बढ़ाने के लिए क्या करने जा रहे हैं ?

श्री राजेश पायलट : महोदय, गति का निर्णय लेना माननीय सदस्य का काम है । जैसा कि मैंने स्वयं अपने पिछले प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न में कहा है कि निजी क्षेत्र के कारण बहुत कार्य कम हो गया है—जैसे कानूनन उन्हें कोई भी पत्र पहुंचाने की अनुमति नहीं है । लेकिन वे इसे 'दस्तावेज' तथा ऐसी अन्य वस्तुओं की शर्त पर ले जाते हैं । उनको अपने तरीके से काफी छट प्राप्त है । मैं इस बात से सहमत हूं कि इस क्षेत्र में भी बाजार में बहुत कड़ी प्रतिस्पर्द्धा है । लेकिन जहां तक कि गति का संबंध है, मैंने कहा है कि हमारी इस सेवा की गति अच्छी है व उचित है । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारी सेवा की गति सबसे तेज है । लेकिन हमारी सेवा की गति उचित रूप से अच्छी है । यदि मैं सही नहीं हूं तो इसमें सुधार कीजिए । मेरे विभाग को यह सूचना प्राप्त हुई है कि सही सूचना नहीं दी जाती है और हमारे मामले में विलम्ब 4 से 5 प्रतिशत तक है ।

मेरी सूचना के अनुसार, मैं नहीं समझता कि कोई निजी संदेशवाहक पैसा वापस करता है । जो सूचना मुझे मिली है यह उसके अनुसार है । लेकिन हम पैसा वापस कर देते हैं यदि वह 24 घंटों के भीतर नहीं पहुंचाया जाता है । हम राशि का कुछ हिस्सा वापस कर देते हैं ताकि ग्राहक यह महसूस करे कि उसने स्पीड पोस्ट सेवा का उपयोग नहीं किया है और यह पत्र सामान्य डाक द्वारा पहुंचा है । यह सभी रियायतें तथा नीतियां हमारे द्वारा बनाई गई हैं जो कि निजी क्षेत्र नहीं देता है । यह अन्तर यहां है । यदि माननीय सदस्य का यह विचार है कि हमारी स्पीड कम है तो हम इसकी और अधिक स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री सेवाराम नरवणे : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में 5 जगहों पर नैशनल नेटवर्क में यह व्यवस्था दी गई है और पाइंट टू पाइंट सर्विस 7 शहरों के लिए है। मैं जानना चाहता हूं इस सेवा के अन्तर्गत 1 लाख आबादी वाले शहरों को लाया जाएगा ?

श्री राजेश पायलट : स्पीकर साहब, जैसा मैंने कहा कि इस चीज को तब कहने में न तो पल्सेशन काउंट कर सकते हैं और न डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं। इसके पेरामीटर्स हैं ट्रैफिक और रेवेन्यू। जहां-जहां यह स्थिति है, वहां-वहां हम लोग इस सेवा को अपग्रेड कर रहे हैं। टोटेलिटी देखकर ऐसी निर्णय लिया जाता है, नहीं तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर से हम कहीं-कहीं पीछे रह जाते हैं, हमारे लीज लाइन की स्पीड कहीं-कहीं कम है, इसमें दो राय नहीं है। इसको कंपीट करने के लिए, हम सेवा लोग दें और आर्टिफैक्ट समय पर न पहुंच पाएं तो इस सेक्टर का फायदा डिपोट हो जाएगा, इसलिए सारा कुछ देखकर किस रूप में इसको आगे बढ़ाया जाए, यह देख रहे हैं।

बंगलौर में हुई ए—320 एयरबस की दुर्घटना के बारे में जांच

[अनुवाद]

*165. **श्री सुबल चन्द्र भंडूरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 में बंगलौर में हुई ए-320 एयरबस की दुर्घटना की जांच के बारे में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ग) इस समय कितनी ए-320 एयर बसें चल रही हैं और ये किन-किन मार्गों पर चलाई जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : (क) से (ग) एक विवरण-सभा सदन पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) जांच मंत्रालय की रिपोर्ट तथा उस पर सरकार का निर्णय दिनांक 10-1-1991 को सदन पटल पर रखा गया था।

बम्बई—अहमदाबाद	—	बम्बई—दिल्ली
बम्बई—कालीकट	—	बम्बई—करांची
बम्बई—गोवा	—	बम्बई—जयपुर
बम्बई—कोयम्बतूर	—	बम्बई-वाराणसी-खजुराहो-बम्बई
बम्बई—बडोदरा	—	
कलकत्ता—गुवाहाटी	—	कलकत्ता—अगरतला

कलकत्ता—बैंकाक
कलकत्ता—ढाका
कलकत्ता—काठमांडू
कलकत्ता बंगलौर
दिल्ली—अहमदाबाद
दिल्ली—गुवाहाटी—इम्फाल
दिल्ली—गुवाहाटी अगरतला
दिल्ली—अहमदाबाद – क्लेडस
दिल्ली
दिल्ली—पुणे
हैदराबाद—बंगलौर
हैदराबाद—दिल्ली
हैदराबाद—बम्बई

कलकत्ता—मद्रास
कलकत्ता—रांची—पटना—दिल्ली

दिल्ली—कराची
दिल्ली—लाहौर
दिल्ली—काठमांडू
काठमांडू—[illegible]
दिल्ली—लखनऊ
दिल्ली—बंगलौर
मद्रास—बम्बई
मद्रास—कोयम्बटूर
त्रिवेन्द्रम—बाले
कालीकट—शारजाह
बम्बई – कोयम्बटूर

मद्रास – बंगलौर
बंगलौर—अहमदाबाद
बंगलौर—त्रिवेन्द्रम
बंगलौर—गोवा

श्री भुवनचन्द्र खन्डूरी : महोदय, न्यायाधीश भट्ट द्वारा की गई 62 सिफारिशों में से 9 एयर-बस इन्डस्ट्रीज के बारे में थी। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सभी सिफारिशें खासकर सिफारिश संख्या 29 और 39 जो कि विनियम सम्बन्धी परिवर्तनों के बारे में थी, लागू कर दी गई हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय हमारी एयर बसों को सुरक्षित समझते हैं। जबकि तथ्य यह है कि सभी सिफारिशें लागू नहीं की गई है और एयर-फ्रांस तथा एयर-इन्टर ने वीर-डमी नाम के उपकरण, जोकि बी० एच०एफ हर प्रकार की दूरी को नापने वाला उपकरण है, के प्रयोग पर हाल ही की दुर्घटना के बाद रोक लगा दी है और हमारे पास आई. एल. एस. सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, हमारी सभी एयर बसें.....

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बहुत से प्रश्न पूछेंगे तो कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : महोदय, इसके दो भाग हैं। एक भाग तो एयरबस इन्डस्ट्री के बारे में की गई सिफारिशों से सम्बन्धित है। दूसरा भाग एक ऐसे उपकरण के बारे में हैं जिसका प्रयोग एयर-फ्रांस द्वारा हाल की दुर्घटना के कारण रोक दिया गया है मेरा प्रश्न यह है कि इस उपकरण के न होने और आई. एल. एस. सुविधा के भी न होने की अवस्था में क्या हमारी एयर बसें सुरक्षित है.....।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आई. एल. एस. अलग बात है। कृपया सटीक प्रश्न करें। अन्यथा आपको सटीक उत्तर नहीं मिल पाएगा।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : महोदय, इन सिफारिशों में से एक सिफारिश से ही सम्बन्धित हैं। सुरक्षा के बारे में दो प्रश्न सटीक हैं।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, न्यायालय ने 62 सिफारिशें की हैं। हमने लगभग 46 सिफारिशें स्वीकृत और 16 सिफारिशें अस्वीकृत की हैं। इन 16 सिफारिशों को मोटे तौर पर तकनीकी और प्रशासनिक कारणों की आत्यावहार्यताबश स्वीकार नहीं किया था। इस प्रकार से हमने 33 सिफारिशों को पहले से ही लागू कर दिया है और 13 सिफारिशें पर विचार जारी हैं।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : मेरे प्रश्न का अभी तक भी उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने खासतौर पर सिफारिश संख्या 29 और 39 के बारे में पूछा था जो कि एयर बस इन्डस्ट्री से सम्बन्धित हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब आप एक प्रश्न द्वारा कई प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा ही होता है। आप को सटीक प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : जी नहीं, महोदय, मैंने तो सटीक प्रश्न ही पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह से तर्क न कीजिए।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : एयर बस इन्डस्ट्री द्वारा तकनीकी संशोधन करने अथवा दीर्घ-कालिक उपाय अपनाने से संबन्धित सिफारिशों को अभी तक भी लागू नहीं किया गया है।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या यह सत्य है कि लगभग 260 करोड़ रुपये की जो हेराफेरी हुई है उसके सिलसिले में एक सी० बी० आई० दल संयुक्त राज्य अमरीका गया है? यदि ऐसा है, तो इस कार्य में क्या प्रगति हुई है?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : ए-320 एयर क्राफ्ट की खरीद के सौदे के बारे में धोखा-धड़ी, कदाचार: घूसखोरी व भ्रष्टाचार आदि आरोपों के लिए 29 मार्च 1990 को एक नियमित मामला दर्ज किया गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरे द्वारा इसकी जांच की जा रही है। इनमें से बहुत से जांच कार्य भारत में ही सम्पन्न होने हैं जो कि पूरे हो चुके हैं। इंग्लैण्ड, अमरीका तथा स्वीट्जरलेण्ड में भी जांच कार्य किए जाने हैं। यह प्रक्रियाएं भी जारी है और 1991-92 में इल्लीनोज तथा वाशिंगटन की राज्य सरकारों ने गवाही दर्ज करने के बारे में पत्र निष्पादित किए हैं जो कि भारतीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए हैं। न्यायालय में इस समय सी० बी० आई के दो अधिकारी उपस्थित थे।

श्री अनन्त वेंकट रेड्डी : क्या यह सत्य है कि शिकागो न्यायालय तथा अमरीकन एजेन्सियों ने ए-320 एयरक्राफ्ट में संरचनागत खामियों के बारे में कुछ टिप्पणियां की है? यदि हां तो माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि संरचनागत खामियों के बारे में उन्होंने क्या कदम उठाये हैं।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : गृह मंत्रालय के अन्तर्गत सी० बी० आई० मुख्यत. इस मामले को देख रहा है और यह मामला जांच-अधीन है। इसलिए इस विशेष जांच के बारे में प्रत्येक बात का विस्तृत उत्तर मैं नहीं दे सकूंगा। लेकिन जांच प्रक्रिया निश्चित तौर पर जारी है।

श्री चन्द्र जीत यादव : फ्रांस में हुई ए-320 एयर क्राफ्ट दुर्घटना की ओर मंत्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित किया जाना चाहिए था। फ्रांस सरकार ने एक जांच दल गठित किया है और ए-320 एयर क्राफ्ट में उन्होंने तीन प्रमुख खामियां बताई है।

इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या फ्रांस सरकार द्वारा गठित समिति की इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार उन तीन प्रमुख खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ताकि हमारे देश में उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : यह सही है कि स्ट्रासं वर्ग में हुई विमान दुर्घटना के बाद कुछ सिफारिशें की गई हैं। महानिदेशक नागर विमानन ने इण्डियन एयरलाइन्स को सलाह दी है कि—ए-320 एयर क्राफ्ट के संचालन से अपने पायलटों को अवगत कराए ताकि संभावी कर्मीदल समन्वय प्रक्रियाओं के बारे में सुनिश्चित करें। दूसरी बात यह है कि इस विषय पर सभी ए-320 एयर-क्राफ्ट चालकों को सूचना व मार्गदर्शन के लिए एक सामान्य परिपत्र भी जारी किया गया था। तीसरे, ए-320 एयर क्राफ्ट के सभी परीक्षकों, अनुदेशकों और चैक-पायलटों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने आइट्मों की रास्ते में अथवा कार्य क्षमता—जांच के तौर पर पड़ताल कर लें।

"एकता यात्रा" संबंधी समाचार आदि का प्रसारण

*166 **कुमारी उमा भारती** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की एकता यात्रा से सम्बन्धित समाचार आदि के प्रसारण हेतु आकाशवाणी और दूरदर्शन पर दिए गये समय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस यात्रा के समाचार आदि के प्रसारण हेतु पर्याप्त समय न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं के समाचार आदि के प्रसारण हेतु क्या मार्गनिर्देश निर्धारित किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा विभिन्न घटनाओं के समाचारों के लिए दिये गये समय के ब्यौरों का रिकार्ड, केन्द्रीय रूप में एक स्थान पर नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने यात्रा की अपर्याप्त कवरेज का आरोप लगाया है।

(घ) ऐसी घटनाओं का समाचार देते समय आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा वस्तुपरकता, निष्पक्षता और समाचारिकता का ध्यान रखा जाता है। किसी पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, मेरा जो पहला सवाल था उस पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है क्योंकि उसका उत्तर बहुत हास्यास्पद है। मुझे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से यह उत्तर मिला कि "दिये गए समय के ब्यौरों का रिकार्ड, केन्द्रीय रूप में; एक स्थान पर नहीं रखा जाता है"

और उसको हम ठीक से नहीं बता पायेंगे। मुझे आश्चर्य यह हो रहा है कि क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय सांसदों को भी मूर्ख समझता है कि हम इस उत्तर से संतुष्ट हो जायेंगे? दूसरी बात यह है कि अगर रिकार्ड होगा भी तो अलग-अलग अलमारियों में रखा होगा। जो एकता यात्रा एक महीना चली उसको रिकार्ड नहीं कर पाये, मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह सवाल किया था, फिर भी यह रिकार्ड नहीं हो पाया तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है इसलिए मुझे आपका संरक्षण चाहिये और मुझे इसका जवाब चाहिए। यह बहानेबाजी नहीं चलेगी कि इनके पास रिकार्ड नहीं है क्योंकि रिकार्ड नहीं हुआ है। मैं जानना चाहती हूं कि उसका समय कितना था ...(व्यवधान)...लगता है उधर बैठे हुए लोगों को एकता शब्द भी अच्छा नहीं लगता। मेरे सवाल का ख भाग यह है कि सांसदों की शिकायत इस सम्बन्ध में मिली, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो डेलीगेशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रीजी से मिला और शिकायत की गई थी, उसके सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सारे सवाल में मुझे जो समझ में आया वह यह है कि क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है?

श्री चन्द्रजीत यादव : अगर दाढ़ी ही न हो तो तिनका कहां से आयेगा।

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, चोर नहीं है इसलिए दाढ़ी में तिनका होने का प्रश्न ही नहीं है। माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाया वह प्रश्न काफी विस्तृत था। क्योंकि यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी और विभिन्न धार्मिक स्थानों से गुजरी थी। उनको एक ही स्थान पर सेंटर को उन सबका मानिटरिंग करना मुश्किल था। लेकिन मैं माननीय सदस्या को और सदन को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि इस पोलिटिकल यात्रा को भी पूरी तरह से तरजीह दी गई। उमा भारती जी कहीं व्यस्त होंगी और उन्हें उन-उन बुलेटिनों का पता नहीं होगा जो दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से प्रेषित किये गये। मैं सदन को निवेदन करना चाहती हूं कि केवल 11 तारीख ही नहीं, बल्कि उसके पहले भी 5, 8, 9 और 10 को भी नेशनल नेटवर्क पर दूरदर्शन के माध्यम से इस यात्रा की सूचना दी गई। 11 तारीख को तीन बुलेटिन दिये गये। तीन बजे अपराह्न, आठ चालीस और नौ तीस पर। इस तरह से 11 तारीख से लेकर 26 तारीख तक 32 बार दूरदर्शन पर यात्रा को दिखाया गया।

जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है 22 दिन में 36 बुलेटिन इस सम्बन्ध में निकले, 501.5 लाइनों की विभिन्न न्यूज थीं और 38.37 मिनट तक उसको दिखाया गया। मैं आपके माध्यम से दोनों ही तरफ के सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं जैसा मैंने पूर्व में कहा, हमारी सूचना का आधार, खासकर राजनीतिक सूचना का आधार राजनीतिक गतिविधियों का कवरेज उनके समाचारिक मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इन विभिन्न प्रकार के बुलेटिन्स जो दिये गये, उनमें हमें लगा कि जो समाचारिक मूल्य हैं, उन्हें प्रेषित किया गया।

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, यद्यपि अभी तक जो उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दिया है, समाचार थोड़ा-बहुत प्रसारित किया गया है, उसमें केवल में छोटी-सी डा० जोशी की तस्वीर दिखाई जाती थी। जिसको बिनाकीकांच ग्लास के देखने की जरूरत पड़ती थी।

इस प्रकार से फिर भी जो मेरा दूसरा सवाल है, वह यह है कि उन्होंने जो समाचार की समाचारिकता की बात कही है, जो मार्गदर्शन दूरदर्शन के बताये हैं, उसके अनुसार वस्तुपरकता, निष्पक्षता और समाचारिकता—इन पर जो खरा उतरता है, वह दूरदर्शन पर दिखाया जाता है। मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आ पाई है कि एकता यात्रा की वस्तुपरकता यानि कश्मीर के मामले की वस्तुपरकता एकता यात्रा के मामले—किस के साथ पक्षपात हो रहा था ? इसलिए उसकी निष्पक्षता और एकता यात्रा की समाचारिकता (व्यवधान)····अध्यक्ष जी, एकता के नाम लेने से इनको बीमारी हो गयी है·····क्या इनको देश की एकता पसन्द नहीं है।

मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहती हूं कि मध्यप्रदेश के गांव में मस्जिद नहीं टूटी, उसके संबंध में मानव संसाधन मंत्री ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दिया, वह दूरदर्शन पर दिखाया गया और उसकी समाचारिकता मानी गयी लेकिन इतनी बड़ी एकता यात्रा जिसमें इस देश के लाखों लोगों का जागरण हो रहा था—राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए उसकी समाचारिकता को नहीं माना गया गया। मुझे यह जानना है कि ···(व्यवधान) ··

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईये····पहले आप बैठ जाइये ···मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप उत्तर चाहती हैं तो संक्षेप में पूछें ··आप उनको कंट्रोल करना चाहती हैं तो आप चुप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उमा जी, आपके सदस्य आपको प्रश्न पूछने नहीं दे रहे हैं। अगर आप उत्तर चाहती हैं तो स्पष्ट सवाल करें।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल सदन के कुछ सदस्यों के सवालों से बहुत छोटा होता है। वे 15-15 मिनट ले लेते हैं। दूरदर्शन भेदभाव करता है, आप तो कम से कम मेरे साथ मत करें। मैं यह जानना चाहती हूं कि वह समाचार एक बे-बुनियाद समाचार था जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं थी और जिसका खण्डन देश के प्रमुख समाचार-पत्रों ने किया····

अध्यक्ष महोदय : अगर आप प्रश्न पर नहीं आयेंगी तो मैं प्रश्न समाप्त कर दूंगा।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, जो समाचार देश की साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए था, उसकी समाचारिकता मानी गयी, वह दूरदर्शन पर समाचार दिया गया लेकिन एकता यात्रा की समाचारिकता को नहीं माना गया इसलिए मैं जानना चाहती हूं···(व्यवधान)

देखिए, ये लोग किस प्रकार से चिल्ला रहे हैं ? आप लोग कोई बात सुन नहीं सकते हैं ? (व्यवधान) आप लोग सुन नहीं सकते। आपके चिल्लाने से यह साबित हो जाता है कि ये सारी बातें इनको दिखाई नहीं देतीं। ये बातें बेबुनियाद थीं। ····(व्यवधान)····अध्यक्ष जी, आप इनको बैठा नहीं रहे हैं। ···(व्यवधान)····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। इस तरह से बात न कीजिए।

(व्यवधान)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं है कि बाहर इस एकता यात्रा को टीवी पर कितनी प्रसिद्धि दी गई, मगर इस सदन में इस प्रश्न को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दी गई है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि माननीय मंत्री महोदया से···(व्यवधान)···मैं बिल्कुल संक्षेप में पूछ रही हूं।···(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं अपना सवाल पूछ ही नहीं पा रही हूं।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए, वहीं तो बैठ जाइए।

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आदेश मानती हूं। मैं संक्षेप में पूछती हूं लेकिन मुझे सवाल तो पूछने दिया जाए।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपको बहुत टाइम मिला टीवी के ऊपर। आप प्रश्न भी पूछिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मुझे सवाल तो कर लेने दीजिए। आप मुझे सवाल नहीं करने देते हैं। आखिर नहीं, आपकी कौन-सी जेल जाने वाली है!···(व्यवधान)···मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि समाचारिकता की दूरदर्शनीय व्यवस्था क्या है? क्या मतलब होता है समाचारिकता का, जिसके कारण एकता यात्रा समाचारिकता के रूप में नहीं आती, लेकिन अर्जुन सिंह का सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला आंदोलन समाचारिकता में आता है?

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल नहीं कहा गया कि एकता यात्रा सामाचारिक मूल्य में आता है या नहीं आता है। मैंने कैटागरिकली यह बात कही कि जहां-जहां, जब भी समाचारिक मूल्य के अन्दर एकता यात्रा आई, जहां पर वस्तुपरक थी, जहां पर निष्पक्षता थी, वहां-वहां पर कितनी ही बार इसको दिखाया गया।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : अपने सहयोगी की बात के साथ-साथ, माननीय सदस्या के प्रति आदर सहित, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप दूरदर्शन की इस बात के लिए शिकायत नहीं कर सकते कि इसकी वजह से एकता-यात्रा सफल हो गयी है। महोदय, दूरदर्शन तो मार खाने वाला लड़का ही है। कोई भी चीज असफल हो जाती है तो आप हर समय दूरदर्शन को ही दोष देते हैं। दूरदर्शन तो केवल मार खाने वाला लड़का ही है।

श्री ए० चक्रवर्ती : दूरदर्शन को स्वायत्तता देने के बारे में यह सरकार संकल्पबद्ध है। माननीय बड़ी महोदया ने दूसरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि सरकार दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने की तैयारी में है। (व्यवधान)

दूरदर्शन एक बहुत ही सशक्त प्रचार माध्यम है और सामान्यतः इस महान देश की राष्ट्रीय एकता और शिक्षा के प्रसार में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

क्या माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जान सकता हूं कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम अथवा घटना या फिर अन्य किसी समाचार जो कि किसी भी प्रकार से साम्प्रदायिक दुर्भावना पैदा करता है की अनावश्यक कवरेज नहीं की जानी चाहिए ? (व्यवधान)।

श्री अजित पांजा : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसे हमने भलिभांति नोट कर लिया है और हम इसे पूरा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार। अध्यक्ष जी, यह एकता यात्रा के सिलसिले के लगभग 40वें दिन ओर सवाल आया है, उसमें नीतिगत सवाल पूछना चाहता हूं। जो एकता यात्रा को कवरेज देने के सिलसिले में सवाल किया है, वह कवरेज किस आधार पर दी जाती है ? हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के इस प्रकार की यात्राओं और कार्यक्रमों के बारे में क्या मापदंड सरकार अपनाती है उसकी कवरेज देने का ? क्योंकि एक तरफ उनके उत्तर से स्पष्ट है कि एकता यात्रा की सिलसिलेवार से बहुत ज्यादा पब्लिसिटी दी गई, दूसरी ओर न्याय ज्योति यात्रा जो चल रही है, उसकी एक बार भी पब्लिसिटी नहीं की। जनता दल के नेता श्री राम नरेश कुशवाहा का जो भंडाफोड़ यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है उसको कोई प्रसारण नहीं मिला है। हम जानना चाहते हैं कि कवरेज के लिये आपने क्या मापदंड निर्धारित किया है, कौन सा मापदंड विभिन्न राजनैतिक कार्यक्रमों की कवरेज के लिये तैयार किया गया है।

कुमारी गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह देश यात्राओं का देश है। यहां कभी पोलिटिकल पार्टीज अपने पोलिटिकल कारणों से यात्राएं करती रहती हैं और कभी दूसरी यात्राएं होती रहती हैं। इस यात्राओं के देश में, सभी प्रकार की यात्राओं को कवरेज नहीं दी जा सकती है लेकिन मैं सदन की सूचनार्थ विभिन्न राजनैतिक घटनाओं की कवरेज के लिये जो महत्वपूर्ण बिन्दु हैं, उन्हें सदन के समक्ष रखना चाहती हूं। राजनैतिक गतिविधियों की कवरेज उनके सामाचारिक मूल्यों के आधार पर की जाती है। सभी राजनैतिक दलों से सम्बद्ध समाचारों की निष्पक्ष रिपोर्टिंग की जाती है और एक ही बुलेटिन में विभिन्न दृष्टिकोणों से यथासम्भव कवरेज होता है। समाचार बुलेटिनों में...(व्यवधान)...

श्री रामविलास पासवान : क्या आप समझती हैं कि न्याय ज्योति की कोई इम्पोर्टेन्स नहीं है, जो 6 दिसम्बर को बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म शताब्दी दिवस से चली है और 14 अप्रैल को यहां पहुंचने वाली है।

कुमारी गिरिजा व्यास : मैं उससे मना नहीं कर रही हूं।

श्री राम विलास पासवान : चूंकि उसका सम्बन्ध दलितों से है, गरीबों से है, शैड्यूल्ड कास्टस से है, क्या इसलिये उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उसे एक भी कवरेज अभी तक क्यों नहीं दिया गया। मैंने इस सम्बन्ध में मन्त्री जी को एक पत्र लिखा है। एक दिन भी उसे कवरेज नहीं दी

गयी जब कि 6 दिसम्बर से वह चली है। क्या न्याय ज्योति का आपकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है।

कुमारी गिरिजा व्यास : जब भी कोई पोलिटिकल यात्रा का सामाचारिक मूल्य होगा, हम ऐसी यात्राओं को दिखाने का प्रयास करेंगे लेकिन सामाचारिक मूल्य होना आवश्यक है। (व्यवधान)

चसनाला खानें

*167. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल की चसनाला खानों में खनन कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) भारत, जर्मनी और पोलैंड के विशेषज्ञों ने चसनाला दुर्घटना के संदर्भ में क्या-क्या सिफारिशें की हैं,

(घ) इन सिफारिशों को किस सीमा तक लागू कर कर दिया गया है;

(ङ) क्या इन खानों में कार्य कर रहे अनेक श्रमिक "न्यूमोकोनिस" रोग से पीड़ित हैं; और

(च) यदि हां, तो उनके उपचार के लिए क्या प्रबन्ध किय, गया है ?

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। चासनाला डीप माइन (इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की) में खनन कार्य अभी पुनः शुरू किया जाना है। अभी केवल खान को सुव्यवस्थित करने, उसको सुधारने और उसके विकास से संबंधित कार्य किए जा रहे है।

(ग) और (घ) दिसम्बर, 1975 में खान में दुर्घटना होने के बाद भारतीय एजेंसियों और जर्मनी की मैसर्स मोन्टान द्वारा अध्ययन किए गए थे। इसके अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी एजेंसी ने कोई अध्ययन नहीं किया। भारतीय एजेंसियों द्वारा की गई सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) पुराने कार्य स्थानों से पानी को निकालने की व्यवस्था करना,

(2) पुराने कार्य स्थान का सर्वेक्षण करना,

(3) खान को पुनः चालू करने के लिए एक विदेशी विशेषज्ञ परामर्शदाता की नियुक्ति करना क्योंकि देश में इस प्रकार को कोई विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं थी।

इस्को तारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है।

जर्मनी की मैसर्स मोन्टान ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :—

(I) इस्को को या तो प्रथम संस्तर में पुराने और नए कार्य स्थानों के बीच के बैरियर की मोटाई को प्रमाणित करें या प्रथम संस्तर को 10 मीटर तक नीचे करें और वर्तमान कार्य स्थान को बन्द करने के लिए कोयले में कंकरीट का बांध बनाए।

इस्को ने पुराने कार्य स्थान का लगभग सम्पूर्ण सर्वेक्षण कर लिया है और बैरिया को प्रमाणित कर दिया है। कार्य का शेष भाग प्रगति पर है।

(II) 'इस्को' को खनन प्रचालन कार्य मैसर्स मोन्टाना की खान योजना के आधार पर प्रयोग के तौर पर करना चाहिए ताकि वे प्रचालन और मशीनरी की अधिक उपयुक्त पद्धति का विकास कर सके।

यह कार्य प्रगति पर है और इसको मई, 1994 से पहले पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) खान को पुन: चालू करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'न्यूमोकोनियोसिस' अन्य दूसरी व्यावसायिक बीमारियों का पता लगाने और उनका उपचार करने के लिए "इस्को" चसनाला में एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि चसनाला कोयला खदान देश में सर्वोत्तम कोयले का उत्पादन करती है किन्तु सबसे अधिक खतरनाक और विषैली गैसेज भी वहां मौजूद हैं। इन सब परिस्थितियों को सामने रखते हुए, इसके अतिरिक्त आग लगने और पानी भर जाने की संभावनाएं भी वहां विद्यमान हैं, इसे देखते हुए, क्या सरकार ने कोई पुख्ता बंदोबस्त वहां किया है ताकि कोई दुर्घटना न घटे। उसके लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है और कब तक इस कोयला खदान का नवीनीकरण कर दिया जायेगा। नवीनीकरण के बाद हम लोगों को कितना कोयला वहां से मिलने की आशा है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, यह सत्य है कि चसनाला कोयला खदान देश में सर्वोत्तम कोयले का उत्पादन करती है। यह भी सत्य है कि सरकार ने इस विशेष चसनाला कोयला खदान को पुन: चालू करने के लिए कदम उठाये हैं इस बारे में व्यापक अध्ययन के बाद, विश्व स्तरीय निविदाएं आमंत्रित की गई थी। चयन करने पर जर्मनी की एक कम्पनी आगे आयी और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्टील एथोरिटी आफ इण्डिया को इस रिपोर्ट के लागू करने के बारे में आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस खदान में व्यापारिक उत्पादन 1994-95 वर्ष से प्रारम्भ होगा। वर्ष 1993-94 से पूर्व-व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। इसके व्यापारिक स्तर पर पूर्णतया पुनर्जीवित हो जाने पर, 2003 ए० डी० तक सर्वोत्तम कोयले का वार्षिक उत्पादन दस लाख टन हो जाएगा। इसे इस्पात संयंत्रों में प्रयोग में लाया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी : अध्यक्ष जी, चसनाला कोयला खदान में 1975 में जो दुर्घटना हुई थी, उसमें 375 लोगों की मृत्यु खदान की भीतर हो गई थी। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो मजदूर उस दुर्घटना में मरे, उनके परिवारों को अब तक कितना मुआवजा दिया गया। इसके अतिरिक्त वहां की जो आज हवा दूषित होती जा रही है, उसे रोकने के लिए आपने कौन-कौन से बंदोबस्त किए हैं या करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : यह सही है कि खदान में एक दुखद घटना में 375 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हमने अब तक उनके आश्रित परिवारों में कुल 396 व्यक्तियों को नौकरी दी है। इसको ने 73,79,900 रुपये का मुआवजा दिया है। इसके अतिरिक्त एक कोल माइन्ज प्रोविडेन्ट फंड भी है, जिसमें बिहार सरकार भी अंशदान देती है। उन्होंने 40,32,000/- रुपये की राशि वितरित की है। औसतन प्रत्येक मृतक के लिए 30,000/- रुपये हुए। इसके अलावा इस विशेष योजना में हम पुन: सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। मौजूदा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा; ताकि वे खनन के यांत्रिक स्वरूप में कार्य कर सकें। और ऐसा नई योजना में होने जा रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, कोकिंग कोल प्रति वर्ष बाहर से मंगाने पर बारह सौ करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं। चसनाला कांड हुए 17 वर्ष हो गए हैं लेकिन इन दिनों में कोकिंग कोल को बाहर से खरीदने में काफी पैसा खर्च किया जाता रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या उन पैसों को बचाकर या दो वर्ष में चसनाला खान को काम के लायक नहीं बनाया जा सकता है ? इसी प्रश्न का दूसरा खंड है कि उसमें काम करने वाले लोगों को एक खास किस्म की बीमारी हो जाती है। उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात कही। स्वास्थ्य केन्द्र 17 वर्ष के बाद भी नहीं खुला है। क्या इस रोग से पीड़ित लोगों की कुल संख्या के कोई आंकड़े हैं और जो लोग उसमें मर गए हैं उनके परिवारों को क्या आप कोई मदद देने का काम करने जा रहे हैं या नही ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : इस कोयला खान की अपनी विशेषताएं हैं। यह अत्यधिक झुकी हुई है और अत्यधिक घास-युक्त है। एक अध्ययन से यह पता चला है कि 500 मीटर तक 76.4 मिलियन टन कोयला उपलब्ध है। लेकिन हम वाणिज्यिक दृष्टि से 43 96 मिलियन टन उत्पादन स्तर तक ही जा सकते हैं इससे आगे नहीं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, यह सही है कि इसमे बहुत समय लग रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से रिकार्ड के खराब रखरखाव तथा प्रबन्धकों द्वार कार्यरत खानों की स्थिति की कम जानकारी के कारण 375 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। अब हम इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं और कुछ तो पहले ही किया जा चुका है तथा कुछ अन्य

स्थानों जहां पर पानी है, वहां पर रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, ताकि हम खामियों को दूर कर सकें और हम कोई अवसर नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमने विदेशी विशेषज्ञों को शामिल किया है। कामगारों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतया संतुष्ट होने के बाद ही हम उत्पादन करेंगे। यद्यपि इसमें हमारा समय नष्ट हो रहा है फिर भी हम कोई मौका नहीं दे रहे।

जहां तक बीमारी का संबंध है, हां, कुछ बीमारियां जैसे फेफड़े की बीमारियां या तपेदिक आदि की शिकायतें हैं जो खतरनाक है। इस संबंध में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने इस्पात संयंत्र तथा कोयला खानों, दोनों के लिए एक विशेष चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे जो भी चिकित्सा सुविधाएं अनिवार्य हैं, वे इण्डियन आयरन एण्ड कम्पनी द्वारा दी जाएं।

पर्यटकों की संख्या बढ़ाने हेतु रियायतें

*168. **श्री रवि राय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु एक कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार पर्यटकों को कौन-कौन सी रियायतें देने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : (क) और (ख) भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए निरंतर उपाय किए जाते रहते हैं, जिनमें शामिल है—पर्यटन आधारिक-संरचना का विकास, विदेशी मार्केट में प्रचार अभियान, उपभोक्ता प्रदर्शनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनारों, आदि का आयोजन और आतिथ्य स्कीमों के अंतर्गत यात्रा व्यवसाय तथा प्रचार-माध्यमों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना।

(ग) आफ सीजन में होटलों, इअरलाइंस और यात्रा संगठनों द्वारा रियायतों/विशेष पैकेज डूअर्स की पेशकश की जाती है जो समय-समय पर भिन्न होते हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पिछले दो सालों से टूरिस्ट इंडस्ट्रीज से जो राजस्व होना चाहिए था उसमें कमी हुई है ? क्या पर्यटकों के लिए खास इन्तजाम करने के अभाव में राजस्व में कमी हुई है ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : वर्ष 1991 में भारत अनेक वर्ष के दौरान खाड़ी क्षेत्र में विभिन्न घटनाओं और खाड़ी युद्ध तथा इसका प्रभाव, विश्व में मंदी की स्थिति, सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों की घटनाओं से हमें धक्का लगा है। फिर भी भारत 1991 के अन्य से पर्यटकों

के आगमन में तबदीली लाने में सफल रहा । मैं इस बारे में थोड़ी जानकारी दे सकता हूं । 199। में जनवरी से जून तक 11.7 प्रतिशत की कमी हुई । लेकिन जुलाई से दिसम्बर में हमने यह कमी 7.5 प्रतिशत की वृद्धि में बदल दी । इससे गत वर्ष 20 प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि विदेशी पर्यटकों में और देश के जो पर्यटक जाते हैं, तो उनमें जो कम आय वाले लोग हैं, तो होटलों के सिलसिले में खास इन्तजाम या रहने के सिलसिले में नहीं रहने के कारण हमारे यहां टूरिज्म इण्डस्ट्री नहीं बढ़ पा रही है तो कम आय वालों के लिए क्या खास इन्तजाम आप कर रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : मध्यमवर्गीय पर्यटकों के लिये आप कुछ कर रहे हैं क्या ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के पर्यटकों के लिए विशेष प्रावधान करने का प्रयास किया जा रहा है, कई कदम उठाये गये हैं उसमें कैम्पिंग टूरिज्म एक दिशा हमने अपनाई है, उसमें भी कुछ सफलता हमें मिली है ।

इसके अलावा जगह-जगह पर यात्रिकाएं और कम किराये पर रहने की व्यवस्था जगह-जगह पर कराने का प्रयास किया है लेकिन जैसा माननीय सदस्य महोदय जानते हैं कि विशेष रूप से जो कुछ कदम उठाना चाहेंगे, प्रमुख रूप से राज्य सरकारें इसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं । वहां से प्रस्ताव आना चाहिए, उस प्रस्ताव को स्वीकृति देकर हम धनराशि देने का प्रयास करते हैं कि धनराशि की सहायता राज्य सरकार को दी जाय और इम्पलीमेंटिंग एजेन्सी, जो क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सी होती है, वह प्रमुख रूप से राज्य सरकारों के अन्तर्गत आती है । पर कई ऐसी राज्य सरकारें हैं, जिन्होंने बहुत ही रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है और काफी कुछ सहयोग हमें मिला है और इसकी व्यवस्था काफी कुछ हुई है, इससे हमें संकेत मिलता है ।

जब हम पर्यटकों की कुल संख्या लेते हैं तो उसमें ऐसा विदित होता है कि विशेषकर जो साउथ ईस्ट एशियन कण्ट्रीज हैं, दक्षिण पूर्व इलाके के, वहां कुल संख्या पर्यटकों की हो सकती है कि हमसे ज्यादा है । जैसे कि सिंगापुर में 4.8 मिलियन यानी 48 लाख, थाईलैण्ड में 48 लाख, मलेशिया में 32 लाख, इण्डोनेशिया में 16 लाख और श्रीलंका में 2 मिलियन और हमारे यहां 17 लाख तो हो सकता है कि ऐसा लगता है कि कुछ कम संख्या में पर्यटक हमारे यहां आते हैं पर अगर आप औसत लें कि कितने दिन औसत से यह लोग भारतवर्ष में बिताते हैं तो उसमें सिंगापुर में मात्र 3.3 दिन औसत पर बिताये जाते हैं, थाईलैण्ड में 7.6, मलेशिया में 4.6 और इडोनेशिया में 11.6 और हमारे यहां 31.2 दिन औसत बिताते हैं । तो टूरिस्ट नाइट अगर आप लें, कुल जो टूरिस्ट नाइट यहां बिताते हैं, उसमें जहां 15.84 मिलियन टूरिस्ट नाइट सिंगापुर में हैं और 36.48 मिलियन थाईलैंड में हैं वहां हमारे यहां 53.04 मिलियन टूरिस्ट नाइट बिताये जाते हैं ।

मैं प्रयास कर रहा हूं माननीय सदस्य को जवाब देने के लिए, क्योंकि, मैं बताना चाह रहा हूं कि संकेत हमें मिलता है कि मध्यम वर्ग के टूरिस्ट यहां आते हैं । इसके बावजूद भी जबकि डबल टूरिस्ट नाइट हमारे यहां बिताये जाते हैं, तब भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में जहां 2.9 बिलियन

डालर्स सिंगापुर में कमाये जाते हैं, वहां हमारे यहां 1.4 कमाये जाते हैं। इसका मतलब यह है कि मध्यमवर्ग और निम्न आय वर्ग के टूरिस्ट यहां ज्यादा आते हैं, क्योंकि, जहां 53 मिलियन टूरिस्ट नाइट बिताये जाते हैं, तब भी हमारे फारेन एक्सचेंज अर्निंग कुछ कम हैं। इससे हमें कुछ इण्डीकेशन मिल सकता है, संकेत मिल सकता है कि मध्यम वर्ग के टूरिस्ट, काफी कुछ योजनाएं जो यहां क्रियान्वित की गई हैं, उससे काफी कुछ सुविधाएं उनको यहां मिल सकती हैं।

श्री अयूब खां : जनाबे सदरे मोहतरम, क्या यह सच नहीं है कि जितने टूरिस्ट इस मुल्क में आते हैं, उसके 40 फीसदी राजस्थान में जाते हैं? राजस्थान का कुल भूभाग, जिसमें 61 परसेंट रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तानी इलाके के बावजूद वहां पर बेहतरीन किस्म की हवेलियां और किले हैं और विशेष सौन्दर्य की चीजें हैं, जिससे बाहर से आने वाले लोग आकर्षित होते हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने उस टूरिज्म के सम्बन्ध में 8 पाइण्ट्स भारत सरकार को दिये हैं तो क्या मंत्री महोदय उन 8 पाइण्ट्स को स्वीकृति देने जा रहे हैं? इसमें शेखावाटी सर्किट है और उसमें खासकर···

अध्यक्ष महोदय : यह सारे हिन्दुस्तान का सवाल है।

श्री अयूब खां : मंत्री महोदय उन 8 पाइण्ट्स की स्वीकृति देने जा रहे हैं जिससे कि राजस्थान में आने के लिए टूरिस्ट आकर्षित हो सकें?

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में आपके पास कोई सूचना है?

श्री माधव राव सिंधिया : इस सम्बन्ध में सैपरेट नोटिस की आवश्यकता है।

नये धारावाहिकों का पंजीकरण

+

*169. **श्री राजेश कुमार**
श्रीमती शीला गौतम } क्या सूचना प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई महीनों से दिल्ली दूरदर्शन द्वारा नये धारावाहिकों का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी पुराने धारावाहिकों का प्रसारण पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इनका प्रसारण कब तक चलता रहेगा; और

(ङ) नये धारावाहिकों का पंजीकरण कब से शुरू किये जाने की सम्भावना है?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां। प्रायोजित धारावाहिकों का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है।

(ख) दिनांक 31 अक्तूबर, 1990 से नया पंजीकरण बंद कर दिया गया था। तब तक दूरदर्शन को उसकी नई प्रायोजित योजना के तहत 3544 प्रस्ताव पहले ही प्राप्त हो चुके थे।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इन धारावाहिकों का प्रसारण दिसम्बर, 1992 तक चलता रहेगा।

(ङ) प्रायोजित धारावाहिकों के लिए नया पंजीकरण शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष महोदय, विदेशी सीरियल का दूरदर्शन पर प्रभाव ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है और भारतीय सीरियल्स की आप लोग ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं, इसके क्या कारण हैं?

कुमारी गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में अभी-अभी निवेदन किया था कि हमारे यहां से विदेशी सीरियल्स इतने नहीं दिखाए जा रहे हैं, हमारे यहां सारे भारतीय सीरियल्स हैं। सीरियल्स बाहर के नहीं हैं, फिल्स, टेलीफिल्स दिखाई जाती हैं। दूरदर्शन पर हमारे यहां के सीरियल्स दिखाए जाते हैं—यह मैं माननीय सदस्या से निवेदन करना चाहती हूं।

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, विदेशी सीरियल्स यहां ज्यादा दिखाए जाते हैं। यह बात ठीक नहीं है, भारतीय सीरियल्स पर ज्यादा महत्व देना चाहिए। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है, सीरियल्स को पास करने का मापदंड क्या है और क्या "कृष्णा" सीरियल आपके मापदंड में आता है? यदि यह आता है, तो आप उसको कब से शुरू करने जा रहे हैं?

कुमारी गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, जुलाई, 1984 में सीरियल्स के संबंध में निदेशिका प्रस्तुत हुई थी और एक अक्टूबर, 1990 में उसको रिवाइज किया गया तथा तभी नए सीरियल्स आमंत्रित किए गए थे। उसमें 3,544 प्रयोजल्स आए। इस संबंध में समिति के सदस्यों की संख्या सौ से घट कर 64 हो गई। उन्होंने उन सीरियल्स को देखा है और उनमें 432 प्रयोजल्स को पसंद कर दिया है। 28 फरवरी, 1922 को एक प्रैस-नोटिफिकेशन के द्वारा इसके अलावा अभी कुछ कुछ प्रयोजल्स विचाराधीन हैं। 1992 तक हमें 72-75 सीरियल्स चाहिए और सुविधा के आधार पर उन सीरियल्स को दूरदर्शन लेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका जो क्राइटीरिया है, वह आप लिखित रूप में टेबल पर रख दीजिए, सदस्यों को मिल जाएगा।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, कितने नए सीरियल की दो-चार कड़ी दिखाने के बाद बन्द कर दिया है और कितने पुराने धारावाहिकों को आपने एक बार दिखाने के बाद दो-चार बार रिपीट किया है तथा इसके कारण क्या हैं? इसी से सम्बन्धित दूसरा प्रश्न है....

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न कीजिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार : इसी से संबंधित हैं, इन्होंने 3544 सीरियल की संख्या बताई है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, इन 3544 धारावाहिकों में ऐसे कितने हैं, जो देश की एकता और अखण्डता को तोड़ने वाले हैं ?

श्री गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए अलग से नोटिस दे दें।

श्री शरत चन्द्र पटनायक : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में रविवार को जो उड़िया फिल्म देते हैं मैं यह पूछना चाहता हूं कि साल में कितनी उड़िया फिल्म दिखाई है और पिछले दो-तीन साल से मैं देख रहा हूं कि पुरानी उड़िया फिल्म दिखाते हैं। (व्यवधान) इसलिए मेरा कहना यह है कि नया फिल्म दिखाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की दुर्घटना

*170 श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले
श्री डी० एस० डी० बलसोगी } : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की बड़ी दुर्घटनाओं की संख्या क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के होने के क्या कारण हैं तथा इन दुर्घटनाओं में कितनी जानें गयीं; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने और विमानों तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) 1991 के दौरान, एक दुर्घटना हुई जिसमें इंडियन एयरलाइन्स का बी-737 विमान वी०टी०-ई०एफ०एम०, जो कलकत्ता से इम्फाल को उड़ान आई० सी-257 का परिचालन कर रहा था, 16-8-1991 को इम्फाल के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 63 यात्रियों और कर्मचारियों के 6 सदस्यों की जानें गयीं। इस दुर्घटना की जांच के लिए नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन

[हिन्दी]

*171 श्री सत्यनारायण जटिया : क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय विद्युत-उत्पादन और खपत कितनी-कितनी है और इस कमी से निपटने के लिए किन उपायों को अपनाया गया है;

(ख) स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी राज्य की विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या है, उनकी उत्पादन क्षमता क्या है और उन पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी;

(ग) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं में से प्रत्येक को स्वीकृत प्रदान करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)			(अवधि अप्रैल, 1991—जनवरी, 1992) आवश्यकता	उपलब्धता	% कमी
मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	मध्य प्रदेश	(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)	
1	2	1+2			
10509	16557	26666	17165	16322	4.9

मध्य प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं; विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से ईष्टतम विद्युत उत्पादन करना, विद्युत उत्पादन केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण संबन्धी कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करना, प्रभावी भार प्रबन्ध की व्यवस्था करना तथा ऊर्जा संरक्षण आदि। जब कभी भी प्रणालीगत परिस्थितियों में ऊर्जा का अन्तरण किया जाना संभव होता है तो इस प्रकार की परिस्थिति में पड़ौसी प्रणालियों से भी मध्य प्रदेश की सहायता की जाती है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से यथा सम्भव शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए भरसक प्रयास किए जाते है। तथापि तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृतिप्रदान किया जाना तथा योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्रदान किया जाना अनेक घटकों पर निर्भर करता है जिनमें ये शामिल हैं; परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्टों की व्यापकता, विभिन्न टिप्पणियों/प्रेक्षण के बारे में उत्तर दिए जाने में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा कितना समय लिया गया, विभिन्न निवेशों की उपलब्धता तथा स्वीकृतियां यथा ईंधन लिंकेज, परिवहन, गोदी सम्बन्धी सुविधा, जल की उपलब्धता, पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से स्वीकृति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा नेशनल एयरपोर्ट अथारिटी की स्वीकृति आदि।

मध्य प्रदेश की निम्नलिखित ताप विद्युत एवं जल विद्युत स्कीमों के बारे में निवेश सम्बन्धी अनुमोदन/तकनीकी आर्थिक दृष्टि से अनुमोदन प्रतीक्षित है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रू० में)	के०वि०प्रा० में रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	के०वि०प्रा० द्वारा स्वीकृत किए जाने की तारीख	अभ्युक्ति/स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	महेश्वर (जल विद्युत)	10×40=400	465.60	3/89	58/89	पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से स्वीकृत प्रतीक्षित है।
2.	बाणसागर-टोन्स फेज-4 (जल विद्युत)	2×10=20	41.90	9/90	11/91	पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से स्वीकृति प्रतीक्षित है।
3.	पेंच चरण-2 (ताप विद्युत) यूनिट 3 व 4	2×250=500	710.60	4/90	—	पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से स्वीकृति प्रतीक्षित है। कोयला लिंकेज भी प्रतीक्षित है।
4.	संजय गांधी (बीरसिंहपुर) विस्तार (ताप विद्युत)	1×500=500	623.00	12/90	—	पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से स्वीकृति प्रतीक्षित है। कोयला लिंकेज भी प्रतीक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7
5.	ग्वालियर गैस आधारित संयुक्त साइकिल संयंत्र (ताप विद्युत)	817	838.00	8/90	—	गैस आबंटन की प्रतीक्षा है। मध्य-प्रदेश प्राधिकारियों द्वारा मामले को पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया गया है।
6.	मटमार (जल विद्युत) (संशोधित)	2×40=80	166.00	1/91	—	परियोजना आयोजना, सिविल लागत अनुमानों, गेट डिजायन, हाइड्रिक सिविल डिजाइन, इलैक्ट्रिकल डिजाइन, पारेषण प्रणाली आदि से संबन्धित टिप्पणियों के बारे में परियोजना प्राधिकारियों के उत्तर की प्रतीक्षा है।
7.	बीना (ताप विद्युत)	4×250=1000	1824.18	5/91	—	सांविधिक स्वीकृति और कोयला लिंकेज प्रतीक्षित है।

राजघाट और बाणसागर अंतर्राज्यीय परियोजनाएं

[अनुवाद]

*172 श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट और बाणसागर अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के पूरा होने में पर्याप्त धन के अभाव में विलंब हुआ है,

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त धन उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है,

(ग) इन परियोजनाओं के बांध और नहरों सम्बन्धी कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है,

(घ) विस्थापितों को भूमि के मुआवजे के भुगतान और उनके पुनर्वास हेतु तैयार किये गये समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

प्रश्न के अनुसार राजघाट और बाणसागर परियोजनाओं का सकार ब्यौरा

(क) राजघाट और बाणसागर परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के कारण

राजघाट और बाणसागर परियोजनाओं के पूरा होने में धन की कमी भी विलम्ब का एक कारण रही है।

(ख) परियोजनाओं के लिए धन के प्रावधान के लिए उठाये गये कदम

मन्त्रालय ने यह मामला एक आम मुद्दे के रूप में योजना आयोग के साथ उठाया था। वे अब इन परियोजनाओं के लिए निधियां निर्धारित करने के वास्ते सहमत हो गए हैं।

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने की समय सीमा

राजघाट परियोजना

(i) बांध—जून, 1993

(ii) विद्युत घर—1995

(iii) नहरें (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश)—
आठवीं योजना के आगे।

बाणसागर परियोजना

(i) बांध—जून, 1995

(ii) नहरें (मध्य प्रदेश)—2000

(iii) नहरें (उत्तर प्रदेश)—आठवीं योजना के आगे

(घ) अधिग्रहण और पुनर्वास
और

(ङ) राजघाट परियोजना

भूमि अधिग्रहण

(i) अधिग्रहीत की जाने वाली कुल निजी भूमि—
12599 हेक्टेयर

(ii) 12/91 तक अधिग्रहीत भूमि—
8758 हेक्टेयर

(iii) शेष भूमि अधिग्रहीत करने के लिए कार्यक्रम
1991-92 — 337 हेक्टेयर
1992-93 — 1500 हेक्टेयर
1993-94 — 2004 हेक्टेयर

पुनर्वास

(i) प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	—	8384
(ii) पुनर्वास अनुदान प्रदान परिवारों की संख्या	—	6456
(iii) शेष बचे परिवारों की संख्या: के लिए कार्यक्रम:		
1991-92	—	200
1992-93	—	1728

बाणसागर परियोजना

भूमि अधिग्रहण

(i) अधिग्रहण की जाने वाली कुल निजी भूमि	—	32534 हेक्टेयर
(ii) 1/92 तक अधिग्रहण की गयी भूमि इसे वर्ष 1994 तक अधिग्रहण करने का कार्यक्रम है।	—	14332 हेक्टेयर

पुनर्वास

(i) प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	—	23390
(ii) 1/92 तक पुनर्वास अनुदान प्रदान किए गए परिवारों की संख्या	—	4873
(iii) आवासीय भूखंडों के लिए विकल्प देने वाले परिवारों की संख्या	—	798
(iv) आवासीय भूखण्ड प्रदान किए गए परिवारों की संख्या	—	543

शेष परिवारों के पुनर्वास की भूमि अधिग्रहण कार्यक्रम अनुकूल बनाना है।

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

173. श्री अीकान्त जेना
श्री चित्त बसु } : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी, बर्नपुर में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या शर्तें रखी गई हैं,

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) इस संबंध में समझौते को अन्तिम रूप कब तक दे दिये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) सरकार को लंदन स्थित कापरो ग्रुप लिमिटेड जिसके साथ एक अनिवासी भारतीय, श्री स्वराज पाल सम्बद्ध हैं, से पत्र मिले हैं जिसमें उन्होंने इस्को/इस्को आधुनिकीकरण परियोजना में भागीदारी की रुचि दिखाई है।

"सेल" ने एस० बी० आई—केपिटल मार्किट लिमिटेड (एस० बी० आई—सी ए पी) को इस्को में निजी भागीदारी की संभावनाओं का पूरी तरह पता लगाने के लिए व्यवसायिक परामर्शदाता के रूप में रखा है। अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्रवाई के एक भाग के रूप में, यह समझा जाता है कि एस० बी० आई-सी एपी कापरो ग्रुप के साथ सम्पर्क बनाई हुए है।

"सेल" की एस बी आई—सी ए पी से रिपोर्ट मार्च, 1992 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है। तत्पश्चात् सरकार मामले पर विचार करेगी।

घरेलू विमान सेवाओं का गैर-सरकारीकरण

*174. श्री मोहन रावले
श्री के० प्रधानी } : नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की घरेलू विमान सेवाओं और एयर इण्डिया के कुछ मार्गों का गैर-सरकारीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सेवाओं के कब तक चालू होने की संभावना है;

(ग) गैर-सरकारी विमान कंम्पनियों को किन क्षेत्रों में उड़ान भरने की अनुमति दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की लाभ कमाने की क्षमता पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) यदि हां, तो कितना; और

(च) इस हानि को पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) वर्ष 1986 से एक हवाई टैक्सी योजना प्रचालन में है। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय कम्पनियों/अनिवासी भारतीयों द्वारा देश के उन हवाई क्षेत्रों के लिये सेवाओं का प्रचालन करने हेतु निवेश किया जा सकता है जहां अनुसूचित विमान सेवाएं प्रचालन करती हैं।

(घ) लाभप्रदता कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे प्रबन्धकीय दक्षता व्यवसाय वातावरण प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता और आयात सम्बन्धी लागतें। अन्यों द्वारा अन्तरदेशीय विमान सेवाओं के परिचालन के कारण इण्डियन एयरलाइन्स की लाभप्रदता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

बिजली क्षेत्र के लिए धन-राशि का नियतन

*175. **डा० असीम बाला** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली क्षेत्र के लिए कितनी धन-राशि नियत की गई है;

(ख) अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूर्वी क्षेत्र के लिए बिजली उत्पादन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) विद्युत उत्पादन हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले सम्भावित पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्ञानप्रकाश राय) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, केन्द्रीय बजट में आठवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु 5167 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ग) सितम्बर, 91 में घोषित सरकारी नीति के अनुसरण में, लगभग 20,000 करोड़

रुपये की अनुमानित लागत पर करीबन 8162 मेगावाट क्षमता स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*176. श्री ए० चार्ल्स
श्री मदन लाल खुराना } : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1991 में इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के विमान चालकों सहित अन्य कर्मचारियों ने धीरे काम करने की रणनीति अपनाई थी या बिना पूर्व सूचना के हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया था;

(ग) उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त हड़ताल के कारण किन-किन विमान सेवाओं को रद्द किया गया या उनको उड़ानों में विलम्ब हुआ;

(ङ) इस कारण इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया को कुल कितनी हानि हुई;

(च) इस सम्बन्ध में किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में ऐसी हड़तालों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) इण्डियन एयर लाइन्स के सात विमान-चालकों ने जो कलकत्ता में अस्थायी ड्यूटी पर थे, 20 दिसम्बर, 1991 को बीमार होने की सूचना दी। 21 दिसम्बर, को 97 तथा 22 दिसम्बर को 69 लाइन विमान चालकों ने बीमार होने की सूचना दी। यह सामूहिक अनुपस्थिति विमान चालकों के कलकत्ता स्थानांतरण के विरुद्ध आन्दोलन का एक हिस्सा थी। विमानचालकों की ओर से यह भी बताया गया था कि यह आन्दोलन अस्थाई ड्यूटी पर जिन 7 विमानचालकों ने कलकत्ता में अस्वस्थ होने की सूचना दी थी, उन्हें प्रबन्ध वर्ग द्वारा बेस स्टेशन को वापसी यात्रा की सुविधा से वंचित किये जाने के विरोध में भी था।

(घ) और (ङ) इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप, 20 और 21 दिसम्बर, 1991 को 94 उड़ानें रद्द की गई थीं तथा 22 से 26 दिसम्बर, 1991 तक की अवधि के लिए अत्यधिक संक्षिप्त समय-सारिणी लागू की गई थी। 20 से 26 दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान सेवाओं की अव्यवस्थता के कारण इण्डियन एयरलाइन्स को अनुमानित 4 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(च) और (छ) यह आन्दोलन बिना शर्त समाप्त कर दिया गया। सरकार ने एक त्रिपक्षीय परामर्श फोरम का गठन किया है जो यह सुनिश्चित करने के प्रयास में लगा हुआ है कि एयरलाइन के प्रबन्धकवर्ग और इसके कर्मचारियों में निकट सम्पर्क और परस्पर विचार-विनिमय की स्थिति पैदा हो। इण्डियन एयरलाइन्स को सलाह दी गई है कि वह शिकायतें सुलझाने के लिए अपनी

औद्योगिक प्रणालियों को जिम्मेदार बनायें। मुख्य कार्यपालक को यह सलाह भी दी गई है कि वे कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के बीच संपर्क बनाये रखने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित करें। ये उपाय सौहार्द पूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों को सुनिश्चित करने के लिए किये गए उपायों में से कुछ हैं।

विज्ञान चालकों के कलकत्ता स्थानांतरण से सम्बन्धित मामला क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) बम्बई के समक्ष सुलह के लिए विचाराधीन है।

राजधानी के ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी

*177. **श्री लखराचन्द खण्डेलवाल** : क्या विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में राजधानी के ताप विद्युत संयंत्र कोयले की भारी कमी का सामना करते रहे हैं जिसके कारण सर्दियों में भी बिजली की कटौती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्युत उत्पादन के लिए घटिया किस्म का कोयला दिया जाना इसके कारणों में से एक है;

(घ) यदि हां, तो घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति किये जाने के कारण क्या है और इस कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(ङ) दिल्ली के ताप विद्युत संयंत्रों को उच्चतम किस्म के कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) सर्दियों के महीनों सहित वर्ष 1991-92 के दौरान दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति कुल-मिलाकर संतोषजनक रही है और कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के फलस्वरूप दिल्ली के ताप विद्युत केन्द्रों के विद्युत उत्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं रही है। दिल्ली स्थित ताप-विद्युत केन्द्रों सहित देश के विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और सम्बन्धित खिकायतों को कोयला नियंत्रक को भी भेजा जाता है।

आतंकवादियों की गतिविधियों का कश्मीर में पर्यटन पर प्रभाव

[हिन्दी]

*178. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियों से वहां के पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समस्या का देश के अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर भी असर पड़ा है;

(घ) क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) कश्मीर में वर्ष 1989 के दौरान 557,977 पर्यटक आए थे जबकि वर्ष 1991 के दौरान पर्यटकों में लगभग 6,047 तक की कमी आई ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक विमान सेवाएं चलाना

[अनुवाद]

*179. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स का चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अधिक विमान सेवाएं आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के स्टेशनों के लिए/वहां से इस समय प्रदान की जा रही क्षमता वर्तमान यात्री मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है ।

वायुदूत में कर्मचारियों की संख्या

*180. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान वायुदूत में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है जबकि इसके विमान-बेड़े में विमानों की संख्या वास्तव में कम हो गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार वायुदूत के घाटे को कम करने के लिए वायुदूत के कर्मचारियों की संख्या कम करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) वायुदूत में पिछले चार वर्षों के दौरान जन-शक्ति और विमान-बेड़े में विमानों की संख्या इस प्रकार थी :—

वर्ष	विमान बेड़े में विमानों की संख्या		जनशक्ति
1987-88	डी०ओ-228	10	1016
	एच०एस-748	05	
	एफ-27	04	
	जोड़	19	
1988-89	डी०ओ-228	10	1303
	एच०एस-748	07	
	एफ-27	04	
	जोड़	21	
1989-90	डी०ओ-228	08	1767
	एच०एस-748	10	
	एफ-27	02	
	जोड़	20	
1990-91	डी०ओ-228	08	1814
	एच०एस-748	09	
	एफ-27	01	
	जोड़	18	

(ख) जी, ह

(ग) वायुदूत में आगे की भर्ती पर पूरी रोक लगा दी गई है। वायुदूत के पात्र कर्मचारियों को अन्य संगठनों में खपाने के लिए प्रयास जारी हैं।

इस्पात से नियंत्रण का उठाया जाना

*181. श्री रूप चन्द पाल
श्री पवन कुमार बंसल } : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लौह और इस्पात हेतु कोई नई नीति बनाई है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस्पात से नियंत्रण हटाये जाने से इस्पात मूल्य और इस्पात प्रयोक्ता उद्योगों पर पड़े इसके प्रभाव के बारे में सरकार ने कोई मूल्यांकन किया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस्पात की कीमतों को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां ।

(ख) लोहा तथा इस्पात के विनियंत्रण की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं :—

(i) दिनांक 16-1-1992 से लोहा तथा इस्पात के वितरण और मूल्य पर से नियंत्रण समाप्त करना जबकि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में आंशिक वितरण नियंत्रण बनाए रखना ।

(ii) उत्पादकों द्वारा समय-समय पर घोषित किए जाने वाले मूल्यों पर रक्षा, रेलवे, लघु उद्योग क्षेत्र, इन्जीनियरी माल के निर्यातकों तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकता को पहले की भांति ही प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाता रहेगा । विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात इस व्यवस्था का अनुपालन करेगा ।

(iii) इस्पात विकास निधि, इन्जीनियरी माल निर्यात सहायता निधि तथा संयुक्त संयंत्र समिति के उपकर की वसूली एकीकृत इस्पात संयंत्रों (इस्को को छोड़कर) के कारखाना बाह्य मूल्यों पर संयुक्त संयन्त्र समिति द्वारा की जाती रहेगी ।

(iv) लौह तथा इस्पात की भाड़ा समकरण योजना को समाप्त कर दिया गया है । मुख्य उत्पादक नामत: "सेल", वी०एस०पी०, तथा टिस्को वास्तविक भाड़ा अथवा भाड़ा तत्व जो भाड़ा समकरण योजना के अन्तर्गत विनियंत्रण से पूर्व इस समय लागू है, (इस्पात मद पर 956 रु० प्रतिटन और कच्चे लोहे पर 645 रु० प्रति टन अब से संशोधित है) जो भी कम हो, के आधार पर स्टाकयार्ड बाह्य मूल्य निर्धारित करेंगे ।

(v) इस्पात प्रगलन स्क्रैप पर से आयात शुल्क 35% से घटाकर 10%, कच्चे लोहे पर से 55% से घटाकर 35% तथा बिलेट और तप्त बेल्लित कवायलों पर 65% से घटाकर 45% तक कर दिया गया है ताकि स्वदेशी उपलब्धता को पूरा करने के लिए आयात करने में सुविधा हो ।

नियंत्रण हटाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं : —

— इस्पात क्षेत्र में कार्यकुशलता तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ावा,

— बढ़ रही भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र में नई क्षमताओं के सृजन हेतु अपेक्षित वातावरण बनाना, तथा

— सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों को अपने आधुनिकीकरण तथा विस्तार कार्यक्रमों को वित्त पोषण हेतु अतिरिक्त संसाधनों के सृजन के योग्य बनाना।

(ग) और (घ) विनियमन के कारण मुख्य उत्पादकों द्वारा अब तक कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। नियंत्रण हटाने के पश्चात लोहा तथा इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के लिए तथा विभिन्न केन्द्रों में बिना किसी अधिक उतार-चढ़ाव के खुले बाजार मूल्यों में मिश्रित रुख रहा है।

(ङ) आयात के माध्यम से स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए आयात-शुल्क में कमी की गई है जैसाकि उपर्युक्त (ख) (घ) में दर्शाया गया है। निजी क्षेत्र में नई क्षमताओं के सृजन के साथ-साथ इसके मूल्य वृद्धि संतुलित किए जाने की संभावना है।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

*182. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु
श्री अवतार सिंह भड़ाना } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को अभी तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है,

(ख) प्रत्येक राज्य के कितने प्रतिशत गांवों में टेलीफोन सुविधा दी गई है,

(ग) क्या सरकार का विचार सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) देश की सभी पंचायतों को टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) 29.2.92 की स्थिति के अनुसार 61330 पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) संसाधन उपलब्ध होने पर उत्तरोत्तर रूप से 31.3.1995 तक।

विवरण

क्र० सं० सहित	(क) 19.2.92 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा युक्त ग्राम पंचायतें	(ख) टेलीफोनों का प्रतिशत
1. आन्ध्र प्रदेश	9431	48.3
2. असम	537	75.2
3. बिहार	3891	33.3

1	2	3
4. गुजरात	3794	28.8
5. हरियाणा	1976	34.1
6. हिमाचल प्रदेश	906	34.9
7. जम्मू और कश्मीर	447	30.6
8. कर्नाटक	4286	51.4
9. केरल	981	99.9
10. मध्य प्रदेश	6766	28.8
11. महाराष्ट्र	6128	24.6
12. उत्तर-पूर्व	380	15.4
13. उड़ीसा	2296	52.0
14. पंजाब	1587	14.4
15. राजस्थान	3554	48.3
16. तमिलनाडु	7523	56.6
17. उत्तर प्रदेश	5365	7.3
18. पश्चिम बंगाल	167	87.4
19. दिल्ली संघ शासित	167	87.4
जोड़	61330	26.8

हवाई अड्डों पर विमान संचालन सुविधाएं

*183. **श्री चन्द्रजीत यादव**
श्री जार्ज फर्नान्डीज } क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जहां आधुनिक विमान संचालन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) इन हवाई अड्डों पर पुराने उपकरणों को बदलने तथा वहां आधुनिक विमान संचालन सुविधाएं प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) सभी हवाई अड्डे अपेक्षित दिक्चालन सुविधाओं से पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं।

(ख) पुराने उपकरणों को बदल कर उपवरण लगाकर नए उपकरणों का आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है। इन उपकरणों की आवश्यकता का निर्धारण प्रत्येक हवाई अड्डे की पर्यावरणीय अवस्थाओं और विमान परिचालन की किस्म द्वारा किया जाता है। इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाता है।

(ग) विभिन्न हवाई अड्डों पर यथासमय प्रतिष्ठापित करने के लिए ए० एस० आर०, एम० एस० एस० आर०, आई० एल० एस०, वी०ओ० आर० जैसे आधुनिक दिक्चालन उपकरणों का आयात किया जाता है। दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए एक परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

फिल्म पुरस्कार का विनियमन

1865. **श्री सुधीर गिरि** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म पुरस्कार, 1991 के विनियमन में कुछ परिवर्तन किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) मई, 1991 में आयोजित पिछले राष्ट्रीय फिल्म समारोह की जूरियों द्वारा की गई कुछ सिफारिशों और राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कारों के लिये प्रविष्ठियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिये सरकार द्वारा विनियमों में संशोधन किया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है।

विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये 29 नवम्बर, 1991 की सार्वजनिक सूचना के तहत् राष्ट्रीय फिल्म समारोह विनियमों में निम्नलिखित संशोधन किये गये है :—

(क) राष्ट्रीय फिल्म समारोह विनियम तालिका 1 के क्रम सं० 26 के बाद निम्नलिखित नये पुरस्कार शामिल किये जायेंगे।

(27) सर्वोत्तम विशेष प्रभाव : प्रभाव सृजक को रजत कमल तथा 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार

(28) सर्वोत्तम नृत्य कला : नृत्य संयोजक को रजत कमल तथा 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार

(ख) तालिका 1 में उल्लिखित पुरस्कारों का क्रमांक क्रम सं० 28 से तदनुसार बदला जायेगा।

(ग) तालिका 1 के क्रम सं० 7 पर उल्लिखित पुरस्कार के लिए कालम 1 के अन्तर्गत मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा।

मद्यनिषेध महिला तथा बाल कल्याण, दहेज विरोधी, नशीले पदार्थों से हानियां, विकलांग कल्याण आदि जैसे अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वोत्तम फिल्म।

(घ) पृष्ठ सं० 5 पर "फिल्म प्रविष्टि की प्रक्रिया" (16 (च) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जायेगा।

16 (ब) सैन्सर प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि

(ङ) प्रविष्टि पत्र की तालिका 3 क्रम सं० 17 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जायेगा :

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त दी गई सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार ठीक हैं तथा तथा-कथित फिल्म के नामोल्लेख के अनुकूल हैं। मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूं/करते हैं कि निदेशालय को यह पूर्ण अधिकार है कि यदि उन्हें लगे कि प्रविष्टि में प्रदत्त सूचनाएं गलत हैं तो उसे किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर सकते हैं।

(च) कथाचित्रों के लिए पुरस्कार अनुभाग के अन्तर्गत पृष्ठ सं० 2 मद 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :

यदि वही फिल्म अनुसूची—1 की (1) से 9) 29 एवं (30) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में एक से ज्यादा पुरस्कारों के लिए अर्हक होती है तो फिल्म के निर्माता और/या निर्देशक को उस हैसियत में केवल उच्चतर पुरस्कार ही मिलेगा। उच्चतर पुरस्कार नकद घटक के अनुसार ही निश्चित किया जाएगा। तथापि यह निर्माता और/या निर्देशक को अन्य फिल्मों के लिए पुरस्कार जीतने से वंचित नहीं करेगा।

(छ) विनियम के साधारण खण्ड के अन्तर्गत क्रमांक 27, पृष्ठ 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा।

अनुसूची 1 के (1) से (9) और (29) व (30) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार जीतने वाले कथाचित्र के निर्माता को फिल्म के उपशीर्षक किसी भी अन्य भारतीय भाषा या विदेशी भाषा में करवाने के लिए 5,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इससे संबंधित बिल निदेशालय में पुरस्कारों की घोषणा के उपरान्त तीन महीने के अन्दर प्रस्तुत कर दिए जाए।

(ज) तालिका 2 पृष्ठ सं० 17 के कालम 1 क्रम सं० 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :

9. मद्य-निषेध, महिला तथा बाल कल्याण, दहेज विरोधी नशीले पदार्थों से छुटकारा, विकलांग कल्याण आदि जैसे अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वोत्तम फिल्म।

(झ) सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विनियम क्रम सं० 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा।

5. (ब) सर्वोत्तम फिल्म समीक्षक स्वर्ण कमल तथा 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार।

(ण) सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विनियम "प्रविष्टि की प्रक्रिया" के अंतर्गत क्रम सं० 13 (अ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

13. (अ) रचनाओं की कतरनें तो 5 से कम तथा 18 से अधिक नहीं होनी चाहिएं तथा उन समाचार पत्रों आदि के नाम जिनमें से छपी हों तथा प्रकाशन की तारीख प्रविष्टि पत्र के साथ प्रत्येक कतरन की 5-5 फोटोस्टेट प्रतियां अवश्य संलग्न हों।

(ट) सिनेमा पर सर्वोत्तम लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विनियम "प्रविष्ट की प्रक्रिया" के अंतर्गत क्रम सं० 12 (ग) को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित करके पढ़ा जायेगा :

12. (ग) लेखक/लेखकों तथा प्रकाशक/प्रकाशकों का संक्षिप्त जीवनवृत्त ।

आठवीं योजना में विद्युत उपस्करों का आयात

1866. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं योजना में विद्युत उपस्करों के आयात की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वदेशी निर्माता बी०एच०ई०एल० अपनी पूर्ण उत्पादन-क्षमता बनाए रख सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भारत के विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युत उपस्करों की आपूर्ति मुख्य रूप से भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० (भेल) द्वारा की जाती है । उन परियोजनाओं जिनके वित्त पोषण सम्बन्धी संसाधनों की पूर्ति रुपये में की जाती है, के मामले में विद्युत उपस्करों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती । तथापि, संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विदेशी सहायता हेतु प्रस्तुत किया जाता है । परियोजनाओं को विदेशी सहायता हेतु प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के परामर्श से किया जाता है । भेल की आर्डर बुक सम्बन्धी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 1989 में नई परियोजनाओं को द्विपक्षीय विदेशी सहायता हेतु प्रस्तुत न किए जाने का निर्णय लिया गया था, फिर भी इनमें से कुछ के मामले में ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फन्ड, जापान की तरह भेल भी बोली में भाग लेने का पात्र है और विगत में भेल द्वारा आर्डर प्राप्त भी किए गए हैं । बहुपक्षीय सहायता वाली विद्युत परियोजनाओं के मामले में भेल को आर्डर, इसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के आधार पर प्राप्त होते हैं ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन

[हिन्दी]

1867. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** । क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पंजाब का यमुना जल में भागीदारी का दावा

[अनुवाद]

1868. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हाल ही के चुनावों के समय यमुना जल में भागीदारी का दावा किया था,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, ।

(ख) पंजाब के अनुसार, पुनर्गठन के समय हरियाणा पूर्व-पंजाब के 5.10 मिलियन एकड़ फुट जल के हिस्से में से 2 64 मिलियन एकड़ फुट जल का उपयोग कर रहा था इस प्रकार 2.46 मिलियन एकड़ फुट जल शेष बचता था । अब पंजाब ने इस शेष जल में से 60% जल का अपना दावा प्रस्तुत किया है ।

(ग) पजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार पंजाब से प्राप्त पत्र की कानूनी दृष्टि से जांच करने की आवश्यकता है ।

आशुलिपिकीय सहायता

1869. **श्री राम नाईक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक मन्त्रालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को आशुलिपिकीय सहायता देने के सम्बन्ध में जारी किए गए निदेशों को संचार मन्त्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा लागू नहीं किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री ((श्री पी० पी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं । इन अनुदेशों को अभी लागू किया जाना है ।

(ख) एवं (ग) निर्णय को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वियत करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एक विस्तृत प्रक्रिया आरम्भ की गई है ।

बंगलौर के भारतीय टेलीफोन उद्योग परिसर में प्रदूषित जल शोधन संयन्त्र की स्थापना

1870. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के भारतीय टेलीफोन उद्योग परिसर में स्वचालित प्रदूषित जल शोधन संयन्त्र का उद्घाटन किया गया था,

(ख) यदि हां, तो उक्त संयन्त्र की स्थापना करने में कुल कितनी लागत आई, और

(ग) यह सयंत्र परंपरागत "बैच टाईप" जल शोधन प्रणाली का स्थान लेने में किस हद तक सहायक होगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) इस संयन्त्र को स्थापित करने में लगभग 27 लाख रु० की कुल लागत आई है।

(ग) इस संयन्त्र के द्वारा मैटल फिनिशिंग और पीसीबी एफ्ल्यूएट की वर्तमान पारंपरिक "बैच टाइप ट्रीटमेन्ट" प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया जाएगा। नई प्रणाली पुरानी प्रणाली की तुलना में लगभग और अपेक्षाकृत तेज गति से कार्य करने वाली प्रणाली है। पुरानी प्रणाली धीमी और लगातार कार्य न कर सकने वाली (बैच टाइप) प्रणाली थी। नई प्रणाली एफ्ल्यूएंटट्रीटमेंट की क्षमता में वृद्धि करेगी जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण रोधक मानकों का अपेक्षाकृत अधिक पालन किया जा सकेगा।

एर्नाकुलम, केरल में डीजल आधारित विद्युत संयन्त्र

1871. **श्री पी०सी० थामस** : क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम, केरल में डीजल आधारित विद्युत संयन्त्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किया जाएगा और इस पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केरल में एर्नाकुलम से लगभग 20 कि०मी० की दूरी पर ब्रह्मपुरम के समीप 100 मेगावाट का डीजल आधारित विद्युत उत्पादन सयन्त्र स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में केरल सरकार द्वारा एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त परियोजना की अनुमानित लागत 325 करोड़ रु० है। ईंधन तेल लिंकेज, पर्यावरणीय स्वीकृति, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-29 का अनुपालन आदि जैसे विभिन्न निवेशों को अभी सुनिश्चित किया जाना है। केरल सरकार द्वारा विभिन्न निवेशों को सुनिश्चित किए जाने के बाद ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकेगा।

मड़ौच, गुजरात में गैस-आधारित विद्युत परियोजना

[हिन्दी]

1872. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या विद्युत और गैस-आधारित ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के जिला भड़ौच में गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना का निर्माण कब तक हो जाएगा; और

(ग) उस पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है तथा उससे कितने लोग लाभान्वित होंगे ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) गुजरात के भड़ौच जिले में निम्नलिखित दो गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है :

1. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की गंधार संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन ताप विद्युत केन्द्र	650 मेगावाट
2. गुजरात का गंधार संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन ताप विद्युत केन्द्र	615 मेगावाट

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के गंधार संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन ताप विद्युत केन्द्र (सम्बद्ध पारेषण प्रणाली समेत) को अब सरकार द्वारा 1860.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित कर दिया गया है। मुख्य संयन्त्र के लिए ठेका दिए जाने के पश्चात् इस परियोजना को 42 महीने की अवधि में पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है। अपेक्षित आधारभूत विकास कार्य कार्य स्थल पर सन्तोषजनक रूप से प्रगति पर हैं। गुजरात के गंधार संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन ताप विद्युत केन्द्र के सम्बन्ध में निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। इन केन्द्रों को चालू किए जाने पर गुजरात राज्य और पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार होगा।

मन्त्रियों के टेलीफोन बिलों पर व्यय

1873. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत आठ महीनों के दौरान प्रत्येक मन्त्री के टेलीफोन बिलों पर कुल कितना माहवार व्यय हुआ ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : सम्बन्धित मन्त्रालयों से जानकारी मंगाई जा रही है और इसे प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

[अनुवाद]

1874. **श्री टी० के० अंजलोस** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान केरल में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) केरल में 31.3.91 तक 639 टेलीफोन एक्सचेंज थे। चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान स्विचन क्षमता में 30545 लाइनों की कुल वृद्धि करके, 94 टेलीफोन एक्सचेंजों का 31 जनवरी, 1992 तक विस्तार किया जा चुका है। वर्ष की शेष अवधि में 73 और टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने की संभावना है।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान केरल में पोलओरकावू, करीमवेन, कंजीकूजी, वाजवारा, पुलियामाला, मेक्काडम्बा, डीलमपडी, राजागिरी, वेहीलापाड़ा और नीलामेल स्थानों पर 10 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है।

रिहन्द बांध से विद्युत आपूर्ति

[हिन्दी]

1875. **श्री राम लखनसिंह यादव** : क्या **विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहन्द बांध से बिहार को विद्युत की आपूर्ति नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रिहन्द बांध से कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ; और

(घ) विभिन्न राज्यों को दी गई विद्युत का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) वर्ष 19988-89 से 1991-92 के दौरान (जनवरी, 1992 तक) रिहन्द बांध परियोजना से उत्पादित ऊर्जा सम्बन्धी ब्योरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	विद्युत उत्पादन (मि०यू०)
1988-89	632
1989-90	864
1990-91	620
1991-92 (जनवरी, 92 तक)	1076

रिहन्द बांध परियोजना सहित विभिन्न विद्युत उत्पादन केन्द्रों से प्राप्त विद्युत को उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड को सप्लाई किया जाता है, जहां से इसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित राज्यों प्रणालियों को वितरित किया जाता है। बिहार राज्य, उत्तरी ग्रिड/क्षेत्र का एक संघटक नहीं है।

गांवों में एस०टी०डी० सुविधायुक्त सार्वजनिक टेलीफोन

[अनुवाद]

1876. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में प्रत्येक गांव में एस०टी०डी० सुविधायुक्त सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का विचार है,

(ख) क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) सरकार ने पहले कदम के रूप में संसाधन उपलब्ध होने पर 31.3.1995 तक सभी पंचायत गांवों को उत्तरोत्तर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है। सरकार का, वर्ष 1995-2000 के दौरान अन्य सभी गांवों को भी उत्तरोत्तर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

पंचायत गांवों में प्रदान किए जा रहे टेलीफोनों पर एसटीडी सुविधा प्रदान करने के एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

विवरण "क"

विभिन्न प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों में हुई प्रगति की स्थिति

क्र०सं०	कार्यक्रम	यूनिट	संचयी उपलब्धि 31.12,92 तक
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र)	संख्या, लाख में	14.00
2.	सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयन्त्र	संख्या	750
3.	राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	संख्या, लाख में	113.05
4.	सौर तापीय ऊर्जा प्रणालियां	संग्रहरण क्षेत्र (वर्ग मीटर में) (000)	190
5.	सौर कुकर	(संख्या 000 में)	201
6.	प्रकाशवोल्टीय सड़क बत्तियां उपलब्ध कराए गए गांव	संख्या	8050

1	2	3	4
7.	प्रकाशवोल्टीय जल पम्प	संख्या	1181
8.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत एकक	के०डब्ल्यू०पी०	601.2
9.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनी टेलीविजन और सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	938
10.	प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी एकक	संख्या	5050
11.	पवन पम्प	संख्या	2756
12.	पवन फार्म	मे०वा०	39
13.	मिनी-माइक्रो जल विद्युत	मे०वा०	79.35
14.	ऊर्जाग्राम ऊर्जा सर्वेक्षण	संख्या	1385
15.	ऊर्जाग्राम परियोजनाएं	संख्या	153
16.	बायोमास ऊर्जा पौधारोपण	हैक्टर	17165
17.	बायोमास गैसीफायर	संख्या	760
18.	बायोमास स्टर्लिंग इंजन	संख्या	100

विवरण "ख"

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था का कार्य निष्पादन

		1988-89	1989-90	1990-91
(क)	संसाधन			
	इस वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई सम्या पूंजी नियतन (लाख रुपये में)	350.00	325.00	—
	बाजार से ऋण (लाख रुपये में)	—	—	2500.00
	नीदरलैंड सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान सहायता (लाख रुपये में)	466.60	302.90	—
(ख)	मंजूरियां			
	परियोजनाओं की संख्या	20	31	55
	ऋण राशि (लाख रुपये में)	416.56	582.87	2629.35
(ग)	संवितरण			
	परियोजनाओं की संख्या	20	28	40
	राशि (लाख रुपये में)	465.75	491.59	822.92
(घ)	वसूली			
	(कुल देय की % वसूली)	100%	94.5%	92.6%
(ङ)	कर से पूर्व लाभ			
	(लाख रुपये में)	47.69	79.70	124.39

तारावोल का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

1878. **श्री शिवाजी पटवाकर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पुरी जिले के तारावील में सल्फर के गर्म जल के चश्मे वाले क्षेत्र का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने तारावोल के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए शहर एवं देश योजना संगठन से एक अध्ययन शुरू कराया है। जहां तक किसी स्थान को पर्यटन केन्द्र घोषित करने का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।

गंगा और कावेरी को जोड़ने और ग्रिड योजनाएं

1879. **श्री शंकर राव काले** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने की योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) सरकार ने ग्रिड योजना में कितनी प्रगति की है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण ने महानदी-गोदावरी सम्पर्क तथा गोदावरी कृष्णा सम्पर्क के तीन सम्पर्कों में से दो नामशः गोदावरी-(इंचमपल्ली)-कृष्णा (पुलीचिन्ताला) सम्पर्क तथा गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) सम्पर्क के प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन पूरे कर लिए हैं।

(ख) कैप्टन दस्तूर द्वारा प्रस्तावित ग्रिड जल ग्रिड स्कीम पर कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि यह स्कीम तकनीकी रूप से अनुपयुक्त तथा आर्थिक रूप से निषेधात्मक पाई गई है।

राज्यों में सिंचाई लक्ष्यों में प्रगति

[हिन्दी]

1880. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में सिंचाई के लिए कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है,

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा अब तक कितना-कितना लक्ष्य पूरा किया गया है,

(ग) उक्त लक्ष्य कब तक पूरा होने की संभावना है, और

(घ) केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूची संलग्न है।

(ग) सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की वर्तमान वृद्धि दर पर, चरम सिंचाई क्षमता के सन् 2005 ईसवी तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

(घ) केन्द्रीय सरकार, सिंचाई विकास हेतु तकनीकी रूप से सही प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में राज्य सरकारों की सहायता करती है और उनके लिए निधियों के योजना आबंटन को सुकर बनाती है। यह बृहद और मध्यम परियोजनाओं की प्रगति का प्रवोधन करने, बेसिन राज्यों द्वारा जल के बंटवारे पर अन्तर्राज्यीय विवाद सुलझाने और जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए नीति सम्बन्धी मार्गनिर्देश तैयार करने के अलावा, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, वाह्य वित्तीय सहायता का प्रबन्ध करने में भी सहायता देती है।

विवरण

(हजार हेक्टेयर)

क्र० सं०	राज्य का नाम	चरम सिंचाई क्षमता	मार्च, 1990-92 तक सृजित क्षमता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	9200	6413.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	260	59 33
3.	असम	2670	793.53
4.	बिहार	12400	8566.00
5.	गोआ	82	28.72
6.	गुजरात	4750	3101.59
7.	हरियाणा	4550	3593.30
8.	हिमाचल प्रदेश	335	136.66
9.	जम्मू व कश्मीर	800	516.09
10.	कर्नाटक	4600	2833.87
11.	केरल	2100	1192.87
12.	मध्य प्रदेश	10200	4865.40
13.	महाराष्ट्र	7300	4506.10
14.	मणिपुर	240	112.32
15.	मेघालय	120	49.89
16.	मिजोरम	70	10.06
17.	नागालैंड	80	63.66
18.	उड़ीसा	5900	3035.42
19.	पंजाब	6550	5941.59

1	2	3	4
20.	राजस्थान	5150	4284.37
21.	सिक्किम	42	24.07
22.	तमिलनाडु	3900	3385.41
23.	त्रिपुरा	215	91.81
24.	उत्तर प्रदेश	25700	25190.00
25.	पश्चिम बंगाल	6110	3854.88
	संघ राज्य क्षेत्र	188	106.59
	कुल	113522	82757.57

नवें वित्त आयोग द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य

[अनुवाद]

1882. **श्री ललित उरांव** : क्या **विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवें वित्त आयोग द्वारा देश विद्युत उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस पर कितनी पूंजी निवेश की गई है; और

(ग) बिहार के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस पर कितनी पूंजी निवेश की गई ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) देश में विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में नौवें वित्त आयोग द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सासाराम दूरदर्शन केन्द्र में यू०एच०एफ० मशीनों का प्रयोग

1883. **श्री खेदी पासवान** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार के सासाराम दूरदर्शन केन्द्र में यू०एच०एफ० तकनीक वाली मशीनों के प्रयोग के कारण "ब्लैक एण्ड व्हाइट" टेलीविजन सेट सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यू०एच०एफ० तकनीक पर आधारित मशीनों के स्थान पर वी०एच०एफ० तकनीक पर आधारित मशीन लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) बताया जाता है कि सासाराम के अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड (यू०एच०एफ०) का अल्पशक्ति (100 वाट) टी वी ट्रांसमीटर प्रायः ठीक तरह से कार्य कर रहा है और इसके कवरेज क्षेत्र में इसकी सेवा संतोषजनक है। जहां तक इस ट्रांसमीटर से रिले किये जाने वाले कार्यक्रमों के रिसेप्शन की गुणवत्ता का सम्बन्ध है, केवल अति उच्च फ्रीक्वेंसी (वी०एच०एफ०) ट्यूनरों वाले टी०वी० सेट इस ट्रांसमीटर से सिग्नल प्राप्त नहीं कर सकते। संतोषजनक रिसेप्शन के लिए कवरेज क्षेत्र में काम में लाए जाने वाले टी०वी० सेटों में यू०एच०एफ० ट्यूनर का होना जरूरी है और केवल वी०एच०एफ० ट्यूनरों वाले श्वेत श्याम टी०वी० सेटों के मामले में यू०एच०एफ०—वी०एच०एफ० कनवर्टरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त टी०वी० संग्रहण एन्टीना भी इस बैंड मे प्रचलित होना चाहिए।

(ख) जी नहीं। सासाराम में टी०वी० ट्रांसमीटर के चैनल में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) देश में बड़ी संख्या में टी०वी० ट्रांसमीटर लगाए जाने के कारण वी०एच०एफ० बैंड के ट्रांसमीटरों की भीड़ सी हो गई है। जिससे ट्रांसमीटरों के सिग्नलों का एक दूसरे के सिग्नलों में खल होने लग गया है। इसलिए बिहार के हिस्सों सहित देश के कुछ भागों में यू०एच०एफ० बैंड टी०वी० ट्रांसमीटर लगाना जरूरी हो गया है।

नये पर्यटन स्थलों का विकास

1884. श्री पीयूष तीरकी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नये पर्यटन स्थलों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य से विकसित किए जाने वाले स्थलों के नाम क्या है और इन स्थलों पर पर्यटकों को कौन-सी सुविधाएं दिये जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां,

(ख) और (ग) गहन विकास हेतु प्रस्तावित गंतव्य-स्थलों की एक विवरण संलग्न है। इन गंतव्य-स्थलों पर आधारिक संरचनात्मक अपेक्षाओं का जायजा लेने के लिए सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। इन सर्वेक्षणों के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

यात्रा परिपथ

1. कुलू-मनाली-लेह
2. ग्वालियर-शिवपुरी-औरछा-खजुराहो
3. बागडोगरा-सिक्कम-दार्जीलिंग-कलिम्पांग
4. भुवनेश्वर-पुरी कोणार्क
5. हैदराबाद-नागार्जुन सागर-तिरुपति
6. मद्रास-महाबलीपुरम-पांडिचेरी
7. ऋषिकेश-नरेन्द्र नगर-गंगोत्री-बद्रीनाथ
8. इन्दौर-उज्जैन-महेश्वर-ओंकारेश्वर-मांडु
9. जैसलमेर-जोधपुर-बीकानेर-माउंट आबू

पर्यटन स्थल

1. लक्षद्वीप द्वीप समूह
2. अण्डमान द्वीप समूह
3. मनाली (सोलांग-नाला)
4. बेकल समुद्रतट
5. मुत्तुकाडु समुद्र तट
6. कांवड़ा (पांच बांध)

गुजरात में ग्राम पंचायतों को एस०टी०डी० सुविधा

1885. **श्रीमती दीपिका एच० दोषीवाला** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेषकर बड़ोदरा जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने का है,

(ख) क्या ग्राम पंचायत में यह एस०टी०डी० सुविधा ग्रामीणों को रियायती दरों पर उपलब्ध होगी और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) सरकार ने गुजरात में बड़ोदरा जिले सहित देश में सभी ग्राम पंचायतों में 21.3 [illegible] क उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है बशर्ते कि संसा [illegible] न उपलब्ध हों।

उपर्युक्त टेलीफोनों पर एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने और देय प्रभारों सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया द्वारा खरीदे गए विमान

[हिन्दी]

1886. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया द्वारा खरीदे गए विमानों तथा चालू वर्ष में खरीदे जाने वाले विमानों की संख्या तथा प्रकार क्या हैं;

(ख) प्रत्येक विमान के लिए "पुट्टा" टेरिफ के रूप में कितनी धनराशि दी जायेगी और विदेशी मुद्रा में किये गये भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमानों के रख-रखाव और संचालन तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में "पट्टो" की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया)। (क) 1991 के दौरान एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स दोनों ने कोई नया विमान नहीं लिया है। चालू वर्ष में भी किसी नए विमान को खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कलकत्ता से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान का संचालन

[अनुवाद]

1887. **श्री हाराधन राय** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे से किसी नई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा को चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इस वर्ष के दौरान के०एल०एम० द्वारा कलकत्ता के लिए/कलकत्ता से एक सेवा प्रचालित किये जाने की आशा है।

विद्युत संकट

1888. **डा० रवि मल्लू** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश विद्युत उत्पादन में गम्भीर रूप से पिछड़ रहा है; यदि हां, तो यह उल्लेख करते हुए कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितना लक्ष्य प्राप्त करना है और इसके लिए कितने परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है, प्रत्येक स्रोत के अन्तर्गत लक्ष्यों और वास्तविक निष्पादन का विवरण दें, और

(ख) क्या पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल-फरवरी, 1992 के दौरान ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम एवं वास्तविक ऊर्जा उत्पादन का स्रोतवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

अप्रैल-फरवरी, 92
(सभी आंकड़े मि०यू० में)

	कार्यक्रम	वास्तविक
ताप-विद्युत	191780	189034
न्यूक्लीय विद्युत	6073	5005
जल विद्युत	60127	66647
जोड़ :	257980	260686

आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) व्यापक सर्वेक्षण के माध्यम से देश में उपलब्ध पवन विद्युत क्षमता का उपयोग किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में पवन मानचित्रण, पवन मानीटरिंग एवं दुर्गम क्षेत्र परियोजनाएं शामिल हैं। 555 पवन मानचित्रण केन्द्र और 131 पवन मानीटरिंग केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से अब तक क्रमश: 320 एवं 05 केन्द्र चालू किए जा चुके हैं। पवन के माध्यम से विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 63.1 मे०वा० क्षमता सम्बन्धी कार्य हाथ में लिया गया है जिसमें से अब तक 38.3 मे०वा० क्षमता प्रतिष्ठापित की जा चुकी है। 1986 में पवन फार्म कार्यक्रम आरम्भ किए जाने से लेकर अब तक सम्बन्धित राज्य ग्रिडों को 110 मि०यू विद्युत सप्लाई की गई है।

जालंधर दूरदर्शन द्वारा हिमाचल प्रदेश के समाचारों को दिया गया समय

1889. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालंधर, दूरदर्शन केन्द्र द्वारा हिमाचल प्रदेश की घटनाओं को पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो जालंधर दूरदर्शन द्वारा हिमाचल प्रदेश के समाचारों को दिए गए समय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जालंधर दूरदर्शन पर हिमाचल प्रदेश की घटनाओं और समाचारों को वरीयता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरजा व्यास) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश के समाचारों के लिए दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर द्वारा कोई विशिष्ट समय आवंटित नहीं किया गया है। तथापि, हिमाचल प्रदेश, की महत्वपूर्ण घटनाओं की दूरदर्शन द्वारा कवरेज उनके समाचारिक महत्व, संसाधनों की सीमा तथा समय पर निर्भर करती है।

ट्रैफिक असिस्टेंटों की नियुक्ति

1890. श्री श्याम किशोर राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैफिक असिस्टेंट्स के पद पर नियुक्त किये गए सभी 11 उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी के थे और यदि हां, तो क्या सामान्य श्रेणी के लिए भी एक अलग पैनल तैयार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1990 में बनाए गए पैनल उम्मीदवारों को नियुक्त करने के बजाए वायुदूत कैम्पसों के उम्मीदवारों को नियुक्त करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पैनल से शेष उम्मीदवारों की नियुक्ति कब तक करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स, उत्तर क्षेत्र में यात्रायात सहायकों के पद के लिए 31 जनवरी, 1990 को सामान्य श्रेणी के 126 तथा आरक्षित श्रेणियों के 34 उम्मीदवारों का एक पैनल बनाया गया था। आरक्षित श्रेणियों के 34 उम्मीदवारों का एक पैनल बनाया गया था। आरक्षित श्रेणियों में से 15 उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है।

(ग) से (ङ) वायुदूत के पास उपलब्ध अतिरिक्त मानवशक्ति को ध्यान में रखते हुए इण्डियन एयरलाइन्स में नियुक्तियां निम्नानुसार करने का निर्णय लिया गया है :

(क) पद के लिए पैनल में रखे गये इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारी;

(ख) निर्धारित पात्रता मानदण्डों के अनुसार पद के लिए उपयुक्त पाये गये वायुदूत के कर्मचारी; और

(ग) खुले बाजार से उम्मीदवार।

तथापि, यह प्रक्रिया पैनल की वैधता अवधि, जो 31.3.92 तक है, के दौरान रिक्तियों की उपलब्धता की शर्त के अधीन है।

देश में गैर-परम्परागत ऊर्जा-स्रोतों का विकास

1891. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-परम्परागत ऊर्जा-स्रोतों के विकास में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस दिशा में हाल ही में धीमी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का अलाभकारी प्रबन्धकीय लागत के कारण गैर-परम्परागत ऊर्जा-स्रोत विभाग की कुछ इकाइयों को बन्द करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय)। (क) देश में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के सर्वतोमुखी विकास और प्रयोग के लिए अनुसंधान, विकास प्रदर्शन तथा प्रचार प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियों तथा युक्तियों के सम्बन्ध में हुई प्रगति की स्थिति विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियां तथा युक्तियां केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों नोडल अभिकरणों (जो विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं की सहायता तथा प्रयासों से दिनों-दिन लोकप्रिय हो रही हैं। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग की कुछ इकाइयों को बन्द करने हेतु फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

विवरण

विभिन्न प्रकार की अपारम्परिक ऊर्जा प्रणालियों तथा युक्तियों के सम्बन्ध में हुई प्रगति

क्र०सं०	कार्यक्रम	यूनिट	सचयी उपलब्धि 31.12.91 तक
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (परिवार आकार के बायोगैस संयन्त्र)	संख्या लाख में	14.90
2.	सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयन्त्र	संख्या	750
3	राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	संख्या लाख में	113.05
4.	सौर तापीय ऊर्जा प्रणालियां	सग्रहण क्षेत्र (वर्ग मीटर में) (000)	190
5.	सौर कुकर	(संख्या, 000 में)	201
6.	प्रकाशवोल्टीय सड़क बत्तियां उपलब्ध कराए गए गांव	संख्या	8050
7.	प्रकाशवोल्टीय जल पम्प	संख्या	1181
8.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत एकक	के०डब्ल्यू०पी०	601.2
9.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनी डेलीविजन और सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	938

1	2	3	4
10.	प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी एकक	संख्या	5050
11.	पवन पम्प	संख्या	2756
12.	पवन फार्म	मे०वा०	39
13.	मिनी-माइक्रो जल विद्युत	मे०वा०	79.35
14.	ऊर्जाग्राम ऊर्जा सर्वेक्षण	संख्या	1385
15.	ऊर्जाग्राम परियोजनाएं	संख्या	153
16.	बायोमास ऊर्जा पौधारोपण	हीटर	17165
17.	बायोमास गैसीफायर	संख्या	760
18.	बायोमास स्टर्लिंग इंजिन	संख्या	100

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

1892. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न इस्पात संयन्त्रों के आधुनिकीकरण में देरी के कारण सरकार को विदेशी मुद्रा सहित कितनी राशि की प्रति वर्ष हानि हो रही है, और

(ख) भारी क्षति को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) "सेल" के इस्पात सयन्त्रों की आधुनिकीकरण योजना या तो कार्यान्वनाधीन (दुर्गापुर तथा राउरकेला इस्पात संयन्त्र) हैं अथवा उन पर विचार किया जा रहा है ("इस्को' का बर्नपुर इस्पात कारखाना तथा बोकारो इस्पात संयन्त्र) दुर्गापुर तथा राउरकेला इस्पात संयन्त्रों के आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्य के मुख्य पैकेजों के लिए ठेके दे दिए गए हैं बशर्ते कि संविदा अवधि के दौरान होने वाली लागत वृद्धि को निष्प्रभावी करने, कड़े दण्डों तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों के लिए प्रावधान हों जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेल पर अनावश्यक लागत सम्बन्धी बोझ न पड़े। बोकारो और बर्नपुर इस्पात संयन्त्रों की आधुनिकीकरण योजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के प्रति सरकार जागरूक है। तदनुसार, परियोजना सम्बन्धी प्रस्तावों पर शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निरन्तर समीक्षा/प्रबोधन किया जा रहा है ताकि प्रभावी और समय पर उपाय किए जा सकें जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें विलम्ब न हो।

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन तारें बिछाना

1893. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1990 के दौरान टेलीफोन की तारें बिछाने के लिए भूमिगत नालिकाएं बिछाने और उनके निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) इस निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों का पूर्ण ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में डाकघर भवनों का निर्माण

1894. **श्री डी०डी० खनोरिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में डाकघरों के लिए भवन निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो इसका जिलेवार ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। सरकार का हिमाचल प्रदेश में डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि इसके लिए धनराशि, भूमि आदि उपलब्ध हो।

(ख) जानकारी संलग्न अनुबन्ध में दी गई है।

(ग) (क) और (ख) के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

(1) हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक राजस्व जिले में निर्माणाधीन डाकघर भवन

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राजस्व जिले का नाम
1.	नाहन डाकघर	सिरमौर
2.	डलहौजी डाकघर	चम्बा
3.	प्रागपुर डाकघर	कांगड़ा
4.	बिझारी डाकघर	हमीरपुर
(2) योजना स्तर पर डाकघर भवन		
(1)	सरहन बुशेहर	शिमला
(2)	रोहड़ू	शिमला
(3)	रेकौंग पीओ	किन्नौर
(4)	चौन्त्रा	मण्डी
(5)	सुन्दर नगर डाकघर भवन का पुनर्निर्माण	मण्डी
(6)	निर्मंड	कुल्लु
(7)	कुल्लु प्रधान डाकघर भवन का पुनर्निर्माण	कुल्लु
(8)	केलौंग	लाहौल स्फीति
(9)	काजा	लाहौल स्फीति

(10) बड़ाऊं	हमीरपुर
(11) टौनी देवी	हमीरपुर
(12) नालागढ़	सोलन
(13) पौंटा साहिब	सिरमौर
(14) नौहरा	सिरमौर
(15) टीरा	कांगड़ा
(16) छेड़ा	कांगड़ा
(17) बंजार टीस	चम्बा

"पवन हंस" को हुई हानि

[हिन्दी]

1895. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में "पवन हंस" को हुई हानि का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) इस समय कितने हैलीकाप्टरों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये हेलीकाप्टर कब से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं।

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पवनहंस को हुए लाभ और हानि का ब्यौरा इस प्रकार है —

1988-89	(2.57 करोड़ रुपये)	हानि
1989-90	8.06 करोड़ रुपये	लाभ
1990-91	40.00 करोड़ रुपये	लाभ (अनन्तिम)

1988-89 में हुई हानि का मुख्य कारण वैस्टलैंड हेलीकाप्टरों का घटिया निष्पादन रहा है।

(ख) और (ग) वैस्टलैंड डब्ल्यू-30 हेलीकाप्टर परिचालनात्मक सुरक्षा और आर्थिक सक्षमता की दृष्टि से अनुपयुक्त पाये गये थे। 9 फरवरी, 1991 से इन सभी 19 हेलीकाप्टरों का प्रचालन बन्द कर दिया गया है।

आगरा में गैस पर आधारित बिजली संयंत्र

1896. श्री भगवान शंकर रावत : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिजली की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध कराने तथा ताजमहल को पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाने की दृष्टि से आगरा में एक प्राकृतिक गैस पर आधारित बिजली संयन्त्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और पैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विभिन्न तकनीकी आर्थिक घटकों यथा भूमि की उपलब्धता तथा इसकी ढुलाई, जल की उपलब्धता, भार केन्द्रों के समीप होना और भार केन्द्रों को विद्युत का पारेषण किए जाने को मद्देनजर रखते हुए नई ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थल का पता लगाने के कार्य का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य प्राधिकारियों का होता है। आगरा में गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

आंध्र प्रदेश की लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

1897. श्री वी०एन० रेड्डी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तावित कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ख) मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्र में मूल्यांकन के लिए पड़ी आंध्र प्रदेश की वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत (लाख रु०)	लाभ (हजार हेक्टेयर)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन स्थिति
1	2	3	4	5	6
(क)	बृहद				
1.	तेलुगु गंगा परियोजना	63653 83449	199	5.12.83 10.1.86	इस परियोजना को, जांच के बाद परामर्शदात्री समिति के समक्ष उसकी 4/88 में हुई बैठक में प्रस्तुत किया गया था। चूंकि अन्तर्राज्यीय मुद्दों को सुलझाया नहीं गया था, अतः परामर्शदात्री समिति ने इस पर विचार-विमर्श आस्थगित कर दिया। आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तीनों मुख्य मंत्रियों ने कृष्णा जल की हिस्सेदारी से सम्बन्धित मामलों को आपसी बातचीत के जरिये हल करने का निर्णय किया है।
2.	घुराना परियोजना	7640 20475	47.835	10.9.80 31.3.86	परामर्शदात्री समिति ने अपनी 4/88 में हुई बैठक में इस परियोजना को स्वीकार्य पाया, बशर्ते कि राज्य सरकार अपने वित्त और योजना आयोग से पर्यावरण और वन दृष्टिकोण से स्वीकृति प्राप्त करे।
3.	कुम्भधारा परियोजना चरण-II	7453 27574	50.958	2.3.79 26.9.88	इस परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया गया तथा परामर्शदात्री समिति ने अपनी 4.1291 को हुई बैठक में इसे स्वीकार्य पाया। राज्य द्वारा पर्यावरण दृष्टि तथा कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है।

1	2	3	4	5	6
(ख) मध्यम					
1.	मोदीकुम्तावागु	3190.29	6.60	31.12.85 27.3.89	राज्य सरकार को टिप्पणियां अनुपालन के लिए सितम्बर, 1991 में भेजी गयीं। परियोजना के लिए वन स्वीकृति प्राप्त की जानी है और लागत प्राक्कलन अद्यतन करने अपेक्षित है।
2.	पालेमवागु	21.06.85	4.90	16 1.86 27.3.89	राज्य सरकार को टिप्पणियां अनुपालन के लिए दिसम्बर, 1990 में भेजी गयीं। परियोजना के लिए वन स्वीकृति प्राप्त की जानी है और लागत प्राक्कलन अद्यतन करने अपेक्षित है।
3.	मूपतिपलेम	1660.00	4.897	4.8.89	राज्य को बाढ़ डिजाइन, जलाशय की क्षमता, लाभ-लागत अनुपात और आदिवासी के लिए पुनर्वास योजना से सम्बन्धित मुद्दों को हल करना है।
4.	बहुदा बराज	4 90.00	4.53	23.9.91	यह परियोजना अभी हाल ही में प्राप्त हुई है।

टिप्पणी : इन परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है, कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरण की टिप्पणियों को अनुपालन करती है, पर्यावरण और वन मन्त्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है और इसके अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल करती है।

उपग्रह सिग्नलों पर नियंत्रण के उपाय

1891. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवांछित उपग्रह सिग्नलों पर नियंत्रण रखने में सरकार के समक्ष कठिनाइयां आ रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता और गोवा के बीच सीधी विमान सेवा

1899. **डा० देवी प्रसाद पाल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कलकत्ता और गोवा के बीच सीधी विमान सेवा संचालित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का कलकत्ता और गोवा के बीच सीधी विमान सेवा प्रारंभ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अनुमानों के अनुसार, कलकत्ता और गोवा के बीच वर्तमान यात्री मांग एक सीधी सेवा के परिचालन का औचित्य सिद्ध नहीं करती।

विश्व बैंक दल द्वारा सरदार सरोवर परियोजना का सर्वेक्षण

[हिन्दी]

1900. **श्री महेश कनोडिया** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए एक कार्य दल भेजा था,

(ख) क्या सरकार ने इस कार्यदल की सिफारिशों की समीक्षा की है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण कार्य की पुनरीक्षा करने के लिए विश्व बैंक द्वारा कोई कमीशन नहीं भेजा गया था। तथापि, परियोजना के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना के क्रियान्वयन तथा पर्यावरणिक सुरक्षा का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा एक स्वतंत्र पुनरीक्षण मिशन गठित किया गया था।

(ख) और (ग) इस मिशन ने अक्तूबर/नवम्बर, 1991 तथा फरवरी, 1992 में भारत का दौरा किया था तथा संबंधित राज्य तथा केन्द्र सरकार के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों आन्दोलनकारियों, पर्यावरण विशेषज्ञों आदि के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया और वास्तविक सूचना एकत्र करने के वास्ते पुनः बसाये गये गांवों तथा जलमग्नता के अन्तर्गत आने वाले कुछ गांवों का निरीक्षण किया। मिशन के विचारों का पता बैंक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् चलेगा।

तुंगभद्रा परियोजना की भंडारण क्षमता

[अनुवाद]

1901. **श्री वे० चोक्का राव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय तुंगभद्रा परियोजना की जलग्रहण क्षमता इसमें विद्यमान गाद के कारण कम होती जा रही है,

(ख) यदि हां, तो इस जलाशय की प्रारंभिक जलग्रहण क्षमता कितनी थी और इस समय कितनी है,

(ग) क्या इसमें से गाद निकालने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) तुंगभद्रा जलाशय की मूल भंडारण क्षमता 3751.17 मिलियन घन मीटर थी जो वर्ष 1985 तक 3166.74 मिलियन घन मीटर तक कम हो हो गयी थी। गाद और तलछटन सर्वेक्षण करने के बाद ही जलाशय की विद्यमान क्षमता का पता लगाया जा सकता है।

(ग) और (घ) जलाशयों में गाद जमा होना एक प्राकृतिक घटना है तथा इस गाद को समायोजित करने के लिए जलाशय की क्षमता में प्रावधान किए जाते हैं। इसलिए, इस स्तर पर गाद निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है।

पेट्रोल आधारित ऊर्जा उत्पादन योजनाएं

1902. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पैट्रोल आधारित ऊर्जा उत्पादन योजनाओं को गैस आधारित योजनाओं में बदलने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० द्वारा परियोजनाओं का कार्यान्वयन

1903. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के द्वारा कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं,

(ख) इस परियोजनाओं के पूरे किए जाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है, और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) सरकार द्वार स्वीकृत और "सेल" द्वारा कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

संयन्त्र	परियोजना	स्वीकृत लागत (करोड़ रु०)	जनवरी, 1992 तक हुआ खर्च (करोड़ रुपये)	प्रगति की स्थिति
दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र	नवीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन (आधुनिकीकरण)	2667.56	1887.22	16 टनकी पैकेजों में से सभी 6 अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों, और 8 स्वदेशी पैकेजों के लिए आर्डर दे दिए गए गये हैं। शेष 2 स्वदेशी पैकेजों के लिए आर्डर जल्दी ही दे दिए जाएंगे। एक पैकेज चालू हो गया है और शेष का कार्य चल रहा है। बी एफ-2 को छोड़कर परियोजना के मार्च, 1973 तक पूरा होने की सम्भावना है।
राउरकेला इस्पात संयन्त्र	आधुनिकीकरण चरण-I आधुनिकीकरण चरण-II	2461	312.70	चरण-1 के लिए सभी 9 पैकेजों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। 15 स्वदेशी पैकेजों में से 12 के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। 5 अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के लिए आर्डर जल्दी ही दिए जाने की संभावना है।
	हॉट स्ट्रिप मिल में क्वायलर्स का प्रतिस्थापन	91.40	08.71	उपस्करों की स्थापना का कार्य चल रहा है। और इन्हें जून, 92 तक पूरा कर लिए जाने की संम्भावना है।
सेलम इस्पात संयन्त्र	तप्त बेलन सुविधाओं की स्थापना	425 16	6.58	सिविल और संरचनात्मक कार्य प्रगति पर है। इसे अप्रैल, 1995 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

1	2	3	4	5
बोकारो इस्पात संयन्त्र	8वीं कोक ओवन बैटरी की स्थापना	80.49	18.71	रिफ्रैक्टरी और प्रमुख उपस्करों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं और इनकी सप्लाई शुरू हो गई है। बैटरी को जनवरी 1994 में पूरा करने का कार्यक्रम है।
भिलाई इस्पात संयन्त्र	पी एण्ड बी स्टैण्ड में छठे बायलर की स्थापना	32.10	21.10	टर्नकी आधार पर परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। कार्य प्रगति पर है और बायलर के सितम्बर, 1992 तक चालू करने की सम्भावना है।
विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	530 घन मीटर की धमन भट्टी की स्थापना	49.35	0.33	सिविल कार्य प्रगति पर है। 78 पैकेजों में से 61 पैकेजों के लिए तकनीकी विनिर्दिष्टियां जारी कर दी गई हैं। 52 पैकेजों के लिए निविदा मांगी गई है और 7 पैकेजों के आर्डर को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

माइक्रो मिनी हाईडल प्रोजैक्ट

1904. **श्री धर्मलिंगम** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठवीं योजना के दौरान माइक्रो, मिनी हाईडल प्रोजेक्टों को बड़े पैमाने पर आरम्भ करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में इन परियोजनाओं को किन स्थानों पर आरम्भ किया जाएगा ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सूक्ष्म तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विकास राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इस कार्यक्रम का विस्तार करने के उद्देश्य से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने वैद्युत-यांत्रिक उपस्करों का मानकीकरण करने और सिविल अभिकल्पों को सरल बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इस उद्योग को कलात्मक प्रौद्योगिकी को अपनाने और विनिर्माण आधार को विस्तृत करने के लिए सहायता दी गई है। अभिकल्पों के मानकीकरण के कारण परियोजनाओं को अपेक्षाकृत कम अवधि में पूरा किया जा सकता है। इन उपायों से पूंजीगत तथा आवर्ती लागतों में कमी आई है। आठवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 250 मे. वा. की माइक्रो मिनी और लघु जल-विद्युत क्षमता के योग का प्रस्ताव किया गया है। तथापि इस क्षेत्र के लिए योजना नियतन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आठवीं योजना के दौरान शुरू की जाने वाली कुल 39.65 मे०वा० की 14 मिनी/लघु जल विद्युत परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में आठवीं योजना के दौरान शुरू की जाने वाली मिनी जल-विद्युत योजनाओं/लघु जल-विद्युत योजनाओं की सूची

क्र०सं०	योजना का नाम	जिला	क्षमता (कि०वा)
1.	एम 00350, गुंटूर शाखा नहर पर	गुन्टूर	3 × 1250 = 3750
2.	एम 240, गुण्टूर शाखा नहर पर	गुण्टूर	2 × 2250 = 4500
3.	एम 52550, गुण्टूर शाखा नहर पर	गुण्टूर	3 × 650 = 1950
4.	एम 91550, गुण्टूर शाखा नहर पर	गुण्टूर	2 × 1000 = 2000
5.	एम 1740, अड्डंकी शाखा नहर पर	गुण्टूर	2 × 650 = 1300
6.	एम 183220, अड्डंकी शाखा नहर पर	गुण्टूर	2 × 1250 = 2500

1	2	3	4
7.	एम 20180, आंगोले शाखा नहर पर	प्रकाशम	2×650 = 1300
8.	एम 23199, आंगोले शाखा नहर पर	प्रकाशम	2×650 = 1300
9.	एम 64330, डी-83 काकतीय नहर पर	करीमनगर	2×750 = 1500
10.	एम 181330, डी-83 काकतीय नहर पर	करीमनगर	2×650 = 1300
11.	के एम 144/175, डी-83 काकतीय नहर	करीमनगर	2×1500 = 3000
12.	पेन्नाई नदी पर सोमशिला परियोजना	नेल्लूर	2×5000 = 10000
13.	लाकइन के०सी० नहर पर सुला	कुरनूल	2×1500 = 3000
14.	येलेरू जलाशय	गोदावरी	3×750 = 2250
			कि०वा० : 39650

बीदर (कर्नाटक) में स्थित हुमानाबाद में प्रसारण ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाना

1905. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक राज्य में बीदर में हुमानाबाद में स्थित प्रसारण ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) तथा (ख) इस समय कर्नाटक राज्य में बीदर में हुमानाबाद में कोई प्रसारण ट्रांसमीटर नहीं है।

गुजरात के गांधार में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजना

1906. **डा० के० डी० जेल्याची** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के गांधार में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कोई विद्युत परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन. टी. पी. सी.) द्वारा गुजरात के भड़ौच जिले में गंधार गैस आधारित विद्युत परियोजना चरण-1 (650 मेगावाट) स्थापित किया जा रहा है।

(ग) मुख्य संयंत्र के लिए ठेका दिए जाने के पश्चात् परियोजना को 42 महीने की अवधि में पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल

1907. **श्री गुरुदास कामत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के विमान चालकों ने फिर से हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : इंडियन एयरलाइन्स के विमानचालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ से किसी हड़ताल के लिए कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिवेन्द्रम में डिजिटल दूरभाष केन्द्र

1908. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिवेन्द्रम दूरभाष केन्द्र में डिजिअल टैक्स उपकरण स्थापित करने का विचार रखती है,

(ख) यदि हां, तो त्रिवेन्द्रम दूरभाष केन्द्र में डिजिटल टैक्स उपकरण कब तक भेजे जायेंगे, और

(ग) त्रिवेन्द्रम, कोलम्स, पलिअन्नामथिट्टा तथा अन्य जिलों में स्थित मैनुअल आटोमेटिक और इलेक्ट्रानिक केन्द्रों को त्रिवेन्द्रम में स्थापित किये जाने वाले इन डिजिटल टैक्स उपकरणों से होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां ।

(ख) मार्च, 1992 तक ।

(ग) त्रिवेन्द्रम तथा कोल्लम जिलों के एक्सचेंजों को त्रिवेन्द्रम डिजिटल टी ए एक्स के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है । उपर्युक्त जिलों के जिन टेलीफोन एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, उन्हें भी त्रिवेन्द्रम डिजिटल टी ए एक्स के अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है ।

डिजिटल टी ए एक्स के माध्यम से बेहतर संयोज्यता तथा अत्यन्त बेहतर सेवा प्रदान की जा सकेगी ।

पटनमथिट्टा जिले के पटनमथिट्टा, तिरुवल्ला, कुंबनाद, रान्नी कोझेंचेरी अडूर तथा पंडलम में जहां कि एम० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है, उन्हें कोट्टायम में चालू किए गए नए डिजिटल टी ए एक्स के साथ जोड़ दिया गया है ।

बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति

1909. **श्री छोटूभाई नागौत** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति में कौन-कौन से सदस्य हैं और इसका कार्यकाल कितना है,

(ख) इस समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और बांध, नदी तथा घाटी परियोजनाओं के संबंध में इसने क्या-क्या सिफारिशें की हैं तथा गत दो वर्षों के दौरान बांधों के लिए क्या सहायता दी गई; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यान्वित अथवा कार्यान्वन की जाने वाली सिफारिशों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन अक्तूबर, 1987 में किया गया। अद्यतन गठन के अनुसार समिति में अध्यक्ष के पद पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग [के० ज० आ०) उपाध्यक्ष के पद पर सदस्य (डिजाइन और अनुसंधान) और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भांखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड, भारतीय जल वैज्ञानिक संस्था, तथा भारतीय इंजीनियरिंग भू विज्ञान सोसायटी के प्रतिनिधि और गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। केन्द्रीय जल आयोग के बांध सुरक्षा संगठन के मुख्य इंजीनियर इस समिति के सदस्य हैं। समिति का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है और इसकी बैठक वर्ष में दो बार होनी अपेक्षित है।

(ख) और (ग) समिति की 8 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इसने बांधों के निरीक्षण, बांधों का प्रचालन और अनुरक्षण, आंकड़ा पुस्तिका का संकलन, समापन रिपोर्ट तैयार करना, विद्यमान बांधों की संरचात्मक और जलवैज्ञानिक पुनरीक्षा, बड़े बांधों की यांत्रिकी और भूकम्पीय स्थिति और आपातकालिक कार्य प्रारंभ करने की प्रणाली पर राज्यों को सलाह दी है।

पंजाब और हरियाणा के लिए डिजिटल स्विचिंग प्रणाली

1910. **श्री एन० सुन्दरराज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने पंजाब के लिए इलैक्ट्रानिक डिजिटल स्विचिंग प्रणाली विनिर्मित करने हेतु जापान की एक अग्रणी दूरसंचार कम्पनी फुजित्सु के साथ संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि परियोजना को मूलरूप से पंजाब इलैक्ट्रानिक विकास निगम और फुजित्सु के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में मंजूरी दी गई थी लेकिन बाद में इसी त्रिपक्षीय संयुक्त उद्यम बनाकर इसमें एक और भागीदार शामिल कर लिया गया।

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या इसी तरह की एक परियोजना हरियाणा में स्थापित की जा रही है,और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या पंजाब परियोजना को हरियाणा की प्रतियोगी परियोजना के समकक्ष बनाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) भारत सरकार द्वारा जुलाई, 91 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत इस परियोजना के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है । तथापि भारतीय रिजर्व बैंक ने जापान की मैसर्स फुजित्सु तथा मैसर्स पंजाब राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास तथा उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम के लिए आवश्यक मंजूरी जारी कर दी है ।

(ख) प्रस्तावित परियोजना के ब्यौरे इस प्रकार है :

(1) स्थान : एस ए एस नगर, मोहाली, पंजाब (चन्डीगढ़ के निकट)

(2) वार्षिक उत्पादन क्षतता : 5 लाख लाइनें

(3) विदेशी भागीदारी : 51 प्रतिशत

(4) प्रौद्योगिकी का एकमुश्त शुल्क : 1 करोड़ रुपए

(ग) जी नहीं ।

(घ) उपर्युक्त "ग" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) हरियाणा में भी इसी तरह की परियोजना स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(च) इस परियोजना के ब्यौरे इस प्रकार है :—

— स्थान : उद्योग बिहार, गुड़गांव, हरियाणा

— वार्षिक उत्पादन क्षमता : 5 लाख लाइनें

— विदेशी भागीदारी : 51 प्रतिशत

— एक मुश्त भुगतान : 1 करोड़ रुपए

सभी नई स्विचन परियोजनाएं सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्थापित की जाएंगी ।

दिल्ली-रायपुर वाया नागपुर उड़ान का मार्ग-परिवर्तन

1911. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और रायपुर के बीच नागपुर से होकर जाने वाली बोइंग आई०सी०-469 उड़ान का मार्ग बदल कर रायपुर से सीधे दिल्ली किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ान के मार्ग में परिवर्तन से निर्धारित मानदण्ड का उल्लंघन होता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां । यह रायपुर और नागपुर के बीच पर्याप्त यातायात उपलब्ध न होने के कारण हुआ है ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फरक्का बांध परियोजना का अप्रयुक्त भू-भाग

[अनुवाद]

1912. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध परियोजना का खाली पड़ा हुआ अप्रयुक्त कितना भू-भाग है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के पास विकास कार्यों अथवा किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए इस रिक्त पड़े भू-भाग का उपयोग करने संबंधी कोई योजना विचाराधीन है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उसी भूभाग को विभिन्न विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार को देने का है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) परियोजना ने बराज, इसकी सम्बद्ध संरचनाओं के निर्माण और अवसंरचना के विकास तथा उसके बाद उनो प्रचालन और अनुरक्षण को सरल बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की है। बराज के मुख्य घटकों का निर्माण पूरा हो गया है, लेकिन प्रचालन और अनुरक्षण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। संरचनाओं और जलाशयों के निकट अनियोजित अधिक्रमण तथा अत्यधिक शहरीकरण से बचने की दृष्टि से पश्चिम बंगाल सरकार के समन्वय से फरक्का परिसर के समीप भूमि प्रयोग आयोजना तथा विकास गतिविधि की रीति का निर्धारण किये जाने की आवश्यकता है।

सोम कमला बांध परियोजना

1913. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 दिसम्बर, 1991 के संडे मेल में सोम कमला परियोजना के लिए फाटक की व्यवस्था के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में जांच कराई है अथवा जांच कराने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) इस परियोजना को राजस्थान सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार को कार्रवाई करनी है, केन्द्र को इस मामले में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

"टेलीकाम स्विचिंग" एकक

1914. श्री सुदर्शन राय चौधरी
श्री अजय मुखोपाध्याय
श्री तरित बरण तोपदार } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पूर्वी भाग में एक "टेलीकाम स्विचिंग एकक के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकृत किया है,

(ख) क्या ऐसे एककों की स्थापना के लिए पश्चिमी निवेशकों के कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) नई औद्योगिक नीति के अनुसार दूरसंचार स्विचन उपस्कर के विनिर्माण के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए इच्छुक विनिर्माताओं को उद्योग मंत्रालय (एस आई ए) को औद्योगिक उद्यमकर्ताओं का ज्ञापन जमा कराना आवश्यक होता है।

(ख) मैसर्स सीमेन्स लिमिटेड, बम्बई ने जर्मनी की मैसर्स सीमेन्स ए जी. के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से कलकत्ता के निकट साल्ट लेक काम्प्लेक्स में दूरसंचार स्विचन उपस्कर के उत्पादन के लिए एक यूनिट स्थापित करने के लिए औद्योगिक नीति के अन्तर्गत सूचना का ज्ञापन जमा करवाया है।

(ग) उद्यमकर्ता द्वारा जमा करवाए गए उद्यमकर्ता ज्ञापन की प्राप्ति स्वीकार कर ली गई है और वे भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी सहयोग करार की अनुमति प्राप्त करने के बाद देश में स्विचन उपस्कर के विनिर्माण का कार्य शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

बिहार में दरभंगा, अररिया, और मधुबनी निर्वाचन क्षेत्रों में फलों और सब्जियों पर आधारित उद्योग

1915. मोहम्मद अली अशरफ फातमी
श्री भोगेन्द्र झा
श्री सुखदेव पासवान } : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मधुबनी; दरभंगा और अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित फलों और सब्जियों पर आधारित उद्योगों को कोई सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय फलों और सब्जियों पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कितनी योजनाएं सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री क्रिस्टिपर गोमांगो) (क) से (ग) मधुबनी, दरभंगा और अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में फलों एवं सब्जियों पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उद्योगपतियों द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में निवेश

1916. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगपतियों ने देश के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत और परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनों की कमी के परिदृश्य में देश के विद्युत क्षेत्र में अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने विद्युत के उत्पादन, सप्लाई तथा वितरण के क्षेत्र में निजी उद्यमों की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति निर्धारित की है। जिसके अन्तर्गत सांविधिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक ढांचे में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए संस्थागत ढांचे के अन्तर्गत विद्युत विभाग में निवेश प्रोत्साहन सैल की स्थापना सम्मिलित है जो कि विद्युत के क्षेत्र में भावी निजी प्रवेशकों की सहायता करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन करेगा जिसके अध्यक्ष मंत्रिमंडलीय सचिव होंगे और इसमें विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधी सम्मिलित होंगे। इस समय, निजी क्षेत्र में 953 मे० वा० अतिरिक्त क्षमता वाली परियोजनाएं निर्माणाधीन है। अक्तूबर, 1991 में नई नीति की घोषणा किए जाने के पश्चात् 8162 मे० वा० की अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार का इरादा विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों की अधिकाधिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।

[अनुवाद]

दिल्ली दूरदर्शन पर फिल्मों का प्रसारण

1917. श्री परसराम भारद्वाज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन (दिल्ली) द्वारा इस समय प्रति सप्ताह कितनी फिल्मों का प्रसारण किया जाता है;

(ख) क्या टी० वी० दर्शकों में ग्रामीण जनसंख्या बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार क्षेत्रीय भाषाओं के टी० वी० कार्यक्रमों को हिन्दी सब-टाइटल्स के साथ दिखाना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी सिरिया ओराम) : (क) औसत तौर पर, दूरदर्शन दिल्ली एक सप्ताह में छः फिल्में टेलीकास्ट करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सिंचाई सुविधाएं

1918. श्रीमती बिल कुमारी मण्डारी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रति हेक्टेयर भूमि पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के बाद ही लक्ष्यों और परिव्ययों के ब्यौरे के संबंध में जाना जा सकेगा।

उन्नाव जिले में टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

1919. श्री देवी बक्स सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे और ये कहां-कहां स्थित हैं,

(ख) इन टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता कितनी है,

(ग) क्या सरकार का विचार नये वर्ष में और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) बारह स्थान तथा क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। किसी स्थान विशेष पर बीस वर्ष अथवा इससे अधिक मुगतानशुदा मांग वाले नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाते हैं। उन्नाव जिले में किसी स्थान पर इस प्रकार की कोई मांग अभी तक नहीं फलाई गई है।

विवरण

उन्नाव जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान तथा क्षमता

क्रम संख्या	स्थान का नाम	क्षमता
1.	अचलगंज	50 लाइनें
2.	बांगरमऊ	100 लाइनें
3.	भगवंतनगर	25 लाइनें
4.	बीघापुर	—वही—
5.	चकल बंशी	—वही—
6.	गंज मुरादाबाद	— वही—
7.	हसनगंज	—वही—
8.	मौरवान	—वही—
9.	पुरवा	—वही—
10.	नवाबगंज	88 लाइनें
11.	साफीपुर	—वही—
12.	उन्नाव	1000 लाइनें

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यम

[अनुवाद]

1920. **श्री बुकुल बासनिक** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यम प्रस्तावों की जांच करने हेतु सरकार द्वारा सचिवों की एक शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान समिति ने कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है;

(ग) क्या इस समिति को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने गहन समुद्री मात्स्यिकी के सात संयुक्त उद्यम प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

(ग) और (घ) मामले की पुनरीक्षा की जा रही है।

नर्मदा परियोजना हेतु बांड जारी करना

1921. **श्री हरीसिंह चावडा** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने नर्मदा परियोजना के लिए धन एकत्र करने हेतु खुले बाजार

में बांड जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मांगी है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ग) स्वीकृति कब तक दी जाने की संभावना है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात सरकार ने (I) 200 करोड़ रुपए के मूल्य के अधिक छूट वाले 4, 54, 546 संचयी बांड जारी करने और (II) 100 करोड़ रुपए के मूल्य के गैर-संचयी बांड जारी करने के लिए अनुमोदन मांगा है। इन बांडों के परिपक्वता की अवधि 10 वर्ष होगी तथा 5 किस्तों में पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान नीति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों की स्कीम केन्द्र के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक ही सीमित है तथा राज्य उपक्रम ऐसे बांड जारी करने के पात्र नहीं है।

उत्तर प्रदेश में जापान की सहायता से बुद्धपथ मार्ग का निर्माण

[हिन्दी]

1922. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की सरकार ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में श्रावस्ती (सहत महेत) तक बुद्धपथ मार्ग के लिये वित्तीय सहायता दी थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी वित्तीय सहायता मिली और कब मिली;

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) इस परियोजना में कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ङ) उक्त मार्ग का निर्माण शुरू करने के लिए दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा शेष राशि कब तक दी जायेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में अभिनिर्धारित बौद्ध परिपथों के चुनिंदा स्थलों पर आधारित संरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु 220.43 करोड़ रु० की कुल परियोजनागत लागत से 15 दिसम्बर, 1988 को भारत सरकार ने विदेशी आर्थिक सहयोग कोष के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 9.244 बिलियन जापानी येन विदेशी आर्थिक सहयोग कोष द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इस परियोजना पर कार्य चल रहा है। परियोजना का एक प्रमुख घटक 108.20 करोड़ रुपए की कुल लागत से राष्ट्रीय और राज्यीय राज्य मार्गों का विकास करना है, जिसमें से उत्तर-प्रदेश में राज्यीय राज मार्गों के लिए (जिसमें श्रावस्ती क्षेत्र भी सम्मिलित है) परियोजना लागत

37.57 करोड़ रुपए की है। सरकार द्वारा 223.61 लाख रुपए की राशि उत्तर प्रदेश सरकार को चुका दी गई है जो राज्य सरकार द्वारा अब तक सड़क के कार्यों पर व्यय की गई है।

फैनी का निर्माण

[अनुवाद]

1923. **श्री सुधीर सावंत :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राजापुट कांस्टीट्यूएंसी को-आपरेटिव सेक्टर द्वारा फैनी के विर्माण हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या सरकार इसके निर्माण/उत्पादन हेतु मंजूरी प्रदान करने में इसे प्राथमिकता देती है,

(ग) क्या निर्यात के लिए फैनी के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की किसी परियोजना को अनुमति देने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। काजू से पेय एल्कोहल तैयार करने सम्बन्धी किसी आवेदन-पत्र में संपूर्ण निर्यात प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोंकिण कोयले का आयात

1924. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता**
श्री विजय कुमार यादव
श्री साईमन मरान्डी
श्री गोविन्दराव निकम : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान कोंकिंग कोयले का आयात करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) कुल कितनी मात्रा में कोयले का आयात किए जाने की सम्भावना है तथा उस पर होने वाले खर्च/आने वाली लागत का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) अनुमान है कि वर्ष 1992-9 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० तथा विशाखापट्टनम इस्पात संयन्त्र, दोनों सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्रमश: 38 लाख मी० टन तथा 22 लाख मी० टन कोककर कोयले का आयात किया जायेगा। कोल इण्डिया लि० तथा इसकी सहायक कम्पनियों

द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कोककर कोयले के समूचे खनन को शामिल करने के पश्चात् आयात की मात्रा आंकी गई है। आयात की मात्रा अनंतिम है तथा देशी कोयला कम्पनियों के निष्पादन पर इसमें परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार आयातों की मात्रा पर सुनिश्चित लागत/व्यय बतलाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह जानकारी विदेशी बाजारों के अनेक कारणों पर निर्भर करेगी जो कि इन इस्पात कम्पनियों के नियंत्रण के बाहर है। 60 लाख टन कोककर कोयले के आयात का पोतपर्यन्त निःशुल्क तथा भाड़ा लागत मूल्य अंकित मूल्यों पर क्रमशः 795.60 करोड़ रुपये तथा 1086.30 करोड़ रुपये आंका गया है। (1 अमरीकी डालर = 25.50 रुपए)।

गुजरात व उत्तर प्रदेश में फल व सब्जी पर आधारित उद्योग

[हिन्दी]

1925. डा० रमेश चन्द्र तोमर
श्रीमती भावना चिखलिया
श्री बलराज पासी } : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार उन्हें फल व सब्जी पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए राशि का आवंटन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में गुजरात व उत्तर प्रदेश को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) से (ग) यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों के लिए फण्डों का सामान्य आवंटन/निर्धारण नहीं किया जाता परन्तु यह मन्त्रालय फल एवं सब्जियों पर आधारित उद्योगों के राज्यों में विकास के लिए राज्य सरकारों/राज्य उपक्रमों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक संगठनों आदि को विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों की अपनी विभिन्न योजना स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश और गुजरात में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए योजना स्कीमों के अधीन दी गई सहायता इस प्रकार है :—

राज्य	वर्ष	स्कीम	धनराशि
उत्तर प्रदेश	1990-91	1. खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और सामुदायिक डिब्बाबन्दी केन्द्रों के उन्नयन के लिए।	13.2 लाख रु०
	1990-91	2. प्रशिक्षण एवं दौरा-कार्यक्रम के लिये।	2.00 लाख रु०

1	2	3	4
गुजरात	1991-91	1. गुजरात में गुजरात कृषि उद्योग निगम के उत्पादों के विपणन के लिए 7 कृषि वार्लरों की स्थापना हेतु।	1.00 लाख रु०
		2. गुजरात में गाण्डवी और जूनागढ़ स्थित फल प्रसंस्करण यूनिटों में भण्डारण सुविधायें स्थापित करने/ बढ़ाने के लिए।	6.00 लाख रु०

मदिरा बाजार में डेनमार्क का प्रवेश

[अनुवाद]

1926. **श्री विमंल कान्ति चटर्जी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क की डैन्ब्रू-ए/एस कम्पनी अपने कार्ल्सबर्ग ब्रांड बीयर के साथ भारतीय मदिरा बाजार में प्रवेश की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973 के अधीन मैं० राजस्थान ब्रीवरीज लिमिटेड को मैं० डैन्ब्रू लिमिटेड ए०/एस०, डेनमार्क के तकनीकी सहयोग से बीयर तैयार करने के लिए विदेशी सहयोग अनुमोदन की मंजूरी दी है।

सूरतगढ़ ताप विद्युत संयंत्र

[हिन्दी]

1927. **श्री मनफूल सिंह**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) } : **क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सूरतगढ़ ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा इस संयंत्र के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और आगामी वित्त वर्ष के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस ताप विद्युत संयंत्र की आधारशिला कब तक रखे जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्यमन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा नवम्बर, 91 में, 1253.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना (2 × 250 मेगावाट) की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव को अब स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अक्षरंचनात्मक कार्यों को हाथ में लिए जाने हेतु वर्ष 1991-92 के लिए 23.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था। इस परियोजना से सम्बन्धित 1992-93 के लिए अनुमोदित परिव्यय की राशि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया है, 50 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना, जिसकी इष्टतम क्षमता 4 × 250 मेगावाट है, के लिए राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड (आर०एस०ई०बी०) ने 835 हैक्टेयर भूमि का पता लगाया है तथा राख निपटान, टाउनशिप तथा रेलवे साइडिंग आदि के लिए भूमि समेत चरण-एक (2 × 250 मेगावाट) के लिए इसे अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव रखा है। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचित किया था कि भूमि अधिग्रहण किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई की परिकल्पना नहीं की गई है।

लिग्नाइट से विद्युत उत्पादन

[अनुवाद]

1928. डा० पी० वल्लल पेरुमाल : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत-उत्पादन लिग्नाइट से करने के लिये कोई नीति बनाने का है क्योंकि लिग्नाइट दक्षिण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

विद्युत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) (क) और (ख) सरकार इस बात से पूर्णत: विज्ञ है कि तमिलनाडु, राजस्थान तथा गुजरात जैसे राज्यों में जो लिग्नाइट के भंडार हैं, वे कोयला खदानों से दूरी पर स्थित हैं और इन राज्यों में विद्युत की कमी की पूर्ति किए जाने के लिए इन भण्डारों का नियमित रूप से विकास किया जाना अत्यधिक महत्व-पूर्ण है। समुचित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए विद्युत उत्पादन हेतु इन स्रोतों का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए नैवेली लिग्नाइट निगम को यह कार्य सौंपा गया है। नैवेली लिग्नाइट निगम के 1991-92 के दौरान के 12.32 मिलियन टन लिग्नाइट के लक्षित उत्पादन में से निगम द्वारा लगभग 11.97 मिलियन टन प्रमुख रूप से विद्युत उत्पादन के लिए समुपयोजन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इंडियन आयरन स्टील कम्पनी द्वारा संयुक्त उद्यम

1929. श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन आयरन स्टील कम्पनी के प्रबन्ध के लिए स्वराज पाल के साथ संयुक्त उद्यम बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने एस बी आई केपीटल मार्किट लिमिटेड (एस बी आई—सी ए पी) को इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि० (इस्को) में निजी भागीदारी की संभावनाओं का पूरी तरह पता लगाने और सलाह देने के लिए व्यवसायिक परामर्शदाता के रूप में रखा है। एस बी आई—सी ए पी, भारतीय/अनिवासी भारतीयों और विदेशों दोनों के संभावित निजी निवेशकों के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं। लन्दन स्थित कापरों ग्रुप लिमिटेड (जिसके साथ एक अनिवासी भारतीय श्री स्वराजपाल सम्बद्ध है।) ने इस्को में रूचि ली है, इस प्रकार का संभावित भागीदार है। सेल को एस बी आई—सी ए पी से रिपोर्ट इस माह (मार्च 1992) तक प्राप्त हो जाने की संभावना है। सरकार इस सम्बन्ध में रिपोर्ट की जांच के पश्चात् उचित रूप से विचार करेगी।

बिजली की चोरी

[हिन्दी]

1930. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मयूर विहार और पटपड़गंज स्थित कितनी सहकारी आवास समितियों के विरूद्ध बिजली की चोरी के मामले प्रकाश में आए हैं और दिल्ली विद्युत संस्थान द्वारा ऐसी कितनी समितियों पर दण्ड लगाया गया है तथा कितनी समितियों से अब तक दंड की राशि वसूल नहीं की जा सकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों में बिजली की चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा अगस्त/सितम्बर, 991 में मारे गये छापों के दौरान मयूर विहार एवं पटपड़गंज स्थित सहकारी आवास सोसायटियों के विरूद्ध बिजली की चोरी के 16 मामलों का पता चला था। 13 मामलों में, बिजली के उपभोग/दुरुपयोग प्रभार सम्बन्धी बिल पहले ही जारी किये जा चुके हैं। शेष तीन सोसायटियों के मामले में भी समान कार्यवाही के सन्दर्भ में अपेक्षित प्रभारों की वसूली सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। डेसू द्वारा विद्युत की चोरी के विरूद्ध अभियान और तेज किया गया है तथा इस समस्या से निबटने के लिए समय-समय पर छापे मारे जाते हैं। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत विद्युत की चोरी एक संज्ञेय अपराध है।

"द किलिंग फील्ड्स" फिल्म का दूरदर्शन पर प्रसारण

[अनुवाद]

1931. **श्री मुमताज अंसारी**
श्री श्रीकांत जेना
डा० रवि मल्लू } : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कीटनाशक दवाओं के उपयोग का मानव स्वास्थ्य एवं परिस्थिति की पर बढ़ रहे प्रभावों

पर बी० टी० आई०—टी० वी० द्वारा निर्मित फिल्म "द किलिंग फील्ड्स" की सितम्बर-अक्तूबर, 1991 में प्रसारण करने का विचार था;

(ख) यदि हां, तो उस फिल्म को प्रसारित क्यों नहीं किया गया था; और

(ग) इस फिल्म की कब तक टी० वी० पर प्रसारित किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय उपमंत्री (कुमारी विरिजा ध्यास) (क) से (ग) दूरदर्शन ने, भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराए गए वृत्तचित्र "द किलिंग फील्ड्स" का प्रसारण 12-9-91 और 31-12-91 के दिन के लिए निर्धारित किया था। लेकिन कापीराइट होल्डर की हैसियत और रायल्टी आदि के भुगतान की शर्तें स्पष्ट न होने के कारण, फिल्म का प्रसारण आवश्यक औपचारिकताओं का पूरा करने और दूरदर्शन की कार्यक्रम आवश्यकता पर निर्भर करता है।

"ड्रिप" सिंचाई प्रणाली

1932. **श्री एम०बी०बी०एस० मूर्ति** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को "ड्रिप" सिंचाई प्रणाली के लागत की पचास प्रतिशत राजसहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विभिन्न राज्यों को दी गई राशि का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार को महाराष्ट्र के समतुल्य नहीं रखा गया है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ड्रिप सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंकलर/ड्रिप प्रणाली आदि के उत्साहदायक प्रयोग की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत लघु किसानों के लिए 25% सीमान्त किसानों के लिए $33\frac{1}{3}$% तथा लघु तथा सीमान्त श्रेणी से संबन्धित अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों तथा ऐसे किसानों की सहकारी/सामुदायिक स्कीमों के लिए भी 40,000/- रु० की अधिकतम लागत सीमा तक 50% की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। शुष्क क्षेत्र फलों के त्वीकृत विकास की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई की संस्थापना के लिए 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। जिसक उच्चतम सीमा 0-4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 15,000/- रु० से 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 60,000/-रु० तक के बीच है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) उक्त स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियों का आबंटन समान अनुपात में नहीं किया जाता है और यह लघु, सीमान्त और अन्य किसानों के लिए आर्थिक सहायता की दरों, किसी विशेष राज्य के लिए स्कीम का महत्व, तैयारी की अवस्था, अवसंरचना की उपलब्धता और राज्य बजट में बराबर-बराबर आबंटन प्रदान करके निधियों को उपयोग में लाने

की राज्य सरकार की क्षमता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता हेतु उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करता है।

विवरण

लाख रुपये में

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष 91-92 के दौरान अनुमोदित/आबंटित राशि	वर्ष 91-92 के दौरान 1/92 तक निर्मुक्त राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	110.86	20.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.12	1.00
3.	असम	5.00	1.00
4.	बिहार	30.00	10.00
5.	गुजरात	200.04	55.00
6.	गोवा	5.00	1.00
7.	हरियाणा	5.00	1.00
8.	हिमाचल प्रदेश	80.00	25.00
9.	जम्मू और कश्मीर	30.00	10.00
10.	कर्नाटक	50.00	15.00
11.	केरल	80.00	20.00
12.	मध्य प्रदेश	100.00	27.00
13.	महाराष्ट्र	508.58	208.00
14.	मणिपुर	5.00	1.00
15.	मेघालय	5.00	1.00
16.	मिजोरम	5.00	1.00
17.	नागालैण्ड	5.00	1.00
18.	उड़ीसा	25.00	10 00
19.	पंजाब	80.00	20.00
20.	राजस्थान	70.00	20.00
21.	सिक्किम	5.00	1.00
22.	तमिलनाडु	100.00	25.00
23.	त्रिपुरा	5.00	1.00
24.	उत्तर प्रदेश	120.00	30.00
25.	पश्चिम बंगाल	5.00	1.00
26.	पांडिचेरी	5.00	—
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.00	—
	कुल	1652.60	506.62

तमिलनाडु में झीलों की मरम्मत के लिए विश्व बैंक की सहायता

1933. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा तमिलनाडु में झीलों पर मरम्मत के लिए कितनी धनराशि का ऋण दिया गया, और

(ख) इस सहायता से जिन झीलों पर मरम्मत कार्य किया जायेगा वे कहां कहां स्थित हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) तमिलनाडु में झीलों की मरम्मत करने लिए विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

डाक निरीक्षकों और सहायक अधीक्षकों के वेतनमानों में संशोधन

1934. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1990 में डाक विभाग में निरीक्षकों और सहायक अधीक्षकों के वेतनमानों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह मामला अभी भी विचाराधीन है ।

डाक-टिकटों का मुद्रण ठीक न होना

[हिन्दी]

1935. **श्री राजवीर सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाक-टिकटों का गलत मुद्रण होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। कुछ नितांत विरले मामलों में ही डाक टिकटों की गलत छपाई ध्यान में आई है ।

(ख) गलत छपे डाक टिकटों को नष्ट करने की हिदायतें पहले से ही हैं ।

मेराइन रेडियो कोर्स

[अनुवाद]

1936. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में मेराइन रेडियो कोर्स आरम्भ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं, संचार मंत्रालय मैरीन रेडियो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन नहीं करता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में एस० टी० डी० सुविधायें

[हिन्दी]

1937. **श्री सुखदेव पासवान** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कौन-कौन से शहर और नगर एस० टी० डी० सुविधा से जुड़े हुए हैं,

(ख) क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष के दौरान और स्थानों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) बिहार में एस०टी०डी० सुविधा से जुड़े 68 शहरों/कस्बों की सूची संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) बिहार के उन 31 शहरों/कस्बों के नामों की सूची संलग्न विवरण II में दी गई है जिन्हें 1992-93 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है।

विवरण-I

1-3-92 की स्थिति के अनुसार बिहार में एस०टी०डी० केन्द्रों की सूची

1.	औरंगाबाद	16.	चाईबासा
2.	अरेरिया	17.	चास
3.	आरा	18.	छपरा
4.	बोकारो	19.	डाल्टनगंज
5.	बेगुसराय	20.	देवघर
6.	भागलपुर	21.	धनबाद
7.	भभुवा	22.	दुमका
8.	बरौनी	23.	डालमियानगर
9.	बिहारशरीफ	24.	दरभंगा
10.	बेतिया	25.	फोरबोसगंज
11.	×बोधगया	26.	×फटुवा
12.	×बिहवा	27.	गिरिडीह
13.	×बनमंखी	28.	गोपालगंज
14.	×ब'ढ़	29.	गुमला
15.	चिरकुण्डा	30.	गया

1	2	3	4
31.	गुडा	50.	मोतीहारी
32.	हजारीबाग	51.	मुंगेर
33.	हाजीपुर	52.	मुज्जफरपुर
34.	जमशेदपुर	53.	मधेपुरा
35.	आदित्यपुर (जमशेदपुर)	54.	महाराजगंज
36.	टेल्को (जमशेदपुर)	55.	मोकामेह
37.	झरिया	56.	नवादा
38.	झुमरीतलैया	57.	पूर्णिया
39.	जहांनाबाद	58.	पटना
40.	×झंजारपुर	59.	रांची
41.	×जोगबनी	60.	मुरवा (रांची)
42.	×जमतारा	61.	रक्सौल
43.	×जसिडीह	62.	सिवरी
44.	कटिहार	63.	सासाराम
45.	किशनगंज	64.	सहरसा
46.	खगड़िया	65.	साहिबगंज
47.	कोडेरमा	66.	समस्तीपुर
48.	लोहारदगा	67.	सिवान
49.	मधुबनी	68.	सीतामढ़ी

टिप्पणी : ×एसटीडी सेवा जनजातीय आधार पर चालू की गई है।

विवरण-II

बिहार के उन शहरों/कस्बों की सूची जहां 1992-93 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना

1.	बक्सर
2.	मढ़वा
3.	चतरा
4.	चक्रधरपुर
5.	जमुई
6.	सपौल
7.	रामगढ़
8.	बेरमो
9.	बेगहा
10.	बलसिंहसराय
11.	रोसड़ा

1	2
12.	बीरपुर
13.	बसोई
14.	डुमरांव
15.	जमालपुर
16.	पाकुर
17.	राजमहल
18.	बढ़रवा
19.	मधुपुर
20.	घटशिला
21-	सरायकला
22.	बिहारीगंज
23.	बिक्रमगंज
24.	दाउदनगर
25.	नौगचिया
26.	लटेहार
27.	पापला
28.	बंजारी
29.	कहलगांव
30.	लक्खीसराय
31.	बेलपुरा

सूरत में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कोटे से टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

1938. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सूरत में फरवरी, 1991 में अति-महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कोटे से मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्या है,

(ख) उन में कितने कनेक्शन उपलब्ध कराए गए और लंबित कनेक्शनों की संख्या क्या है,

(ग) क्या फरवरी, 1991 के बाद मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों को लगा दिया गया है,

(घ) यदि हां, तो पहले मंजूर किए गए कनेक्शनों को जारी किए जाने के क्या कारण हैं,

(ङ) क्या इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) इस अवधि के दौरान सूरत में अति-महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कोटे से 13 टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए थे।

(ख) इसमें से 10 टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं और 3 मंजूर किए गए 3 कनेक्शन लंबित हैं।

(ग) फरवरी, 1991 के बाद 173 टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए थे जिनमें से 124 कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं और 49 कनेक्शन संस्थापित किए जाने हैं।

(घ) ऊपर (ख) में बताए गए 3 कनेक्शन तकनीकी रूप से व्यवहार्य न होने के कारण उपलब्ध नहीं कराए जा सके।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय कॉल सुविधाएं

1939. श्री वृजिश पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 कि० मी० हवाई दूरी वाले दो शहरों में स्थानीय टेलीफोन कास करने की व्यवस्था है,

(ख) देश में कितने शहर ऐसे हैं जिनमें यह सुविधा अभी प्रदान की जानी है,

(ग) क्या पटना और हाजीपुर के बीच यह सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं। किसी टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र के बाहर की जाने वाली कालों पर लम्बी दूरी के शुल्क के आधार पर प्रभार लिये जाते हैं। तथापि, इस समय विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में दो एक्सचेंजों के बीच, लेकिन प्रत्येक के 20 कि० मी० के भीतर, लम्बी दूरी की कालों पर वही प्रभार लिए जाते हैं जो स्थानीय कालों के लिए निर्धारित हैं।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) ऐसी परिधीय एक्सचेंज प्रणालियों के लिए एक विशेष शुल्क निर्धारित करते हुए संशोधित प्रभारों की एक योजना पर विचार किया जा रहा है। पटना और हाजीपुर के बीच की जाने वाली कालों पर लिए जाने वाले प्रभार, प्रभारों को संशोधित करने की योजना को अन्तिम रूप देने के बाद नये शुल्क प्रभारों के अनुसार वसूल किए जाएंगे।

मुम्बई क्षेत्र में स्थानीय टेलीफोन की सुविधा

1940. प्रो० राम कापसे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के थाणे जिले में भिवन्डी चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, भिवन्डी के प्रेजिडेंट ने मुम्बई महानगर के संपूर्ण क्षेत्र में स्थानीय टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया था,

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई टेलीफोन के एक स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत भिवण्डी, कल्याण एवं उल्हासनगर जैसे शहरों को शामिल करने संबंधी अनुरोध की स्थानीय क्षेत्र सीमांकित किए जाने के मौजूदा मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर जांच की गई। एक ही नगरपालिका की नगर सीमाओं के भीतर आने वाले एक्सचेंज समान्तया स्थानीय क्षेत्र प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं। तथापि तकनीकी और परम्परागत कारणों से इसके कुछ अपवाद भी हैं।

भिवण्डी का स्थानीय क्षेत्र भिवण्डी नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है जबकि उल्हास-नगर कल्याण टेलीफोन प्रणाली में पड़ता है। अतः ये क्षेत्र विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं और उन्हें स्थानीय काल सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती। ये क्षेत्र कम दूरी के प्रभारण क्षेत्रों में आते हैं।

(ग) मौजूदा नीति और तकनीकी एवं वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, भिवण्डी, कल्याण/उल्हासनगर/न्यू बंबई को बंबई टेलीफोन प्रणाली में शामिल करने के लिए इस प्रणाली का विस्तार किया जाना सम्भव नहीं है।

दिल्ली में बिजली की चोरी

[हिन्दी]

1941. **डा० परशुराम गंगवार**
श्री विश्वनाथ शास्त्री } **क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में बिजली की चोरी की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथराय) : (क) से (ग) भारतीय बिजली अधिनियमा 1910 के अन्तर्गत बिजली की चोरी एक संज्ञेय अपराधी है। डेसू इस समस्या से विज्ञ है और उसने बिजली की चोरी तथा बिजली के उपयोग संबंधी अन्य अति-क्रमणों के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया है। अप्रैल-दिसम्बर, 91 की अवधि के दौरान 6957 मामलों के बारे में जांच कार्य किया गया और बिजली की चोरी के 2 783 मामलों का पता लगाया गया। इस अवधि के दौरान 541 मामलों में अभियोजन के लिए पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज कराई गई।

कर्नाटक में समुद्र से भूजरल रोधी योजना

[अनुवाद]

1942. **श्री एच० डी० देवगौड़ा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के लिए समुद्र से होने वाले

अपरदन को रोकने के कार्य हेतु कोई बृहत् योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की अनुमानित राशि कितनी है; और

(ग) इसे अब तक स्वीकृति दी जाने की संभावना है।

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) कर्नाटक में तटीय कटाव पर 145 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की मास्टर योजना और कटाव से अत्याधिक रूप से प्रभावित तटीय पहुंचों की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता कार्यों पर 40 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की रूपरेखा परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और जून 1989 में मंगलौर में तट कटाव बोर्ड की 17वीं बैठक में इस पर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद, राज्य सरकार ने जून, 199। में 15 करोड़ रु० की अनुमानित लागत का परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसकी जांच की गई है और राज्य की अन्य बातों के साथ-साथ, यह सलाह दी गई है कि अलग-अलग स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जायें और वे राज्य तकनीकी सलाहकार समिति/बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के जरिए स्वीकृत कराई जायें आयोग उसके बाद उन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग/योजना आयोग के माध्यम से कार्रवाई करायी जाये।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी परियोजना रिपोर्टें तैयार करती है जो केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकार्य हो।

खनिजों पर रायल्टी

[हिन्दी]

1943. **श्री योगानन्द सरस्वती**
श्री राम लखन सिंह : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मुख्य खनिजों की रायल्टी की दरों की तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षा की जाती है;

(ख) क्या रायल्टी की दरों की वर्ष 1987 से पुनरीक्षा नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) मुख्य खनिजों की रायल्टी की दरों की समीक्षा कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसार केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसकी द्वितीय अनुसूची को संशोधित करती है ताकि उन दरों को बढ़ाया अथवा घटाया जा सके, जिन पर अधिसूचना में निर्धारित तारीख से किसी खनिज पर रायल्टी देय होगी। तथापि, उक्त अधिनियम में किसी खनिज की रायल्टी दर में तीन वर्ष की अवधि में एक बार से अधिक वृद्धि करने की अनुमति नहीं है।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार ने खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भराई रेत तथा गौण खनिजों को छोड़कर) पर सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए (असम और पश्चिम बंगाल

को छोड़कर) 17 फरवरी, 1992 से रायल्टी दरों में संशोधन किया है। इससे पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए (पश्चिम बंगाल तथा असम को छोड़कर) 1 अगस्त, 1991 से कोयले और लिग्नाइट पर रायल्टी दरों में संशोधन किया गया था।

केरल में पर्यटन का विकास

[अनुवाद]

1944. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कई करोड़ रु० का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संघ सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन प्रणाली का विस्तार

1945. **श्री विनय कटियार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैजाबाद में टेलीफोन प्रणाली के विस्तार की क्या योजनाएं और उसमें किस तरह के आधुनिक उपकरण उपयोग में लाये जाते हैं,

(ख) क्या सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ इटावा में भी ऐसी ही उपकरणों को स्थापित किया गया है और यदि हां, तो यह कब से कार्य कर रहे हैं,

(ग) फैजाबाद में इन उपकरणों के उपलब्ध नहीं करने के क्या कारण हैं और

(घ) कब तक नये उपकरण कार्य करना शुरू कर देंगे ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) फैजाबाद के लिए 300 लाइनों के एक ई-10बी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (रिमोट लाईन यूनिट) स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(ख) केवल इटावा के लिए इसी टाइप के उपस्कर का प्रयोग किया था। इसे जून, 1991 में चालू किया गया था।

(ग) पारेषण माध्यम अभी उपलब्ध नहीं है। इसके मार्च, 92 में उपलब्ध होने की आशा है।

(घ) फैजाबाद में ई-10बी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (आर एल यू) के 31 मार्च, 92 तक कार्य आरम्भ कर देने की संभावना है।

निर्माणाधीन हवाई अड्डे

1946. **श्री एम० कृष्ण स्वामी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माणाधीन हवाई अड्डों की संख्या कितनी है; और

(ख) हाल ही में चालू किये गये हवाई अड्डों की संख्या कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) एक।

(ख) हाल में किसी नये हवाई अड्डे ने कार्य करना शुरू नहीं किया है।

केन्द्रीय क्षेत्र में भारत पर्यटन विकास निगम

1947. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटकों को परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम केन्द्रीय क्षेत्रों सहित देश में पर्यटक अभिरुचि के विभिन्न स्थानों पर अपने एजेंटों के जरिए परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करता है।

भारत पर्यटन विकास निगम इस समय केन्द्रीय क्षेत्र में "हार्ट आफ हैरिटेज टूअर" के नाम से दिल्ली-ग्वालियर-शिवपुरी-ओरछा झांसी को शामिल करने वाली साप्ताहिक संचालित यात्रा आयोजित कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत पर्यटन विकास निगम विशेष पर्यटक घटनाओं के लिए भी संचालित यात्राएं आयोजित करता है, जैसे दिनांक 22.11.1991 से 1.1.1992 के दौरान मध्य प्रदेश में नरवर में साहसिक शिविर के लिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में टेलीफोन उद्योग

[हिन्दी]

1948. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने टेलीफोन उद्योग हैं,

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि की तरह टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) संलग्न विवरण में दिए अनुसार।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार, निजी क्षेत्र में दूरसंचार के सभी प्रकार के उपस्करों के उत्पादन की अनुमति दे दी गई है। दूरसंचार उपस्कर के उत्पादन को औद्योगिक लाइसेंस की छूट भी प्रदान की गई है। नई औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र की यूनिटें स्थापित की जा रही हैं। तदनुसार, दूरसंचार विभाग का बिहार अथवा अन्य किसी राज्य में नई औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कोई भी राज्य सरकार अपनी अथवा निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त रूप से दूरसंचार की उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है।

विवरण

अनुबन्ध-1

देश में पंजीकृत टेलीफोन उद्योगों की राज्यवार संख्या	
आन्ध्र प्रदेश	12
असम	1
बिहार	2
गुजरात	6
हरियाणा	11
हिमाचल प्रदेश	8
जम्मू व कश्मीर	5
कर्नाटक	24
केरल	6
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	18
मणिपुर	1
उड़ीसा	4
पंजाब	8
राजस्थान	7
तमिलनाडु	10
उत्तर प्रदेश	18
पश्चिम बंगाल	9
दिल्ली	6
गोवा	3

हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था

[अनुवाद]

1949. श्री जीवन शर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या हवाई अड्डों पर प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त नगण्य है और सुरक्षा खामियां अनियंत्रित/अबाधित हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले छः माह के दौरान कितनी बार सुरक्षा खामियां नोटिस में आई हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है और हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) हवाई अड्डा सुरक्षा को कड़ा रखने का सतत प्रयत्न रहता है। पिछले छः महीनों के दौरान दो घटनाओं का पता चला जो निम्न प्रकार है :

(1) 1.12.1991 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एअर इण्डिया की उड़ान संख्या एआई-III में तत्कालिक विस्फोटक यन्त्र का पता लगाया गया।

(2) 27.1.1994 को कलकत्ता में इण्डियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या आई-सी 402 में एक वस्तु कागज में लिपटे पत्थर और थर्मोकोल के टुकड़े के रूप में पाई गयी थी।

इन घटनाओं के बाद, सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है और सभी सम्बन्धित को नये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

जनवरी, 1992 के दौरान एअर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत के खराब पड़े विमान

1950. **श्री चेतन पी० एस० चौहान**
श्रीमती महेन्द्र कुमारी
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1992 तक एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत के कितने विमान खराब पड़े हैं;

(ख) इस कारण उपर्युक्त प्रत्येक एयरलाइन्स को हुए अनुमानित नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विमानों को ठीक करने हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 31.1.92 की स्थिति के अनुसार ग्राउंड किये गए विमानों की संख्या इस प्रकार है :

(1) एयर इण्डिया —शून्य

(2) इण्डियन एयरलाइन्स—12

(3) वायुदूत —09

(ख) जहां तक इण्डियन एयरलाइन्स का सम्बन्ध है, विमानों के ग्राउंड किए जाने की योजना नेमी रखरखाव के लिए बनाई गई थी तथा इससे अनुसूचित परिचालनों पर कोई असर नहीं पड़ा है और इसलिए कोई वित्तीय हानि भी नहीं हुई है। वायुदूत के मामले में, 9 विमानों में से पांच विमानों को निर्धारित निरीक्षण/जांचने के लिए, दो विमानों को स्लाटस उपलब्ध न होने तथा इण्डियन एयरलाइन्स के पास डार्ट इंजिनों की कमी होने और दो विमानों को अतिरिक्त पुर्जों एव इंजिनों के लिए निधियों की कमी के कारण ग्राउंड किया गया था। इसके कारण हुई राजस्व की राष्ट्रीय हानि को आंकना कठिन है।

(ग) इण्डियन इयरलाइन्स के 12 विमानों में से 8 विमानों को पहले ही सेवा योग्य बनाया जा चुका है तथा शेष विमानों को भी रखरखाव की निर्धारित अवधि के भीतर सेवा-योग्य बनाये जाने की आशा है। वायुदूत के मामले में 9 विमानों में से पांच विमानों को सेवा योग्य बनाया जा चुका है। दो डोर्नियर विमानों के लिए अतिरिक्त पुर्जे तथा इंजिनों के लिए निधियां प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा दो एच एस-748 के मरम्मत कार्य में शीघ्रता बरती जा रही है।

उड़ीसा में डाक भवन और स्टाफ क्वार्टर

1951. **श्री जीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्भलपुर (उड़ीसा) डाक प्रभाग में कितने उप-डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनमें से ऐसे कितने हैं जो ऐसे भवनों में कार्य कर रहे है जिनमें पानी, बिजली और शौचालय जैसी मौलिक सुविधाएं नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में भारतीय डाक कर्मचारी संघ (मुख्ययालय बारगढ़) से कोई अभ्यावेदन मिला है यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रभाग में डाक भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए विस्तृत योजना कब तक बनाई जाएगी तथा इसके लिए यदि कोई धनराशि निर्धारित की गई है तो कितनी ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) नवासी (89)।

(ख) सम्भलपुर मण्डल के सभी उप डाकघरों में बिजली है। फिर भी, 25 डाकघर ऐसे हैं जो किराए के भवनों में काम कर रहे हैं जिसमें पानी तथा टाइलेट की व्यवस्था नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) डाक भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की योजना एक सतत प्रक्रिया है तथा इनका निर्माण कितनी संख्या में हो सकता है, इसका निर्धारण धनराशि तथा भूमि आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस समय बामरा तथा कुचिंडा में दो डाकघर भवन बनाए जा रहे हैं जिसके लिए वर्ष 1991-92 में क्रमशः दो लाख तथा एक लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, बारगढ़ में भूमि उपलब्ध होने पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने के बारे में विचार किए जाने की संभावना है।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

1952. श्री शरद यादव
श्री राम विलास पासवान } : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात से नियंत्रण हटा लेने पर इसके मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है,

(ख) इस्पात का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों एवं अन्य उपभोक्ताओं पर समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ा है, और

(ग) इसके कारण, एकीकृत इस्पात संयन्त्रों की लाभप्रदता में कितनी वार्षिक वृद्धि की संभावना है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) लोहे और इस्पात के विनियमन के बाद एकीकृत इस्पात संयन्त्रों द्वारा कोई मूल्य वृद्धि नहीं की गई है। खुले बाजार के मूल्यों में भी कोई तीव्र उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है। लोहे और इस्पात के कुछ केन्द्रों/श्रेणियों के मूल्यों में कुछ वृद्धि तथा दूसरों में कुछ कमी होने की मिली-जुली प्रवृत्ति रही है।

(ख) विनियमन का तत्काल प्रभाव यह पड़ा है कि इस्पात संयन्त्रों के आस-पास स्थित राज्यों/क्षेत्रों को स्टाकयार्डों तक का वास्तविक भाड़ा प्रभार का भुगतान करना होगा जो कि भाड़ा समकरण योजना के पूर्व लिए जा रहे भाड़े से कम है। इस्पात संयन्त्रों से दूर स्थित उद्योगों/प्रयोक्ताओं को जब तक भाड़े को संशोधित नहीं किया जाता, विनियमन से पूर्व भुगतान किये जा रहे भाड़े से अधिक का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

(ग) विनियमन के बाद एकीकृत इस्पात संयन्त्रों की लाभदायकता में वृद्धि कई घटकों पर निर्भर होगी जैसे कि सरकारी और दूसरी लेवी में बढ़ोतरी, आयात शुल्क में कमी के बाद आयात का वास्तविक स्तर और मूल्य में वृद्धियों की मात्रा जो समग्र-मांग-पूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एकीकृत इस्पात संयन्त्र करेंगे।

पर्यटन का विकास

1953. **श्री बुकल इस्लाम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन के विकास के लिए स्थानों का पता लगाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सातवीं योजना के दौरान पर्यटन के विकास पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी तथा उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (घ) पर्यटक केन्द्रों का अभिनिर्धारण और उनका विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। इसलिए

इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई व्यापक सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर उन्हें वित्तीय सहायता दी थी। सातवीं योजनावधि के दौरान पर्यटन के विकास के लिए जारी की गई केन्द्रीय सरकार सहायता निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	7वीं योजनावधि के दौरान जारी वित्तीय सहायता (लाख रुपए में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	222.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.00
3.	असम	58.74
4.	बिहार	49 00
5.	गोआ	33.99
6.	गुजरात	146.23
7.	हरियाणा	345.44
8.	हिमाचल प्रदेश	85.56
9.	जम्मू और कश्मीर	309.50
10.	केरल	573.39
11.	कर्नाटक	126.22
12.	महाराष्ट्र	76.09
13.	मध्य प्रदेश	156.47
14.	नागालैण्ड	87.22
15.	उड़ीसा	105.17
16.	राजस्थान	118.59
17.	सिक्किम	70.75
18.	मणिपुर	41.75
19.	मेघालय	75.00
20.	मिजोरम	55 00
21.	पंजाब	81.93
22.	तमिलनाडु	277.48
23.	त्रिपुरा	51.50
24.	उत्तर प्रदेश	381.85
25.	पश्चिम बंगाल	202.47
26.	अण्डमान और निकोबार	140.94
27.	दिल्ली	3.50
28.	लक्षद्वीप	71.86
29.	पाण्डिचेरी	37.83
	कुल जोड़	4001.76

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

[हिन्दी]

1954. **श्री भेरू लाल मीणा** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति के लिए आरक्षण कोटे को भर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार, जुलाई, 1991 से अब तक नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या तालिका-सूची के अनुसार विशेष रूप से राजपुरा-दरीबा माइन्स, जिंक स्मैल्टर, देबारी, जिंक स्मैल्टर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, अगोछा माइन्स तथा भीलवाड़ा इत्यादि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो पिछला बकाया पूरा करने के लिए कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का निर्धारित कोटा ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों में पूरा कर लिया है। परन्तु ग्रुप ए और बी पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कोटा भरने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र अभ्यार्थियों के न मिलने के कारण निर्धारित कोटा भरने में कमी है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों सहित जुलाई, 1991 तक भर्ती किए गए व्यक्तियों की कुल सख्या अनुबन्ध-II में दी गई है।

(ग) जी हां। भर्ती निर्धारित रोस्टर के अनुसार की जा रही है। तथापि, कुछ यूनिटों में कमियां हैं।

(घ) कम्पनी ने निर्धारित श्रेणियों में पिछले बकाया पद भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया है।

विवरण

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का ब्यौरा

ग्रुप/श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	%	अनुसूचित जनजाति	%
ग्रुप "क" (कार्यपालक)	1153	92	7.97	14	1 21
ग्रुप "ख" (कनिष्ठ कार्यपालक)	362	10	2.76	3	0.82
ग्रुप "ग" (श्रेणी 3 से 9)	9885	1477	14.94	1727	17.47
ग्रुप "घ" (श्रेणी 1 व 2)	1864	461	24.73	299	16 04

अनुबन्ध-II

"हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी" के बारे में श्री भेरू लाल मीणा द्वारा पूछे गए 9.3.1992 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या .954 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

हिन्दुस्तान जिंक लि० में जुलाई, 1991 से भर्ती किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा

ग्रुप	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जातियों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों की सख्या
ग्रुप 'क" (कार्यपालक)	39	7	1
ग्रुप "ख" (कनिष्ठ कार्यपालक)	5	1	
ग्रुप "ग" (श्रेणी 3 से 9	168	22	13
ग्रुप "घ" (श्रेणी 1 व 2)	360	70	37

दूरदर्शन धारावाहिकों के लिए दिशा-निर्देश

[अनुवाद]

1955. श्री विजय कुमार मल्होत्रा
श्री मोरेश्वर सावे } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में दूरदर्शन के कमीर्शल कार्यक्रम योजना के तहत दूरदर्शन धारावाहिकों के लिए कोई नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या कमीर्शल धारावाहिकों के अतिरिक्त प्रकरणों के लिए कोई इन दिशा-निर्देशों के तहत स्वीकृति प्रदान की जाती है, और

(ग) यदि हां, तो धारावाहिकों हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों की प्रभावी समयावधि क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

इंडियन एयरलाइंस के द्वारा शुरू की जाने वाली नई उड़ानें

1956. श्री यशवंतराव पाटिल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जो नई उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली और औरंगाबाद के बीच सप्ताह में एक दिन सीधी विमान सेवा शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक शुरू हो जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) कालीकट-शारजाह-कालीकट मार्ग पर 25-2-1992 से सप्ताह में तीन बार की ए-320 सेवा शुरू कर दी गई है। कोई अन्य नई उड़ान शुरू करने के लिए अभी तक कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इण्डियन एयरलाइन्स पहले से ही दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-औरंगाबाद-बम्बई और वापसी मार्ग पर सप्ताह में तीन बार की सेवा का परिचालन कर रही है। दिल्ली और औरंगाबाद के बीच यात्री यातायात संबंधी मांग को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त समझी जाती हैं।

"इस्को" का आधुनिकीकरण

1957. **श्री वसुदेव आचार्य**
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बर्क्स बर्नपुर में प्रस्तावित आधुनिकीकरण कार्यक्रम इस समय किस स्थिति में है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण को इस्को में निजी क्षेत्र की भागीदारी का पता लगाने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम है;

(घ) क्या "इस्को" में कुछ अनिवासी भारतीय उद्योगपतियों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क किया गया है,

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है,

(च) आधुनिकीकरण का कार्य देरी से शुरू करने के कारण परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (इस्को) के बर्नपुर स्थित इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को लोक निवेश बोर्ड द्वारा सरकार के निवेश संबंधी निर्णय प्राप्त करने के लिए मंजूरी दी गयी थी। इस सम्बन्ध में निर्णय जून, 1992 से पहले प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

(ख) से (ङ) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० (सेल) ने एस वी आई-केपिटल मार्किट्स लि० (एस वी आई—सी ए पी) को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (इस्को) में निजी भागीदारी की सम्भावनाओं का पूरी तरह पता लगाने के लिए व्यवसायिक परामर्शदाता के रूप में रखा है। एस वी आई—सी ए पी भारतीय/अनिवासी भारतीयों तथा विदेशों, दोनों के सभावित निजं निवेशकर्त्ताओं के साथ सम्पर्क बनाए हुए है। सरकार को लंदन स्थित कापरो ग्रुप लिमिटेड जिसके साथ एक अनिवासी भारतीय, श्री स्वराज पाल सम्बद्ध हैं, से पत्र मिले हैं जिसमें उन्होंने इस्को/"इम्को" आधुनिकीकरण परियोजना में भागीदारी की रुचि दिखाई है। "सेल" को एस वी आई—सी ए पी से रिपोर्ट इस महीने (मार्च, 1992) में प्राप्त हो जाने की संभावना है। रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात् सरकार इस सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय लेगी।

(च) सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई करने में सार्वजनिक निवेश बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद अब तक कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

उड़ीसा में ग्राम-पंचायतों को टेलीफोन

1958. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 में उड़ीसा में कितने ग्राम-पंचायतों को टेलीफोन की सुविधा प्रदान की गई; और

(ख) वर्ष 1992-93 में उड़ीसा में जिलावार खासकर बालासोर जिला में कितनी ग्राम-पंचायतों को टेलोफोन की सुविधा प्रदान की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान 29-2-92 तक 829 ग्राम पंचायत।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान 1000 ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्रम सं०	जिले का नाम	मात्रा
1.	बालासोर	60
2.	बोलंगीर	50
3.	कटक	250
4.	धेनकनाल	60
5.	गजम	80
6.	कालाहण्डी	50
7.	कियोंझर	50
8.	कोरापुट	80
9.	मयूरभंज	40
10.	फूलबनी	40
11.	पुरी	100
12.	सम्बलपुर	100
13.	सुन्दरगढ़	40
		100

मकदल्ला (सूरत) में हवाई-अड्डे का निर्माण

1959. श्री काशीराम राणा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मकदल्ला, सूरत में एक हवाई-अड्डा बनाने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमानन सेवाएं कब से शुरू हो जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दूरदर्शन धारावाहिक चाणक्य

[हिन्दी]

1960. श्री राम कृष्ण कुसमारिया
श्री शंकर सिंह वाघेला
श्री बलराम पासी
श्री आलम्ब रत्न मौर्य
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री संतोष कुमार गंगवार
श्री भीखन कुमार पटेल
श्री प्रभु दयाल कठेरिया
श्री गुमान मल लोढ़ा

: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन धारावाहिक "चाणक्य" की कड़ियों को कम करने के लिए कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या उक्त धारावाहिक में दिखाए गए केसरी रंग के झंडे और हर हर महादेव" नारों के प्रति कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या इस धारावाहिक से कुछ दृश्यों को हटाया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। ऐसा, यह पाये जाने के बाद किया गया कि मूलरूप से स्वीकृत 26 कड़ियों के बाद की कड़ियों के विस्तार की स्वीकृति, निर्माता की सक्षम प्राधिकारी से उचित प्राधिकार प्राप्त किये बिना दे दी गयी थी। तथापि, बाद में निर्माता से विचार विमर्श के बाद इस धारावाहिक को 47 कड़ियों में पूरा करने की अनुमति दे दी गयी है।

(ग) दूरदर्शन के अनुसार इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(घ) दूरदर्शन के अनुसार इसमें केसरी रंग के झंडे और "हर हर महादेव" के नारों के अनावश्यक लंबे दृश्य थे। निर्माता से अनुरोध किया गया था कि इन दृश्यों की अवधि कम की जाय। तथापि प्रसारित किये गये अन्तिम पाठ में केसरी रंग के झंडे और नारे दिखाये गये।

इस्पात पर से नियन्त्रण हटाने का राज्यों पर प्रभाव

[अनुवाद]

1961. श्री ई० अहमद
श्री अम्बाराजु इरा } : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के मूल्य पर से नियंत्रण हटाने के सरकार के हाल ही के निर्णय का केरल सहित अन्य राज्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न राज्यों में इस्पात के मूल्यों में उचित सीमा से अधिक भिन्नता न होने देने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; या उठाने का विचार है;

(ग) क्या इस बारे में इस्पात संयंत्र-विहीन राज्यों पर पड़े प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) इस्पात के मूल्य पर से नियन्त्रण हटाने का प्रभाव वैसा नहीं होगा जैसाकि राज्य विशेष के लिए कहा गया है। 16-1-92 से भाड़ा समकरण योजना समाप्त करने के बाद भाड़ा तन्त्र की पुनः संरचना की गई है। इस समय केरल सहित उपभोक्ताओं द्वारा स्टाकयार्ड-बाह्य भाड़ा एक स्टाकयार्ड तक वास्तविक भाड़ा या इस्पात के लिए 956 रुपये प्रति टन और कच्चे लोहे के लिए 645 रुपए प्रति टन, इनमें से जो भी कम हों, (इन्हें संशोधित किए जाने तक) देय है। इस कारण राज्य वार मूल्यों में अन्तर को इन अधिकतम सीमाओं तक और विभिन्न राज्यों के लिए वास्तविक भाड़े तक सीमित रहेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में तकनीकी कर्मचारियों की गैर-तकनीकी पदों और गैर-तकनीकी कर्मचारियों की तकनीकी पदों पर नियुक्ति

[हिन्दी]

1962. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कई वर्षों से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में तकनीकी कर्मचारियों को गैर-तकनीकी पदों पर नियुक्ति किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तकनीकी कर्मचारियों को केवल तकनीकी पदों पर तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों को केवल गैर-तकनीकी पदों पर ही नियुक्ति करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जो पद मूलतः प्रशासनिक प्रकृति के हैं लेकिन बेहतर प्रभावोत्पादकता के लिए तकनीकी जानकारी होना भी अपेक्षित है, उन पर तकनीकी विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं जिन्हें प्रशासन/प्रशासनिक मामलों का अपेक्षित ज्ञान है।

(ग) और (घ) कर्मचारियों की नियुक्ति काम की अपेक्षाओं के आधार पर किया जाता है और इस प्रकार इन पदों को, विशेषकर उच्च स्तरों पर तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों में चिह्नित करना व्यवहार्य नहीं है।

टेलीफोन कनेक्शन वापस लौटाना और उनका आवंटन

[अनुवाद]

1963. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने हस्ताक्षर टेलीफोन कनेक्शन वापस लौटा दिए हैं जैसाकि इस बारे में प्रधानमन्त्री ने निर्देश जारी किए थे ;

(ख) यदि हां, तो इससे संचार विभाग को कितनी टेलीफोन लाइनें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) क्या इन लाइनों को टेलीफोन कनेक्शन हेतु पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया था ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भिलाई इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

1964. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) इस कार्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक किये कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई इस्पात सन्यन्त्र में कुछ विशेष योजना शुरू किये जाने का प्रस्ताव है परन्तु इसमें आधुनिकीकरण के लिए कोई विस्तृत परियोजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

"नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन"

[हिन्दी]

1965. श्री नीतिश कुमार : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत पारगम्यता के कारण होने वाले नुकसान को रोकने हेतु अलग संस्थायें स्थापित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या "नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन" ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक कार्य करना शुरू कर देगा; और

(घ) जनवरी, 1992 तक इस संस्था में वर्ग वार (1, 2, 3 और 4 वर्ग) के कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी और माह-वार कर्मचारियों के वेतन सहित इस संस्था द्वारा किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन विभिन्न विद्युत उत्पादन स्रोतों से क्षेत्र के अन्तर्गत तथा क्षेत्रों से बाहर विश्वसनीयता, सुरक्षा एवं मितव्ययी रूप से भार केन्द्रों को वृहत् मात्रा में विद्युत का पारेषण किए जाने की दृष्टि से समन्वित एव दक्षतापूर्वक पारेषण प्रणाली तथा सम्बद्ध उप केन्द्रों का निर्माण किये जाने से सम्बन्धित कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम को 23 अक्तूबर, 1989 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित किया गया था तथा इसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी की राशि 5000 करोड़ रुपये थी। पारेषण सम्बन्धी हानियों को किसी विशेष सीमा तक कम करने में राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम सहायक सिद्ध होगा। प्रचालन, अनुरक्षण, निर्माण, आयोजना आदि सम्बन्धी प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और नीपको के पारेषण सम्बन्धी प्रबन्ध कार्य को राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

(घ) जनवरी, 1992 तक राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम के कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नवत् है :

प्रथम श्रेणी	1078
द्वितीय श्रेणी	566
तृतीय श्रेणी	2836
चतुर्थ श्रेणी	659

1991-92 (जनवरी, 1992 तक) के दौरान राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम द्वारा कर्मचारियों के वेतन समेत व्यय की गई राशि का महीनेवार ब्यौरा निम्नवत है :

महीना	लाख रुपये में
अप्रैल, 91	398
मई, 91	407
जून, 91	417
जुलाई, 91	433
अगस्त, 91	458
सितम्बर, 91	1428
अक्तूबर, 91	809
नवम्बर, 91	791
दिसम्बर, 91	1098
जनवरी, 92	3551

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए हवाई अड्डों की स्थापना

1966. **श्री नारायण बेरवा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितने नए हवाई अड्डों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अजमेर को कब तक हवाई सेवा से जोड़ दिये जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) चूंकि आठवीं योजना के आकार को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है; अत: इसके ब्यौरे को अभी तक निश्चित रूप नहीं दिया गया है । आठवीं योजना अवधि के दौरान अजमेर में हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

1967. **श्री प्रकाश वी० पाटिल**
श्री गुरुदास कामत
श्री मृत्युन्जय नायक } : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र बनाने के लिए इसका आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसाधित खाद्यों का निर्यात लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय ने वर्ष 1990-91 से कार्यान्वयन के लिए विकासात्मक योजना स्कीमें तैयार की थीं। इन स्कीमों में राज्य सरकारों, निगमों/सहकारिता उपक्रमों को नए एकीकृत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता, विद्यमान यूनिटों के आधुनिकीकरण, विविधीकरण एवं विस्तार आदि के लिए सहायता, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन की स्कीमें, खाद्यान्न मिलिंग सेक्टर के आधुनिकीकरण की स्कीमें आदि शामिल हैं। इन स्कीमों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) यह मन्त्रालय कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं करता। परन्तु कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने चालू वर्ष के दौरान प्रसंस्कृत फल और खाद्य पदार्थों के लिए 107 करोड़ रु०, पशुओं से प्राप्त उत्पादों के लिए 196 करोड़ रु० और दूसरे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए 168 करोड़ रु० के निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए है। "अपेडा" द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा है।

कर्नाटक में सरपड़ी बैराज जल-विद्युत परियोजना

1968. **श्री आसकार फेरनाण्डेस** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक से ओ० ई० सी० एफ०, जापान की सहायता से सरपड़ी बैराज जल-विद्युत परियोजना स्वीकृति के लिए प्रस्ताव हुए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सरपाड़ी बैराज जल विद्युत परियोजना (3×30 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी बशर्ते परियोजना के विद्युत उत्पादन एवं पारेषण दोनों घटकों के लिए पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति तथा पारेषण घटक के लिए वन संबंधी दृष्टि से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। पर्यावरण की दृष्टि से परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात् योजना आयोग द्वारा निवेश संबंधी अनुमोदन हेतु परियोजना की सिफारिश की जाएगी। यद्यपि ओ० ई० सी० एफ० सहायता हेतु आर्थिक कार्य विभाग से सिफारिश की गई थी तथापि संभावित ओ० ई० सी० एफ० सहायता 1992 पैकेज में उक्त विभाग द्वारा तैयार की गई सूची में इसे शामिल नहीं किया गया है।

कालीकट और शारजाह के मध्य एयरबस ए-320 सेवा

1969. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक द्वारा कालीकट और शारजाह के मध्य इण्डियन एयरलाइन्स की एयरबस ए-320 चलाने हेतु कतिपय प्रतिबन्ध/मार्ग निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबन्ध/मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ए-320 के चालकों ने इन मार्गनिर्देशों पर आपत्ति उठाई है क्योंकि वे पहले ही कालीकट और बंबई के मध्य एयरबस ए-320 उड़ानें संचालित कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त "चैक मामलेट" अर्हताओं वाले विमानचालकों की आवश्यकता, अधिकतम स्वीकार्य उड़ान भार के परिकलन, आर्द्र धावनपथ पर अवतरण दूरी के परिकलन आदि से सम्बन्धित हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर में टेलीफोन कनेक्शन

1970. श्री सी० पी० मुदाल्गिरियप्पा
श्री के० एच० मुनियप्पा
श्री वी० कृष्ण राव
] क्या संचार मंत्री टेलीफोन के बारे में 25 नवंबर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 600 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को बचे हुए टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (पी० वी० रंगय्या नायडू : (क) तथा (ख) 15 में से तेरह मामलों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिये गये थे। जहां तक शेष दो मामलों का सम्बन्ध है, एक मामले में कार्य आदेश रद्द कर दिया गया क्योंकि दिये गये पते पर पार्टी उपलब्ध नहीं थी। अन्य मामले में इस महीने के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिये जाने की सम्भावना है।

तूतीकोरिन हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को पूरा किया जाना

1971. श्री कादम्बूर एम० आर० अनार्धनन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन हवाई-अड्डे का निर्माण कार्य अब तक पूरा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) क्या उक्त निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा नियत निर्धारित की गई थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 30 सितम्बर, 1991

(घ) निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ।

हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क मुक्त दुकानों का निजीकरण करना

[हिन्दी]

1972. श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम"
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
श्री फूलचन्द वर्मा
} क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क मुक्त दुकानों का निजीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई एक विरोध पत्र के रूप में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ।

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

सोवियत सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं

[अनुवाद]

1973. श्री हरि किशोर सिंह
श्री रामविलास पासवान
श्री मुमताज अन्सारी
] क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सोवियत संघ सहायता प्राप्त उन विद्युत परियोजनाओं का क्या नाम है और प्रत्येक परियोजना के लिए सोवियत संघ द्वारा कितनी वित्तीय सहायता का वायदा किया गया है, राज्यवार ब्यौरा दें ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : पूर्व सोवियत संघ द्वारा जिन विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की वित्तीय वचनबद्धता दी गयी थी उन विद्युत परियोजनाओं (राज्यवार) के नाम निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	ऋण की राशि (मिलियन रूबल)
1.	विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-1 (मध्य प्रदेश)	1260	303·7
2.	विन्ध्याचल चरण-1 पारेषण लाइन	—	56·6
3.	कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (बिहार)	840	219·2
4.	टिहरी जल विद्युत कम्प्लेक्स (उत्तर प्रदेश)		1000 0
	(क) टिहरी चरण-1	1000	
	(ख) कोटेश्वर	400	
	(ग) टिहरी चरण-2	1(00	
	(घ) सम्बद्ध पारेषण	1000	
5.	विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-2 (मध्य प्रदेश)	1000	400·0
6.	विन्ध्याचल चरण-2 पारेषण लाइन	—	220·0
7.	मैथान ताप विद्युत परियोजना (बिहार)	840	770·0
8.	कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना चरण-1 (केरल)	4/0	
9.	मैंकतोर ताप विद्युत परियोजना चरण-1 (कर्नाटक)	420	

सोलापुर महाराष्ट्र में आकाशवाणी रिले केन्द्र का विस्तार

1974. श्री धर्मन्ना मॉडम्बा जाधव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण समय में वृद्धि करने महाराष्ट्र में सोलापुर में तथा इसके आसपास आकाशवाणी रिले स्टेशन के विस्तार पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे कार्यक्रम कब तक प्रसारित किये जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी विरिचा व्यास) : (क) और (ख) जी नहीं। आकाशवाणी सोलापुर एक स्थानीय रेडियो स्टेशन है और यह क्षेत्र विशेष की जनसंख्या

की सेवा के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के रूप में निर्दिष्ट है जो स्थानीय समस्याओं पर केन्द्रित रहता है और स्थानीय प्रतिभाओं के लिए अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है।

(ग) आकाशवाणी पुणे, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम भी रिले करता है, के प्रसारण शोलापुर क्षेत्र में पहले से ही प्राप्त हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के दूरसंचार विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

[हिंदी]

1975. श्री राम बदन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के दूरसंचार विभाग में विभिन्न सेवा वर्गों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है, वर्ष 1992 के अन्त तक के लिए मंजूरशुदा पदों की तुलना में उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर जिला प्रबन्धक, दूरसंचार और डी० ई० टी० के कार्यालय स्थान स्थित हैं, उनकी संख्या कितनी है और निकट भविष्य में ऐसे कितने कार्यालय खोले जाने हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां प्रशिक्षण केन्द्र भण्डार डिपो और कार्यशालाएं कार्यरत हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1992 के अन्त तक की स्थिति बताना अभी बहुत जल्दी होगी। तथापि, 31-3-91 की स्थिति इस प्रकार है :

		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह -"क"	114	20	1
समूह "ख"	569	105	7
समूह "ग"	17902	3106	270
समूह "घ"	6364	1604	87

(ख) जिला प्रबन्धक टेलीफोन तथा डी० ई० टी० के कार्यालय जहां पर स्थित हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :

जिला प्रबन्धक दूरसंचार के नियन्त्रणाधीन (4)
आगरा
इलाहाबाद
मेरठ
वाराणसी

(2) डी० ई० टी० के निर्यंत्रणाधीन (21)

अलीगढ़, आजमगढ़, अलमोड़ा, बरेली, बलिया, देहरादून, इटावा, फैजाबाद, गोरखपुर, गोंडा, झांसी, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फनगर, नैनीताल, रायपुर, सहारनपुर, सीतापुर, सुलतान-पुर, श्रीनर, (गढ़वाल)।

जिला प्रबन्धक टेलीफोन अथवा डी० ई० टी० का कोई नया कार्यालय निकट भविष्य में (31-3-92) को खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रशिक्षण केन्द्र

आर०-टी०-टी० सी०, लखनऊ
सी० टी० टी० सी०, लखनऊ
डी० टी० टी० सी०, कानपुर

स्टोर डिपो

केन्द्रीय दूरसंचार स्टोर डिपो, लखनऊ

कार्यशाला—शून्य

हरियाणा में हिसार या जींद में हवाई अड्डे की स्थापना

[अनुवाद]

1976. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या नागर और विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिसार या जींद जिले में एक हवाई अड्डे की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिसार में एक विमान क्षेत्र पहले ही विद्यमान है, जो हरियाणा सरकार का है।

दिल्ली में तकनीशियनों के वेतनमानों में वृद्धि

1977. **श्री सी० धनंजय कुमार**
गुलाम नबी लोहरा } क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनिष्ठ अभियन्ताओं के वेतनमानों की भांति, दिल्ली संचार विभाग में कार्यरत तकनीशियनों के वेतनमानों में भी। अक्तूबर, 1986 से वृद्धि की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) कब तक इनके वेतनमानों में वृद्धि करने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं ।

(ख) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने तकनीशियनों के लिए केवल एक वेतनमान दिए जाने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था और 1-1-1986 से इसे लागू कर दिया गया ।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

देश में विद्युत की आवश्यकता

1978. श्री के० पी० सिंह देव : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत की अनुमानित आवश्यकता कितनी है और चालू वर्ष में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य देश की आवश्यकता को पूरा कर पाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) उड़ीसा में बिजली की कितनी आवश्यकता है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की वर्ष 1991-92 से सम्बन्धित लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट में लगाए गए अनुमानानुसार देश में ऊर्जा की कुल निवल आवश्यकता 286000 मि० यू० थी और निवल ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 261668 मि० यू० (283450 मि० यू० सकल) रखा गया था । ऊर्जा की मांग एवं ऊर्जा उत्पादन के बीच अन्तर के फलस्वरूप देश में 8.5% ऊर्जा की कमी होने का अनुमान था । वर्ष 1991-92 के दौरान उड़ीसा में ऊर्जा की मांग 9040 मि० यू० होने का अनुमान है ।

कावेरी बेसिन प्राधिकरण

1979. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री विश्वनाथ शास्त्री

] क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल विवाद का स्थायी समाधान पाने के लिए दामोदर घाटी प्राधिकरण के समान कावेरी बेसिन प्राधिकरण गठित करने के लिए कोई मांग की गई है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी यात्रियों का अजन्ता और एलोरा गुफाओं का भ्रमण

1980. श्री बापूहरि चौरे
श्री अंकुशराव रावसाहिब तोपे
श्री मणिकराव होडल्या गावीत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले 13 स्थानों में अजन्ता और एलोरा की गुफाएं भी शामिल हैं;

(ख) क्या उचित सुविधाओं और ठीक प्रचार की कमी के कारण अजन्ता और एलोरा की गुफाओं में केवल 50,000 से 60,000 हजार तक ही विदेशी पर्यटक प्रति वर्ष आते हैं, जब कि राजस्थान, दिल्ली और ताजमहल को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या लाखों में है;

(ग) क्या औरंगाबाद में आधुनिक हवाई अड्डे की सुविधा तथा अजन्ता और एलोरा गुफाओं पर अन्य आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी-आपूर्ति, सूचना केन्द्र, दृश्य-श्रव्य-यन्त्र, लग्जरी कोच तथा टैक्सी आदि सुविधाओं की कमी है;

(घ) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने अजन्ता-एलोरा की गुफाओं को संरक्षित करने और उनके आस-पास के क्षेत्र का विकास करने के लिए किसी योजना का प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां

(ख) से (च) अजन्ता और एलोरा के संरक्षण और विकास के लिए भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग कोष द्वारा 9 जनवरी, 1992 को एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की कुल लागत 4,406 मिलियन जापानी येन है जिसमें से 3,745 मिलियन जापानी येन आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं के संवर्धन तथा अजन्ता और एलोरा के परिरक्षण और संरक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। परियोजना में औरंगाबाद के हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण शामिल है। पर्यटन विभाग ने अजन्ता और एलोरा पर एक ब्रोशर प्रकाशित किया है जिसका भारत और विदेश दोनों में व्यापक प्रचार किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार अपना प्रचार और विपणन सहायता को सुदृढ़ करेगा।

दूरदर्शन से अग्रिम धनराशि प्राप्त करने वाले गैर सरकारी निर्माता

1981. श्रीमती महेन्द्र कुमारी
श्री भगवान शंकर रावत
श्री दत्ताभ्रेय बडाक
प्रो. (श्रीमती) रीता वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्रीर्यस्व उन दस गैर-सरकारी निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने दूरदर्शन कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए दूरदर्शन से अग्रिम धनराशि प्राप्त की है;

(ख) क्या उन्होंने दूरदर्शन को अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिए हैं,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन निर्माताओं द्वारा अपने कार्यक्रम कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सर्वश्री भीम सैन, आई० पी० बाजपेयी, प्रवीण निश्चल, सुश्री उषा बलराम, सर्वश्री गोविन्द निहलानी, मणि कौल, बासु चटर्जी, ललित बहल, आर० रंजन, कैलाश तुली ।

(ख) से (घ) अब तक केवल सुश्री उषा बलराम ने पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है । शेष कार्यक्रमों का निर्माण विभिन्न चरणों में है और ये पूरा होने के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे ।

उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ट्यूबवैल लगाना

[हिन्दी]

1982. श्री रामपूजन पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में विशेषकर फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विश्व बैंक की सहायता से ट्यूबवैल लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) तीसरी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नलकूल परियोजना नामक प्रस्ताव में इलाहाबाद सहित उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 1000 नए नलकूप लगाने, समर्पित विद्युत लाइनों से 1500 पुराने नलकूपों को जोड़ने तथा 500 पुराने नलकूपों का आधुनिकीकरण करने की परिकल्पना की गई है । इलाहाबाद में नलकूपों की संगत संख्या, जिसमें फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल है, क्रमश: 100, 100 और 50 है ।

(ग) विश्व बैंक से परियोजना पर प्रारंभिक टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है । इस परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुन: प्रतिपादित करने की आवश्यकता है ।

मऊ, उत्तर प्रदेश में उच्च क्षमता वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर

[अनुवाद]

1983. श्री शंकरसिंह वाघेला
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मऊ, उत्तर प्रदेश में उच्च क्षमता वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या यह क्षेत्र अभी तक वाराणसी और गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्रों के अन्तर्गत आता है;

(ग) यदि हां, तो उच्च क्षमता वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) मऊ- उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) मऊ में प्रस्तावित उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर से कवर होने वाला क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार वाराणसी और गोरखपुर टी० वी० ट्रांसमीटरों से कवर नहीं होता। परन्तु, मऊ में प्रस्तावित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर द्वारा कवर होने वाले क्षेत्र के कुछ भागों में वाराणसी और गोरखपुर के मौजूदा टी० वी० ट्रांसमीटरों के किनारे के कमजोर सिगनल प्राप्त हो रहे हैं।

(ग) मऊ में उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना की परियोजना की अनुमोदित पूंजीगत लागत 870.71 लाख रुपये बैठती है।

(घ) मऊ में उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना की योजना घनी आबादी वाले क्षेत्रों को टी० वी० कवरेज प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसमें आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर के वे हिस्से आते हैं जो प्रस्तावित ट्रांसमीटर से लगभग 45 कि० मी० के क्षेत्र में आते हैं।

इस प्रस्तावित ट्रांसमीटर द्वारा कवर होने वाला क्षेत्र देश के अत्यधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है जिसका जनसंख्या घनत्व 1981 की जनगणना के अनुसार, लगभग 600 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० है। ट्रांसमीटर से लगभग 32.97 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी जिसमें अधिकांश लोग ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र के हैं।

लघु इस्पात संयन्त्रों में कच्चे माल की कमी

1984. **श्री अनबाराजु इरा** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह स्क्रैप के आयात पर प्रतिबन्ध है,

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस प्रतिबन्ध के कारण लघु इस्पात संयन्त्रों को कच्ची सामग्री की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है,

(ग) यदि हां, तो लघु इस्पात संयन्त्रों को बन्द होने से रोकने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं, और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये है तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के पास निर्बाध विदेशी मुद्रा की कमी और प्रयोक्ताओं द्वारा सीधे आयातित इस्पात प्रगलन स्क्रैप की उच्च लागत से स्क्रैप के आयात में कमी हुई है जिससे लघु इस्पात संयन्त्रों का उत्पादन प्रभावित हुआ है।

(ग) सरकार ने कार्बन इस्पात प्रगलन स्क्रैप से सीमा शुल्क 35% से घटाकर 10% कर दिया है जिससे लघु इस्पात संयन्त्रों को स्क्रैप का आयात करने में सुविधा होगी। लघु इस्पात संयन्त्रों के लिए कच्चे माल की स्वदेशी उपलब्धता में सुधार करने के लिए देश में स्पंज लोहे के उत्पादन में वृद्धि करने पर भी अधिक बल दिया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

फालतू पुर्जे उपलब्ध न होने के कारण असम में विद्युत की बिगड़ती स्थिति

1985. **श्री प्रदीप डेका** : क्या विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में फालतू-पुर्जे उपलब्ध न होने के कारण बिजली की स्थिति बिगड़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो असम में बिजली की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) तथा (ख) असम राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार, फुटकर पुर्जे उपलब्ध न होने तथा बोंगईगांव ताप विद्युत केन्द्र की ट्यूब में रिसाव होने के फलस्वरूप उसके बन्द रहने के कारण असम में .4.2.1992 तक की अवधि के दौरान आंशिक रूप से बिजली की स्थिति असन्तोषजनक रही थी। बन्द पड़ी यूनिट को पुन चालू किए जाने के पश्चात् अब स्थिति में सुधार हो गया है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

[हिन्दी]

1986. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेषत अलीगढ़ में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार हेतु कोई योजना बनाई गई है, और

(ख) यदि हां तो राज्य के उन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं जिनका आधुनिकीकरण और विस्तार करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 31.12.91 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 1262 टेलीफोन एक्सचेंज थे। इनकी किस्म इस प्रकार है :—

1. मैनुअल	—	22
2. इलेक्ट्रो-मकेनिकल	—	750
3. इलेक्ट्रानिक	—	490

निम्नलिखित ढंग से टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है।

(1) 31.3.94 तक सभी 22 मैनुअल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने का प्रस्ताव है। इन एक्सचेंजों की सूची संलग्न विवरण में है।

(2) सभी इलेक्ट्रो-मकेनिकल एक्सचेंजों को उनका कार्यकाल समाप्त होने पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जाएगा बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

जैसे-जैसे मांग बढ़ेगी इन सभी एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

विवरण

उत्तर प्रदेश सर्किल में मैनुअल एक्सचेंजों की सूची

क्रम सं०	स्थान का नाम	जिला
1.	खलीलाबाद	बस्ती
2.	रामपुर	बिजनौर
3.	नाजियाबाद	बिजनौर
4.	सियोहरा	बिजनौर
5.	बुलावटी	बुलन्दशहर
6.	ऋषिकेश	देहरादून
7.	कैमगंज	फर्रुखाबाद
8.	चौरी चौरा	गोरखपुर
9.	शाहगंज	जौनपुर
10.	झांसी	झांसी
11.	सिरसागंज	फिरोजाबाद
12.	अमरोहा	मुरादाबाद
13.	चन्दौसी	मुरादाबाद
14.	गजरौला	मुरादाबाद
15.	सम्भल	मुरादाबाद
16.	शामली	मुजफ्फरनगर
17.	हलद्वानी	नैनीताल
18.	काठगोदाम	नैनीताल
19.	कोटद्वार	पौड़ीगढ़वाल
20.	बिलासपुर	रामपुर
21.	टिहरी	टिहरीगढ़वाल
22.	खेकड़ा	मेरठ

पश्चिम बंगाल में पर्यटन का विकास

[अनुवाद]

1987. **श्री हन्नान मोहल्लाह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार के पास अनेक प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें स्वीकृति देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क),(ख) और(ग) जी, हां। जो प्रस्ताव केंद्रीय वित्तीय सहायता हेतु विचाराधीन पड़े हैं उनमें शामिल हैं : चालसा और बांकुरा में एक-एक पर्यटक परिसर का निर्माण, बर्दवानऔर मदारीहाट में मार्गस्थ सुविधाएं और शंकरपुर में समुद्रतट विहार स्थल। राज्य सरकार से प्राप्त ये परियोजना प्रस्ताव अधूरे थे इसलिए आवश्यक विवरणों/स्पष्टीकरण हेतु वापिस भेज दिए गए थे।

उपर्युक्त में से केवल चालसा में पर्यटक आवास के निर्माण हेतु प्रस्ताव 3 मार्च, 1992 को वापस मिला है जिस पर विचार किया जा रहा है।

देश में सी-डॉट संयंत्रों के संबंध में राष्ट्रीय नीति

[हिन्दी]

1988. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस राष्ट्रीय नीति का ब्यौरा क्या है जिसके अन्तर्गत देश में सी-डॉट संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं,

(ख) देश में ऐसे कितने पुराने टेलीफोन एक्सचेंज हैं जहां अब तक ये संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं और उन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं जहां इन संयंत्रों को स्थापित करने का विचार है,

(ग) देश में 1972 से 1975 तक स्थापित हुए ऐसे कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं जिनका अभी तक आधुनिकीकरण नहीं किया गया है; और

(घ) मुंगेर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के आधुनिकीकरण में विलंब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) तक : आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपिलवस्तु (उत्तर प्रदेश) का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

1989. **श्री रामपाल सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बुद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थान कपिलवस्तु को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना है;

(ख) तो इसके विकास के लिए कोई सहायता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जी, हां : उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में पर्यटन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए, जापान सरकार की सहायता से एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के विभिन्न घटकों के अलावा, इसमें पिपुरहवा (कपिलवस्तु) को इस क्षेत्र के अन्य बौद्ध केन्द्रों से जोड़ने वाली सड़कों का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण और दूरसंचार सुविधाओं का सुधार शामिल है। इसके अलावा, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 13.01 लाख रुपए की लागत से कपिलवस्तु (पिपरहवा) के लिए मार्गस्थ सुख-सुविधाएं स्वीकृत की हैं।

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में खनिज प्राप्यता

[अनुवाद]

1990. **डा० विश्वनाथम कैनिची** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में खनिज व धातुओं की प्राप्यता के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हैं; और

(घ) यदि कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है तो सरकार का कब तक ऐसा सर्वेक्षण कराने का विचार है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) द्वारा किए गए सर्वेक्षण से वारीसम, नेलीवाडा और कोस्टा क्षेत्र के पास कले; मदिरायुदुपेटा, काडकेला, गोटा, तुगा टेम्पोरा, पोन्नुरू क्षेत्रों में ग्रेनाइट, नाइस और चारनोकाइट आदि जैसे भवन निर्माण पत्थर, तथा कोटाबोवली, जिया-नापेट, विजयरामपुरम और दुत्तीगम के पास ककंड़ चूनापत्थर के निक्षेपों का पता चला है। इस जिले में सिलिमेनाइट; मैग्नीज के लघु निक्षेपों का भी पता चला है। इस जिले में सिलिमेनाइट; मैग्नीज के लघ् निक्षेपों का भी पता चला है। मेघवरम से मिले बीच सैंड में इलमेनाइट और मोनाजाइट जैसे भारी खनिजों की पर्याप्त मात्रा होने का पता चला है।

(ग) नेलीवाडा के पास के क्वे के निक्षेप में लगभग 4.5 मिलियन टन मण्डार होने का अनुमान है। भवन निर्माण पत्थर के अलावा अन्य खनिज निक्षेप अधिक आर्थिक महत्व के नहीं हैं।

(घ) फील्ड सत्र, 1991-92 के दौरान इस जिले में खनिज सर्वेक्षण करने का कोई विचार नहीं है।

विमान सेवाओं को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव

1991. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एयर लाइन्स के पुनर्गठन के लिए समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रभारों का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वायु निगमों के पुनर्गठन सम्बन्धी निर्णय के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और विस्तृत कार्यविधियां तैयार करने के लिये सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति पहले ही स्थापित कर दी गई है।

राजस्थान की सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

1992. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राजस्थान के सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन में देरी होने के क्या कारण हैं;

(ग) ये केन्द्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे; और

(घ) इन केन्द्रों के निर्माण और प्रचालन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) यद्यपि भरतपुर जिले में अतिरिक्त टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है, फिर भी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर में एक अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने की योजना है।

(ख) और (ग) मौजूदा संकेतों के अनुसार, गंगापुर में लगाये जा रहे अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर के 1992 के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है।

(घ) गंगापुर में अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना से सम्बन्धित परियोजना पर 101.34 लाख रुपये पूंजीगत व्यय का और 12.85 लाख रुपए के गैर-आवर्ती राजस्व व्यय का अनुमान है।

चटगांव और काबुल में इण्डियन एयरलाइंस के कर्मचारी

[अनुवाद]

1993. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक साल से ज्यादा समय से चटगांव (बंगला देश) में इण्डियन एयरलाइंस की सेवा नहीं थी, लेकिन इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारी इस दौरान वहां तैनात रहे और विदेश भत्ते का लाभ प्राप्त करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या काबुल के लिए विमान सेवा का परिचालन एरोफ्लोट कर रही है लेकिन इण्डियन एयरलाइन्स ने पर्याप्त संख्या में अपने कर्मचारियों को काबुल में नियुक्त किया हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) चटगांव के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाएं जनवरी से नवम्बर,1991 तक 11 महीने की अवधि के लिए बन्द रहीं। चूंकि चटगांव कार्यालय में बिक्री जारी रही, इसलिए इण्डियन एयरलाइंस को इस कार्य के लिए वहां एक अधिकारी की तैनाती करनी पड़ी।

(ग) और (घ) एयरफ्लोट भारत से काबुल के लिए परिचालन नहीं करता। तथापि, इण्डियन एयरलाइंस दिल्ली और काबुल के बीच सप्ताह में दो सेवाओं (एक यात्री उड़ान और दूसरी मालवाही उड़ान) का परिचालन कर रही है। चूंकि काबुल स्टेशन पर कार्यकलापों में कोई कमी नहीं आई है, इसलिये इण्डियन एयरलाइंस ने काबुल में पूरी संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ है।

बिहार में डाक घरों की स्थापना में असमानता

[हिन्दी]

1994. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) किसी डाकघर की स्थापना के लिए निर्धारित मापदण्ड क्या है;

(ख) क्या बिहार में स्थापित डाकघरों की संख्या देश के अन्य कई राज्यों में स्थापित डाकघरों की संख्या की तुलना में बहुत कम; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) डाकघर खोलने के लिए मापदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं। बिहार में डाकघरों की संख्या देश के 20 अन्य राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। वास्तव में, बिहार में डाकघरों की संख्या 4 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से ही कम है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मापदंड/मानदंड ।

(1-4-1991 से प्रभावी)

शाखा डाकघर खोलने के लिए 1-4-91 से लागू हुए निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए हैं ।

(I) **जनसंख्या :**

(क) **ग्रामीण क्षेत्रों में :**

गांवों के एक ग्रुप की जनसंख्या 3000 (जिस गांव में डाकघर खोलने का प्रस्ताव हो उसकी जनसंख्या सहित) ।

(ख) **पहाड़ी जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम इलाकों में :**

किसी एक गांव की आबादी 500 या गांवों के किसी एक ग्रुप की जनसंख्या 1000 ।

(II) **दूरी :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

मौजूदा नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि०मी० होगी ।

(ख) **पहाड़ी जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :**

पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर दूरी की सीमा नहीं होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है । विशेष परिस्थितियों के कारण जिन मामलों में दूरी की शर्त में छूट होगी, उन मामलों में निदेशालय द्वारा छूट दी जा सकती है । प्रस्ताव भेजते समय विशेष परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ।

(III) **अनुमानित आय :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत होगी ।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :**

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होगी ।

विभागीय उप डाकघर (योजना)

नवंबर। 1987 से प्लान स्कीम के अंतर्गत विभागीय उप डाकघर भी मंजूर किए जाते हैं बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :—

(i) इस स्कीम के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्रों, नए औद्योगिक क्षेत्रों/नगर-क्षेत्रों/शहरों की सीमाओं पर बसी बस्तियों/शहरी घनी बस्तियों तथा राज्य और के-द्रीय सरकार के विभागों और एजेंसियों के योजना कार्यकलापों के अनुसरण में नए क्षेत्रों के रूप में बसी ऐसी ही अन्य बस्तियों में

विभागीय उप डाकघर खोलना शामिल है। दूसरे शब्दों में पोस्टल सेक्टर प्लान की अवधारणा को उस हद तक बढ़ाया जाना है जिससे समूची राष्ट्रीय योजना के लिए अपेक्षित डाक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

(ii) प्रस्तावित उप डाकघर का न्यूनतम अनुमानित कार्यभार 5 घण्टे प्रतिदिन होना चाहिए।

(iii) हालांकि विभागीय उप डाकघरों से यह अपेक्षा होती है कि वे वित्तीय दृष्टि से आत्म-निर्भर हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में प्रतिवर्ष 2400 रु० तक के घाटे की अनुमति दी जाती है (पहाड़ी पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में 4000 रु०)।

विभागीय उप डाकघर (गैर-योजना)

शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं :—

(i) प्रारम्भ में डाकघर आत्मनिर्भर होना चाहिए परन्तु प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इससे 5 प्रतिशत आय होनी चाहिए ताकि यह आगे बनाए जाने के पात्र हो सके।

(ii) 20 लाख और इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में एक डाकघर से दूसरे डाकघर के बीच की न्यूनतम दूरी अब बढ़ाकर 1.5 कि०मी० और अन्य शहरी क्षेत्रों में के मामले में 2 कि०मी० कर दी गई है।

(iii) शहरी क्षेत्रों में भविष्य में कोई अतिरिक्त विभागीय डाकघर नहीं खोला जाएगा।

जयपुर में नए टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

1995. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में मांग के अनुरूप पर्याप्त संख्या में नए टेलीफोन कनेक्शन आवंटित किए जाने के कारण विकास कार्य तथा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है,

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार टेलीफोन नेटवर्क की क्षमता बढ़ा कर कितने नए टेलीफोन कनेक्शन जारी करने का है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कब तक किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) विश्वसनीय टेलीफोन सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, पिछले कुछ वर्षों से जयपुर टेलीफोन प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं विस्तार कार्य तीव्रता से चल रहा है। आठवीं योजना अवधि (1992-97) में जयपुर सहित बड़ी प्रणालियों में सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूची को दो वर्ष तक सीमित करने और ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

चित्तूर में कम शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना

1996. **श्री महासमुद्रम गजेन्द्र रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चित्तूर आंध्र प्रदेश में कम शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापना सम्बन्धी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी पिरिया व्यास) : (क) चित्तूर जिले सहित आंध्र प्रदेश के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) चित्तूर जिले के जिला मुख्यालय नगर में एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले ही कार्यरत है, जो अपने कवरेज क्षेत्र में संतोषजनक दूरदर्शन सेवा प्रदान कर रहा है। तथापि, चित्तूर जिले के भाग बीच की दूरी के कारण इस ट्रांसमीटर से दूरदर्शन सेवा प्राप्त नहीं कर पाते। तिरूपति के उच्च शक्ति (10 कि०वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर और चित्तूर जिले में विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयनाधीन कुपम्म और मदनापल्ली के एक-एक अर्थात कुल 2 अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने से इस जिले में दूरदर्शन सेवा में काफी सुधार होने की आशा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1997. **श्री प्रतापराव वी० भोसले**
श्री गंगाधर तालीपल्ली
श्री वी० वेंकटस्वामी] : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक स्थापित किये गये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) इन उद्योगों में संसाधित की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ससाधित खाद्य का निर्यात किया जाता है अथवा यह स्वयं देश में उपयोग के लिए है;

(घ) क्या इन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से किसानों की आय पर कोई लाभदायक प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1992 के दौरान प्रत्येक राज्य में स्थापित किये जाने वाले ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) यद्यपि सभी खाद्य प्रसस्करण उद्योगों की संख्या और उनके द्वारा उत्पादन/प्रसंस्करण की जाने वाली सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में इस मन्त्रालय द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है फिर भी चावल मिलों, रोलर आटा मिलों, फल उत्पाद आदेश के अधीन पंजीकृत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों और मृदु वातित जल तैयार करने वाले यूनिटों और मछली प्रसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या के बारे में सूचना विवरण (एक से तीन) में दी गई है।

(ग) प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात भी किया जाता है और देश के अन्दर उपभोग भी किया जाता है।

(घ) जी हां।

(ङ) यद्यपि यह मन्त्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता परन्तु ऐसे यूनिटों की स्थापना के लिये राज्य सरकारों/संगठनों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान करने हेतु अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें तैयार की गई हैं।

विवरण—एक

(1) 31-1-92 को फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों तथा मृदुवातित पेय यूनिटों की संख्या

क्र० सं०	राज्य का नाम	फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट	मृदुवातित पेय यूनिट
1.	आन्ध्र प्रदेश	201	64
2.	असम	19	2
3.	बिहार	43	10
4.	गुजरात	171	52
5.	हरियाणा	115	17
6.	हिमाचल प्रदेश	70	1
7.	जम्मू व कश्मीर	68	6
8.	कर्नाटक	176	38
9.	केरल	259	24
10.	मध्य प्रदेश	82	27
11.	महाराष्ट्र	506	85
12.	मणिपुर	11	1
13.	मेघालय	7	1
14.	नागालैंड	4	
15.	उड़ीसा	17	4
16.	पंजाब	158	9
17.	राजस्थान	78	24
18.	सिक्किम	2	
19.	तमिलनाडु	314	35
20.	त्रिपुरा	3	
21.	उत्तर प्रदेश	379	39
22.	पश्चिम बंगाल	214	29
23.	अंडमान निकोबार	1	
24.	अरूणाचल प्रदेश	2	
25.	चण्डीगढ़	24	7
26.	दादर नगर हवेली	5	2
27.	दिल्ली	751	18
28.	गोवा	131	86
29.	मिजोरम	2	
30.	पांडिचेरी	9	2
	योग :	3222	577

विवरण—दो

(2) 31-1-90 को मछली प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या

राज्य का नाम	यूनिटों की संख्या
केरल	98
कर्नाटक	19
लक्षद्वीप	1
तमिलनाडु	28
महाराष्ट्र	38
गुजरात	29
गोवा	6
आन्ध्र प्रदेश	23
पश्चिम बंगाल	30
उड़ीसा	12

इनके अलावा 130 बर्फ बनाने वाले यूनिट और 313 शीत भण्डार भी हैं।

विवरण—तीन

(3) 1-1-1992 को चावल मिलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	हलसं	शेलसं	हलसं-सह-शेलसं	आधुनिक/आधुनिकीकृत चावल मिलें	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	4609	1776	2364	12995	21744
2.	असम	305	14	1871	418	2608
3.	बिहार	4749	63	9	51	4872
4.	गुजरात	1890	159	67	1045	3161
5.	हरियाणा	807	—	—	990	1797
6.	हिमाचल प्रदेश	890	1	2	222	1115
7.	जम्मू कश्मीर	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	9131	462	1103	3674	14370
9.	केरल	13413	2	13	2668	16096
10.	मणिपुर	71	—	97	1	169
11.	महाराष्ट्र	6191	99	472	2515	9277
12.	मध्य प्रदेश	3114	239	227	94	3674

1	2	3	4	5	6	7
13.	मेघालय	85	—	8	—	95
14.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	6398	125	289	552	7364
16.	पंजाब	4416	442	—	1965	6823
17.	राजस्थान	152	2	6	193	353
18.	सिक्किम	17	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	13292	144	1530	3262	18228
20.	त्रिपुरा	689	5	8	1	703
21.	उत्तर प्रदेश	5707	562	150	1215	7634
22.	पश्चिम बंगाल	9404	2	71	980	10457
23.	चण्डीगढ़	4	—	—	27	31
24.	दिल्ली	3	—	—	31	34
25.	पांण्डिचेरी	179	—	85	33	220
26.	अंडमान निकोबार	116	—	—	—	116
27.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
28.	दादरा नगर हवेली	8	1	—	—	9
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
30.	गोवा	675	—	5	37	717
31.	मिजोरम	—	—	—	—	—
		86315	4098	8300	32969	131682

विवरण—चार

(4) 1-1-1992 को रोलर आटा मिलों की कुल संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	आटा मिलों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	56
2.	असम	41
3.	बिहार	44
4.	चण्डीगढ़	2
5.	दिल्ली	17
6.	गुजरात	27
7.	हरियाणा	16
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू और कश्मीर	18

1	2	3
10.	कर्नाटक	54
11.	केरल	27
12.	मध्य प्रदेश	25
13.	महाराष्ट्र	45
14.	मणिपुर	1
15.	उड़ीसा	21
16.	पंजाब	16
17.	पाण्डिचेरी	2
18.	राजस्थान	5
19.	तमिलनाडु	53
20.	उत्तर प्रदेश	70
21.	पश्चिम बंगाल	27
22.	सिक्किम	1
23.	गोवा	1
24.	त्रिपुरा	2
	योग :	593

बंगलौर में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

1998. श्री जी० माडे गौड़ा
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
श्री अवध कुमार पटेल
श्री बाबू हरि चौरे
श्री परसराम भारद्वाज
श्री रामचन्द्र वीरप्पा
: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 में भारत में बंगलौर में आयोजित 23 वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कितनी और किस प्रकार की फिल्में दिखाई गयीं;

(ख) इन फिल्मों के चयन में अपनायी गयी प्रक्रिया क्या है;

(ग) समारोह में फिल्मों के प्रदर्शन अथवा बिक्री से हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समारोह पर कितनी राशि व्यय की गयी;

(ङ) क्या सरकार का पुरस्कार विजेता सभी फिल्मों को दूरदर्शन पर प्रदर्शन के लिए खरीदने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) समारोह के विभिन्न खण्डों में 99 भारतीय और 113 विदेशी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इन फिल्मों की किस्म विवरण-1 में दी गई है।

(ख) फिल्मों के चयन के मानदंड विवरण-2 में दिये गये हैं।

(ग) समारोह में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन से लगभग 12 लाख रुपयों का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है।

(घ) समारोह के संबंध में विभिन्न व्यवस्थाएं करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने 90 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है। कर्नाटक सरकार ने समारोह की व्यवस्था के लिए कुछ आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने पर 80,79000 रुपये खर्च किए हैं और समारोह के अवसर पर नियमित उपयोग करने के लिए परिसंपत्ति/खरीदने पर उन्होंने 13-63 लाख रुपये व्यय किये हैं।

(ङ) और (च) चूंकि यह एक गैर-प्रतियोगी समारोह था इसलिए इस समारोह में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। तथापि, दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारण के लिए समारोह के दौरान स्क्रीन की गयी किसी विदेशी फिल्म की खरीद का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण-एक

फिल्मों के प्रकार

(क) विदेशी खंड

भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1992 में भारत सहित 40 देशों ने भाग लिया। इस समारोह में भाग लेने वाले देशों की संख्या वर्ष 1991 के मद्रास में आयोजित समारोह की तुलना में दो अधिक थी। समारोह में विभिन्न खण्डों में कुल 212 फिल्में दिखाई गई जिनमें से 113 फिल्में अन्य देशों की थी। ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) **विश्व सिनेमा**—इस खण्ड में जो फिल्में दिखाई गई उनमें से अधिकांश फिल्में गत दो वर्षों में बनाई गई थी। दिखाई गई अधिकांश फिल्में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में पहले दिखाई जा चुकी थी और इन फिल्मों को बड़े फिल्म समारोहों में पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके थे तथा/अथवा उनकी आलोचकों द्वारा प्रशंसा की जा चुकी थी। इस खण्ड में कुल 70 फिल्में दिखाई गई।

(2) **नवीन ईरानी सिनेमा**—तीसरी दुनिया, एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीकी सिनेमा पर जोर देने के हमारे प्रयास की कड़ी रूप में इस को ईरान के हाल के सिनेमा की केन्द्र बिन्दु बनाया गया। इस खण्ड में कुछ जाने-माने ईरानी निर्देशकों द्वारा 80 के दशक तथा 90 के दशक के पहले वर्षों में तैयार की गई 10 फिल्में दिखाई गई।

(3) **"काहिए द्यू सिनेमा" के 40 वर्ष-एक समारोह**— फ्रांस की ख्याति प्राप्त फिल्म पत्रिका "द काहिये द्यू सिनेमा" के 40 वर्ष पूरे होने पर फ्रेंच सिनेमा के महान निर्माताओं

की 12 फिल्मों का एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। फ्रांस में "नई लहर," के आदर्शों का प्रचार करने में इस पत्रिका की अहम भूमिका रही है।

(4) **80 दशक में स्वीडन की 5 प्रमुख महिलाओं के चित्र**—इस समारोह में इस विषय को लेकर स्वीडन की 5 फिल्में दिखाई गई।

(5) **क्रांचेस्को रोसी पुनरावलोकन**—गत कम से कम 7 वर्षों से समारोह का एक लक्ष्य यह रहा है कि ख्याति प्राप्त इस इतालवी फिल्म निर्माता की मुख्य फिल्मों के पुनरावलोकन का आयोजन किया जाये। अन्ततः इस लक्ष्य को वर्ष 1992 के इस समारोह में मूर्त रूप दिया जा सका, जिसमें रोसी की गत, 30 वर्षों की 11 फिल्में दिखाई गई।

(6) **किंग एम्यो की प्रशस्ति**—घाना से इस फिल्म निर्माता के अग्रणी उत्कृष्ट कार्य के प्रति प्रशंसा के रूप में इस समारोह में उनकी दो फिल्में दिखाई गई।

(7) **एन्ने व्हीलर की प्रशस्ति**—कनाडा की बहुप्रशंसित इस महिला की सफलताओं की प्रशंसा में उनकी उपस्थिति में तीन फिल्में दिखाई गई।

(ख) **भारतीय खण्ड**

भारतीय पैनोरमा—वर्ष 1990 के उत्तरार्ध और 1991 में निर्मित 21 उत्कृष्ट भारतीय फिल्में और 16 गैर-फीचर फिल्में दिखाई गई।

भारतीय पुनरावलोकन—तीन फिल्मकारों की श्रद्धांजलि

इस समारोह में भारत के तीन फिल्मी हस्तियों में वी० आर० पंतुलु, जी, अरविन्दन और बलराज साहनी को श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस खण्ड में 10 फिल्में दिखाई गई।

भारतीय सिनेमा की मुख्य धारा—इस खण्ड में भारत के सभी प्रांतों के भिन्न-भिन्न भाषाओं में गत वर्ष तैयार की गई कुछ सर्वाधिक सफल फिल्में दिखाई जाती हैं। इन फिल्मों का चयन भारतीय फिल्म फैडरेशन और उससे सम्बद्ध निकायों द्वारा किया जाता है।

कन्नड फिल्मों का पुनरावलोकन—समारोह के दौरान कर्नाटक फिल्म चैम्बर आफ कामर्स ने 40 श्रेष्ठ कन्नड़ फिल्मों के प्रदर्शन का आयोजन किया।

विवरण-दो

भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए फिल्मों का चयन करने के वास्ते मापदण्ड

(क) **विदेशी फिल्में**

भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिए विदेशी फिल्मों का चयन लम्बे अर्से से स्थापित मार्ग निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इनमें से प्रायः अधिकांश मापदण्ड विश्व के मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिए समान है। मोटे तौर पर ये मार्ग निर्देश है :

1. प्रत्येक वर्ष उसके विनियमों में वर्णित किए गए वर्णन के अनुसार फिल्मों का चयन समारोह के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसा कि नीचे बताया गया है :

"समारोह का उद्देश्य विश्व सिनेमा के उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन करने के लिए एक संयुक्त मंच प्रस्तुत करना, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में उनकी फिल्म संस्कृतियों के समझबूझ और विवेचन में योगदान करना तथा विश्व के भिन्न-भिन्न लोगों में मैत्री और सहयोग की भावना पैदा करना है।"

2. मुख्य रूप से, विश्व सिनेमा खण्ड में वे उत्कृष्ट फीचर फिल्में प्रदर्शन के लिए स्वीकार की जाती हैं जिन्होंने अन्य विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया हो या इन समारोहों में पुरस्कार प्राप्त किया हो अथवा जो असाधारण रूप से उत्कृष्ट हों। प्राय: ऐसी फिल्में स्वीकार की जाती हैं जो समारोह के समय दो वर्ष से अधिक पुरानी न हों। यद्यपि इस मापदण्ड में अपवादित मामलों में ढील दी जा सकती है। प्राय: यह भी देखा जाता है कि केवल वही फिल्में शामिल की जाएं जो समारोह से पूर्व भारत के सिनेमाघरों में वाणिज्यिक रूप में या सार्वजनिक रूप में जारी न की गई हों।

3. अंग्रेजी से भिन्न अन्य विदेशी भाषाओं के सभी फिल्मों के सब-टाइटल अंग्रेजी में होने चाहिए।

4. समारोह में सम्मिलित फिल्मों पर सेंसर के नियम लागू नहीं किए जाते।

5. इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित फिल्म समारोह निदेशालय की सलाहकार समिति के सुझावों और मार्ग निर्देशों के अनुसार फोकस, पुनरावलोकन, श्रद्धांजलि आदि खंडों के लिए विशेष फिल्में चुनी जाती हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक समारोह में फोकस खण्ड में एशिया, अफ्रीका अथवा लातीन अमरीका के किसी एक देश के सिनेमा को केन्द्र बिन्दु बनाया जाए। ऐसा तीसरी दुनिया के देशों के सिनेमा को विशेष रूप से आगे लाने की नीति के अनुरूप किया जाता है। पुनरावलोकन और श्रद्धांजलि खंड के अन्तर्गत विभिन्न देशों के मुख्य फिल्मकारों की फिल्में दिखाई जाती हैं और इसके साथ-साथ कुछ विषयों पर आधारित अथवा वर्ष गांठों के सन्दर्भ में समय-समय पर उत्कृष्ट फिल्में भी दिखाई जाती हैं।

(ख) भारतीय फिल्में

1. भारतीय पैनोरमा फिल्मों का चयन

(1) भारतीय पैनोरमा में सम्मिलित फिल्मों का चयन भारत सरकार के अनुमोदन से फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा गठित अखिल भारतीय चयन पैनलों द्वारा किया जाता है भारतीय पैनोरमा खण्ड में वे फिल्में भी स्वत: शामिल कर ली जाती हैं जिन्होंने उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्तम फीचर फिल्म और सर्वोत्तम गैर-फीचर फिल्म के पुरस्कार जीते हों चाहे वे फिल्में गत वर्ष भारतीय पैनोरमा में शामिल न की गई हों।

(2) फीचर फिल्म के अखिल भारतीय पैनल की सहायता के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के साथ फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में गठित क्षेत्रीय चयन

पैनल द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय पैनल भारतीय पैनोरमा में शामिल किए जाने और कुछ को रद्द किए जाने के लिए सिफारिश करते हैं।

(3) अखिल भारतीय पैनल बहुमत से भारतीय पैनोरमा के चयन में शामिल किसी भी फिल्म को देख सकता है चाहे क्षेत्रीय पैनलों की सिफारिश कुछ भी हो।

(4) क्षेत्रीय पैनलों के आधे सदस्य उस क्षेत्र से बाहर के होते हैं।

(5) गैर-फीचर फिल्मों के अखिल भारतीय पैनल द्वारा इस बात को देखा जाता है कि इस श्रेणी के सभी पात्र फिल्में शामिल कर ली गई हैं।

(6) इन पैनलों द्वारा अपनी कार्यप्रणाली स्वयं तैयार की जाती है।

(7) फीचर और गैर-फीचर फिल्मों के लिए अखिल भारतीय पैनल का निर्णय अन्तिम होता है और उसके निर्णय के खिलाफ कोई अपील अथवा पत्र व्यवहार नहीं किया जाता है।

2 भारतीय सिनेमा की मुख्य धारा खंड के लिए फिल्मों का चयन

इस खंड के लिए फीचर फिल्मों की सिफारिश भारत के फिल्म फैडरेशन द्वारा की जाती है।

3. पुनरावलोकन खंड के लिए फिल्मों का चयन

इस खंड के लिए फिल्मों की सिफारिश समारोह की आयोजन समिति द्वारा की जाती है।

4. कन्नड़ फिल्मों का पुनरावलोकन

कर्नाटक फिल्म चैम्बर आफ कामर्स द्वारा 40 फिल्में चुनी गई।

धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूपों में विकसित करना

1999. **श्री एम० डेनिस :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारत में धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत सरकार धार्मिक स्थलों सहित पर्यटक केन्द्रों के विकास का कार्य अपने आप नहीं करती। तथापि, यह राज्य सरकारों को आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण हेतु उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर उनके गुण दोष, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान करती है।

पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना

[हिन्दी]

2000. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत, सरकार का विचार भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाने वाले स्थानों को विकसित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) पर्यटन को प्रोत्साहन देना और विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में जो उपाय किए गए हैं उनमें पर्यटन से संबंधित आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा उनमें वृद्धि करना और भारत एवं विदेशों, दोनों में प्रभावी प्रचार व संवर्धन करना शामिल हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को विकास की समग्र प्रक्रिया में शामिल किया जाता है।

2001. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड की निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन-राशि मंजूर करने हेतु बोर्ड से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आबंटित की गई धन-राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार वर्ष 1991-92 के लिए उत्तर प्रदेश की अनपारा "ख" परियोजना के लिए 127 करोड़ रुपए की राशि, विशेष ऋण सहायता के रूप में मुहैया कराने हेतु सहमत हो गई है।

उड़ीसा में केन्द्रीय प्रशिक्षण यूनिट की स्थापना

[अनुवाद]

2002. **श्री अनादि चरण दास** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशिक्षण यूनिट, पुणे जल संसाधन आयोजना एवं प्रबन्धन में कार्यरत राज्य सरकार के अभियन्ताओं की जरूरतें पूरी करने में सक्षम हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान द्वारा अब तक प्रशिक्षित अभियन्ताओं की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ग) क्या पूर्वी क्षेत्र के लिए उड़ीसा में ऐसा संस्थान स्थापित किये जाने का कोई विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	प्रतिशत किए गए इंजीनियरों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	असम	1
3.	बिहार	10
4.	गुजरात	9
5.	केरल	5
6.	कर्नाटक	13
7.	मध्य प्रदेश	29
8.	महाराष्ट्र	11
9.	उड़ीसा	10
10.	राजस्थान	1
11.	तमिलनाडु	7
12.	उत्तर प्रदेश	1
13.	पश्चिम बंगाल	2
		109*

*संशोधित नदी बेसिन आयोजना और प्रबन्ध पर दूसरा अग्रिम पाठ्यक्रम जो इस समय चल रहा है; के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों सहित ।

मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी हिल पर रज्जु मार्ग के लिए वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

2003. **श्री अरविन्द नेताम : नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचमढ़ी हिल स्टेशन पर रज्जु मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में विदेशी पर्यटकों के सामान की चोरी

2004. **श्री स्वामी सुरेशानन्द** : क्या नागर विमानन और पर्यटक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात में विदेशी पर्यटकों के सामान चोरी के मामलों या ऐसे ही किन्हीं अन्य मामलों के बारे में पता चला है;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा हेतु विशेष कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) कानून और व्यवस्था जिसमें चोरी के मामले तथा विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा की व्यवस्था करना सम्मिलित है, राज्य सरकार का विषय है। शिकायत प्राप्त होते ही मामला संबंधित राज्य सरकारों को भिजवा दिया जाता है ताकि उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सके।

(ग) हाल ही के मामले में गुजरात राज्य सरकार ने विदेशी पर्यटकों के कुछ सामान जैसे चमड़े की जैकेट, शर्ट और पतंगों की चोरी के एक मामले की रिपोर्ट की है जो अहमदाबाद में 13-1-92 को हुई थी। राज्य सरकार ने पर्यटकों और उनके सामान की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बल तैनात करके सुरक्षा प्रबन्धों को और मजबूत कर दिया था।

सलेम, तमिलनाडु में हवाई अड्डे

[अनुवाद]

2005. **डा० (श्रीमती के० एस० सौन्दरम)** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सलेम हवाई अड्डे (तमिलनाडु) का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है; और

(ग) तमिलनाडु के किन अन्य स्थानों पर शीघ्र ही नये हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (माधवराव सिंधिया) (क) 30, अप्रैल, 1992

(ख) 2·46 करोड़ रुपए।

(ग) तमिलनाडु में किसी नए हवाई अड्डे के निर्माण की राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा आधुनिक उपस्करों का विनिर्माण

2006. **श्री प्रफुल पटेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी सात विदेशी कम्पनियों ने जिन्होंने आधुनिक दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माण के लिए दूरसंचार विभाग को आवेदन दिया था, उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपस्करों की आपूर्ति भी प्रारम्भ हो गई है;

(ग) विभिन्न प्रकार के उपस्करों के विनिर्माण हेतु शर्तें क्या हैं तथा ऐसी कम्पनियों द्वारा तैयार किए जा रहे उपस्करों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगी है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त "क" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है :

विवरण

अनुबन्ध-I

विदेशी कम्पनी का नाम	(शर्तें विदेशी मुद्रा) एकमुश्त रायल्टी भुगतान		आयातित पंजीगत सामानों के लिए विदेशी मुद्रा के ब्यौरे	उपस्कर के ब्यौरे
(1) फुजित्सू लि० जापान	रु० 100 00 लाख	5%	रु० 2285·8 लाख	इलेक्ट्रानिक डिजिटल स्विचन उपस्कर
(2) सीआईटी अल्काटेल, फ्रांस	रु० 100·00 लाख	5%	रु० 1000 0 लाख	इलेक्ट्रानिक डिजिटल स्विचन उपस्कर
(3) सीमेंस, जर्मनी	रु० 100-00 लाख	5%	रु० 2290·00 लाख	डिजिटल स्विचन उपस्कर
(4) एरीस्सन, स्वीडन	रु० 100·00 लाख	5%	रु० 1600·00 लाख	डिजिटल स्विचन उपस्कर
(5) एनईसी, जापान	रु० 100·00 लाख	5%	रु० 1275 00 लाख	डिजिटल स्विचन उपस्कर

टिप्पणियां : 1. कच्चे माल तथा संघटकों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा, प्रत्येक वर्ष में हुए वास्तविक उत्पादन के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी।

2. उपर्युक्त अनुबंध-I में अब तक प्राप्त हुए ब्यौरों की जानकारी दी गई है।

संसद सदस्यों के साक्षात्कार के प्रसारण का प्रस्ताव

2007. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दसवीं लोक सभा में पहली बार निर्वाचित होकर आए सदस्यों के साक्षात्कार/परिचय को दूरदर्शन पर प्रसारित करने का विचार रखती है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक प्रसारित किया जायेगा और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) दूरदर्शन ने पहले ही कुछ संसद सदस्यों के साक्षात्कार प्रसारित किये है, जो दसवीं लोक सभा के लिए पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं। ऐसे अन्य संसद सदस्यों के साक्षात्कारों का प्रसारण, दूरदर्शन की कार्यक्रम आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

कोयम्बटूर में नये हवाई अड्डे की इमारत

2008. **श्री सी० के० कुप्पूस्वामी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयम्बटूर में ऐसा नया हवाई अड्डा स्थापित करने का है, जहां रात्री में भी विमानों को उतरने की सुविधा उपलब्ध हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली और कोयम्बटूर के बीच दिन और रात दोनों समय के लिए विमान सेवा शुरू करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पहले ही नये टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा चुका है। निम्नलिखित रात्रि अवतरण सुविधाएं प्रदान की गयी है :—

(1) उच्च तीव्रता प्रकाश धावनपथ प्रणाली (एच० आई० आर० एल०)

(2) दृश्य पहुंच ढलान संकेतक प्रणाली (वी० ए० एस० आई०)

(3) एप्रन फ्लड प्रकाश प्रणाली।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में एस० टी० डी० सुविधा

2009. **श्री आर० धनुषकोड़ी आदित्यन**
डा० वी० राजेश्वरन } : **क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन एक्सचेंजों के निरन्तर रूप से कार्य न करने के बारे में तमिलनाडु में एस० टी० डी० प्रयोक्ताओं से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ख) यदि हां, तो खराबियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं। तमिलनाडु में एस टी डी काल सफलता दर 90% से अधिक है।

(ख) सेवा में और सुधार लाने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) तिरुनेलवेली में डिजिटल टी ए एक्स शीघ्र ही चालू किया जा रहा है।

(ii) मद्रास स्थित डिजिटल टी ए एक्स का 92-93 के दौरान 1000 लाइनों तक विस्तार करने की योजना बनाई गई है और इससे अनेक रूटों पर जंकशन लाइनों में वृद्धि करने में सहूलियत होगी।

(iii) आठवीं योजना अवधि के दौरान इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को समाप्त करना।

विजयनगर इस्पात संयंत्र

2010. **श्री चन्द्रप्रभा उर्स** : **क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार तथा कर्नाटक सरकार ने विजयनगर इस्पात संयंत्र पर अब तक कितना धन खर्च किया है, और

(ख) प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने विजयनगर इस्पात संयंत्र पर लगभग 12 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। तथापि, संसाधनों की कमी के कारण केन्द्र सरकार इस परियोजना के लिए निवेश संबंधी निर्णय नहीं ले सकी।

कर्नाटक सरकार ने संयुक्त क्षेत्र में उसी स्थान पर एक और इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि और कार्यान्वयन अनुसूची के बारे में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

दूरदर्शन, आकाशवाणी के समाचार-वाचकों तथा खेल समीक्षकों का कार्य-संपादन

2011. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : **क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के समाचार-वाचकों के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा हेतु कोई समिति है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निष्कर्ष क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के समाचार-एककों के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा हेतु भी ऐसी ही समिति गठित करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है;

(ङ) क्या सरकार उन खेल-समीक्षकों के कार्य-निष्पादन की भी पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते :

(ङ) खेल समीक्षकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए पहले से ही एक नियमित प्रणाली है।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना

2012. **श्री हरिन पाठक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के कब से आरंभ होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) एअर इण्डिया पहले से ही बंबई से पश्चिमी देशों के लिये सप्ताह में ऐसी दो संपर्क उड़ानें उपलब्ध कराती है जिनकी सीमा-शुल्क और अप्रवजन संबंधी क्लीयरेंस अहमदाबाद में होती है।

मिदनापुर पश्चिम बंगाल में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

2013. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में दीघे (प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र) तथा झारग्राम में एस टी डी सुविधा वाला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) दीघे में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

दीघे में एस टी डी सुविधा 1993 की दूसरी तिमाही तक प्रदान की जाएगी।

झारग्राम (न कि झारग्राम) में मार्च, 93 तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने की योजना है और एस टी डी सुविधा 1994 के दौरान प्रदान की जाएगी।

(ग) लागू नहीं होता।

संसद सदस्यों के टेलीफोन कोटा के आबंटन में अनियमितताएं

[हिन्दी]

2014. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने अपने निजी टेलीफोन कोटे के आबंटन में अनियमितताओं के सम्बन्ध में उन्हें पत्र लिखे हैं,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 के दौरान इस बारे में कितने पत्र प्राप्त हुए हैं,

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच पड़ताल की गई थी,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई, 91 से दिसम्बर, 91 तक की अवधि के दौरान संसद सदस्यों से छः शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) और (घ) जिन मामलों मे संसद सदस्यों ने यह आरोप लगाए हैं कि उनके जाली हस्ताक्षर किए गए, जांच पड़ताल का कार्य पुलिस को सौंप दिया है। कुछ संसद सदस्यों ने यह भी शिकायत की कि ऐसे व्यक्तियों को टेलीफोन दिए गये हैं जिन्हें वे जानते तक नहीं।

(ङ) पुलिस प्राधिकारियों को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जांच-पड़ताल का कार्य सौंपा जाता है।

लक्षद्वीप में मत्स्य/नारियल प्रसंस्करण उद्योग

[अनुवाद]

2015. श्री पी० एम० सईद : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप में नये मत्स्य/नारियल प्रसंस्करण उद्योग लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) लक्षद्वीप में सूखे नारियल पाउडर, नारियल-दूध और मछली-चारे के लिए क्रमशः 33.98 लाख रु०, 135.94 लाख रुपये और 78.95 लाख रुपये की परियोजना लागत पर परियोजनायें स्थापित करने क लक्षद्वीप विकास निगम के प्रस्ताव हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जल आयोग का पुनर्गठन

2016. श्री वंगावरा सानीपल्ली : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग के गठन में संरचनात्मक परिवर्तन करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विश्वेश्वर टुडू) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली, पटना, हैदराबाद, बंगलौर, शिलांग तथा बडोदरा में छः क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करके केन्द्रीय जल आयोग के कार्यों तथा स्वरूप में क्षेत्रीयकरण लाने का निर्णय किया गया है। इसका और आगे क्षेत्रीयकरण केन्द्रीय जल इन्जीनियरी (समूह क) सेवा के संवर्ग की पुनरीक्षा से जुड़ा हुआ है जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

पर्यटन का विस्तार

2017. श्री गोरेश्वर साबे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पर्यटन के लिए बेहतर वातावरण बनाने और इसका विस्तार करने के लिए किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : पर्यटन का निरंतर विकास तथा विस्तार किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पर्यटन के लिए बेहतर वातावरण बनाने और इसका विस्तार करने के लिए किए गए प्रयासों में पर्यटन आधारिक-संरचना को सुदृढ़ बनाना/बढ़ाना, बेहतर जागरूकता उत्पन्न करना और भारत में एवं विदेशों की प्रमुख मार्किटों में संवर्धनात्मक तथा प्रचार अभियान चलाना शामिल हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए स्वीकृत राशि

[हिन्दी]

2018. श्री राम टहल चौधरी
श्री अजीत्त सेना } : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम विभिन्न राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों को पम्प सेटों को ठीक करने के लिए जिलेवार पिछले एक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई; और

(ख) पिछले दो वर्षों में लगाए गए नए पम्प सेटों की संख्या और अगले वर्ष के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) वर्ष 1990-91 और चालू वर्ष के दौरान पम्पसैटों के सुधार हेतु ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई थी।

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान उर्जित पम्पसैटों की सख्यावार संख्या दर्शाने वाला विवरण I संलग्न है। आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात 1992-93 के दौरान पम्पसैटों के अर्जन सम्बन्धी लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-I

1989-90 तथा 1990-91 के दौरान ऊर्जित किए गए पम्पसैटों की सख्यावार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	1989-90	1990-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	75085	81794
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	44	137
4.	बिहार	9035	5514
5.	गोवा	287	232
6.	गुजरात	29371	25063
7.	हरियाणा	16356	10313
8.	हिमाचल प्रदेश	188	179
9.	जम्मू एवं कश्मीर	153	327
10.	कर्नाटक	41791	70138
11.	केरल	15204	15902
12.	मध्य प्रदेश	98451	85500
13.	महाराष्ट्र	124283	101987
14.	मणिपुर	—	शून्य
15.	मेघालय	—	शून्य
16.	मिजोरम	—	शून्य
17.	नागालैण्ड	150	शून्य
18.	उड़ीसा	5334	5574
19.	पंजाब	21146	44237
20.	राजस्थान	29596	33987
21.	सिक्किम	—	—

1	2	3	4
22.	तमिलनाडु	41560	41170
23.	त्रिपुरा	70	90
24.	उत्तर प्रदेश	19573	18506
25.	पश्चिम बंगाल	10500	9265
	जोड़ (राज्य)	538177	549925
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1137	822
	जोड़ (अखिल भारत)	539314	550747

विवरण-दो

1992-93 के दौरान ऊर्जित किए जाने वाले चम्बलसैटों के बारे में राज्यवार लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य का नाम	लक्ष्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	11500
2.	अरूणाचल प्रदेश	—
3.	असम	—
4.	बिहार	4250
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	7000
7.	हरियाणा	14000
8.	हिमाचल प्रदेश	100
9.	जम्मू एवं कश्मीर	100
10.	कनाटक	15000
11.	केरल	3000
12.	मध्य प्रदेश	25150
13.	महाराष्ट्र	20000
14.	मणिपुर	—
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैण्ड	50
18.	उड़ीसा	4000
19.	पंजाब	10000
20.	राजस्थान	20150
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	5000
23.	त्रिपुरा	100
24.	उत्तर प्रदेश	11350
25.	पश्चिम बंगाल	2000
	जोड़ :	152750

कृष्णा नदी के फालतू जल की साझेदारी

2019. **श्री के० पी० रेड्डय्या यादव :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार का तेलुगु गंगा परियोजना को मंजूरी देने के लिए कृष्णा नदी के फालतू पानी पर कोई अधिकार है, और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पानी के उपयोग के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों की पुन: जांच की है जो कि आंध्र प्रदेश के हित के लिए हानिकारक होगी तथा रायलसीमा क्षेत्र को मरुस्थल बना देंगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कृष्णा जल विवाद अधिकरण पंचाट के अनुसार आंध्र प्रदेश को यह स्वतन्त्रता दी गई है कि वह कृष्णा नदी में बहने वाले शेष जल को किसी भी जल वर्ष में प्रयोग कर सकता है। अधिकरण ने तुलुगु गंगा परियोजना के लिए जल का कोई आबंटन नहीं किया है। 2000 ईसवी सन् के पश्चात् इस पंचाट का पुनरीक्षण किया जा सकता है। यद्यपि तेलुगु गंगा परियोजना का तकनीकी आर्थिक रूप से मूल्यांकन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया गया था किन्तु परामर्शदात्री समिति द्वारा अप्रैल, 1988 में इस पर विचार करना आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि परियोजना अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से स्वीकृत नहीं की गई थी। अन्तर्राज्यीय मामलों को सुलझाने के उद्देश्य से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्रियों की एक बैठक तत्कालीन मन्त्री (जल संसाधन) द्वारा आयोजित की जानी थी, किन्तु यह बैठक आयोजित नहीं की जा सकी, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमन्त्री ने सूचित किया था कि मुख्यमन्त्री कृष्णा जल के बटवारे से सम्बन्धित मामलों को स्वयं सुलझा लेंगे। तीनों मुख्यमन्त्रियों की 1990 में दो बार बैठकें आयोजित की गई। उनकी दूसरी बैठक के दौरान जो चार वैकल्पिक प्रस्ताव उभर कर आये थे उन पर विचार-विमर्श करने के लिए उनकी बैठक फिर आयोजित की जावी है।

इण्डियन एयरलाइन्स में गर्भवती विमान परिचारिकाओं को तैनात करना

2020. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की विमान परिचारिकाओं को गर्भावस्था में सामान्य मातृत्व सम्बन्धी सुविधाओं के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता भी दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उन्हें किसी अन्य नौकरियां पर लगाने का प्रस्ताव रखती है जो कठिन नहीं है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह इण्डियन एयरलान्स के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विनियमों के अनुसार है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विमान परिचारिकाओं को अल्प अवधि के लिए ग्राउंड ड्यूटी पर तैनात करना इण्डियन एयरलान्स के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं है।

एयर इण्डिया में अतिरिक्त पदों का सृजन

2021. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया में अतिरिक्त उच्च पदों को सृजन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या निम्न वेतनमान वाले लगभग 1000 पद खाली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सरकार को एयर इण्डिया से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) 1.1.1992 की स्थिति के अनुसार, लगभग 809 पद खाली पड़े हैं और निर्धारित कार्यविधि के अनुसार इन पदों को भरने की कार्रवाई की गई है।

महाराष्ट्र में पर्यटन के विकास के लिए धनराशि का आवंटन

2022. प्रो० [illegible]राव आनन्दराव देशमुख : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पर्यटन के विकास पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई और यह धनराशि किन स्थानों पर खर्च की गई,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितने विदेशी पर्यटकों ने भ्रमण किया और क्या उनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) महाराष्ट्र में पर्यटन के विकास हेतु गत तीन वर्षों (अब तक) के दौरान मंजूर की गई स्कीमों/परियोजनाओं हेतु कुल 164.63 लाख रु० की राशि रिलीज की गई। जिन स्थानों के लिए राशि रिलीज की गई थी उनमें औरंगाबाद, [illegible] आदर, मनोर, सिंघखेड राजा, कोयनानगर, बम्बई/एलीफैंटा, एम्बोली, खिल्लोद आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, निरंतर बढ़ रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

1988	5,70,396
1989	6,28,499
1990	6,92,600

आंध्र प्रदेश में वायु ऊर्जा कार्यक्रम

2023. **श्री लालजान एस० एम० बाशा** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में पवन ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं कौन सी हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक की गई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) पवन ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में शुरू किए गए कार्यों में पवन सर्वेक्षण, पवन विद्युत तथा पवन पम्पन प्रदर्शन परियोजनाएं शामिल हैं। पवन आंकड़ों के संग्रह के लिए पचास पवन मानचित्रण केन्द्र तथा नौ पवन मानिटरिंग केन्द्र स्थापित किए गए हैं; छः और पवन मानिटरिंग केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

550 कि० वा० की एक पवन फार्म परियोजना जुलाई, 1989 में तिरुमाला में स्थापित की गई थी और इस परियोजना से अब तक 11 लाख यूनिट से अधिक बिजली राज्य ग्रिड को दी जा चुकी है। इस परियोजना की क्षमता और 500 कि०वा०. बढ़ाई जा रही है। 2 मे० वा० की एक पवन फार्म परियोजना हाल में अनन्तपुर जिले के रामगिरि में स्थापना के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा, राज्य में 377 उथले कूप तथा 10 गहरे कूप जल पम्पन पवन चक्कियां स्थापित की गयीं।

विद्युत उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को सहायता

[हिन्दी]

2024. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1992-93 में विद्युत की कमी से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कोई सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी राशि प्रदान की गई ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) आठवीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) गाडगिल फार्मूले के अनुसार ब्लाक अनुदान के रूप में राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मध्य प्रदेश हेतु विद्युत क्षेत्र के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय में वर्ष 1991-92 के लिए 758.52 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा विस्थापित किये गये परिवार

2025. **श्री राम निहोर राय** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में कितने परिवारों को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा विस्थापित किया गया है;

(ख) इनमें से कितने परिवारों के कम से कम एक सदस्य को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन में रोजगार दिया गया है;

(ग) उक्त विस्थापित परिवारों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कितने परिवार हैं और उनमें से कितनों को रोजगार दिया गया है;

(घ) क्या सभी विस्थापित परिवारों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी मूल सुविधाएं दी गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की दो परियोजनाएं नामश: सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र और रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र अवस्थित हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई भूमि के कारण प्रभावित विस्थापित परिवारों की संख्या 1565 है।

(ख) और (ग) 1565 प्रभावित परिवारों में से इन परियोजनाओं में अब तक 498 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए गए हैं। 1565 परिवारों में से 492 अनुसूचित जाति से संबंधित हैं तथा अनुसूचित जन-जाति से सम्बन्धित कोई भी परिवार नहीं है। 492 अनुसूचित जाति से सम्बन्धित परिवारों में 129 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

(घ) और (ङ) जिन क्षेत्रों में विस्थापित परिवारों को पुन: बसाया गया है इन क्षेत्रों तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

पेप्सी कोला का लोगो

[अनुवाद]

2026. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपना लोगो बदलने हेतु केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) क्या यह कम्पनी के लिए निर्धारित मानदंडों के अन्तर्गत ऐसा कर सकने का प्रावधान है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कम्पनी के उक्त अनुरोध को मान लिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मैं० पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने घरेलू बिक्री के लिए उत्पादों पर मैं० पेप्सिको इंक० के ब्राण्ड नामों और ट्रेडमार्क्स के प्रयोग की अनुमति मांगी थी ।

(ख) और (ग) यह मामला विचाराधीन है ।

अपर लोवर वर्धा सिंचाई परियोजना

2027. श्री रामचन्द्र धंगारे : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर वर्धा/लोवर वर्धा सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है, और

(ङ) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जबकि अपर वर्धा परियोजना पर कार्य चल रहा है, लोअर वर्धा परियोजना निर्माण के प्रारम्भिक चरणों में है ।

(ख) से (ङ) परियोजनाओं का ब्यौरा, पूरा करने का संभावित समय तथा इन परियोजनाओं के लिए आबंटित निधियां बताते हुए एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

महाराष्ट्र की नहर वर्धा और लोअर वर्धा परियोजनाओं के ब्यौरे के साथ विवरण

करोड़ रु० में/हजार हेक्टेयर

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	व्यय		अन्ततः क्षमता	सृजित क्षमता		पूरा करने का संभावित समय	कैफियत
			3/91 के अंत तक	91-92 (अनन्तिम)		3/91 के अंत तक	अतिरिक्त 91-92 (अनन्तिम)		
		करोड़ रुपये			हजार हेक्टेयर				
1.	अपर वर्धा	356.56	153.26	21.00	60.25	—	1.6	8वीं योजना से आगे	—
2.	लोअर वर्धा	117 18	4.22	1.00	52 98	—	—	— वही—	राज्य सरकार को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करते हुए संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

महाराष्ट्र में तापीय विद्युत केन्द्र में कोयले की कमी

2028. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कोयले की कम आपूर्ति/घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति के कारण महाराष्ट्र के तापीय विद्युत केन्द्रों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दोनों वर्षों में वर्षवार स्टैन्डिंग लिंकेज समिति, दिल्ली द्वारा आबंटित जेनरेशन लिंकेज के अनुसार महाराष्ट्र में विद्युत केन्द्रों की आवश्यकता, वास्तविक प्राप्ति और मिलियन यूनिट में उत्पादन ह्रास; और

(घ) महाराष्ट्र के विभिन्न विद्युत केन्द्रों के लिए बढ़िया किस्म के कोयले की आपूर्ति करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) कोयले की कम सप्लाई के कारण महाराष्ट्र के ताप विद्युत केन्द्रों में वर्ष 1990-91 व 1991-92 (जनवरी, 1992 तक) के दौरान विद्युत उत्पादन के क्रमश: 1913 मिलियन यूनिट तथा 2310 मिलियन यूनिट की कमी होने की सूचना प्राप्त हुई है। घटिया किस्म के कोयले के कारण विद्युत उत्पादन में हुई हानि की मात्रा का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है।

(ग) वांछित सूचना विवरण 1 व 2 में दी गई है।

(घ) देश के विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए गए कोयले की मात्रा एवं गुणवत्ता सम्बन्धी स्थिति की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और सम्बन्धित संगठनों द्वारा समुचित कार्यवाही की जा रही है। घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई से सम्बन्धित शिकायतें कोयला नियंत्रक को भेजी जाती है।

विवरण-एक

वर्ष 1990-91 और 1991-92 (जनवरी, 1992 तक) के दौरान महाराष्ट्र के ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की कम सप्लाई के कारण उनके उत्पादन में हुई हानि (मिलियन यूनिट में)

क्र० सं०	विद्युत केन्द्र का नाम	उत्पादन में हुई हानि (मिलियन यूनिट में)	
		1990-91	1991-92
1.	भुसावल	22	145
2.	चन्द्रपुर	812	332
3.	कोराड़ी	137	409
4.	खापेरखेड़ा	38	143
5.	नासिक	81	277
6.	पारली	823	998
5.	पारस	—	6
	जोड़ —	1913	2310

विवरण-दो

वर्ष 1990-91 और 1991-92 (जनवरी, 1992 तक) के दौरान महाराष्ट्र के ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले के लिंकेज, प्राप्ति उपभोग, प्रतिशतता तथा संवरण स्टाक को दर्शाने वाला विवरण।

(आंकड़े "000" टन में)

क्र० सं०	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	विशिष्टियां	1990-91	1991-92
1.	भुसावल	लिंकेज	2340	2025
		प्राप्ति	2224	1691
		प्रतिशतता	95%	84%
		उपभोग	2247	1661
		स्टाक (दिन)	शून्य	34(5)
2.	चन्द्रपुर	लिंकेज	4860	4220
		प्राप्ति	3583	3347
		प्रतिशतता	74%	79%
		उपभोग	3548	3347
		स्टाक (दिन)	11(1)	11(1)
3.	कोराड़ी	लिंकेज	5310	4410
		प्राप्ति	4325	3954
		प्रतिशतता	81%	90%
		उपभोग	4390	3951
		स्टाक (दिन)	26(2)	23(2)
4.	(क) खापेरखेड़ा (पुराना)	लिंकेज	390	
		प्राप्ति	271	
		प्रतिशतता	69%	1800
		उपभोग	272	1503
		स्टाक (दिन)	3(3)	84%
	(ख) खापेरखेड़ा (विस्तार)	लिंकेज	750	1498
		प्राप्ति	665	51(9)
		प्रतिशतता	89%	
		उपभोग	623	
		स्टाक (दिन)	42(25)	

1	2	3	4	5
5.	नासिक	लिकेज	4170	3790
		प्राप्ति	3295	2944
		प्रतिशतता	79%	78%
		उपभोग	3387	2913
		स्टाक (दिन)	4(शून्य)	19(2)
6.	पारली	लिकेज	3045	3120
		प्राप्ति	2032	1646
		प्रतिशतता	67%	53%
		उपभोग	2032	1640
		स्टाक (दिन)	शून्य	8(1)
7.	पारस	लिकेज	375	330
		प्राप्ति	231	309
		प्रतिशतता	62%	94%
		उपभोग	227	300
		स्टाक (दिन)	5(5)	6(6)
	जोड़ महाराष्ट्र	लिकेज	21240	19695
	रा० वि० बोर्ड	प्राप्ति	16626	15394
		प्रतिशतता	78%	78%
		उपभोग	16726	15310
		स्टाक (दिन)	91(2)	152(2)
8.	ट्राम्बे	लिकेज	375	350
		प्राप्ति	157	111
		प्रतिशतता	42%	32%
		उपभोग	121	148
		स्टाक (दिन)	44(60)	9(5)
	जोड़ महाराष्ट्र	लिकेज	21615	20045
		प्राप्ति	16785	15505
		प्रतिशतता	77%	77%
		उपभोग	15847	15458
		स्टाक (दिन)	135(2)	161(2)

दिल्ली-गाजियाबाद के लिए एस०टी०डी० प्रभार

[हिन्दी]

2029. **श्री जनार्दन सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद के लिए की जाने वाली कालों के लिए एस०टी०डी० प्रभार वसूल करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में अपने निर्णय की पुनरीक्षा करने का विचार है,

(घ) यदि हां, तो कब तक, और

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। ऐसा एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) सरकार, नगरों में दूरसंचार परियात का संकुलन कम करने में सहायता करने के उद्देश्य से बड़े शहरों को आस-पास के क्षेत्रों से जोड़ने के लिए एक कुशल दूरसंचार नेटवर्क की व्यवस्था किए जाने की जरूरत को पूरी तरह समझती है। इस लक्ष्य को पूरा करने की दृष्टि से ऐसे, स्थानों के बीच सीधी डायलिंग सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है जिसके लिए विशेष शुल्क लिया जाएगा।

(ग) से (ङ) क्योंकि इस विषय पर अभी निर्णय लिया जाना है इसलिए इसकी समीक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में जिला मुख्यालयों में एस०टी०डी० सुविधाएं

[अनुवाद]

2030. **श्री के० राममूर्ति तिंडिवनम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कितने जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा नहीं है, और

(ख) कुड्डालोर सहित सभी मुख्यालयों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) केवल कुड्डालूर ही एकमात्र जिला है जहां एसटीडी सुविधा नहीं है।

(ख) कुड्डालूर सहित सभी जिला मुख्यालयों में मार्च, 1992 के अन्त तक एसटीडी सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया की सम्पत्ति व देयताओं का पुनर्मूल्यांकन

2031. **श्रीमती जारजम चन्द्रशेखर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स और एअर इण्डिया की सम्पति व देयताओं के पुनर्मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

उड़ीसा में उच्च शक्ति और निम्नशक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना

2032. **श्री भाग्ये गोवर्धन : सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितने उच्च शक्ति तथा निम्न शक्ति के टी०वी० ट्रांसमीटर लगाएं जाएंगे;

(ख) उड़ीसा के जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए अब तक किन-किन स्थानों पर और कितने ट्रांसमीटर लगाए जा चुके हैं;

(ग) क्या सरकार का उक्त राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रत्येक गांव को सामुदायिक टी०वी० सैट प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन की 1990-91 तथा 1991-92 की वार्षिक योजनाओं के भाग के रूप में उड़ीसा में आगामी 3 वर्षों के दौरान पुरी और मलकान गिरि में एक-एक अर्थात् दो अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को चालू किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) इस समय, राज्य के आदिवासी उप योजना (टी०एस०पी०) जिलों में कार्य कर रहे दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

विवरण

उड़ीसा के आदिवासी उपयोजना जिलों में दूरदर्शन

अ.श.ट्रां. — अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (100 वाट)
उ.श.ट्रां. — उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि.वा./1 कि.वा.)

जिले	ट्रांसमीटर	
1. बालेश्वर	अ.श.ट्रां.,	बालेश्वर
	अ.श.ट्रां.,	भद्रक
	अ.श.ट्रां.,	बलियापाल
2. गंजम	अ.श.ट्रां.,	बरहामपुर
	अ.श.ट्रां.,	अंब नगर
	अ.श.ट्रां.,	परलाखेमुंडी

3. क्योंझर गढ़	अ.श.ट्रां.,	क्योंझरगढ़
	अ.श.ट्रां.,	आनन्दपुर
	अ.श.ट्रां.,	जोडा
4. कालाहांडी	उ.श.ट्रां.,	भवनीपटना (10 कि.वा.)
5. मयूर भंज	अ.श.ट्रां.,	बारीपाड़ा
6. सम्बलपुर	उ.श.ट्रां.,	सम्बलपुर (10 कि.वा.)
	अ.श.ट्रां.,	बारगढ़
	अ.श.ट्रां.,	ब्रजराज नगर
7. सुन्दरगढ़	अ.श.ट्रां.,	राउरकेला
	अ.श.ट्रां.,	सुन्दरगढ़
8. फूलबनी	अ.श.ट्रां.,	फूलबनी
9. कोरापुट	अ.श.ट्रां.,	कोरापुट
	अ.श.ट्रां.,	जैपोर
	अ.श.ट्रां.,	रायगढ़
	ट्रांजपोजर,	सूनाबेड़ा

प्राकृतिक गैस-आधारित बिजली परियोजनाओं के लिए स्वीकृति

2033. **श्री पी० सी० चाको**
श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में प्राकृतिक गैस-आधारित परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को राज्य-वार कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जिन परियोजनाओं को स्वीकृत/का मूल्यांकन किया गया है, इन परियोजनाओं का विवरण संलग्न है। परियोजना क्रियान्वयन प्राधिकारियों द्वारा गैस लिंकेज, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा वित्त पोषण सम्बन्धी व्यवस्था जैसे सभी प्रकार के निवेश सुनिश्चित कर लिए जाने के पश्चात् इन स्कीमों पर निवेश सम्बन्धी अनुमोदन के लिए विचार किया जा सकेगा।

विवरण

उन परियोजनाओं की सूची जिनको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/का मूल्यांकन किया गया है :—

क्र०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे० वा०)
	हरियाणा	
1.	फरीदाबाद सीसीजीटी—एनटीपीसी	800
	राजस्थान	
2.	अन्ता सीसीजीटी परियोजना—एनटीपीसी	3 × 100 जीटी + 1 × 130 एसटी
	दिल्ली	
3.	बवाना सीसीजीटी	800
	गुजरात	
4.	गांधार सीसीजीटी—गुजरात विद्युत बोर्ड	615
5.	पिपावाव सीसीजीटी—गुजरात विद्युत बोर्ड	615
6.	गांधार सीसीजीटी—एनटीपीसी	615
	महाराष्ट्र	
7.	ट्राम्बे सीसीजीटी	180
	आन्ध्र प्रदेश	
8.	जेनरूपाडु सीसीजीटी चरण-I	400
9.	गोदावरी सीसीजीटी—एनटीपीसी	400
	तमिलनाडु	
10.	पिल्लई पैरूमलनाल्लुर सीसीजीटी चरण-I	300
	असम	
11.	लाकवा सीसीजीटी नीपको	280 मेगावाट
	त्रिपुरा	
12.	रोकिया जीटी सोपान-2	16
13.	रोकिया जीटी सोपान-3	16

आंध्र प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

2034. डा० के० वी० आर० चौधरी : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में बिजली की स्थिति में सुधार के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या कृष्णा गोदावरी बेसिन में उपलब्ध गैस को ध्यान में रखते हुए गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जावेगी;

(ग) यदि हां, तो इनकी कब तक स्थापना किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और वैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) आंध्र प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल है—विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों के उत्पादन को अधिकतम करना, विद्युत केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबन्धन एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों की व्यवस्था करना आदि। प्रणाली सम्बन्धी परिस्थितियां अनुकूल होने पर पड़ौसी प्रणालियों से भी आन्ध्र प्रदेश को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) से (घ) कृष्णा गोदावरी बेसिन से उपलब्ध गैस के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश में काकीनाड़ा के समीप उप्पाडा में और जेगुरुपाडु (राजामुंदरी) में 400-400 मेगावाट क्षमता की गैस आधारित परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

इंजीनियरिंग हेल्परों की नियुक्ति

2035. **श्री विलासराव नामनावराव मुंडेवार** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री 20 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3578 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और कलकत्ता स्थित इंडियन एयरलाइन्स में इंजीनियरिंग हेल्परों के पैनलों की अवधि और बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों को अब तक नियुक्त किया गया है;

(ग) पैनल के शेष उम्मीदवारों की नियुक्ति कब तक हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) हैदराबाद में इंजीनियरिंग हेल्परों के पैनल की वैधता मार्च, 1992 तक बढ़ा दी गई थी और पैनल में से 6 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्त कर दी गई है। कलकत्ता पैनल की वैधता 31 मार्च, 92 तक बढ़ा दी गई है और पैनल में से 24 अनुसूचित जाति और 7 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी गई है।

(ग) और (घ) पैनल की वैधता अवधि के दौरान रिक्त स्थानों के उपलब्ध होने पर उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजे जाएंगे।

केरल के लिए टेलीफोन परामर्शदात्री समिति

2036. **प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन**
श्री कोड़ीकुन्नील सुरेश } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य टेलीफोन परामर्शदात्री समिति के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) केरल की दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन पिछली सरकार द्वारा मार्च, 1991 में किया गया था।

(ग) इसकी समीक्षा की जा रही है।

इम्फाल, मणिपुर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

2037. श्री थाई० थाइबा सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इम्फाल, मणिपुर में दूरदर्शन केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) इम्फाल में कार्यरत उच्च शक्ति (1 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के अलावा वहां एक दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र भी तकनीकी रूप से तैयार किया जा चुका है। तथापि, इस केन्द्र को, कार्यक्रमों के निर्माण के साथ-साथ प्रचालन और रख-रखाव के लिए अपेक्षित जन शक्ति की तैनाती पर, हां चालू किया जा सकता है।

इस्पात उत्पादन की लागत

2038. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस्पात उत्पादन की लागत विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो भारत और विकसित देशों में इस्पात की लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार लागत को कम करने के लिए और विश्व बाजार में प्रतियोगी बनने के लिए क्या कदम उठाने की सोच रही है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) चूंकि अन्य देशों के इस्पात की उत्पादन लागत के संबंध में कोई अधिप्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है। अतः उत्पादन लागत की तुलना में उन देशों से भारत के साथ करना सम्भव नहीं है।

(ग) भारत में उत्पादन की लागत को नियंत्रित रखने के लिए मुख्य उत्पादकों द्वारा किए/किए जा रहे उपायों में ये शामिल हैं—क्षमता उपयोगिता बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि करना, ऊर्जा की बचत सहित तकनीकी-आर्थिक निष्पादन में सुधार करना तथा उपस्करणों का उन्नत रख-रखाव और उनका आधुनिकीकरण।

हाल ही में लोहे और इस्पात के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने के परिणामस्वरूप इस्पात के क्षेत्र में कार्य कुशलता तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी जिससे लागत में कमी आएगी।

केरल में पर्यटन के लिए प्रति व्यक्ति सहायता

2039. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

संघ सरकार द्वारा केरल को गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन के विकास के लिए कितनी सहायता दी गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : केन्द्रीय पर्यटन विभाग प्रति व्यक्ति आधार पर वित्तीय सहायता नहीं देता है। केरल में पर्यटन के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान (अब तक) विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के लिए स्वीकृत कुल राशि 350.00 लाख रुपए थी।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

2040. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, क्या आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक और धमन भट्टी स्थापित करने की योजना है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण कार्यक्रम से संयंत्र का कारोबार प्रभावित होगा, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के चरण-I और सम्पूर्ण आधुनिकीकरण के क्रियान्वयन हेतु सरकार की मंजूरी क्रमशः 7 जुलाई, 1988 और 12 अक्टूबर, 1989, को दी गई थी। आधुनिकीकरण योजना के चरण-I को जुलाई, 1993 तक और सम्पूर्ण आधुनिकीकरण को अप्रैल, 1995 तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) जी, नहीं। यद्यपि विद्यमान धमन भट्टी को आधुनिकीकरण परिवर्तन, आशोधन और प्रतिस्थापन योजनाओं के तहत संवर्धित किया जायेगा। इसके साथ-साथ अतिरिक्त सुविधाओं जैसे स्कीम से होने वाले धनभार सामग्री का कन्वेयर कलेक्शन कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन, भट्टियों का पुनः आस्तरण, चल प्लेट आरमर, लचीला टयूअर स्टॉक और उन्नत कास्ट हाउस आदि भी होगी।

(ग) और (घ) जी, हां। आधुनिकीकरण के पश्चात् राउरकेला इस्पात संयंत्र के बिक्री कारोबार की आधारभूत क्षमता लगभग 42% तक बढ़ जाएगी।

गुजरात में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र

2041. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र के लिए गैस की कितनी आवश्यकता है;

(ख) क्या गैस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक लिंकेज के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) क्या गुजरात के गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र के लिए गैस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लिकेज पर्याप्त होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का गैस लिकेज में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) गुजरात में विद्यमान एवं स्वीकृत निर्माणाधीन गैस आधारित विद्युत केन्द्रों की गैस की आवश्यकता लगभग 4.22 एम० सी० एस० डी० है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आवश्यक लिकेज को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उपरोक्त के अलावा गान्धार में स्थित दो गैस आधारित संयुक्त साइकल विद्युत परियोजनाओं (एक केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत तथा दूसरी राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत), प्रत्येक के लिए 1.5 एम० सी० एम० डी० गैस लिकेज प्रदान कर दी गई है। जब तक कि राज्य क्षेत्र की गान्धार परियोजना का निर्माण नहीं कर लिया जाता है तब तक केन्द्रीय क्षेत्र की गान्धार परियोजना को, इसके आधार भार प्रचालन के लिए 2.25 एम० सी० एम० डी० की दर से गैस प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी। जब गान्धार क्षेत्र से अतिरिक्त गैस उपलब्ध होगी तो उसे राज्य क्षेत्र व केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं को आबंटित कर दिया जायेगा तथा इस समय 1 5 एम० सी० एम० डी० मात्रा में जो गैस आबंटित की गई है। इस गैस की मात्रा को बढ़ाकर प्रत्येक परियोजना के लिए 2.25 एम० सी० एम० डी० कर दिया जायेगा ताकि इनका प्रचालन आधार भार पर होने लगे।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने गुजरात में पिपवाव स्थित 615 मेगावाट क्षमता की गैस आधारित विद्युत परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी है। गैस लिकेज तथा अन्य निवेशों को सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् इस स्कीम के लिए निवेश सम्बन्धी अनुमोदन हेतु कार्यवाही जा सकेगी।

विवरण

गुजरात में गैस आधारित विद्युत केन्द्रों की गैस सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप गैस लिकेज को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	स्कीमों के नाम तथा (क्षमता (मेगावाट)	गैस सम्बन्धी आवश्यकता (एम. सी. एम. डी.)	गैस लिकेज (एम. सी. एम डी.)
	विद्यमान		
1.	धुवरण 2×27	0·42	0·42
2.	वास्वा सीसीजीटी 3×33	0·40	0·40
	निर्माणाधीन/स्वीकृत		
3.	कवास सीसीजीटी 644 (एनटीपीसी)	2·25	2·25

1	2	3	4
4.	उतराज सीसीजीटी 3×33+45	0.45	0·45
5.	जीआईपीसीएल 3×30+1×45	0·70	0·70
	जोड़	4·22	4·22

राजस्थान में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

2042. **श्री पुखराजमल जोड़ा :** क्या जल संसाधन मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में निर्माणाधीन बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता मिल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) राजस्थान की निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा राजस्थान की बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

राजस्थान की निर्माणधीन वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

करोड़ रु० में/ क्षमता हजार है० में

क्रम० सं०	परियोजना का नाम	नवीनतम लागत	3/91 तक व्यय	91-92 के दौरान प्रत्याशित व्यय	चरम क्षमता	6/91 के अंत तक सृजित क्षमता	6/92 तक सृजित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता	पूरा करने की समता अनुसूची
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	इंदिरा गांधी नहरपरियोजना चरण-I (ए)	289·00	268·91	8·00	581	579	2	आठवीं योजना
2.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-I(ए)	931·24	516·03	75·30	810	187	66	नौवीं योजना से आगे
3.	माही बजाज सागर परियोजना यूनिट-1 बांध और कार्य (ए)	132·87	105·87	5·00				आठवीं योजना से आगे
	यूनिट-II चरण-II (ए) नहर प्रणाली क्षमता 71·5 हजार हेक्टेयर	128·10	134 50	15 90	128·60	74·76	1·78	आठवीं योजना से आगे
	यूनिट-II चरण-I (ए) (नहर प्रणाली अतिरिक्त क्षमता 57.40 हजार हे०)	196·10	24·19	5·50				आठवीं योजना से आगे
4.	चोखम परियोजना (ए)	84·96	62·28	4·50	23·50	21·11	0·31	आठवीं योजना
5.	गुड़गांव नहर (आई एस) (ए)	33·16	17·47	3·00	28·20	20 94	5·00	आठवीं योजना
6.	चम्बल लिफट परियोजना (यूए)	36·08	5·90	1·00	53·20	10·85	7·00	आठवीं योजना से आगे
7.	ओलना बराज (आई एस) (ए)	2·27	0·20	—	—	—	—	आठवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	नर्मदा परियोजना (आई एस) (ए)	548·00	3·12	0·75	73·16	—	—	आठवीं योजना से आगे
9.	सिद्धमुख परियोजना (ए)				49·61			
	नोहार परियोजना (ए)	197 00	0·60	0·75	17·73	—	—	आठवीं योजना से आगे
10.	बिलासपुर परियोजना (यूए)							
	सिंचाई	179·68	22·40	10·00	50 00	—	—	आठवीं योजना से आगे
	पीएचईडी हिस्सा	147·35	33·41	10·00	जल आपूर्ति	—	—	आठवीं योजना से आगे
	(ख) मध्यम परियोजनाएं							
11.	भीम नगर परियोजना (ए)	21·51	17·36	1·25	9·99	9·99	—	आठवीं योजना
12.	सोम कगदार (ए)	22·30	20·75	1·30	4·95	4·65	0·10	आठवीं योजना
13.	सावन भादों परियोजना (ए)	21·25	13·74	1·51	3·20	1·00	1·00	आठवीं योजना
14.	बिलास परियोजना (ए)	12·93	10·92	0·64	3·37	2·59	0·30	आठवीं योजना
15.	पंचाला परियोजना (ए)	46·50	21·38	2·00	9·98	2·16	—	आठवीं योजना
16.	सोम-इमला-अम्बा (ए)	126·79	57·17	15·00	18·79	—	1·00	आठवीं योजना
17.	हरीश चन्द्रा सागर (यूए)	21·97	7·08	1·90	17·98	14·50	1·00	आठवीं योजना
18.	परवान लिफ्ट योजना (ए)	13·81	3·78	1·00	8·18	—	—	आठवीं योजना
19.	चापी परियोजना (ए)	36·12	6·32	3·00	7·00	—	—	आठवीं योजना से आगे
	(ग) आधुनिकीकरण परियोजनाएं							
20.	बंग नहर और सम्पर्क नहर (ए)	240·00	21·78	2·35	—	—	—	आठवीं योजना से आगे
21.	जैसम स्कीम (यूए)	12·40	2·13	0·25	4·62	0·96	—	आठवी योजना से आगे

1	3	4	5	6	7	8	9
22. गम्भीरी स्कीम (ए)	16 71	4·96	0·25	4·77	1·80	—	आठवीं योजना से आगे
23. मोजा स्कीम (यूए)	7·32	3·82	0·35	3·69	1·15	—	आठवीं योजना से आगे
24. मोराल स्कीम (यू)	45·76	2·64	—	2·80	1 30	—	आठवीं योजना से आगे
25. माशी स्कीम (यूए)	2 50	1 57	—	2·00	1 21	—	आठवीं योजना से आगे
26. बुधा स्कीम (यूए)	10·50	2·15	—	2·60	1 92	—	आठवीं योजना से आगे
27. एलानिया स्कीम (यूए)	2·77	1·66	--	1·70	0·65	—	आठवीं योजना से आगे
28. परवान लिफ्ट स्कीम (यूए)	2·61	1·23	—	4·42	2·22	—	आठवीं योजना से आगे

टिप्पण : ए—अनुमोदित
यूए—अनुमोदित

(ख) केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(i) इंदिरा गांधी नहर परियोजना

चरण-I]	आठवीं योजना के दौरान (करोड़ रुपए में)	1990-91	1991-92
(क) अग्रिम योजना सहायता	45.00	—	....
(ख) सूखा राहत सहायता	20.00	...	...
(ग) सीमा क्षेत्र विकास अनुदान	60.70	28·60	27·80

(ii) केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

निर्धारित वितीय पद्धति पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चम्बल परियोजना तथा माही बजाज सागर परियोजना के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यों के वास्ते राजस्थान को ऋण और अनुदानों के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। सातवीं योजना, वार्षिक योजनाओं 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की गयी धन राशि क्रमश: 76.46 करोड़ रुपए, 21·74 करोड़ रुपए तथा 10·41 करोड़ रुपए है।

उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के लिए सोवियत सहायता

[हिन्दी]

2043. **श्री राम सागर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सोवियत सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो सोवियत संघ में हाल ही में हुई उथल पुथल के पश्चात् अनिश्चित हो गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को निर्धारित समय के अन्तर्गत पूरा करने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उत्तर प्रदेश में किसी सिंचाई परियोजना के लिए अभी तक कोई सोवियत ऋण नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कोलार स्वर्ण खानों से प्रदूषण

[अनुवाद]

2044. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोना निकालने के पश्चात् अवशेष साईनाईड कोलार की स्वर्ण खानों के इर्द-गिर्द पेय जल और फसल अत्यधिक रूप से दूषित हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रदूषण को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये है जिससे पड़ौसी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिये अत्यधिक खतरा पैदा हो रहा है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में टेलेक्स सुविधा

2045. **श्री टी० वे० अंजलोस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में किन-किन स्थानों पर टेलेक्स सुविधा उपलब्ध है,

(ख) क्या सरकार का केरल के सारे महत्वपूर्ण स्थानों को इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) टेलेक्स सुविधा वाले स्थान इस प्रकार हैं :—

1. अलेप्पी 2. बेरतलाई 3. कालीकट 4. कन्नानोर 5. एर्नाकुलम 6. अलवाई 7. कोट्टायम 8. पालघाट 9. क्यूलान 10. त्रिचूर 11. त्रिवेन्द्रम 12. कसरगोड 13. तेलिचेरी 14. तिरुवल्ला 15. कावाराती 16. मालापुरम और 17. चोपुल्ला।

(ख) और (ग) विभाग की यह नीति है कि किसी स्थान पर 4 अथवा इससे अधिक कनेक्शनों की मांग होने पर टेलेक्स सुविधा प्रदान कर दी जाए।

केरल के अल्लेपी जिले में एस० टी० डी० और सामूहिक टेलीफोन की सुविधा

2046. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के अल्लेपी जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण का ब्यौरा क्या है, और

(ख) उन नये केन्द्रों के नाम क्या हैं जिन्हें एस० टी० डी० और सामूहिक टेलीफोन सुविधा से जोड़ने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) केरल के अल्लेपी जिले में कुल 38 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 10 पहले से ही इलेक्ट्रानिक हैं। 1991-92 के दौरान 6 टेलीफोन एक्सचेंजों को और 1992-93 के दौरान 8 टेलीफोन एक्सचेंजों की उपयुक्त रूप से अधिक क्षमता वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है। इसके अलावा 1991-92 के दौरान 10 टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने की भी योजना है।

संसाधन उपलब्ध होने पर सभी मौजूदा इलेक्ट्रो मेकेनिकल एक्सचेंजों को चरणोत्तर रूप से उपयुक्त अधिक क्षमता वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है।

(ख) दो स्टेशनों अर्थात् एस० एल० पुरम तथा पुलियुन्नू को 1991-92 के दौरान एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है। अल्लेपी जिले के सभी एक्सचेंजों में ग्रुप डायलिंग सुविधा पहले से उपलब्ध है।

असम में रोलिंग मिलें

2047. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या इस्पात मन्त्री 22-8-1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3927 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना इस बीच एकत्र की जा चुकी है,

(ख) यदि हां, तो असम में बन्द पड़ी रोलिंग मिलों के नाम क्या हैं; और वे कब से बन्द हैं,

(ग) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं,

(घ) प्रत्येक मिल में अन्तर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा क्या है और इनके बन्द होने से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं; और

(ङ) इन मिलों के कब तक चालू होने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां। दिनांक 22-8-1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3527 के सम्बन्ध में किया गया सर्वेक्षण अब दिनांक 28-2-1992 को पूरा कर लिया गया है।

(ख) से (ङ) संलग्न ब्यौरे के अनुसार असम में 3 रोलिंग मिलें बन्द हैं।

विवरण

असम में बन्द पड़ी हुई इकाइयों को दर्शाने वाला ब्यौरा :

पुनर्वेलन मिल का नाम	कब से बन्द पड़ी हुई है।	बन्द करने के कारण	अवरुद्ध पूंजी राशि	बन्द करने के कारण फालतू हुए व्यक्तियों की संख्या	पुन: प्रचालन के लिए उठाए गए कदम तथा कब तक कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है ।
1. मैसर्स असम पुनर्वेलन मिल सूरमुरिया मरियामी रोड जोरहाट, असम	1976	रेल विभाग के साथ कानूनी मुकदमेबाजी में उलझना	4,49,000/-रु०	14	यूनिट का मालिक यूनिट को चलाने में अनिच्छुक है ।
2. मैसर्स इण्डिया स्टील एण्ड वायर मैनुफैक्चरिंग कंपनी, बंशबारी गांव, तिनसुकिया, असम	1986	मालिक की अस्वस्थता	2,75,000/-रु०	90	पता चला है कि यूनिट के पुन: प्रचालन की कोई संभावना नहीं है।
3. मैसर्स हैप्स इण्डस्ट्रीज पानी खेती चन्द्रपुर कूमारहाटी	1990	नकद ऋण की कमी जो बैंक से सीमित मात्रा में मिलता है, कच्चे माल की कमी, मशीनरी में बार-बार खराबी आना ।	30,00,000/-रु०	30	असम वित्तीय निगम के साथ मिलकर राज्य सरकार यूनिट के पुन: प्रचालन की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए उपाय कर रही है ।

आठवीं योजना में जल विद्युत संयन्त्र

[अनुवाद]

2048. **श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं योजना में प्राथमिता के आधार पर जल विद्युत संयन्त्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजनावधि के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान देश में कितने विद्युत संयन्त्रों की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 8वीं योजना के दौरान जल-विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन को समुचित प्राथमिकता दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) वार्षिक योजना (1992-93) और आठवीं योजना (1992-97) के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 8वीं योजना (1992-97) के दौरान चालू किए जाने हेतु 9396.05 मे०वा० की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली 79 जल-विद्युत परियोजनाओं का पता लगाया है, बशर्ते पर्याप्त ससाधन उपलब्ध हों। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इन परियोजनाओं हेतु 8वीं योजना के दौरान 26,930 करोड़ रु० की राशि आवश्यक होगी। 8वीं योजना मे जल-विद्युत क्षेत्र हेतु वास्तविक प्रावधान के बारे में, 8वीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही पता लग पाएगा।

विवरण

जल-विद्युत परियोजनाओं की सूची जिन्हें अनन्तिम रूप से 8वीं योजना (1992-97) के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है

क्र०सं०	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मे.वा.)	8वीं योजना के दौरान लाभ (मे.वा.)
1	2	3	4	5
क.	केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	चमेरा चरण-I (एनएचपीसी)	हिमाचल प्रदेश	3 × 180	540
2.	दुलहस्ती (एनएचपीसी)	जम्मू एवं कश्मीर	3 × 130	390
3.	सलाल-2 (एनएचपीसी)	"	3 × 115	345

1	2	3	4	5
4.	उरी (एनएचपीसी)	कश्मीर	4×120	480
5.	टिहरी चरण-I (टीएचडीसी)	उत्तर प्रदेश	4×250	750
6.	रंगीत चरण-3 (एनएचपीसी)	सिक्किम	3×20	60
7.	रंगानदी (नीपको)	अरुणाचल प्रदेश	3×135	270
8.	दोयांग (नीपको)	नागालैण्ड	3×25	75
9.	कोपिली विस्तार (नीपको)	मेघालय	2×50	100
			केन्द्रीय क्षेत्रजोड़ :	3020
ख. राज्य क्षेत्र				
एक. उत्तरी क्षेत्र				
1.	दादुपुर	हरियाणा	4×1.5	6
2.	डब्ल्यूबाईसी चरण-2	हरियाणा	2×8	16
3.	बनेर	हिमाचल प्रदेश	3×4	12
4.	गाज	"	3×3.5	10.5
5.	बिरोट	"	3×1.5	4.5
6.	अपर सिंध-2	जम्मू एवं कश्मीर	2×35	70
7.	अपर सिंध विस्तार	"	1×35	35
8.	कारगिल	"	3×1.25	3.75
9.	चेनानी-2 एवं 3	"	2×1+2×2	6
10.	सिवा चरण-3	"	3×2	6
11.	यू बी.डी.सी. चरण-3	पंजाब	2×15	30
12.	एसवाईएल	पंजाब	2×18+2×7	50
13.	रणजीत सागर	पंजाब	4×150	300
14.	श्रीनगर	उत्तर प्रदेश	6×55	330
15.	सोल्ला	"	3×2	6
16.	मनेरीभाली-2	"	4×76	304
17.	लखवार व्यासी	"	3×100+2×60	200
			उप जोड़ :	1389.75
बी. पश्चिमी क्षेत्र				
1.	कदाना पीएसएस विस्तार	गुजरात	2×60	120
2.	सरदार सरोवर	गुजरात/मध्यप्रदेश/ महाराष्ट्र	6×200+ 5×50	1450
3.	बाणसागर टोन्स	मध्य प्रदेश	3×105	
			2×15+	30
			3×20	60

1	2	3	4	5
4.	बाणसागर टोन्स फेज-4	मध्य प्रदेश	2×10	20
5.	हसदेव बांगव	"	3×40	120
6.	तावा एलबीसी	"	2×6	12
7.	भण्डारदारा चरण-2	महाराष्ट्र	1×34	34
8.	मनिकडोह	"	1×6	6
9.	सूर्या	"	1×6	6
10.	वारणा	"	2×8	16
11.	कोयना चरण-4	"	4+250	500
12.	उज्जैनी	"	1×12	12
13.	दुधगंगा	"	2×12	24
14.	हिम्भा	"	1×5	5
15.	भिरा पीएसएस (टाटा)	"	1×150	150
16.	राजघाट	उ.प्र./म.प्र.	3×15	45
		उप जोड़ :		2610
तीन.	दक्षिणी क्षेत्र			
1.	श्री सेलम एलबीपीएच	आन्ध्र प्रदेश	6×150	150
2.	अपर सिलेरू-2	"	2×60	120
3.	पैन्ना अहोबिलम	"	2×10	20
4.	गुंटूर कैनाल-1	"	2+2	4
5.	गुंटूर कैनाल-2	"	2×2.5	4.5
6.	सिंगुर	"	2×7.5	15
7.	कालीनदी-2	कर्नाटक	3×40+3×50	270
8.	शारावती टीआर	"	4×60	240
9.	मल्लापुर	"	2×4.5	9
10.	वाराही (मानी डैम)	"	2×4.5	9
11.	वृन्दावन	"	2×6	12
12.	भाद्रा	"	1×6	6
13.	शिवपुर	"	2×9	18
14.	सारापाडी	"	3×30	90
15.	लोअर पेरियार	केरल	3×60	180
16.	मुवात्तीपूझा	"	2×3.5	7
17.	कान्कड़	"	2×25	50
18.	पोरिंगल कुथु विस्तार (यू-4)	"	1×16	16
19.	कुट्टियाडी विस्तार	"	1×50	50
20.	लोअर भवानी आरबीसी	तमिलनाडु	2×4	8
21.	सथनूर डैम	तमिलनाडु	1×7.5	7.5
		उप जोड़ :		1260

1	2	3	4	5
चार.	**पूर्वी क्षेत्र**			
1.	पूर्वी गण्डक कैनाल	बिहार	3×5	15
2.	सोन पश्चिमी नहर	"	4×1.65	3.3
3.	सोन पूर्वी नहर	"	2×1.05	3.3
4.	वान्दिल	"	2×4	8
5.	नॉर्थ कोयल	बिहार	2×12	24
6.	अपर रोंगनिचु	सिक्किम	4×2	4
7.	अपर इन्द्रावती	उड़ीसा	4×150	600
8	रेंगाली विस्तार	"	3×50	50
9.	पोट्टेरू	"	2×3	6
10.	पालीमेला-2	"	2×60	120
11.	रामम चरण-2	प. बंगाल	4×12.5	50
12.	तीस्ता फाल्स	प. बंगाल	3×3×7.5	67·5
			उप जोड़ :	951
पांच.	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र**			
1.	नुरानांग	अरूणाचल प्रदेश	3×2	6
2.	लोअर बोरपानी	असम	2×50	100
3.	धानसिरी	असम	15×1.33	20
4.	सिक्किम-रो	नागालैण्ड	3×8	24
			उप जोड़ :	150
			जोड़ (राज्य क्षेत्र) :	6386.85
			जोड़ (अखिल भारत) :	9396.85

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

[हिंदी]

2049. **प्रो० राजा सिंह रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में टेलीफोन प्रकोष्ठों की जिलावार संख्या कितनी है,

(ख) टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में जिला-वार कितने व्यक्तियों के नाम हैं,

(ग) इस साल कितने व्यक्तियों को नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का विचार है,

(घ) क्या सरकार का बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कतिपय नई योजनाओं को क्रियान्वित करने का विचार है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार जिले-वार टेलीफोन कनेक्शन तथा प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) इस वर्ष 1991-92 के दौरान 36797 नए कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है ।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के एक भाग के बतौर बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में प्रतीक्षा-सूची की अवधि घटाकर दो वर्ष करने तथा ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है । तदनुसार, 31-3-97 तक राजस्थान राज्य में टेलीफोन स्विचिंग क्षमता की लगभग 4.18 लाख लाइनें तथा लगभग 3.3 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	कुल चालू कनेक्शन	कुल प्रतीक्षा
1.	अजमेर	13308	5807
2.	अलवर	9069	3593
3.	बांसवाड़ा	1510	1020
4.	बारन	1039	365
5.	बाड़मेर	2584	2009
6.	भरतपुर	3300	1847
7.	भीलवाड़ा	3152	3865
8.	बीकानेर	5319	5033
9.	बूंदी	1084	410
10.	चित्तौड़ गढ़	2896	1257
11.	चुरू	3135	1167
12.	धौलपुर	1060	314
13.	डूंगरपुर	936	344
14.	दौसा	1129	1070
15.	जयपुर	43831	54422
16.	जैसलमेर	739	229
17.	जालौर	1660	401
18.	झालावाड़	1638	327
19.	झुंझुनू	3678	1748
20.	जोधपुर	15306	12623

1	2	3	4
21.	कोटा	9121	8301
22.	नागौर	4683	2242
23.	पाली	8295	2221
24.	सवाईमाधोपुर	3449	918
25.	सीकर	4216	2469
26.	सिरोही	2077	1003
27.	श्रीगंगानगर	10855	4601
28.	टोंक	1722	526
29. 30.	राजसमुन्द उदयपुर	11049	12357
	राजस्थान दूरसंचार सर्किल का योग	171840	132489

पनबिजली कार्यक्रम

[अनुवाद]

20*0. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने पनबिजली कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग पच्चीस अनुसंधान परियोजनाओं का कार्य लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अनुसंधान के क्षेत्र में किस हद तक सफलता मिली है; और

(घ) इस अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग ऊर्जा स्रोतों के रूप में कब तक किया जायेगा और इसका किस क्षेत्र में किया जायेगा ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) तथा (ख) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग में हाइड्रोजन के उत्पादन भण्डारण, उपयोग से सम्बन्धित अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं प्रायोजित की है।

(ग) और (घ) हाइड्रोजन बहुमुखी ऊर्जा वाहक है और उसका उपयोग घरेलू, औद्योगिक यातायात अनुप्रयोगों के साथ-साथ राकेटों और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए फोटो बायलोजी, फोटो इलैक्ट्रो केमिकल और विद्युत संश्लेषण प्रौद्योगिकी से महत्वपूर्ण प्रयोगशाला स्तर पर महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। हाइड्रोजन भण्डारण के लिए नई हाइड्राइड सामग्रियां विकसित की गई है और ऐसी सामग्री के भण्डारण क्षमता में आगे और सुधार करने के लिए प्रयास जारी है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में मेटल हाइड्राइड भण्डारण युक्ति के जरिए दो पहिए वाली मोटर साइकिल को 25 कि० मी० तक परीक्षण के रूप में चलाया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में लघु अश्व शक्ति इंजन उपयोगिता

प्रणाली में हाइड्रोजन ईंधन का परीक्षण किया गया है। इस प्रौद्योगिकी और इसकी आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए अनुसंधान प्रयास जारी है जिससे अन्तोगत्वा में व्यापक परिणाम प्राप्त होने की आशा है।

केन्द्रीय जल आयोग के ब्राह्मनी सुवर्ण रेखा तथा पूर्वी नदी मण्डलों में भ्रष्टाचार

2051. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मई, 1991 और 11 मई: 1991 के "संडे टाइम्स डेली" और "सैम्ब उड़िया डेली" में केन्द्रीय जल आयोग के पूर्वी नदी मण्डल और ब्राह्मनी सुवर्ण रेखा मण्डल में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य इन्जीनियर से इस मामले की जांच करने तथा इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

वेस्टलैंड हैलिकाप्टर सौदे में घाटा

2052. **श्री शंकरराव काले :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वेस्टलैंड हैलिकाप्टर सौदे में भारी हानि हुई है,

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन हैलिकाप्टरों को कबाड़ के रूप में बेचने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सरकार को कोई वित्तीय हानि नहीं होगी क्योंकि खरीद के लिए धन की व्यवस्था अनुदान के माध्यम से की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की निम्न स्तरीय गुणवत्ता

2053. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कई कार्यक्रमों की वीडियो गुणवत्ता काफी खराब स्तर की होती है और कभी-कभी पिक्चर अत्यन्त धुंधली रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक इसकी वीडियो गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी सिरिआ व्याज) : (क) से (ग) केन्द्रों से प्रसारित कार्यक्रमों की, वीडियो गुणवत्ता आमतौर पर सन्तोषजनक और वांछित तकनीकी मानक के अनुरूप होती है । तथापि स्टूडियो से बाहर बनाये गये क्षेत्राधारित कार्यक्रमों के प्रसारण अपरिहार्य कठिनाइयों अर्थात अनुपयुक्त प्रकाश उपस्करों के लिए वांछित स्थानों की अनुपलब्धता, साउन्ड पिक-अप समस्याओं और खण्ड की बहुलता जिससे होकर सिगनल को गुजरना होता है, की वजह से कभी-कभी, ठीक-ठीक दिखायी नहीं पड़ते । बाहरी एजेन्सियों से घनिष्ठ सहयोग करते हुए, सभी सम्भव साधनों को अपनाकर, निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रसारणों की वांछित गुणवत्ता बनाये रखने का दूरदर्शन का सतत प्रयास रहता है ।

राष्ट्रीय पर्यटन समिति

2054. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री 26-11-1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 706 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पर्यटन समिति में शामिल किये गये विशेषज्ञों के नाम एवं उनकी योग्यताएं क्या हैं;

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक सिफारिश को कहां तक क्रियान्वित किया गया है, उसका अलग-अलग ब्यौरा दें ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) राष्ट्रीय पर्यटन समिति में काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम तथा पदनाम इस प्रकार हैं :—

1. श्री मोहम्मद युनुस
   अध्यक्ष
   भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण
2. श्री एस० के० मिश्रा
   सचिव
   पर्यटन मन्त्रालय
3. डा० (श्रीमती कपिला वात्स्यायन
   सचिव
   कला विभाग
4. श्री के० एस० थापर
   सलाहकार (परिवहन एवं पर्यटन)
   योजना आयोग
5. डा० के० बी० लाल
   पूर्व वाणिज्य सचिव और ई०ई०सी० में राजदूत

6. डा० वी० वेंटकरमण
पूर्व सचिव
पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय

7. श्री एन०एन० हकसर,
पूर्व अध्यक्ष
आई०आई०टी०

8. श्री इन्द्र शर्मा
अध्यक्ष
सीता वर्ल्ड ट्रैवल

9. श्री गौतम खन्ना
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
ओबराय होस्टल्स और अध्यक्ष, मरकरी ट्रैवल्स

10. श्री राजन जेटली
प्रबन्ध-निदेशक
भारत पर्यटन विकास निगम

11. श्री ए० बी० केरकर
उपाध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक
ताज ग्रुप आफ होटल्स

12. श्री आर० के० पुरी,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
भारत पर्यटन विकास निगम

(ख) और (ग) मुख्य सिफारिशें और उनके कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है :

सिफारिश	स्थिति
1. एकमुश्त प्रोत्साहनों को विदेशी मुद्रा आय से जोड़ने से होटल वर्ष भर अधिकाधिक विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे।	आय-कर रियायतों को विदेशी मुद्रा आय से जोड़ा गया है और अब आय-कर अधिनियम की धारा 80 एचएचडी के अधीन मिलते हैं।
2. 100 करोड़ रु० की प्रारम्भिक इक्विटी से एक पर्यटन वित्त निगम की स्थापना भी की जाए ताकि पर्यटन उद्योग को ऋण दिया जा सके और इसकी विशेषीकृत जरूरतें पूरी की जा सकें।	पर्यटन उद्योग की विशेषीकृत जरूरतें पूरी करने के लिए भारतीय पर्यटन वित्त निगम की स्थापना कर दी गई है।

3. निजी गेस्ट हाउस, टूरिस्ट बंगले, वन गृह आदि जैसे अनुपूरक आवास को, जो पर्यटकों के एक बड़े समूह को आवासीय सुविधा प्रदान करता है, उपयुक्त प्रोत्साहन देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार निर्माण करना अपेक्षाकृत कम महंगा पड़ता है और लोगों को रोजगार तथा अतिरिक्त आय भी मिलती है।

पेइंग गैस्ट आवास की एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत, यात्रा अभिकर्ताओं/यात्रा प्रचालकों को पेइंग गैस्ट आवास बुक कराने पर धारा 80 एचएचडी के अधीन रियायत मिलती है।

4. समूची ऋण राशि पर ब्याज इमदाद मिलनी चाहिए (इस समय यह प्रत्येक मामले में 75 लाख रु० की ऋण राशि पर मिलती है) 11-3 स्टार श्रेणीके होटलों के मामले में ब्याज इमदाद की 1% की मौजूदा दर को बढ़ाकर 3% किया जाना चाहिए। निर्माण लागत में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इमदाद की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।

4 और 5 स्टार होटल परियोजनाओं के लिए, 75 लाख रु० की ऋण राशि पर अब 1% ब्याज इमदाद दी जाती है। 1,2 और 3-स्टार श्रेणी की होटल परियोजनाएं समस्त ऋण राशि पर 3% की ब्याज इमदाद प्राप्त करती है।

5. अनिवासी भारतीयों की यात्रा और पर्यटन परियोजनाओं में अधिकतम संभव सीमा तक पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अनिवासी भारतीयों द्वारा होटल कम्पनियों में पूंजी-निवेश के संबंध में 74% की मौजूदा सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए।

कार्यान्वित कर दी गई है।

6. पर्यटन परियोजनाओं के लिए आयातित संयंत्र, मशीनों तथा उपकरण पर सीमा-शुल्क परियोजना आयातों में लगने वाले सीमा-शुल्क के समान लगाया जाए। यह रियायत परिसम्पतियों के आधुनिकीकरण के लिए किए जाने वाले आयात पर भी मिलनी चाहिए।

कार्यान्वित कर दी गई है।

7. इस समय, आय-कर अधिनियम की धारा 80-एचएच के अधीन केवल

पर्वतीय, ग्रामीण, तीर्थ क्षेत्रों और पर्यटन मंत्रालय द्वारा यथा अभिनिर्धारित स्थानों में

विनिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थित होटल ही कर में रियायत पाने के पात्र हैं। यह रियायत ऐसे किसी भी जिले पर लागू होनी चाहिए जहां पर्यटन की सम्भावना है और पर्यटन की आधारभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है।

300 कमरों से कम वाले स्थानों पर व्यय कर से 10 वर्ष तक छूट और आय-कर अधिनियम की धारा 80 (1) के अधीन 50% की छूट दी गई है।

8. टेलीफोन, टेलेक्स और एल पी गैस सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है।

संबंधित विभाग टेलीफोन, टेलेक्स और एलपीजी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी कर चुके हैं।

9. एथनिक भोजन तथा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए होटलों द्वारा नियोजित विदेशी शेफ, कुक और अन्यों को तक निशियन माना जाए तथा अन्य उद्योगों की भांति आय-कर के भुगतान से छूट दी जाए।

जहां तक आय-कर अधिनियम का संबंध है, विदेशी शेफ को अब निशियन माना जाता है।

10. यात्रा व्यवसाय को अपने विपणन प्रयास में अधिक प्रतिस्पर्द्धा के लिए, एक मार्केट विकास कोष स्थापित किया जाना चाहिए जिसका स्पष्ट उद्देश्य पर्यटन संवर्धन होना चाहिए। कोष का स्वरूप तथा इसके परिचालन की रूपात्मकता का उल्लेख इप रिपोर्ट में किया गया है।

"मार्केट विकास कोष" की ही भांति, "अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास के लिए सहायता नामक एक स्कीम दिसम्बर, 1988 से शुरू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत, यात्रा व्यवसाय, राज्य पर्यटन निगमों, भारत पर्यटन विकास निगम, एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स, आईसीपीबी, टीएए आई, पीएटीए, आईएटीओ आदि को मार्केट विकास कार्यकलाप शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

11. समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि विदेशी हवाई कम्पनियों को भारत के लिये तथा भारत से यात्रा करने की अनुमति देकर परियोजना मांग को पूरा करने के लिये एक उदार नीति अपनाई जाए।

विदेशी कैरियरों को भारत के लिये अधिकाधिक सेवाएं परिचालित करने की अनुमति देकर एक उदार नीति अपनाई गई है।

12. एयर-इण्डिया को एक संयुक्त स्टाक कंपनी में परिवर्तित किया जाना चाहिए तथा इसकी इक्विटी पूंजी का एक भाग जनता के पास होना चाहिए। इससे एयरलाइन की अपने विस्तार कार्यक्रमों हेतु वित्त-पोषण के वास्ते मार्केट पूंजी तक पहुंच हो सकेगी।

मानी नहीं गई।

13. एयर-चार्टरों को तब तक उदार रूप से अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कुल टूअर पैकेज का मूल्य भारत से भारत के लिए अनुसूचित वायु सेवाओं पर लागू संवर्धनात्मक किरायों से कम न हो।

चार्टर नीति को पर्याप्त उदार बनाया गया है।

14. इण्डियन एयरलाइन्स का आंशिक निजीकरण किया जाना चाहिए तथा अधिकांश सम्पत्ति सरकार के पास होनी चाहिए। ऐसा करने से यह संगठन उपभोक्ताओं की अधिक सेवा करेगा।

मानी नहीं गई।

15. टिकट बनाने, बुकिंग करने, आदि को सुविधाजनक बनाने के लिये यात्रा अभिकरणों को एयरलाइनों तथा रेलवे की कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली से जुड़े टर्मिनल मुहैया कराए जाने चाहिएं।

एयर-इन्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के मामले में ऐसा कर दिया गया है।

16. "पैलेस आन व्हील्स" जैसे सफल रेल पर्यटन परियोजनाओं के प्रदर्शन के परिणाम-स्वरूप रेल परिवहन विदेशी पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण रखता है। यह रेलगाड़ी वातानुकूलित होनी चाहिए और "पीरियड" शैली में फिर से सुसज्जित की जानी चाहिए। पर्यटक रेलगाड़ी "ग्रेड इन्डियन रोवर" को बौद्ध परिपथ पर फिर से चलाया जाना चाहिए। दक्षिण भारत के "मन्दिरों की यात्रा" हेतु एक विशेष रेलगाड़ी चलानी चाहिये।

पैलेस आन व्हील्स के लिए एक बना वातानुकूलित रेक शुरू किया गया है।

17. पर्यटन मन्त्रालय के सचिवालय एवं परिचालन खण्डों का रेलवे बोर्ड शैली पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

मानी नहीं गई।

18. भारतीय पर्यटन सेवा नामक एक विशेषीकृत प्रबन्ध संवर्ग पर्यटन के लिए गठित किया जाना चाहिए ।

मानी नहीं गई ।

19. स्टूवर्ड, बैल ब्वाय, आदि जैसे प्रथम स्तरीय स्टाफ के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं माड्यूलर प्रोग्राम के आधार पर आयोजित की जानी चाहिएं ।

कार्यान्वित कर दी गई है ;

20. विश्वविद्यालयों को पर्यटन अभिमुखी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ।

कुछ विश्वविद्यालयों ने ऐसे पाठ्क्रम शुरू किए हैं ।

21. होटल तक केटरिंग विद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पोस्ट-डिप्लोमा प्रबन्ध कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाया जाये और इसमें सुधार किया जाये ।

कार्यान्वित कर दी गई है ।

22. प्रमुख होटल प्रतिष्ठानों को कुछ संस्थानों को अपनानेके लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि कार्यक्रमों का धन तथा गुण-वत्ता की दृष्टि से उन्नयन हो सके ।

कार्यान्वित कर दी गई है :

इण्डियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के उड़ानरत विमान

2055. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 तक इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के उड़ानरत विमानों की अलग अलग संख्या कितनी है;

(ख) ठहराव और प्रतीक्षा की अवधियों को छोड़कर प्रत्येक विमान प्रति सप्ताह औसतन कितने घटे उड़ान भरता है;

(ग) क्या उड़ान अवधि निर्माता द्वारा निर्धारित अधिकतम समय सीमा के अनुसार है; और

(घ) यदि नहीं तो इनके उपयोग में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) 1-4-1991 की स्थिति के अनुसार एयर इण्डिया/इण्डियन एयरलाइन्स के विमानन-बेड़े में विमानों की संख्या इस प्रकार है :

एयर इण्डिया		इण्डियन एयरलाइन्स	
बोइंग 747-200	9	एयरबस ए-300	11
बोइंग 747-300	2	एयरबस ए-320	18
एयरबस ए-310	8	बोइंग 737	24
एयरबस ए-300	3		
	22		53

(ख) 1990-91 के दौरान एयर इन्डिया/इन्डियन एयरलाइन्स के विमानों की साप्ताहिक उपयोगिता इस प्रकार है :

एयर इन्डिया		इन्डियन एयरलाइन्स	
बी-747-200	68.39 घंटे	ए-300	44.0 घंटे
बी-747.300 (कोम्बी)	72.38 घंटे	ए-320	20.5 घंटे
ए-300-बी-4	48.72 घंटे	बी-737	45.3 घंटे
ए-310	53.90 घंटे		

(ग) विमान विनिर्माताओं ने उपयोगिता की कोई अधिकतम समय-सीमा निर्धारित नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देश में पर्यटन विकास हेतु आवंटन

[हिन्दी]

2056. श्री ललित उरांव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान पर्यटन के विकास हेतु राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) उन मदों का ब्यौरा क्या है जिन पर बिहार राज्य द्वारा उक्त राशि उक्त अवधि के दौरान खर्च की गई; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान खर्च की गई राशि का मदवार विवरण क्या है तथा वापस की गई राशि का विवरण क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग, पर्यटन के विकास के लिये राज्यवार कोई धनराशि आवंटित नहीं करता। फिर भी, राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्यवार विभिन्न परियोजनाओं स्कीमों के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उक्त अवधि के दौरान जिन परियोजनाओं स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई और राशि रिलीज की गई, उनके विवरण नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं०	परियोजना/स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1.	वैशाली में अभिषेक पुष्करणी का विकास	33·07	16·00
2.	वाल्मीकि नगर में पर्यटक परिसर	15·89	09.95
3.	हजारी बाग में पर्यटक परिसर	17.86	08.00
4.	वैशाली में कुटीरें	24.78	17.36
5.	कोयलवर में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	8.00	4.00
6.	बरही में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	8.00	4.00
7.	बोधगया में कैफेटेरिया	7.84	2.00
8.	मेसरहाट में कैफेटेरिया	6.64	3.32
9.	वैशाली, गया, बोधगया नालंदा राजगीर में जल सुविधाएं	14.36	7.00
10.	वैशाली महोत्सव	1.25	1.25
11.	महावीर जन्माष्टमी पर्व	0.75	0.75
12.	तोप चांची में पर्यटक परिसर	16.88	8 00
13.	मैथान में पर्यटक परिसर	16.88	8.00
14.	हाजीपुर में पर्यटक लाज	10.54	5.00
15.	पिपराकोठी में पर्यटक गृह	13.96	6.00
16.	तमार में मार्ग सुख-सुविधाएं	6 00	3.00

राशियां क्रियान्वयन अभिकरणों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के आधार पर जारी की जाती है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	1989-90	1990-91	स्वीकृत राशि 1991-92 (आज तक) (रुपए लाखों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	115.35	73.47	79.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	07.35	05.36
3.	असम	—	22·67	85.71
4.	बिहार	—	138.44	102.29
5.	गोवा	5.00	—	33.78
6.	गुजरात	36.71	99.55	114·87
7.	हरियाणा	13.53	230.46	41.10

1 2	3	4	5
8. हिमाचल प्रदेश	25.13	80.31	99.18
9. जम्मू और कश्मीर	125.75	90.89	47.33
10. कर्नाटक	45.81	91.11	61.26
11. केरल	85.02	190.19	74.79
12. मध्य प्रदेश	46.10	234.36	201.58
13. महाराष्ट्र	08.30	142.61	142.69
14 मणीपुर	—	15.12	—
15. मेघालय	09.74	22.33	38.70
16. मिज़ोरम	—	20.02	06.45
17. नागालैंड	67.94	34.54	12.00
18. उड़ीसा	—	121.61	115.50
19. पंजाब	15.93	48.13	14.44
20. राजस्थान	26.25	152.34	74.68
21. सिक्किम	—	59.71	70.91
22. तमिलनाडु	37.94	134.47	49.44
23. त्रिपुरा	04.91	23.55	09.97
24. उत्तर प्रदेश	132.97	397.86	20.07
25. पश्चिम बंगाल	07.50	320.15	36.73
कुल जोड़	809.79	2751.25	1537.64

बिहार के रोहतास, मधुआ जिलों में कोयले, एल्यूमिनियम और बाक्साइट के भण्डार

[अनुवाद]

2057. **श्री छेदी पासवान** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के रोहतास, मधुआ जिलों में कोयले, एल्यूमिनियम और बाक्साइट के भण्डारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इनकी खोज करने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये जाने का विचार है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) द्वारा रोहतास जिले के मधुआ सब डिविजन में किए गए सर्वेक्षण से इस क्षेत्र में कोयले के किसी भंडार का पता नहीं चला है। किन्तु मधोरा क्षेत्र से 2.4 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में 3 मी० से 7 मी० मोटे बाक्साइट चकते वाले ग्यारह

लेटराइट परतें मिलने की सूचना है। यह बाक्साइट लौह युक्त है और इसमें औसत 40%से कम एल्यूमिना है और इसके 10 मीटर गहराई तक 3.5 मिलियन टन के अनुमानित भंडार है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा लेखा परीक्षा परियोजना

2258. **श्री आर्य रूगांन्डीय** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और भारत सरकार के तत्वाधान में ऊर्जा लेखा-परीक्षा परियोजना ने उत्पादक क्षेत्रों में 35 विस्तृत लेखा परीक्षायें की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबन्ध कार्यकलापों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से परिवहन और वाणिज्य क्षेत्रों में लेखापरीक्षा की गई थी ताकि ऊर्जा के उपयोग की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) यू० एन० डी० पी० भारत सरकार के तत्वाधान में चुनिंदा क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण लेखा परीक्षा परियोजना के अधीन निर्माता क्षेत्र में 35 व्यापक ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य किए गए हैं तथा परिवहन एवं वाणिज्यिक क्षेत्र प्रत्येक में 5 व्यापक ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य किए गए हैं। निर्माता क्षेत्र में 30 लेखा रिपोर्टों का विश्लेषण किए जाने पर यह पाया गया है कि अल्पकालिक (प्रचालनात्मक और हाउस कीपिंग) उपायों छोटे-छोटे रिट्रोफिटिंग उपायों के क्रियान्वयय के द्वारा 15% ऊर्जा क्षमता की बचत की जा सकती है। परिवहन एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों संबंधी प्रतिष्ठानों में किए गए लेखा परीक्षा कार्यों से यह पाया गया है कि इन क्षेत्रों में क्रमशः 22.5% और 9% ऊर्जा क्षमता की बचत की जा सकती है।

पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन

2059. **श्री आर्य रूगांन्डीय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन से विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 1991-92 में विदेशी मुद्रा अर्जन में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के अन्तिम तीन माह के दौरान आज तक कुल कितने पर्यटक भारत आए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान पर्यटन से लगभग 3300 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय होने की संभावना है, इस

प्रकार विगत वर्ष की तुलना में लगभग 35% की वृद्धि हुई है।

(ग) जनवरी और फरवरी, 1992 के दौरान कुल लगभग 3,42,474 विदेशी पर्यटक आए।

उड़ीसा में अपर इन्द्रावती विद्युत परियोजना

2060. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा में अपर इन्द्रावती विद्युत परियोजना में घटित दुर्घटना के कारण विश्व बैंक के दल ने परियोजना स्थल का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु विश्व बैंक के दल द्वारा की गई टिप्पणी एवं सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) अपर इन्द्रावती परियोजना में, 28 जुलाई, 1991 को हुई दुर्घटना से पूर्व, 23-8-1991 से 31-8-1991 तक के लिए विश्व बैंक के सुपरविजन मिशन द्वारा दौरा किए जाने की आयोजना थी। अगस्त, 1991 के दौरान परियोजना के अपने दौरे के पश्चात् विश्व बैंक के सुपरविजन मिशन ने निम्न मामलों पर कार्यवाही किए जाने के लिए उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया था :

(1) कार्य स्थल से मलवा आदि हटाने और प्रभावित कार्यों को पुन: आरंभ किए जाने से सम्बन्धित क्रियान्वयन योजना के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए;

(2) परियोजना के इन्जीनियरिंग कार्य तथा इसके प्रत्येक घटक की उपयुक्तता विशेष रूप से संरचनाओं तथा बाढ़ प्रभावित कार्यों के बारे में मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

(3) उपरोक्त रिपोर्टों के बारे में इसकी सूची में दिए गए विशेषज्ञों के निष्पक्ष विचार प्रस्तुत किए जाएं।

(4) डिजाइन एवं निर्माण प्रबोधन में सहायतार्थ परियोजना परामर्शदाता को नियुक्त किया जाए।

(5) ऐसे ठेके जो कि उपयुक्त रूप से क्रियान्वित नहीं किए जाते हैं इनको समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

इस्पात संयंत्र लागाना

2061. **श्री अर्जुन चरण सेठी**
श्री मुख्वास कामत } : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र में कोई नया इस्पात संयंत्र प्रतिस्थापित न करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा और कर्नाटक सरकारों के संयुक्त क्षेत्र में और मध्य प्रदेश सरकार के निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र खोलने का स्वागत किया है, और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए जापान और अप्रवासी भारतीयों से सहायता मांगी है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) संसाधनों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सरकारी क्षेत्र में विद्यमान इस्पात संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए इस प्रकार के संसाधनों को उपयोग करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) नई औद्योगिक नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से "लोहे और इस्पात को निकाल दिया गया है तथा इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता से भी छूट दी गई है। प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर निजी अथवा संयुक्त क्षेत्र में नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। उड़ीसा और कर्नाटक राज्य सरकारों ने संयुक्त क्षेत्र में नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव दिया है जिसके लिए किसी भी तरह की सम्भव सहायता केन्द्रीय सरकार उपलब्ध कराएगी।

(घ) इस्को के आधुनिकीकरण में भारतीय और विदेशियों – दोनों की निजी भागीदारी की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सेल ने एस. बी. आई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को अधिकृत किया है और तदनुसार सेल को सलाह दी गई है।

वायुयान सेवा की विस्तार योजना के स्थगन का निर्णय

[हिन्दी]

2062. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायुयान सेवा की विस्तार योजना को स्थगित करने या इसकी सेवा में कमी करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उत्तरी बिहार का सहरसा भी इसमें शामिल किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में स्थित सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

[अनुवाद]

2063. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में अब तक स्थापित किए गए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या

कितनी है और प्रत्येक पंचायत में एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ केन्द्र स्थापित करने की नई योजना क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने पंचायतों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31-1-92 की स्थिति के अनुसार 888

(ख) 93, जिनमें से 75 को 31.1.1992 तक पीसीओ उपलब्ध करा दिया गया है और चालू वर्ष (1991-92) की शेष अवधि के दौरान 18 और पंचायतों को उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।

विभागेत्तर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

2064. प्रो० प्रेम चूमल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागेत्तर कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों को महंगाई भत्ता दिया जाता है,

(ख) यदि हां, तो किस दर पर, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) इस विषय पर सरकार के मौजूदा आदेशों के अनुसार पुनः नियुक्त किए गए पेंशनभोगी, या तो पेंशन-राहत अथवा महंगाई भत्ता पाने के पात्र हैं। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के रूप में नियुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिकों को उनके मूल वेतन पर 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है बशर्ते कि वह पेंशन राहत न लेना पसंद करें।

विभागेत्तर कर्मचारियों की मांगे

2065. प्रो० प्रेम चूमल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विभागेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर अप्रैल, 199। को कोई विचार विमर्श किया था,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) विचार-विमर्श के दौरान अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों द्वारा उठाई गई मांगों तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

मद सं०	मांग	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/मत
मद सं० 1 :	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सभी लाभ और सुविधाएं देने के साथ-साथ उन्हें विभागीय कर्मचारियों का दर्जा देना।	इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को विभागीय दर्जा देने की मांग स्वीकार नहीं की गई।
मद सं० 2 :	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नामावली में परिवर्तन।	सरकार ने अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नामावली में परिवर्तन करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।
मद सं० 3 :	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को जितनी देर वे डाकघर में रहते हैं, उसके आधार पर यथानुपात वेतन का भुगतान।	सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं पाया गया है।
मद सं० 4 :	अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए लिपिक ग्रेड में 20 प्रतिशत पद आरक्षित रखना।	इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव डाक सेवा बोर्ड के विचाराधीन है।
मद सं० 5 :	पोस्टमैन संवर्ग में पदोन्नति के लिए आयु और शैक्षिक योग्यता के मामले में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान मानना।	अतिरिक्त विभागीय एजेंट विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं हैं। इसके अलावा, उन पर इस बात का भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वह कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकते जबकि नियमित कर्मचारियों पर ऐसा प्रतिबन्ध है। इस लिए, उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान नहीं माना जा सकता।
मद सं० 6 :	केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायिकरण, बेंगलूर के निर्णय के अनुसार अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की "ड्यूटी" अवधि को निलंबन के अधीन अवधि के बतौर माना जाए।	यह मामला, इस समय, माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

मद सं० 7 : फील्ड स्टाफ की सभी 'बीट्स" को "फुट बीट" के अधीन मापी गई दूरी के बतौर माना जाए और उनका वेतन तदनुसार निर्धारित किया जाए।

सभी "बीट्स" को "फुट बीट्स" मानना तथा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का वेतन तदनुसार निर्धारित करना संभव नहीं है। तथापि, जहां कहीं सड़कें साइकिल चलाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, वहां "बीट्स" को "फुटबीट्स" घोषित किया गया है।

मद सं० 8 : शाखा पोस्टमास्टरों को डाकघर में उनकी उपस्थिति के आधार पर वेतन दिया जाए जैसा कि अथारिटीज ने निर्धारित किया है।

इस मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

मद सं० 9 : शाखा पोस्टमास्टरों को डाक वितरण की अतिरिक्त ड्यूटी करने के लिए इस समय दिए जा रहे वितरण भत्ते के स्थान पर प्रति घण्टे की दर से वेतन दिया जाए

चूंकि डाक वितरण मुख्यत आउट-डोर कार्य है जिस पर जांच और नाप का पैमाना लागू नहीं हो सकता। इसलिए डाक वितरण की अतिरिक्त ड्यूटी करने वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को प्रति घण्टे की दर से अतिपूर्ति देना सम्भव नहीं है।

मद सं० 10 : जिन शाखा डाकघरों का कार्यभार प्रतिमाह 80 प्वाइंट से अधिक हो उसका अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाया जाए और उसके अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर को अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टर के रूप में पद उन्नत किया जाए।

यह तर्क कि किसी अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर जिसका कार्यभार 80 प्वाइन्ट है, वह अनिवार्यत तीन घण्टो से अधिक कार्य करता है, सही नहीं है। अत: इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मद सं० 11 : अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई जाने वाली अलग मशीनरी।

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की शिकायतों को दूर करने के लिए दिनांक 23.4.91 को एक विभागीय समिति का गठन किया गया।

मद सं० 12 :	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति और पोस्टमैन काडर में पदोन्नति से सम्बन्धित नियमों में आवश्यक संशोधन करके अतिरिक्त विभागीय प्रणाली में भ्रष्टाचार समाप्त करना।	सम्बन्धित सर्किल अध्यक्षों/क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरलों के साथ परामर्श करके अनियमितताओं के बारे में प्राप्त शिकायतों की गुण दोष के आधार पर जांच की जाती है और उचित कार्रवाई की जाती है।
मद सं० 13 :	निर्धारित ड्यूटी घण्टों के बाद रोके जाने पर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को उचित प्रतिपूर्ति का भुगतान।	इनके ड्यूटी के घण्टे डाक की प्राप्ति और प्रेषण को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। इन परिस्थितियों में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को उनकी ड्यूटी की अवधि के बाद के लिए किसी तरह की प्रतिपूर्ति का भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।
मद सं० 14 :	अतिरिक्त विभागीय (आचरण और सेवा) नियमावली के नियम 7 में संशोधन।	अतिरिक्त विभागीय एजेंट (आचरण और सेवा) नियमावली, 1964 के नियम 7 में मई, 1991 में संशोधन किया जा चुका है।
मद सं० 15 :	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को सांविधिक नियमों द्वारा विनियमित किया जाए।	आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में डाक और तार घर

2066. **श्री डी० डी० खनोरिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में डाक एवं तार घरों की कुल कितनी संख्या है,

(ख) क्या सरकार का विशेषकर से ग्रामीण क्षेत्रों में डाक एवं तार घरों को खोलने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान खोले गए डाक एवं तार घरों की कुल कितनी संख्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) हिमाचल प्रदेश में, इस समय कुल डाकघरों और तारघरों की संख्या निम्नानुसार है :—

डाकघर	2609
तारघर	11 तारघर (स्वतन्त्र रूप से)
(31-12-91 की स्थिति के अनुसार)	और 689 संयुक्त डाक-तारघर

(ख) जी हां।

(घ) डाकघर :

वर्ष 1991-92 के दौरान हिमाचल प्रदेश में 37 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 1 विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए मंजूरी जारी की गई है। इस सम्बन्ध में ब्यौरा और स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

तारघर :

कैलेंडर वर्ष 1992 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 10 स्थानों पर तार सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। ये स्थान हैं :— बरोरी, दरवा, काकरहट्टी धारसी, बन्द मोगरी, मूंग, बातल, कोहल, डमैला, बांगला।

(घ) गत दो वर्षों के दौरान खोले गए डाकघर और तारघर निम्नानुसार हैं :—

	1989-90	1990-91
डाकघर	96	37
	1990	1991
तारघर (स्वतन्त्र रूप से)	1	2
संयुक्त डाक-तारघर	11	16

विवरण

हिमाचल प्रदेश के उन स्थानों के नाम जहां के लिए
1991-92 के दौरान डाकघर मंजूर किए गए हैं

क्र० सं०	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का नाम	जिला
1.	दलोह	बिलासपुर
2.	कनफड़ा	बिलासपुर
3.	नलोह	चम्बा
4.	बसोधान	चम्बा
5.	भरमोती	हमीरपुर
6.	चन्दरेर	कांगड़ा
7.	जाखमलहार	कांगड़ा
8.	पमियों	सिरमौर

9.	करकाह	सिरमौर
10.	गुनाहकलां	सोलन
11.	लोधीमाजरा	सोलन
12.	बलाह	ऊना
13.	कानपुर	ऊना
14.	नैनीदेवी सिंह	ऊना
15.	कुई	शिमला
16.	बलाह चुरानी	बिलासपुर
17.	तरिया	चम्बा
18.	झारलोग	हमीरपुर
19.	अर्थ झीकली	कांगड़ा
20.	अन्तराह	कांगड़ा
21.	बस्ती	कांगड़ा
22.	दहीआर	कुल्लु
23.	झामरेह	मण्डी
24.	जुब्बली	शिमला
25.	मलूथी	शिमला
26.	खरारहट्टी	सोलन
27.	रनहत	सिरमौर
28.	मकरैर	ऊना
29.	धुनी	किन्नौर
30.	उरई	चम्बा
31.	जुहारविन	बिलासपुर
32.	दिम्मी	हमीरपुर
33.	कुलठी	कांगड़ा
34.	खून	कुल्लू
35.	खलारडू	मण्डी
36.	पीपली	मण्डी
37.	दनदांज	सिमौर

विभागीय उप डाकघर का नाम

1.	शाम नगर	कांगड़ा

आगरा, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

2067. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगरा को एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र समझते हुए पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए वहां टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने और नये टेलीफोन कनेक्शन मंजूर

करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है ? और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है, और

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 1. आगरा की टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) पुराने टेलीफोन उपकरणों को चरणबद्ध रूप से उत्तरोत्तर बदला जाना।

(ii) ड्राप-वायर और भूमिगत केबिलें प्रदान करके ओवरहेड लाइनों को कम करना।

(iii) 8 वीं योजना के दौरान पुराने तथा जीर्ण-शीर्ण स्ट्रोजर एक्सचेंजों के स्थान पर चरणबद्ध रूप से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाना।

2. नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए संजय प्लेस आगरा में 5000 लाइनों का एक आई सी पी क्रास बार एक्सचेंज संस्थापित किया जा रहा है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, 92-93 के दौरान 5000 लाइनों के ई-10 बी और 2000 लाइनों के आर एल यू संस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

3. आगरा में सामान्य रूप से जनता और पर्यटकों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्रमशः 132 स्थानीय पी सी ओ और 95 एस टी डी पी. सी. ओ. स्थापित किए गए हैं।

विभागेत्तर कर्मचारियों को एक समान मजदूरी

2068. श्री वी० एन० रेड्डी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने डाक विभाग द्वारा विभागेत्तर कर्मचारियों को एक समान मजदूरी का भुगतान, पेंशन, छुट्टी और अन्य सुविधाएं देने के बारे में भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि वे विभाग के केवल अंशकालिक एजेंट हैं न कि विभागीय कर्मचारी, इसलिए उन्हें वह सुविधाएं देना व्यवहार्य नहीं पाया गया जो विभागीय कर्मचारियों को दी जाती हैं।

कोचीन में नए हवाई अड्डे का निर्माण

2069. श्री पी० सी० चाको : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोचीन अथवा उसके समीप नए हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसके लिए किसी स्थल का चयन कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इसके निर्माण का कार्य कब तक शुरू और पूरा हो जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर हवाई पट्टी की लम्बाई को बढ़ाने का प्रस्ताव

2070. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बंगलौर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को आकर्षित करने के लिए बंगलौर हवाई पट्टी की लम्बाई को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) हवाई पट्टी की कुल कितनी लम्बाई बढ़ाई जाएगी;

(ग) क्या हवाई पट्टी के विस्तार से बोइंग 747-400 जैसे बड़े विमान वहां सुगमतापूर्वक उतर सकेंगे;

(घ) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का विचार देश में समस्त अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनलों का विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) चूंकि आठवीं योजना के आकार को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, इसलिए ब्यौरों के बारे में कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया है।

राज्य बिजली बोर्डों का नवीकरण

2061. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिये ऋण मंजूर किये जाने से, राज्य बिजली बोर्डों के नवीकरण और पुनरुद्धार कार्यक्रम को बहुत बढ़ावा मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो, विश्व बैंक द्वारा उक्त कार्यक्रम के लिये कितनी राशि का ऋण मंजूर किया जायेगा,

(ग) उसमें से राज्य बिजली बोर्डों को कितनी धनराशी दी जायेगी;

(घ) क्या बोर्डों द्वारा अनेक योजनायें तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) (ङ) पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार करने, विद्युत संयंत्रों में पर्यावरणीय सुधार करने, चुनिंदा राज्य बिजली बोर्डों की प्रणालियों के नवीकरण एवं उनकी संस्थागत सुदृढ़ता के लिए "विद्युत युटिलिटी दक्षता सुधार परियोजना" के अन्तर्गत विद्युत वित्त निगम (पी० एफ० सी०) द्वारा विश्व बैंक के साथ 14-2-1992 को 256 मिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें से 248 मिलियन अमरीकी डालर की राशि इन चुनिंदा राज्य बिजली बोर्डों की स्कीमों के अन्तर्गत उपस्कर एवं सामग्री हेतु आबंटित की गई हैं।

कर्नाटक में विद्युत आपूर्ति

2072. **श्रीमती वासपा राजेश्वरी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार विगत 3-4 वर्षों से विद्युत क्षेत्र में कठिनाई महसूस कर रही है;

(ख) क्या विद्युत की कमी का उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कर्नाटक राज्य में विद्युत की आपूर्ति में सुधार के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1992 के दौरान कर्नाटक राज्य को कितनी मात्रा में विद्युत आपूर्ति की जायेगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) विगत के चार वर्षों अर्थात् 1987-88 से 1990-91 के दौरान कर्नाटक में विद्युत सप्लाई की वास्तविक स्थिति निम्नानुसार थी :—

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
आवश्यकता	15185	16290	18275	19590
उपलब्धता	10556	11911	13967	15104
कमी	4629	4379	4308	4486
% कमी	30.5	26.9	23.6	20.9

(ख) औद्योगिक उत्पादन कई घटकों पर निर्भर करता है और विद्युत की कमी इन घटकों में से एक है।

(ग) कर्नाटक में बिजली की उपलब्धता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें वर्तमान उत्पादन केन्द्रों से अधिकतम विद्युत उत्पादन करना, उत्पादन केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करना, प्रभावी भार प्रबन्धन और ऊर्जा संवर्धन की व्यवस्था करना आदि शामिल हैं। प्रणाली सम्बन्धी

अनुकूल परिस्थितियां होने पर पड़ौसी प्रणालियों से भी कर्नाटक को सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) 1991-92 के दौरान कर्नाटक में ऊर्जा की उपलब्धता लगभग 15834 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है।

राज्यों में ग्रेनाइट की खानें

2073. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेनाइट की खानें किन-किन राज्यों में स्थित हैं;

(ख) उन राज्यों में अनुमानत ग्रेनाइट का कितना भण्डार है;

(ग) उन राज्यों में ग्रेनाइट का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) उन राज्यों में ग्रेनाइट खानों के आबटन को अन्तिम रूप दिये जाने के संबंध में क्या ब्यौरा है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) ग्रेनाइट खानें आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओड़िसा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में है।

(ख) प्रमुख ग्रेनाइट वाले राज्यों की सरकारों द्वारा अब तक अनुमानित ग्रेनाइट के भंडार इस प्रकार हैं :—

राज्य	अनुमानित भंडार	टिप्पणी
1. आन्ध्र प्रदेश	3.0	यह कुछ ही क्षेत्रों में भंडारों का अनुमान दर्शाता है। भंडारों का और अधिक व्यापक मूल्यांकन करने के लिए अनुमान लगाने का काम चल रहा है।
2 असम	43.5	
3. बिहार	19.0	
4. कर्नाटक	55 7	
5. राजस्थान	0.08	
6. तमिलनाडु	15.0	यह काले ग्रेनाइट के भंडारों का अनुमान दर्शाता है। अभी तक रंगीन ग्रेनाइट भंडारों का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।
7. पश्चिम बंगाल	7.0	
8. उड़ीसा	—	भंडारों का अनुमान अभी शुरू नहीं किया गया है।

(ग) व (घ) भारतीय ग्रेनाइट की अच्छी निर्यात संभावनाएं हैं और भारत में ग्रेनाइट खनन मुख्यतया शोधित ग्रेनाइट का निर्यात करने की दृष्टि से किया जाता है।

केन्द्र सरकार ने देश में ग्रेनाइट उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय आरम्भ किए हैं। इसमें शामिल हैं —100% निर्यात प्रधान ग्रेनाइट शोधन यूनिटों द्वारा खरीदे गए देसी उपकरणों पर उत्पाद शुल्क हटाना, आय कर अधिनियम की धारा 80 एचएचसी के अन्तर्गत कर अदायगी में छूट तथा अधिक निर्यात बढ़ाने के लिए रियायती दरों पर निर्यात वित्त का प्रावधान।

चूंकि ग्रेनाइट एक गौण खनिज है, इसलिए ग्रेनाइ के खनन पट्टे और ग्रेनाइट खानों का विकास संबंधित राज्य सरकारों के गौण खनिज रियायत नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है। राज्य सरकारों ने अपनी ओर से गृहीत खनन पट्टे देकर ग्रेनाइट शोधन उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किए हैं।

चल टेलीफोन

2074. **श्री धर्म सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश में चल टेलीफोन प्रणाली आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां, प्रारम्भ में यह सुविधा बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास महानगरों में शुरू किये जाने की योजना है।

(ख) इस सम्बन्ध में, खुला टेंडर पहले से ही भारतीय कम्पनियों के नाम मंजूरी के लिए आमन्त्रित किया जा चुका है।

आंध्र प्रदेश में आई० एस० डी०/एस० टी० डी० बूथ

2075. **श्री धर्म सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में आई० एस० डी०/एस० टी० डी० बूथों की जिलेवार संख्या क्या है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान कितने बूथ चालू किए जाएंगे और कहां-कहां ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) आन्ध्र प्रदेश के एस० टी० डी०/आई० एस० डी० बूथों की जिलेवार संख्या विवरण में प्रस्तुत की गई है।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में चालू किए जाने वाले प्रस्तावित बूथों की जिलेवार संख्या भी अनुबन्ध-I में प्रस्तुत की गई है। इन बूथों को स्थापित करने के लिए स्थानों का चयन आवेदकों/अनुरोधकर्त्ताओं और इनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

विवरण

क्रम० सं०	जिले का नाम	इस समय उपलब्ध बूथों की संख्या	1992-93 के दौरान चालू किए जाने वाले प्रस्तावित बूथों की संख्या
1.	आदिलाबाद	25	5
2.	अनंतपुर	77	20
3.	चित्तूर	80	25
4.	कुड्डापाह	48	10

1	2	3	4
5.	पूर्व गोदावरी	258	30
6.	गुंटूर	147	25
7.	हैदराबाद	186	200
8.	करीमनगर	33	10
9.	खम्माम	62	15
10.	कृष्णा	160	40
11.	कुरनूल	64	15
12.	महबूबनगर	30	10
13.	मेडक	28	10
14.	नालगोंडा	14	10
15.	नेल्लोर	48	10
16.	निजामाबाद	40	10
17.	प्रकासम	38	5
18.	रंगरेड्डी	32	6
19.	श्रीकाकुलम	32	10
20.	विशाखापटनम	220	35
21.	विजयनगरम	21	10
22.	वारंगल	36	15
23.	पश्चिमी गोदावरी	128	30
	जोड़	1816	556

टेलीफोन के साइन बोर्डों का लगाया जाना

2076. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि०, दिल्ली द्वारा सार्वजनिक टेलीफोन बूथ दिए जाने के बावजूद भी "सार्वजनिक टेलीफोन" के "साइन बोर्ड" वहीं लगाए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आपरेटर जनता से एक रुपये से अधिक वसूल कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी हां। महानगर टेलीफोन निगम लि०, दिल्ली को इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) पी० सी० ओ० प्रचालन के लिए निर्धारित शर्तों और भारतीय तार अधिनियम के

अधीन निर्धारित नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए पी० सी० ओ० का निरीक्षण और अधिक सुदृढ़ और गहन कर दिया गया है ।

समाचार पत्र पंजीयक को प्राप्त आवेदन

2077. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार-पत्र पंजीयक द्वारा वर्ष 1990-91 और 1991-92 में अब तक पत्रिकाओं के पंजीकरण हेतु राज्य-वार और भाषा-वार प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान अब तक पंजीकृत की गई पत्रिकाओं तथा 1-4-91 और 31-12-91 को बकाया पत्रिकाओं की संख्या क्या है;

(ग) प्रत्येक अवधि के दौरान पत्रिकाओं के पंजीकरण हेतु अस्वीकृत आवेदनों की संख्या क्या है; और

(घ) इन वर्षों के दौरान प्रकाशन न किए जाने के कारण कितनी पत्रिकाओं के पंजीकरण को राज्य-वार और भाषा-वार समाप्त किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सूचना विवरण-1 और 2 में दी गयी है ।

(ख) 1990-91 तथा 1991-92 (31-12-91 तक) के दौरान क्रमश: 9898 तथा 6742 पत्रिकाएं पंजीकृत की गयी थी । 1-4-91 तथा 31-12-91 के अनुसार क्रमश: 65 तथा 44 आवेदन पत्र संबित थे ।

(ग) पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए 1990-91 के दौरान 14000 आवेदन पत्र तथा 1991-92 (31-12-91 तक) के दौरान 9559 आवेदन पत्र अस्वीकार किए गए थे ।

(घ) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते । सामान्यतया एक बार एक व्यक्ति के पक्ष में पत्रिका सत्यापित करने के बाद उसे नहीं रोका जाता ।

विवरण

पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए 1990-91 तथा 1991-92 (31-12-1991 तक) के दौरान भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालयों द्वारा प्राप्त राज्य-वार आवेदन पत्रों की संख्या :

राज्य	1990-91	1991-92 (31-12-1991 तक)
आन्ध्र प्रदेश	836	584
असम तथा पूर्वोत्तर (मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा) सहित अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह)	494	441

1	2	3
बिहार	721	469
दिल्ली	3864	2514
गुजरात	558	452
हिमाचल प्रदेश	267	212
हरियाणा	283	230
जम्मू तथा कश्मीर	101	75
कर्नाटक	1047	584
केरल	1790	1292
महाराष्ट्र	4237	289
मध्य प्रदेश	1463	965
उड़ीसा	616	404
पंजाब तथा चंडीगढ़	404	295
राजस्थान	740	486
तमिलनाडु तथा पांडिचेरी	1511	1013
उत्तर प्रदेश	4137	2791
पश्चिम बंगाल	894	642
कुल	23963	16345

विवरण

पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए 1990-91 तथा 1991-92 (31-12-91 तक) के दौरान भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा प्राप्त भाषा-वार आवेदन पत्रों की संख्या

भाषा	1990-91	1991-92 (31-12-91 तक)
हिन्दी	7546	6145
अंग्रेजी	6672	5271
तेलुगु	481	233
बंगला	446	196
तमिल	824	427
मलयालम	899	496
कन्नड	441	191
उर्दू	1878	1168
गुजराती	262	230
मराठी	2091	885
उड़िया	380	131
पंजाबी	246	209
असमिया	222	184
सिन्धी	3	6
संस्कृत	8	7
अन्य भाषाएं	237	188
द्विभाषि	1012	302
बहुभाषी	315	76
कुल	23,963	16,345

बिहार की धन सिंहतौली जलाशय योजना

[हिन्दी]

2078. **श्री ललित उरांव** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के गुमला जिले में धन-सिंहतौली जलाशय योजना का निर्माण कार्य इस समय किस अवस्था में है, और

(ख) इसके कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मार्च, 1991 तक परियोजना पर सूचित की गयी प्रगति बांध पर 80%, स्पिलवे पर 74% जल निकास पर 35% तथा बांयी नहर पर 86% हुई है। नहर की संरचनाओं पर कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ख) इस परियोजना को आठवीं योजना में पूरा करने का कार्यक्रम है।

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन एवं आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

2079. **(श्री सन्तोष कुमार गंगवार)** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां सरकार को 1991-92 के दौरान दूरदर्शन एवं आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने हैं; और

(ख) इन केन्द्रों के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख)।

दूरदर्शन

उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 1991-92 के दौरान चुर्क और मसूरी में एक-एक दूरदर्शन ट्रांसपोजर सेवा के लिए चालू कर दिये गये हैं। वर्ष 1991-92 की शेष अवधि के दौरान कोई अन्य दूरदर्शन केन्द्र के चालू किये जाने की परिकल्पना नहीं है।

आकाशवाणी

वर्ष 1991-92 के दौरान ओबरा, झांसी, फैजाबाद और बरेली में एक-एक अर्थात् चार नए आकाशवाणी केन्द्रों के तकनीकी रूप से तैयार हो जाने की परिकल्पना है।

[अनुवाद]

2080. **कावेरी जल विवाद**
श्री सुधीर गिरि
श्री वी० एम० सी० बालयोगी
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री के० एच० मुनियप्पा
श्री वी० कुप्पा राव
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी
श्री कमला मिश्र मधुकर
श्रीमती वासवा राजेश्वरी
श्री सूर्य नारायण यादव : क्या जलसंसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के महीनों में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच उत्पन्न कावेरी जल विवाद का स्वरूप क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में सभी संबंधित राज्यों तथा विशेषज्ञों से परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा व्यक्त मत क्या है;

(घ) क्या इस समस्या को हल करने के लिए अब तक कोई योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (च) केन्द्र सरकार ने जून, 1990 में कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया था और तमिलनाडु सरकार की जुलाई, 86 की शिकायत में अधिकरण को अधिनिर्णय हेतु भेजी गई थी। अधिकरण ने 25-6-1991 को अपना अंतरिम आदेश दिया, जिससे इसके कार्यान्वयन के पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दे उत्पन्न हो गए। राष्ट्रपति के निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसरण में, केन्द्र सरकार ने अन्तरिम आदेश को अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार, 10-12-1991 को राजकीय गजट में अधिसूचित करके इसे प्रभावी और बाध्यकारी बनाया।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श पर विचार करते हुए कर्नाटक ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 5 (3) के अन्तर्गत अंतरिम आदेश पर स्पष्टीकरण और व्याख्या हेतु 25-11-1991 को एक समीक्षा याचिका दायर की।

प्रधानमन्त्री जी ने कावेरी जल से सम्बन्धित मामलों पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी के मुख्यमन्त्रियों के साथ 17-2-92 को विचार-विमर्श किया। राज्यों ने अधिकरण के समक्ष सभी कार्रवाइयों को शीघ्र पूरा करने पर सहमति दी।

अधिकरण ने समीक्षा याचिका पर 28-2-92 को सुनवाई की और अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

बिहार में विद्युत उत्पादन हेतु आवंटित धनराशि का अन्यत्र उपयोग

[हिन्दी]

2082. **श्री ललित उराँव** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार, अन्य राज्यों से 6 करोड़ रुपये की लागत की बिजली खरीदने के लिये आवंटित वार्षिक राशि के अलावा योजना खर्च के लिए आवंटित राशि में से भी इस मद पर खर्च कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य के योजना निवेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्यमन्त्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऊर्जा विकास के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकृत धनराशि

[अनुवाद]

2083. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या विद्युत और वैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा विकास के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी धनराशि और शर्तें क्या-क्या हैं;

(ग) सरकार का इस ऋण किस उद्देश्य के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार इस ऋण को कब तक वापस करेगी ?

विद्युत और वैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) (घ) ऊर्जा सम्बन्धी विकास के लिए भारत सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक से कोई ऋण प्राप्त नहीं लिया गया है ।

केरल में टूर पैकेज

2084. **श्री डी०वै० चंद्रचूड** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा केरल की यात्रा करने हेतु आने वाले पर्यटकों के लिए कोई टूर पैकेज आरम्भ किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक आरम्भ करने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम इस समय "साउथ इण्डिया बोलान्ज़ा" नाम से एक साप्ताहिक भ्रमण (टूअर) आयोजित कर रहा है जो प्रत्येक शुक्रवार को मद्रास से शुरू होता है । यह भ्रमण आगामी शुक्रवार को मद्रास लौटने से पूर्व तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी के स्थलों को कवर करता है । किराया प्रति वयस्क/बच्चा क्रमश: 1600/- रु० और 1300/- रु० है । इसमें डीलक्स कोच वाहन, दो व्यक्तियों के लिए सहभागिता आधार पर आवास, गाइड सेवा, प्रवेश शुल्क, पोर्टेज आदि शामिल हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोंकण क्षेत्र की पानी की समस्या

2085. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयना नदी के जल प्रवाह को अरब सागर में जाने से रोकने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इससे सम्पूर्ण कोंकण क्षेत्र की पानी की कमी की समस्या को हल करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) अरब सागर में कोयना जल के प्रवाह को रोकने का प्रस्ताव केन्द्र में प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कोंकण क्षेत्र में उपयोग करने के लिए कोयना टेल रेस जल को उठाने की स्कीम आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

2086. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम द्वारा महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने गांव को एक इकाई के रूप में माना है; और

(ग) कब तक सभी गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण हो जाएगा ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना सम्बन्धी कार्यक्रम (आई० आर० ई० पी०) का कार्यान्वयन, राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है कार्यक्रम के अन्तर्गत, ब्लाक को आयोजना सम्बन्धी यूयिट माना जाता है। केन्द्रीय सरकार, राज्य एवं ब्लाक स्तर पर समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम सैल की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करती है। परन्तु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तर की आई० आर० ई० पी० परियोजनाओं से सम्बन्धित लक्ष्यों का निर्धारण, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र में आई० आर० ई० पी० कार्यक्रम का कार्यान्वयन, महाराष्ट्र एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी (महाराष्ट्र सरकार का एक उपक्रम) द्वारा किया जा रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, रत्नागिरी जिले को आई० आर० ई० पी० कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य, जिला सिंधुदुर्ग के केवल वेंगुरला तालुका में आरम्भ किया गया है।

(ग) महाराष्ट्र बिजली बोर्ड द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, 1981 की जनगणा के आधार पर राज्य द्वारा मार्च, 1989 के अन्त तक शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है। महाराष्ट्र में विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या 9'06 है।

अफ्रीका देशों को वायुयान से सब्जियां तथा फूल भेजा जाना

2087. **श्री एन० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी देशों को सब्जियां तथा फूल भेजने के लिए एयर इंडिया कार्गो सर्विस की सेवायें प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां से एयर इण्डिया कार्गो सर्विस का संचालन किया जावेगा;

(ग) क्या यह सेवा प्रदान करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में कुछ स्थानों की पहचान की गयी है;

(घ) यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

शिशु आहार

2088. श्री सुरेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में शिशु आहारों और फार्मूलों के उत्पादन और उपभोग में हुई वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादक-इकाईयों के नामों सहित ऐसे आहारों और फार्मूलों के वार्षिक उत्पादन का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी मदों के उत्पादन को नियमित करने सम्बन्धी एक विधेयक संसद में प्रस्तुत करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) शिशु दुग्ध आहार, दुग्धपान बोतलों और शिशु आहार के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिए एक बिल संसद में रखने हेतु अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बीमा पार्सल सम्बन्धी प्रतिबन्ध

2089. श्री सुधीर सावन्त : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यक्तिगत, छोटे दस्तकारों के सोने तथा चांदी के पार्सलों को डाक विभाग के जरिये भेजने पर 10,000/- रुपये के बीमा पार्सलों पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं। डाक द्वारा भेजी जाने वाली डाक वस्तुओं का अधिकतम 20,000 रु० तक बीमा किया जा सकता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विमानों की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं

[हिन्दी]

2090. श्री बारे लाल जाटव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बढ़ते हुए आतंकवाद को देखते हुए विमानों की सुरक्षा के लिए कोई नई योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) अपहरण विरोधी और तोड़-फोड़ विरोधी एक पूर्ण सुरक्षा योजना पहले से ही विद्यमान है और इसे क्रियान्वित किया जाता है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, सुरक्षा परिदृश्य पर निरन्तर निगरानी रखता है।

दूरसंचार अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

2091. श्री बारे लाल जाटव। क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को कारगर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)। (क) दूरसंचार विभाग में सुचारु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। बदलती प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समय-समय पर अद्यतन विकसित किया जाता है।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार है।

(1) आई० टी० एस० समूह "क" में सीधी भर्ती के रंगरूटों के प्रवेश प्रशिक्षण (इन्डक्शन ट्रेनिंग) को हाल ही में अद्यतन किया गया है।

(2) हाल ही में पदोन्नत किए गये टी० ई० एस० समूह "ख" अधिकारियों के लिए प्रबंधन में एक नया प्रशिक्षण आरम्भ किया गया है।

(3) कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों (जे० टी० ओ०) के संबंध में नई भर्ती के अधिकारियों के प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम को अद्यतन बनाने के काम को इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(4) समूह "ग" और "घ" के पुनर्गठित संवर्गों के लिए नए प्रशिक्षण को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(घ) उत्तर "ख" के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन

2092. श्री बारे लाल जाटव
श्री आर्थर पनांडीज
श्रीमती वसुन्धरा राजे } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तार अधिनियम 1885 में बनाया गया था;

(ख) क्या सरकार का विचार इसमें संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सरकार ने, भारतीय तार अधिनियम, 1885 की व्यापक समीक्षा करने के लिए 4 नवम्बर 1991 को अलग से एक समिति का गठन किया है।

(घ) यह अधिनियम 1885 लगभग 107 वर्ष से अधिक पुराना है और दूरसंचार के क्षेत्र में हमारे देश में तेजी से हुए प्रौद्योगिकीय विकास द्वारा पैदा की गई बदली हुई स्थिति के अनुसार इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है।

विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त जहरीली गैस

2093. श्री बारे लाल जाटव : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली जहरीली गैस को कम करने हेतु हाल ही में जर्मनी से बातचीत शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयनारायण राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बौद्ध पर्यटन स्थलों का विकास

2094. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा
श्रीमती भावना चिखलिया
डा० रमेश चन्द्र तोमर
श्री देवी बक्स सिंह
] : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत के बौद्ध पर्यटन स्थलों और सड़कों के विकास के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता से उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से पर्यटक स्थलों को विकसित किया जा रहा है/विकसित करने का विचार है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई है या जारी करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारत सरकार और जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओईसीएफ) ने 220.43 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में अभिनिर्धारित बौद्ध परिपथ पर चुनिंदा स्थलों पर आधारिक-संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने के लिए 15 दिसम्बर, 1988 को एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें से ओईसीएफ 9.244 बिलियन जापानी येन वित्तीय सहायता के रूप में देगा। सरकार ने 4,406 मिलियन जापानी येन की कुल परियोजना लागत से अजन्ता और एलोरा का संरक्षण तथा विकास करने के लिए भी 9 जनवरी, 1992 को ओ ई सी एफ के साथ एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें से ओईसीएफ 3,745 मिलियन जापानी येन वित्तीय सहायता के रूप में देगा।

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य के बौद्ध परिपथ के सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और पिपरहवा जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जागगा।

(ग) सरकार ने सड़कों के लिये किए गए कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 223.61 लाख रु० की प्रतिपूर्ति की है। इस परियोजना के अंतर्गत, राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट निर्माण कार्यों के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है और फिर ओईसीएफ से प्रतिपूर्ति का दावा करना होता है।

इस्पात संयन्त्रों का क्रयादेश

2095. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत इस्पात संयंत्रों का क्रयादेश नीति के विकास के रूप में गैर-सरकारी कम्पनियों के बजाय पहले हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन को देना पड़ता है,

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है क्रयादेश पहले गैर-सरकारी कम्पनियों को दिया जा रहा है,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की वर्तमान नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सार्वजनिक उद्यमों को केवल क्रय और मूल्य निर्धारण (न्यूनतम उद्धृत मूल्य के 10% तक) में प्राथमिकता देने की आवश्यकता है बशर्ते सभी बातें समान हों। सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्र निविदा आमंत्रित करते समय और माल एवं सेवाओं की सप्लाई के सम्बन्ध में आर्डर देते समय इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करते रहे हैं। जब सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को पूरा करने में असफल रहती है, तभी निजी कम्पनियों को आर्डर दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अनधिकृत दुग्ध संयंत्र

[अनुवाद]

2096. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बड़ी संख्या में अनधिकृत दुग्ध संयंत्र दूध से दुग्ध पाउडर के निर्माण में लगे हुए हैं जिसके कारण दूध की कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों के मालिकों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री विरधर गोमांगो) : (क) से (ग) मक्खन रहित दूध पाउडर और घी बनाने वाले बहुत से दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट दिल्ली में स्थापित हो गए हैं। 1991 के प्रैस नोट संख्या 9 के अनुसार औद्योगिक उपक्रम द्वारा उत्पादन आरम्भ करने से पहले औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकतायें वह पूरी करता हो। जहां स्थानिक पैरामीटरों के अन्तर्गत स्थापित बड़े यूनिटों को सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करना आवश्यक है वहां छोटे यूनिटों के लिए यह आवश्यक नहीं है। दिल्ली स्थित यूनिटों ने औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। दिल्ली प्रशासन से, जो कुछ केन्द्रीय, राज्य/स्थानीय कानूनों को लागू करता है, अनुरोध किया गया है कि ऐसे कोई अनधिकृत यूनिट हों तो कानूनों के अधीन वह उनका पता लगाए और और उचित कार्रवाई करे।

दिल्ली दुग्ध योजना, मदर डेरी और दिल्ली में दूसरी एजेन्सियों की तरल दूध की आपूर्ति उचित रूप में पर्याप्त है।

आर्थिक नीति के बारे में लोगों को जानकारी देने संबंधी कार्यक्रम

2097. **डा० वेणी प्रसाद पाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अपनी आर्थिक नीति के बारे में लोगों को जानकारी देने का एक व्यापक कार्यक्रम चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरजा व्यास) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्य जनता को सूचित करना तथा सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों सम्बन्धी जनजागरण अभियानों को कार्यान्वित करना है। सरकार की आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में इस कार्य के कार्यान्वयन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एकक लगे हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय आपने उस दिन सदन में घोषणा की थी तो मैं जानना चाहता हूं कि गेहूं का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठें, वे बोलने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने मुझे एक पत्र दिया है।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : यह आ रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय हमारे देश में आज समाचार पत्रों में छपे एक अत्यंत गम्भीर समाचार के बारे में हमने नोटिस दिया है। यह अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा तैयार वर्गीकृत आन्तरिक नीति दस्तावेज है, जिसे रक्षा मंत्री, श्री बुश और उनके सलाहकारों के परामर्श से तैयार किया गया है। इसमें यह मानकर भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध बल प्रयोग करने का प्रावधान है कि हम विशाल तबाही वाले और आणविक शस्त्र बनाने में जुटे हुए हैं। अब यह बहुत गंभीर मामला है।

आणविक बम बनाने के बारे में भारत की स्थिति सारे विश्व को पता है। हम बम बनाने से दूर रहे हैं। हमने घोषणा की है कि हम आणविक ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए

करेंगे। लेकिन इन आन्तरिक दस्तावेजों के जरिए जो हेकड़ी दर्शाई गई है, वह हमारे देश के लिए अत्यंत कष्टदायक है। इससे अमेरिकी प्रशासन में एक प्रकार की अनभिज्ञता का भी पता चलता है। इस रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि वे एक परमाणु मुक्त विश्व बनाने के इच्छुक नहीं हैं। वे परमाणु शक्ति के एकाधिकार को अपने क्षेत्र में कुछ देशों तक ही सीमित रखना चाहते हैं।

भारत ने यह नैतिक मत लिया है और हमारे देश के लोगों ने भी इसे माना है कि हम परमाणु बम बनाने के विरुद्ध हैं। हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति के उपयोग के पक्ष में हैं। लेकिन इसके साथ ही भारत के खिलाफ इस प्रकार के अनैतिक उल्लेख की निन्दा होनी चाहिए।

मैं सरकार से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या उन्हें इस पत्र का पता चला है। यदि उन्हें पता है तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग में तैयार किए जा रहे इस प्रकार के फैसले के खिलाफ वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं? यह अत्यन्त गंभीर मामला है। पूरी सभा इस बारे में चिन्तित है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इस बारे में माननीय सदस्यों के प्रयासों की और उनके द्वारा दर्शाई गई सतर्कता की सराहना करते हैं। और इसकी सराहना की ही जानी चाहिए। ऐसे मुद्दे को हमें महत्व देना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के मामलों को उठाते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए।

जब हम सूची से बाहर के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तब सभा में विदेशों से संबंधित मामले उठाते समय यह स्वाभाविक है कि सरकार के पास इसका नोटिस नहीं होता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर मामला नाजुक है और अगर इसे देशों में वैमनस्य उत्पन्न करने के लिए प्रकाशित किया गया है, यह देश अमेरिका या चीन या सोवियत संघ या पाकिस्तान अथवा मलेशिया या कोई भी अन्य देश हो सकता है, तब ऐसे मामले में हमें अत्यंत सतर्क रहना होगा। हम एक तरफ तो अत्यंत सतर्क रहने वाले सदस्यों की सराहना करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं लेकिन इसके साथ ही मैं सदस्यों को सावधान करना चाहूंगा कि देश के हित में सूची से बाहर का विषय लेते समय हमें ऐसे नाजुक मामले उठाते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनसे वैमनस्य उत्पन्न होगा।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैंने उचित नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको सरकार को नोटिस देना चाहिए, मुझे नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हां। मैंने सरकार को नोटिस दिया है। इसे मंत्री महोदय को क्यों नहीं दिखाया गया है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सैफुद्दीन जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी बात कह रहा हूं। और मुझे इसे कहने दें। आप पहले बैठ जाइए। अगर मैं ऊंची आवाज में नहीं बोलूं तो आप अपने स्थान पर नहीं बैठेंगे। कृपया यह तो मानिए कि मैं अपनी आवाज ऊंची करने में आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। मुझे बोलना पड़ेगा ही।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभा में बहुत ध्यानपूर्वक वक्तव्य दिया है। मैंने आपको इस मुद्दे को उठाने से रोका नहीं है। इसके साथ ही मैंने आपको सावधान किया है कि कहीं ऐसा न हो किसी ने चीन और भारत, सोवियत संघ और भारत, अमेरिका और भारत, पाकिस्तान और भारत अथवा इसी प्रकार किसी दूसरे देश के बीच वैमनस्य उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्रों को समाचार दिया हो। इसी कारण आपको इस बारे में बहुत ध्यान रखना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ऐसा मत कीजिए। आवाज ऊंची निकालने को मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। कृपया जो मैं कहना चाहता हूं, मुझे कह लेने दीजिए। मैं सरकार से यह नहीं कह रहा हूं कि वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करें। मैं सरकार को इसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि हम दूसरे देशों से सम्बन्धित मामलों पर बहस करते हुए सावधान रहें जिन पर कि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और उन तथ्यों को सत्यापित करने के आपके पास कोई साधन नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव।

(व्यवधान)

श्री कीकान्त जैना (कटक) : क्या सरकार को इस समाचार विशेष की जानकारी है या नहीं?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (बसबन) : राष्ट्रीय हित के मामलों में सरकार से तत्काल उत्तर की अपेक्षा की जाती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चन्द्रजीत यादव को बोलने के लिए कहा है। आप सब खड़े होकर बोल रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। मैं एक-एक करके वक्ताओं को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष को पूर्व सूचना देने का अभिप्राय सरकार को पूर्व सूचना देना नहीं है। मुझे सभा आरम्भ होने के 10 मिनट पहले ही पूर्व सूचना प्राप्त हुई है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं आपकी इन दो बातों से बिल्कुल सहमत हूं जो आपने कही हैं कि हमें संवेदनशील मामलों पर अन्य देशों के साथ अपने संबंधों के बारे में सावधान रहना

चाहिए और यह कि जहां तक कि हमारे राष्ट्रीय हित विशेष कर सुरक्षा तथा प्रभुसत्ता का संबंध है, आप सदस्यों की सतर्कता की प्रशंसा करते हैं। महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। सुविदित है कि इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि हमने एन० पी० टी० पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया है क्योंकि हम समझते हैं कि यह हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है। परमाणु हथियारों सम्बन्धी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए केवल क्षेत्रीय शान्ति अथवा क्षेत्रीय समझौता होना ही काफी नहीं है। विश्व को परमाणु हथियार मुक्त होना चाहिए। इसलिए, अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, हमने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है। हमारी सरकार पर यह केवल एक दबाव है तथा यह दबाव उस सीमा तक है कि वे हमारी परमाणु स्थापनाओं पर भी छापा बोल सकते हैं। यह एक गंभीर मामला है। यह सरकार के ध्यान में लाया गया है और सरकार को कम से कम इस डर को कम करने के लिए तत्काल ही कोई कदम उठाना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह मामला सरकार के ध्यान में भी आया है अथवा नहीं। इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं। जो कि सौभाग्य से इस समय यहां मौजूद हैं, कि कम से कम इस महत्वपूर्ण मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें जो कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा प्रभुसत्ता से संबंध रखता है। यह मेरा अनुरोध है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर्य पुनमिया (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, इस मौके पर मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं स्वयं अणु शक्ति का ही विरोधी हूं चाहे वह किसी लड़ाई के लिए इस्तेमाल करने लिए हो या बिजली पैदा करने के लिए हो, मैं इस अणु शक्ति का ही विरोधी हूं, लेकिन अमरीका की तरफ से यह जो सोच इस वक्त चल रही है, इससे मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूं— नम्बर एक -हम लोग पिछले कई दिनों से इस देश की सार्वभौमिकता के सवाल पर सदन के भीतर और बाहर बहस छोड़ते रहे हैं। हम यह मानते हैं कि जब आर्थिक सार्वभौमिकता चली जाती है, तो वहां पर हमारी राजनीतिक सार्वभौमिकता बहुत ज्यादा दिन टिकने की आशा रखना भी गलत हो सकता है और यह जो खबर आज छपकर आई है यह मेरे लिए उसी का द्योतक है कि अमरीका आज आपको यह बताना चाहता है कि आपकी सार्वभौमिकता पर भी हमला हो सकता है।

मैं दूसरा प्रश्न, जो आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि पिछले छः महीने से हमारे देश के अनेक सेना के और मिलिट्री के अधिकारी अमरीका गए हैं, वहां से अनेक बहुत बड़े अधिकारी हिन्दुस्तान आए हैं। हमारी सेना के जो सबसे बड़े जनरल हैं, वे अमरीका जाकर वहां अनेक लोगों से, यहां तक कि स्टेट डिपार्टमेंट तक बात चलाकर लौट कर आए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं, मुझे अभी याद नहीं है कि रक्षा मन्त्री वहां जाकर आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन वे रक्षा के मामलों पर पिछले कई दिनों से कई बातों को कहते आए हैं, तो जब आपके यहां के अफसर अमरीका जाकर, पिछले 6 महीनों में आए हैं, और सरकार के स्तर पर वे गए हैं, वे कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं गए हैं तथा अमरीका के, इतने मिलिट्री, नैवी और एयरफोर्स के अधिकारी हिन्दुस्तान पिछले छः महीनों में आए हैं, जो शायद पिछले 40 सालों में नहीं आए होंगे, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप देखिए,

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ये मुद्दे आप लोगों के बीच में उठाए गए थे और आज जो अखबारों में समाचार आया है, क्या वह सत्य है ? और अध्यक्ष जी, मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूं कि यह खबर किसी की प्लांट की हुई खबर है,···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह मैंने नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा है— "प्लांट की हुई हो सकती है," आप तोड़-मरोड़कर नहीं बताइए। अगर ऐसा मेरे सामने जो हो रहा है, तो फिर बाहर जाकर क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, आई स्टैंड करैक्टेड। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की आशंका करने की भी वहां पर गुंजाइश नहीं है क्योंकि इस खबर के तथ्यों के बारे में मेरे मन में रत्तीभर भी शंका नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सवाल पर इस खबर के आने के पहले कुछ सोचा, क्या इसके बारे में उसको जानकारी थी और अब जब खबर आई है, तो क्या सरकार ने अभी तक कोई पहल की है कि अमरीका के राजदूत को तत्काल बुलाकर उनसे इस बारे में कोई सफाई मांगी है ?····(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब मैं आपका नाम बुलाऊं, आप केवल तभी बोलियेगा।

श्री कल्पनाथ पाण्डे (हुगली) : आर्थिक प्रभुसत्ता बहुत खतरे में है। सरकार को तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमारी रक्षा सेनाओं तथा अमरीकी रक्षा सेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास की पृष्ठभूमि में···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रविराय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आप जो बोले, मैं आपके फैसले के साथ सहमत हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि श्री पवार जी यहां बैठे हैं, सवाल यह है कि अध्यक्ष महोदय, हम लोग जो गैर-सरकारी सदस्य हैं, जो सवाल देश की सिक्योरिटी के सिलसिले में खतरनाक सवाल हमको लगता है और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर सरकार तुरन्त रिस्पांड करें, इसलिए मैं इस सवाल को उठा रहा हूं कि यह जो खबर छपी है, यह पेंटागन की ओर से छपी है। पेंटागन जो डिफेंस एस्टाब्लिशमेंट है युनाइटेड स्टेट्स का, तो वह खबर छपी है कि एक डाकुमेंट···· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए,···

(व्यवधान)

श्री रविराय : अध्यक्ष महोदय, खबर में साफ लिखा है कि ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखबार में लिखा है या वह छपा है ?

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप से सहमत होकर कह रहा हूं कि यहां शरद पवार जी, बैठे हैं, वे यह कह दें कि भाई पेंटागन का डाकुमेंट नहीं है, ···(व्यवधान)···बुश साहब के जो सलाहकार हैं और एक अन्डर सैक्रेट्री के माध्यम से यह छपा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं उसमें जाना चाहता हूं जब कि अमरीका की तरफ से बार-बार हम लोगों की प्रभुसत्ता पर हमला हो रहा है,···(व्यवधान)···दूसरी तरह का हमला हो रहा है। एक तो आर्थिक हमला हो रहा है और अभी राजनीतिक प्रभुसत्ता के ऊपर हमला हो रहा है। हमारी सिक्योरिटी खतरे में है और अमेरिका धमकी दे रहा है। पवार साहब, यहां पर बैठे हुए हैं, वे यह बताएं कि पैन्टागन की तरफ से नहीं कहा गया है।·····(व्यवधान) हमारे विदेश सचिव श्री दीक्षित गए हैं या जाने वाले हैं। इसको छपवाकर उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप एन०पी०टी० पर हस्ताक्षर करो। यह बाध्यता है और तरह-तरह का प्रैशर डाला जाता है। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की प्रभुसत्ता की खातिर सरकार उसके अन्दर न आए।·····(व्यवधान) हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या पैन्टागन की तरफ से कहा गया। क्या यूनाइटेड स्टेट्स सरकार का विचार है। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो सरकार को इस बारे में तत्काल ब्यान देना चाहिए।·····(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समाचार को मैंने भी पढ़ा है। मैंने अपने विभिन्न माननीय सहयोगियों के कथनों तथा उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को बहुत ध्यान से सुना है।

निश्चय ही, जहां तक राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, राष्ट्र के हित, राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों तथा रक्षा सम्बन्धी मामलों इत्यादि का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि इन सब विषयों पर सभा की दो राय होंगी।

लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता, है कि सदन जिस बात के लिए चिन्तित है, सरकार उस बात पर ध्यान दे।

सभा द्वारा चिन्ता व्यक्त किए जाने से पहले ही सरकार के लिए अच्छा होगा कि वह ऐसी घटनाओं पर नजर रखे और सभा को तथ्यों से अवगत कराए। मैं अपने सहयोगियों को इन विचारों से अवगत करवाना चाहता हूं जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन, फिर भी, यहां एक परिवर्तनीय वास्तविकता है और जिसकी कि कामना नहीं की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर, यदि भारत सरकार ने एन० पी० टी० पर हस्ताक्षर करने के सिलसिले में अमेरिका के दबाव को स्वीकार न करने का निर्णय लिया है, तो हम पूर्णतः सरकार के साथ हैं। जैसा कि मेरे मित्र जार्ज फर्नान्डीस ने कहा है हम एन० पी० टी० को समान रूप से लागू करने के पक्ष में नहीं है।

इसी तरह, यदि अमरीका के सेना अधिकारियों को अब भारत की यात्रा करनी हो तथा समकक्ष रैंक अथवा समान रैंक के भारतीय अधिकारियों को अमेरिका की यात्रा करनी हो तो इन बदली हुई परिस्थितियों में मैं इसे ठीक ही समझता हूं। विचारों के आदान-प्रदान की स्थिति को आप कैसे बनाए रखेंगे। इसी के साथ-साथ मैं इस वास्तविकता का स्वागत करता हूं कि पिछले एक लम्बे अरसे से जिस बात के लिए हम वकालत कर रहे हैं, मैं उस सच्चाई का स्वागत करता हूं कि अन्त

में सरकार ने इजराइल राज्य के साथ पूरे राजनयिक संबंध स्थापित करना मंजूर किया है। हम इसका स्वागत करते हैं। हम काफी लम्बे अरसे से इसकी वकालत करते रहे हैं। आप विश्व में हुए इस परिवर्तन से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय सार्वभौमिकता से संबंधित स्थिति का विश्लेषण करते समय आप कल की कहावत से बात नहीं कर सकते और आप निर्मूल समस्याओं और कठिनाईयों को अनदेखी नहीं कर सकते जो कि कल तक दिए गए वक्तव्य पर खरी उतरती थी।

इसलिए, मैं सरकार से फिर अपील करता हूं कि सभा के सामने लाये जाने से पहले वे ऐसी घटनाओं पर ध्यान दें। सभा के लिए यह कुछ चिन्ता का विषय है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था तथा इसे स्पष्ट करना चाहिए था अथवा उनको सबसे पहले इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जो कुछ भी हम समझते है वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि अन्तर्राष्ट्रीय माहौल में एक परिवर्तन हुआ है। बात यह नहीं है कि क्या हम उसे समझते हैं अथवा नहीं। बात यह है कि उस अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तन पर हम किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अब उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के अनेक तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम ऊपरी तौर पर समर्पण कर दें अथवा सम्भवत: साम्राज्यवादी अमरीकी ताकत के समक्ष दिखावटी तौर पर समर्पण करना है और दूसरा तरीका इस तरीके से जवाब देने का है ताकि हम तथाकथित तीसरे विश्व के विकासशील देशों में शिखर पर आ जायें और ऐसे दबावों का विरोध करें। प्रश्न यह है जैसा कि हम सभी ने इंगित किया है कि ऐसे मुद्दों पर हम हमेशा सरकार के साथ रहे हैं। आज हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं वह यह है कि क्या हमें उनके साथ होना चाहिए और आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए क्या वो कोई कदम उठायेंगे अथवा ऐसे दबाव के लिए क्या वे स्वयं जिम्मेवार नहीं है जिसके लिए केवल यही कहा जा सकता है कि सभी शक्तिशाली ताकतों के समक्ष वे झुक गए है और उन्होंने नये साम्राज्यवादी कदम का विरोध नहीं किया है जिसे सोवियत संघ के विघटन के कारण पहले से भी अधिक युक्तियुक्त बनाया गया है। खतरा बड़ा है, घटा नहीं है। यही धारणा सरकार की होनी चाहिए। हम बल्कि आशंकित हैं कि सरकार इस प्रकार की विश्व की परिस्थितियों को समझने से पीछे हट रही है। इसलिए देश को एक खतरा है।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : आदरणीय स्पीकर साहब मैं सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पंजाब के चुनाव मुकम्मल होने के बाद ...

अध्यक्ष महोदय : आप अगर चुप रहें तो उनसे मैं यह बात करूं, मैं भी यही कह रहा हूं। बरार जी मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : आज के अखबार में जो खबर आई है इस खबर के बारे में कोई ओथेंटिक इंफोर्मेशन भारत सरकार के पास अभी तक नहीं है। देश के विदेश सचिव आज

अमरीका गये हैं। मैंने यह खबर पढ़ने के बाद सुबह सूचना दी है कि वहां हमारे राजदूत उनसे सम्पर्क साधेंगे और डिटेल रिपोर्ट आज के अखबार में जो आई है इस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें ब्रीफ करेंगे, इसमें कुछ सच्चाई हो या गम्भीरता हो ··

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अमरीका के राजदूत को क्यों नहीं बुलाया गया ?

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : तो मैं सदन के सामने डिटेल्ड स्टेटमेंट देने के लिए अवश्य आऊंगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अमरीका के राजदूत को क्यों नहीं बुलाया गया ? वे कह रहे हैं कि वे सूचना एकत्र कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सरकार ने अमरीका के राजदूत को क्यों नहीं बुलाया और सच क्यों नहीं पूछा ? वे क्या आश्वासन दे रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।····(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : राजदूत को बुलाया जा सकता है। आप राजदूत को बुलाएं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कम से कम आप हमें यह बताएं की आप क्या करने जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्होंने राजदूत को क्यों नहीं बुलाया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा अपने विचार नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कहा है कि वह जानकारी एकत्र करेंगे और आवश्यकता हुई तो सभा के समक्ष उपस्थित होंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगजीत सिंह बरार : पंजाब के चुनाव मुकम्मल होने के बाद सी० सी० आई० जो पहले वहां की मण्डियों से किसान की कपास को खरीद रही थी, अब उसने मण्डियों से अपने आपको बैक आउट कर लिया है। इससे कपास का भाव कम से कम 200/-रु० प्रति क्विंटल गिर चुका है और मैं सरकार से आपके जरिये विनती करना चाहता हूं कि आज पंजाब के किसान में यह चर्चा है कि काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया ने यह इसलिए विदड्रा किया है क्योंकि बड़े-बड़े घराने जो टैक्सटाईल के ओनर्स हैं—ओसवाल, बिरला की बहुत बड़ी मिलें है वे किसानों को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा फायदा लेना चाहते हैं।

मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि सरकार ने 7 लाख टन जो कपास का निर्यात पाकिस्तान को किया है, वह इतनी घटिया क्वालिटी है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया है।

दूसरी तरफ पंजाब का मेहनतकश किसान अच्छी क्वालिटी की कपास 414 नं० की काटन पैदा करता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह क्रूयल जोकि पंजाब के किसानों के साथ हो रहा है। उस किसान ने आड़े वक्त में और मुश्किल वक्त में बड़ी कुरबानी करके अपनी फसल को पाला है तो आज क्यों सी० सी० आई० 15 दिन से लगातार मार्किट से गायब है। भाव 1570/- रु० प्रति क्विंटल से 1200/- रु० प्रति क्विंटल पर आ गये हैं। मेरा यह मानना है और पंजाब के किसानों का विचार है कि सरकार बड़े घरानों के प्रैशर में आकर झुक गयी है और भाव गिराया है। इसको फौरी रोकने का इन्तजाम होना चाहिए ताकि पंजाब के किसान में यह भावना न आ जाए कि पंजाब का इलेक्शन महज एक ड्रामा था सी० सी० आई० ने इसलिए ये भाव विदड्रा किए हैं क्योंकि पंजाब के इलेक्शन्स मुकम्मल हो गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मंत्री जी से एक वक्तव्य देने को कह रहे हैं। श्री चिदम्बरम, आप अभी अपना वक्तव्य दे रहे हैं।

वाणिज्य मंत्रालय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : दूसरी ओर।....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा अभी इस समय उठाया गया। आप इस पर अपना, वक्तव्य देना चाहते थे। मैं आपको वक्तव्य देने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, क्या आप इस वक्तव्य के बाद अनुमति देंगे?.... (व्यवधान)

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : महोदय, आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : माननीय सदस्य श्री सुधीर सावंत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सुधीर सावंत : महोदय, आपने कांग्रेस के सदस्यों को उन मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं दी जिसे अन्य सदस्यों ने उठाया है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह मामला सुधीर सावंत के संसद सदस्य होने से जुड़ा है....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि आप सभी इसी तरह खड़े होकर बोलने लगते हैं। यदि आप ऐसा ही करते रहे तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप ही एकमात्र सदस्य नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री सुधीर सावंत : मैं इस सभा का एक सदस्य हूं। आपने प्रत्येक को मुद्दा उठाने और उस पर बोलने की अनुमति दी है। आपने मुझे, एक कांग्रेस के सदस्य को, उस पर बोलने की अनुमति नहीं दी है। ऐसा बार-बार हो रहा है....(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : अब आपको बैठना होगा अन्यथा मुझे आपको नामित करना होगा और आपको बाहर जाना पड़ेगा। बहुत हो गया। यह ग्राम पंचायत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सुधीर सावंत : यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हथियार के खरीददारी पर एक प्रश्न था और मैं उस पर पूरक प्रश्न पूछना चाह रहा था। आपने तब मुझे एक पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी थी। एक मुद्दा कृष्णमेनन के चीरहरण उठाने की भी अनुमति आपने नहीं दी थी। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि क्या यह (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सभा से बाहर नहीं जाते हैं तो मैं आपको नामित करने जा रहा हूं हद हो गई। सभा के सभी सदस्य देख रहे हैं कि यह भला मानस किस तरह व्यवहार कर रहा है। वह पूरक प्रश्न के समय प्रश्न पूछ रहे हैं वे अब भी मामलों को उठा रहे हैं। वह इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। यह शिवराज पाटिल पर नहीं बल्कि अध्यक्ष पीठ पर प्रहार है। यह सभा पर प्रहार है। अब यदि आप आगे से अच्छी तरह पेश नहीं आएंगे तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि मुझे आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री सुधीर सावंत : अब मैं सभा से बाहर आ रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, आप ऐसा ही करें।

श्री सुधीर सावंत : (व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, इस कथन को कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यक्ति हमेशा इस तरह व्यवहार करता है। उन्हें देख रहा था और वह इस तरह व्यवहार किये जा रहे थे। यदि वह सभा में ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं और यदि सभा इस पर ध्यान नहीं देती है तो मुझे इस पर ध्यान देने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, इनकी बात को एक्सपंज किया जाए क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्रीव्हेज में ले जाएंगे। ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : छोड़िये इन बातों को। वह जो कह रहे हैं उसे वे नहीं समझते। हम उन्हें बाद में समझा देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष के विरुद्ध किसी मामले को विशेषाधिकार समिति में नहीं ले जा सकते। यदि वह नहीं समझते हैं तो हमें इस पर गौर नहीं करना है। सदन के अन्दर मैं संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि वह उन्हें चेतावनी दें।

हां, श्री चिदम्बरम बोलें।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

12.31 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

(एक) गेहूं और चावल की बिक्री के लिए क्यूबा का अनुरोध

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : क्यूबा सरकार ने दिसम्बर, 1991 में भारत सरकार को आस्थगित अदायगी के आधार पर 5 लाख मी० टन गेहूं और 1 लाख मी० टन चावल की सप्लाई के लिए अनुरोध किया था। इस मामले पर क्यूबा के प्रतिनिधिमण्डल से विचार-विमर्श किया गया, जो फरवरी, 1992 में भारत आया था। क्यूबा के प्रतिनिधिमण्डल ने उक्त गेहूं और चावल के लिए भुगतान नकद रूप से अथवा वस्तुविनिमय आधार पर क्यूबा से वस्तुओं की आपूर्ति के जरिए करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने आस्थगित भुगतान की सुविधा के लिए कम से कम 360 दिन के लिए अनुरोध किया था।

उन्हें यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि हमारी अपनी स्टाक—स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम गेहूं का आयात करने पर विचार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें गेहूं की आपूर्ति करना संभव नहीं होगा। चावल की आपूर्ति के सम्बन्ध में हमने संकेत दिया था कि ऋण देने की अपनी क्षमता की समीक्षा करने के बाद निकट भविष्य में हम 10 हजार मी० टन चावल की आपूर्ति पर विचार करेंगे तथा अगले 10 हजार मी० टन चावल की सप्लाई पर हम अगली खरीफ की फसल की संभावनाओं की समीक्षा करने के बाद विचार करेंगे।

संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने भारत को गेहूं बेचने से इन्कार नहीं किया है। हम संयुक्त राज्य अमरीका में खुले बाजार से गेहूं खरीद सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया है कि वे भारत द्वारा गेहूं की प्रस्तावित खरीद के लिए निर्यात वृद्धि कार्यक्रम (ईईपी) के तहत आर्थिक सहायता नहीं दे सकेंगे। संयुक्त राज्य सरकार अपने किसानों को ई०ई०पी० के तहत आर्थिक सहायता देती है ताकि वे अपने निर्यात को अन्य देशों के ऐसे ही निर्यात की तुलना में प्रतियोगी बना सकें। ऐसा पता चला है कि अमरीकी कृषि सचिव ने इस बात का उल्लेख किया है कि भारत अमरीकी गेहूं का परम्परागत आघातक नहीं रहा है और भारत से क्यूबा को चावल की सप्लाई करना इस मामले में उनके निर्णय पर प्रभाव डाल रहा है। हमने इन कथित टिप्पणियों पर अमरीकी सरकार को अपनी चिन्ता से अवगत कराया है। अभी तक इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकार क्यूबा को चावल की सप्लाई के मामले में किसी भी बाहरी देश के विचारों से प्रभावित नहीं होगी।

हम समीक्षा कर रहे हैं और हम इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तरुण गोगोई।

12.34 म० प०

(दो) गेहूं का निर्यात और आयात

[हिन्दी]

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) :

1. गेहूं का निर्यात

सरकार ने 17 अगस्त, 1990 को राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से दस लाख मीटरी टन तक गेहूं का निर्यात करने का निर्णय किया था। इस मात्रा में से, वित्तीय वर्ष 1990-91 में केवल 2.01 लाख मीटरी टन गेहू का ही निर्यात किया जा सका था। इस सम्बन्ध में किए गए ठेकों के प्रति निर्यात के लिए बकाया गेहूं की मात्रा पहली अप्रैल, 1991 को स्थिति के अनुसार 5.04 लाख मीटरी टन थी। सरकार ने 1 अप्रैल, 1991 को वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात करने के लिए दस लाख मीटरी टन गेहूं का कोटा आवंटित करने का निर्णय किया था।

सरकार द्वारा गेहूं का निर्यात करने के लिए ये निर्णय भुगतान शेष की नाजुक स्थिति पर काबू पाने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से किए गए थे।

नई सरकार द्वारा कार्यभार सम्भालने के बाद, गेहूं की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की गई। यह विदित हुआ कि अप्रैल-जून, 1991 के दौरान गेहूं की वसूली में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 35 लाख मीटरी टन की भारी गिरावट आई थी। एहतियात के तौर पर, गेहूं के निर्यात के लिए ठेकों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 4 सितम्बर, 1991 को निर्यात के कोटे को कम कर आठ लाख मीटरी टन कर देने का निर्णय किया।

अक्तूबर, 1991 में यह अनुमान लगाया गया था कि खरीफ के धान और मोटे अनाजों के उत्पादन में लगभग 50 लाख मीटरी टन की गिरावट होगी। इस बात को भी नोट किया गया था कि खुले बाजार में गेहूं के मूल्यों में व्यर्थ ही वृद्धि हो रही थी। मूल्यों पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए सरकार ने खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करने के अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त गेहूं की निर्मुक्ति की थी। इसके बावजूद, मूल्यों पर निरन्तर दबाव बना रहा।

गेहूं की आपूर्ति की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती रही और जनवरी, 1992 में यह निर्णय किया गया कि राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा पहले से किए गए निश्चित ठेकों से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वाह करने के अलावा गेहूं का कोई और निर्यात न किया जाए।

वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान, अब तक कुल 6.72 लाख मीटरी टन गेहूं का निर्यात किया जा चुका है जिसमें 4.19 लाख टन गेहूं खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात किया गया है। और 2.53 लाख मीटरी टन राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात किया गया है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अधिकांशतः खुला और भाड़ा आधार पर निर्यात किया है और राज्य व्यापार निगम ने जहाज तक निःशुल्क आधार पर निर्यात किया है।

नियात की गई 6.72 लाख मीटरी टन गेहूं का कुल मूल्य 178.44 करोड़ रुपये बैठता है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किए गए निर्यात का मूल्य जहाज और लदान बंदरगाह पर अधिकांशत: प्रति मीटरी टन लगभग 116 अमरीकी डालर बैठता है जिसमें लगभग 13 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन का भाड़ा भी शामिल है जबकि राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गए निर्यात का मूल्य जहाज तक निम्नप्रकार अधिकांशत: लगभग 95 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन बैठता है।

2. गेहूं का आयात

गेहूं के निर्यात के लिए कोटे को कम करने के बारे में किए गए निर्णय के साथ-साथ सरकार ने 15 जनवरी, 1992 को इस आशय का भी निर्णय किया कि दस लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने की व्यवस्था की जाए। यह निर्णय खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि करने और मूल्यों में वृद्धि पर काबू पाने के उद्देश्य से किया गया। यह निर्णय लेते समय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये और खुले बाजार में खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती।

सरकार ने गेहूं का आयात करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, कनाडा और अर्जेंटाइना की मण्डियों में पूछ-ताछ की। गेहूं का आयात करने के लिए अभी तक कोई ठेका नहीं किया गया है।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्यों का सम्बन्ध है, इस समय विभिन्न मण्डियों में विभिन्न श्रेणियों के गेहूं के खुले बाजार के जहाज तक निम्नप्रकार मूल्य 130 से 170 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन के रेंज में चल रहे बताए जाते हैं। इस बात का उल्लेख करना अनावश्यक समझा जाता है कि किसी भी ठेके को अन्तिम रूप देने से पहले, जिन मूल्यों पर गेहूं उपलब्ध है, उन पर विचार करना नितांत आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि आपका मुद्दा मन्त्री जी के वक्तव्य से जुड़ा पूरक प्रश्न नहीं है। क्या यह कोई अलग मुद्दा है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां।

विगत शुक्रवार को मैंने एक नोटिस दिया था परन्तु माननीय गृह मन्त्री के यह आश्वासन देने पर कि वह वक्तव्य देंगे या हमें स्थिति की जानकारी दे दी जायेगी, मैंने मामला नहीं उठाया।

मैं सभा में उस मामले को उठाने पर बाध्य हो गया। यह मामला दार्जिलिंग गोरखा हिल कौंसिल के अध्यक्ष श्री सुभाष घीसिंग ने पैदा कर दिया है। उन्होंने भारत-नेपाल सन्धि 1950 के खण्ड 8 के प्रायोज्यता के बारे में मुद्दा उठाया है। वे इस विचार को प्रचारित कर रहे हैं कि दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र न तो भारत का है और न नेपाल का। पता चला है कि उन्होंने सभा

कथित गोरखालैंड के झंडे भारी संख्या में बनाने के आदेश भी दिये हैं और गोरखालैंड के लिए तथाकथित राष्ट्रीय गीत की रचना भी करवा रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि 12 मार्च, 1992 से वह व्यापक स्तर पर आन्दोलन चलाएंगे।

महोदय, दार्जिलिंग में हमें बहुत ही कष्टपूर्ण समय देखने पड़े हैं। हमने पहले भी इसका जिक्र किया है। हमने जो महसूस किया वह मैंने बता दिया है चूंकि भारत सरकार की इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति या उत्तर नहीं है।

अनेक कठिनाईयों, जिसमें कई लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा के बाद एक हल निकाला गया और कानून और विधायिका के द्वारा हिल कौंसिल का गठन किया गया। श्री बूटासिंह यहां उपस्थित हैं। उन्होंने प्रयास किया था और एक समझौता हुआ। पुनः एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। श्री घीसिंग ने धमकी दी है कि 12 मार्च से वह एक संघर्ष शुरू करेंगे। वह कह रहे हैं कि इसके परिणामस्वरूप कठिनाईयां उत्पन्न होंगी। हमने माननीय गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री से संपर्क किया। एक से अधिक बार उन्हें पत्र लिखा; हमारी गृहमन्त्री जी के साथ बैठक हुई जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि वह सभा में एक स्वतः वक्तव्य देंगे। लेकिन, महोदय, कोई वक्तव्य नहीं दिया गया, यह हमें पीछे उन्होंने नहीं बताया क्योंकि विगत शुक्रवार को हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था, 'मैं वक्तव्य दूंगा या कम से कम मुख्यमन्त्री को पत्र लिखूंगा।' कुछ भी नहीं हुआ। हम जानते हैं कि श्री घीसिंग ...(व्यवधान) कि श्री घीसिंग को दिल्ली बुलाया गया था, उनकी गृह मन्त्री जी से बातचीत हुई और महोदय गृहमन्त्री जी के द्वारा एक बार से अधिक स्पष्ट आश्वासन देने के बावजूद न तो उन्होंने जानकारी दी और न ही मुख्यमन्त्री को पत्र ही लिखा। महोदय, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हमें यह भी नहीं बताया जाता कि निर्णय क्या लिया गया। दूसरी ओर हमें समाचारपत्रों से पता चलता है कि उन्होंने बैठक की तारीख कुछ दिनों के लिए बढ़ा दी है और उनके द्वारा निर्धारित तिथि के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महोदय, क्या यह ऐसा मामला है जिसमें सरकार को पूरी तरह चुप्पी साधे रहना चाहिये? यह प्रश्न सत्ता पक्ष से पूछा जाना चाहिये। हमारा बहुत ही खुला और कटु अनुभव है। केन्द्र सरकार द्वारा टांग खींचने की नीति के कारण मामला और भी जटिल बन जाने दिया गया है।

इसी वजह से यह धमकी देने के बाद ठीक समय पर एक नियत अवधि तक कर दी गई तथा केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया, कृपया कुछ कीजिए। हमें यह पता लगे कि भारत के कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या यह श्रीलंका-सेम भारत का नहीं है। महोदय, उन्होंने प्रधान मंत्री को यह तार भेजा; 12 मार्च तक उत्तर दें अन्यथा मैं आन्दोलन शुरू कर दूंगा और हम अपनी कार्यवाही शुरू कर देंगे। उन्होंने नेपाल के राजा को एक तार भेजा है, भारत का एक मानसिक खुले-आम ऐसा कर रहा है, वह नेपाल को लिख रहे हैं, पिछली बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक याचिका दी थी। यह सिर्फ इसलिए है कि यहां पर सरकार चाहती है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति विकट हो जाए और राज्य सरकार के लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाए, यहां पर मतभेद के गुण-दोषों का कोई महत्व नहीं है यह तो उस सरकार को कमजोर करना है जो उनकी पार्टी से संबंधित नहीं है और तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होने दी जाएगी, जिसमें देश की एकता और अखंडता पर प्रश्न

चिह्न लग सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यह सरकार आज ही के दिन तुरन्त कुछ करे। 'मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं "कृपया स्थिति को और अधिक न बिगाड़ें"। इस मामले को सुलझाया जाए और सरकार स्पष्ट तरीके से निर्णय ले और यह घोषणा करे कि एकता और अखंडता के विरुद्ध इस प्रकार विखंडनशील गतिविधियों को चलने नहीं दिया जाएगा। वे यह बात बिल्कुल साफ-साफ तौर पर कहें। मैं सरकार से इसकी मांग करता हूं।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, दार्जिलिंग से निर्वाचित सदस्य होने के नाते मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा। मेरी पहली बात तो यह है कि मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं : कुछ मुद्दे तो उचित ही उठाए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टों का सहारा लिया है, जो कि एकदम अफवाहें हैं। एक पृथक गोरखा राष्ट्रीय गान के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक पृथक झंडे के लिए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। श्री सुभाष घीसिंग यहां पर पिछले सप्ताह आए थे। ....(व्यवधान) एक मिनट के लिए इन्तजार करें।

अध्यक्ष महोदय, दार्जिलिंग का प्रतिनिधित्व करना मेरा सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य था कि मुझे जी० एन० एल० एफ० ने समर्थन दिया और मैं जानता हूं कि क्या स्थिति है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने केवल अफवाहें फैलाई हैं, कलकत्ता के समाचार पत्रों के एक वर्ग ने 100 अफवाहें फैलाई हैं। मैं यह पूर्णतया दायित्व की भावना से कह रहा हूं।

महोदय मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं कि दार्जिलिंग पहाड़ियों में स्थिति श्री सुभाष घीसिंग की वजह से नहीं बिगड़ रही है, बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार समझौते को नाममात्र भी लागू नहीं कर रही है। यह अवसर इस मामले पर विचार करने का नहीं है। महोदय, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि श्री सुभाष घीसिंग यहां आए और गृह मंत्री से मिले। मैं उस समय उनके साथ था। श्री सुभाष घीसिंग ने गृह मंत्री के बुलावे पर तुरन्त कार्यवाही की और कम समय में ही यहां आ गए। उन्हें बुधवार की शाम को टेलीफोन किया गया था और वह बृहस्पतिवार को आ गए और गृह मंत्री से मिले, मैं वहां मौजूद था। सारे मामले पर चर्चा हुई। गृह मंत्री पूर्णतया संतुष्ट थे। इन सब अफवाहों में कोई सच नहीं है। इसलिए, मैं कहूंगा कि गृह मंत्री ....(व्यवधान)

महोदय, पूरे मामले पर चर्चा हुई और आगे चर्चा करने के लिए गृह मंत्री के कहने पर श्री घीसिंग नई दिल्ली पुनः आ सकते हैं। उपयोगी चर्चा हुई है। भारत की अखंडता को कोई खतरा नहीं है। दार्जिलिंग क्षेत्र के भारत से बाहर जाने का कोई प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे खिलाफ एक आरोप लगाया गया है, मुझे निजी स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : महोदय, मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि काफी पहले, श्री सोमनाथ चटर्जी या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह मुद्दा उठाया था। महोदय मैं पिछले सत्र में इस सभा मे आया और श्री सुभाषघीसिंग द्वारा उठाए गए मुद्दे की ओर सभा का ध्यान

आकर्षित किया। सरकार ने मामले पर विचार किया था और इसके फलस्वरूप सरकार ने श्री चीसिंग से चर्चा की है। इसलिए जो कुछ श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है उन्हें नहीं कहना चाहिए था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, मैं यह कहकर भाषण समाप्त करता हूं कि मामले को स्पष्ट किया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में क्यों नहीं बोलते ?

श्री इन्द्रजीत : महोदय, मैं यह कह कर समाप्त करता हूं कि मामले को स्पष्ट किया जाए, लेकिन हमें राजनीति से प्रेरित वक्तव्य देने और अफवाहें फैलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक विशेष पार्टी से संबंधित एक माननीय सदस्य····

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी मैं आपको अनुमति दे रहा हूं, लेकिन मैं कुछ बार कहता हूं।

आज संभवतः हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद समाप्त कर रहे हैं और मुझे एक या दो नेताओं ने पत्र दिए हैं, वे बोलना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह सही होगा कि उन्हें बोलने की अनुमति दी जाए। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अत्यन्त संक्षेप में बोले और अपनी बात समाप्त करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आपत्ति नहीं है। महोदय, भारत के प्रधान मंत्री को भेजे उनके बुद्धिमान सलाहकार अथवा नेता के तार के अनुसार, मैं उद्धृत कर रहा हूं, इसे पढ़ने के अलावा मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है —"हम गोरखा···"

श्री इन्द्रजीत : वह क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं श्री सुभाष चीसिंग द्वारा भेजे गए तार को पढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कृपया केवल निजी स्पष्टीकरण दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वह कहते हैं कि उन्हें आशा है कि भारत सरकार और नेपाल सरकार दार्जिलिंग के कानूनी दर्जे पर निर्णय लेंगी। उनके अनुसार भारत-नेपाल समझौता अब नहीं है और इसके आधार पर उनके मुताबिक यह स्पष्ट अर्थ है कि दार्जिलिंग किसी की भूमि नहीं है, यह न तो भारत की है, न ही नेपाल की है, यह किसी अन्य से सम्बद्ध है जिसके श्री इन्द्रजीत सलाहकार हैं। महोदय इसमें कहा गया है, "साठ दिन के अन्दर····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उद्धृत है, इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे उद्धृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसे आपके वक्तव्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब इसे हटा दीजिए, मैं इसे अपने वक्तव्य के रूप में कहूंगा।

महोदय, श्री सुभाष घीसिंग ने यह आरोप लगाया है कि दार्जिलिंग के मामले में भारत सरकार ने मानव अधिकारों की विश्व घोषणा का उल्लंघन किया है और दार्जिलिंग के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि का उल्लंघन किया जा रहा है और उन्होंने भारत सरकार को धमकी दी है कि यदि 12 मार्च तक उन्होंने दार्जिलिंग के कानूनी दर्जे के बारे में घोषणा नहीं की तो वह कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। यह स्थिति है। महोदय इसलिए श्री इन्द्रजीत ने जो कुछ कहा है मैं उसका खंडन करता हूं। मैं नहीं जानता कि वह वास्तव में किस पार्टी से संबंधित हैं। महोदय, वह कांग्रेस (ई) के आवरण में एक जी० एन० एल० एफ० एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह राजनैतिक उद्देश्यों से आरोप लगा रहे हैं। यदि कोई कहता है कि देश का एक भाग भारत से संबंधित नहीं है, तो वह इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन मैं ऐसे रवैये की निन्दा करूंगा। क्या सभा उनका समर्थन करती है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई मत बनाइए।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, उन्होंने मेरे खिलाफ आरोप लगाए हैं। मुझे उत्तर देना चाहिए। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा। (व्यवधान) मैं उनके प्रत्येक कथन का खंडन करता हूं। इस देश की अखंडता और प्रभुसत्ता के पक्ष में खड़ा होने में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। श्री चटर्जी और उनकी पार्टी की तरह मैंने विदेशों में सलाहकार नहीं ढूंढे हैं। उनकी पार्टी के सलाहकार विदेशों में हैं। मेरा विदेशों में कोई सलाहकार नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लम्बा भाषण दे रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, मुझे अपनी बात कहने दें। श्री घीसिंग ने स्पष्टीकरण मांगे हैं और इनसे संबंधित बैठकें हुई हैं। मैं नहीं जानता कि यह शोर किस बात पर है। (व्यवधान)

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों को उड़ीसा राज्य सरकार के अधिकारियों से कोई उत्तर प्राप्त करने से वंचित रखा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे कैसे उठा सकते हैं?

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर देने के लिए अधिकारी बाध्य हैं। मैंने चुनाव नियम के उल्लंघन से सम्बन्धित अनेक पत्र लिखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा के अन्दर ऐसा मामला नहीं उठाया जा सकता।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : पिछले संसदीय चुनावों के दौरान एक अधिकारी ने चुनाव नियम का उल्लंघन किया था। रासगोविन्दपुर के खण्ड विकास अधिकारी ने चुनावों के समय के दौरान 20 कार्य आदेश जारी किए थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं। श्री वी० सी० शुक्ल।

12·51 प०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

ब्रह्मपुत्र बोर्ड आदि का वार्षिक प्रतिवेदन, और उनके कार्यकरण की समीक्षा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी सिरिया खास) : श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) (क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा (ख) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1473/92]

(3) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(4) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा (ख) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1474/92]

(5) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(6) (क) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 1990-91 के वार्षिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा (ख) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1475/92]

भारतीय इस्पात प्रतिष्ठापन लि० आदि का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय इस्पात प्रतिष्ठापन लि० नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1476/92]

(3) कुद्रमुख लौह अयस्क कम्पनी लि० तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौते ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1477/92]

(4) मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि० तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौते ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1477/92]

(5) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौते ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 1478/92]

भारतीय डाक-घर (नौवां संशोधन) नियम, 1991

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

भारतीय डाक-घर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय डाक-घर (नौवां संशोधन) नियम, 991 जो 23 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 643 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 23 दिसम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 749(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1479/92]

नाथपा झाकरी विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला आदि का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

विद्युत और वैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नाथपा झाकरी विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नाथपा झाकरी विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1480/92]

(ख) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1481/92]

खान और खनिज अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन संबंधी अधिसूचना आदि

[हिन्दी]

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 100(अ), जो 17 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1482/92]

(2) राष्ट्रीय अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1483/92]

(3) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1484/92]

(4) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1485/92]

(5) खनिज गवेषणा निगम लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के कार्यनीति ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1486/92]

रेल सुरक्षा आयोग का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : मैं रेल अधिनियम, 1989 की धारा 10 के अंतर्गत रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1487/92]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को समय पर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला विवरण

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : मैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखूंगा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1488/92]

चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, इत्यादि

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी सिरिया ध्याल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) चलचित्र (प्रमाणीकरण) (संशोधन) नियम, 1991, जो 27 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 702(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चलचित्र (प्रमाणीकरण) (संशोधन) नियम, 1992, जो 30 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 67 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1489/92]

(2) (एक) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1490/92]

12.51½ म० प०

जम्मू और कश्मीर बजट—1992-93

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांतिराम पोतदुखे) : महोदय, मैं वर्ष 1992-93 के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1491/92]

12.52 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—जम्मू और कश्मीर 1991-92

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांतिराम पोतदुखे) : महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1492/92]

12.52½ म० प०

मणिपुर बजट—1992-93

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांतिराम पोतदुखे) : महोदय, मैं वर्ष 1992-93 के लिए मणिपुर राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करूंगा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1493/92]

12.53 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (मणिपुर)—1991-92

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांतिराम पोतदुखे) : महोदय, मैं, वर्ष 1991-92 के लिए मणिपुर राज्य की अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 1494/92]

12.54 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बस्तर जिले के आदिवासियों को पेयजल की आपूर्ति करने की एक विशेष योजना को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के बस्तर जिला में ग्रामों के वार्ड (मोहल्ला) दूर-दूर होने से सभी वार्डों में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं हो पायी है। हर वार्ड में कुंआ और हैंड पम्प लगाना भी सम्भव नहीं है क्योंकि 2-4 मकान, 2-3 कि०मी० की दूरी में बने होते हैं। वे सब पास के नाले या तालाब से पानी पीते हैं। ऐसी ही जगह के लोगों को आंत्रशोथ की बीमारी पहले लगती है। हर समय डाक्टरों की रिपोर्ट में गन्दे पानी पीने से होना बताया जाता है। ऐसी जगह से ही ये बीमारियां फैलती हैं और सब को उस बीमारी का शिकार होना पड़ता है। इसलिये यह प्रयास किया जाये कि दूर-दूर में स्थिति ऐसे गांव के मकानों को जो सिर्फ 2-4 की संख्या में हैं, उन सब को एक जगह 20-40 मकान की बस्ती के रूप में बसने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें फ्री जमीन दी जाये और नई भूमि पर मकान निर्माण के लिए पर्याप्त सबसिडी दी जाये जिससे उनको कोई ज्यादा अधिक बोझ न उठाना पड़े। तभी वे सब जगह बैठने का मन बना लेंगे और उन्हें सब तरह की सुविधा दी जा सकेगी।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि राज्य शासन को इस नई योजना के लिए विशेष कार्य योजना बनाने का निर्देश दें और इस स्कीम के लिए वित्तीय प्रावधान में केन्द्र और राज्य के हिस्से के बराबर का अंश रखा जाये। इस तरह की स्कीम से आदिवासियों में समूह के रूप में एक जगह बैठने का वातावरण बनेगा और स्वच्छ पानी पिलाने की केन्द्र शासन द्वारा घोषित नीति का पालन भी होगा व इससे हर वर्ष बेमौत मरने वाले हजारों आदिवासियों की जान को बचाया जा सकेगा।

(दो) जलगांव से विमान सेवाएं शीघ्र आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पारीख : महाराष्ट्र का जलगांव जिला औद्योगिक दृष्टि से बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। 'भारत फॉर्ज', 'वी आई पी ईजिस कैमीकल्ज', रेमण्ड, पंचशील पेपर मिल्ज, आयुफ कारखाना आदि कुछ ऐसे उद्योग हैं, जो जलगांव में स्थापित है। जलगांव में एक हवाई अड्डा भी है। 4 वर्ष पहले जलगांव और बम्बई, बम्बई—जलगांव नागपुर तथा बम्बई—औरंगाबाद – जलगांव—इन्दौर विमान सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई गई थी। किन्तु वायुदूत को हो रहे नुकसान के कारण, ये नई सेवाएं शुरू नहीं की जा सकी और जलगांव जैसे नये अड्डों को भी शुरू

नहीं किया जा सका। इसके परिणाम स्वरूप, जलगांव के लोग और वहां के व्यापार को भारी नुकसान हो रहा है।

इसलिए मैं नागर विमानन मन्त्री जी से यह आग्रह करूंगा कि जलगांव से विमान सेवाएं शुरू किए जाने के निजी टैक्सी विमान सेवा अधिकारियों से बातचीत करें। पर्यटन की दृष्टि से भी जलगांव अजन्ता गुफाओं के बहुत निकट है। अजन्ता गुफाएं जलगांव से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। इसलिए जलगांव हवाई अड्डे के सामरिक, आर्थिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्व को देखते हुए सरकार से यह अनुरोध है कि जलगांव से विमान सेवाएं तत्काल शुरू करने के बारे में उपाय करे।

(तीन) इन्दिरा गांधी नहर के क्षेत्रों में एकत्रित पानी से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी कैनाल तथा घग्घर बाढ़ कण्ट्रोल के फर्स्ट हैड मत्तावली से प्रारम्भ होकर सूरतगढ़ हैड तक के क्षेत्र में, नहरों के पानी के वाटर लौगिंग के कारण भूमि की सतह पर निरन्तर पानी भरा हुआ है। यह वाटर लौगिंग पिछले 9-10 वर्षों से निरन्तर है। इस वाटर लौगिंग के कारण उस क्षेत्र में स्थित ग्रामों की आबादी में पानी भरा रहता है जिसके कारण रिहायशी मकान गिर गये हैं। वाटर लौगिंग के कारण कृषि भूमि में फसलें नहीं बोई जा सकती हैं। इस क्षेत्र में बने पक्के वाटरकोर्स भी खत्म हो गये हैं। लोगों की आजीविका का साधन कृषि की पैदावार बिल्कुल समाप्त हो गई है। सरकार की ओर से अभी तक आर्थिक सहायता कुछ एक लोगों को बराये नाम की दी गई है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त क्षेत्र में आबादी में जिन लोगों के मकानात वाटर लौगिंग के कारण गिर गए तथा समाप्त हो गये हैं उन्हें रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट तथा मुआवजा राशि दी जाए तथा जिन लोगों की कृषि भूमि खेती के योग्य हो गई है उनकी भूमि को आधुनिक उपकरण के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जाए तथा उनके विभिन्न प्रकार के ऋण तथा सरकारी एवं बैंकों द्वारा की जाने वाली धनराशि की वसूलियों पर रोक लगाई जाये।

13.00 म० प०

(चार) गुजरात के भावनगर और अहमदाबाद जिलों के अनेक गांवों को पेयजल की आपूर्ति करने की एक विशेष योजना लागू करने की आवश्यकता

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने घोषणा की है कि सारे देश में कोई भी गांव पानी के लिए परेशान नहीं होगा। प्रत्येक गांव को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। किन्तु गुजरात में और खास कर अहमदाबाद जिला और भावनगर जिले के कई गांवों में आज भी पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। उन्हें गन्दा पानी पीना पड़ता है, इतना ही नहीं दूर-दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गुजरात में पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए ।

(पांच) देश में एड्स के प्रकोप को रोकने के लिए एक नया विधान बनाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती महेन्द्र कुमारी (अलवर) : हालांकि 'एक्वायर्ड इम्यूनो डैफीसंसी सिंड्रोम (एड्स) के उपचार के लिए अनुसंधान हेतु विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं तथा भारी धनराशि खर्च की जा रही है, फिर भी यह पूरे विश्व में फैलता जा रहा है । सबसे पहले 1981 में संयुक्त राज्य अमरीका में इसका पता चला था और अब पूरे विश्व को इसने अपनी चपेट में ले लिया है और इस रोग के सर्वाधिक भयावह व ला-इलाज होने का डर है । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया है कि 162 देशों में लगभग 3 लाख 45 हजार लोग 'एडस' से ग्रस्त हैं । यह अनुमान लगाया जा रहा है । कि पूरे विश्व में दस लाख से भी अधिक लोग 'एड्स' से ग्रस्त हैं ।

भारत में 72 लोगों के एड्स पीड़ित होने की रिपोर्ट मिली है और लगभग 6000 लोगों में एच०आई०वी० संक्रमण पाया गया है । क्षेत्रीय निदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि भारत तथा थाइलैंड में दस लाख से भी अधिक लोग इस संक्रमण से ग्रस्त हैं ।

भारत में इस भयावह रोग के प्रसार को रोकने और नियंत्रण में लाने के लिए सरकार को चाहिए कि कारगर प्रयास करे तथा समाजिक संगठनों को चाहिए कि प्रचार सामग्री द्वारा आम जनता को शिक्षा दी जाये । देश के विभिन्न भागों में निगरानी केन्द्र स्थापित किए जायें तथा रक्त व रक्त उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये । 'एड्स' की रोकथाम के लिए सरकार को एक नया विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये ।

(छः) निर्यात निधि के चैक जारी करने के लिए आयात और निर्यात संयुक्त नियंत्रक, मुम्बई को आवश्यक निर्देश देने की आवश्यकता

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वानी (खेडा) : महोदय, आयात-निर्यात संयुक्त नियंत्रक, बम्बई के कार्यालय में करोड़ों रुपये मूल्य के लगभग 35 हजार चैक निर्यात निधि के अन्तर्गत लम्बित है । इसके कारण उद्योगपतियों को केवल परेशानी ही नहीं हो रही है वरन् कुछ उद्योगों के बन्द होने की भी आशंका है । इस प्रकार इन वित्तीय अड़चनों के कारण निर्यातोन्मुखी उद्योगों तथा विदेशी मुद्रा अर्जन पर कुप्रभाव पड़ रहा है ।

गुजरात के नादियाड-बड़ोदा क्षेत्र में स्थित अकेले हिन्दुस्तान पाल्यटेक्स लि० के ही 5.30 करोड़ रुपये बकाया है ।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं ।

(सात) केरल में कायमकुलम ताप विद्युत केन्द्र को शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री चाइल्ड जान अंजलोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान केरल में स्थापित किए जाने वाले कायमकुलम ताप विद्युत केन्द्र के रास्ते में आ रही बाधाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केरल राज्य में विद्युत की भारी कमी को देखते हुए, वहां ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किया जाना था। यह ताप विद्युत केन्द्र पूर्व सोवियत रूस की आर्थिक और तकनीकी सहायता से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित किया जाना था। वहां आरम्भिक कार्य कर लिया गया है किन्तु सोवियत रूस में घट रहे घटनाक्रम के कारण अब वह ठप्प पड़ गया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने वहां से अनेक कर्मचारियों को हटा लिया है। इस परियोजना के बारे में सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इसे दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये हैं। केन्द्र सरकार ने अभी तक पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति भी नहीं दी है। सरकार से मैं यह अनुरोध करूंगा कि किसी दूसरे देश से सहायता लेकर इस परियोजना को पूरा किया जाए। करोड़ों रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके हैं और इसे पूरा करने में किसी प्रकार की देरी से अनेक समस्यायें उठ खड़ी होंगी, खासतौर पर केरल राज्य को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वहां गम्भीर विद्युत संकट बना हुआ है।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर शीघ्र विचार किया जाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरपाल पंवार (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती करने वाले किसान की हालत खराब हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या इतनी कम है कि गन्ने की कुल फसल का 30 प्रतिशत भाग भी मिलों पर नहीं लिया जाता। इसके अतिरिक्त 70% बचने वाला गन्ना किसान को औने-पौने भाव में बेचना पड़ता है, जिससे उसकी पैदावार पर आने वाली कीमत भी उसे नहीं मिल पाती। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में यानि मेरठ मण्डल में तो मिलों की बहुत ज्यादा कमी है। यहां का किसान तो बुरी तरह से पिस रहा है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरठ मण्डल में कम से कम 25 चीनी मिलें तुरन्त स्थापित कराने के लिए लाइसैंस दिए जाने चाहिए, नहीं तो समस्त उत्तर प्रदेश के खास तौर से मेरठ मण्डल के गन्ना पैदा करने वाले किसान तबाह हो जायेंगे।

1.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म० प० तक के लिए स्थगित हुई

2.08 म० प०

अपराह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.08 म० प० पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री पी० एम० सईद द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर सभा में आगे चर्चा होगी।

श्रीमती सरोज दुबे अपना वक्तव्य जारी रखेंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के विरोध में अपना वक्तव्य जारी रखते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि वर्तमान सरकार ने इस देश की आर्थिक संप्रभुता और इस देश की अस्मिता को विदेशी वित्तीय संस्थाओं के सामने गिरवी रख दिया है। देश की विकट आर्थिक स्थिति के संदर्भ में इसमें लिखा हुआ है कि देश की विकट आर्थिक स्थिति के संदर्भ में सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़े।" यह बात सही है कि सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़े क्योंकि अपने देश की अस्मिता और अपने देश की आर्थिक स्थिति को दूसरों के यहां गिरवी रखने का काम करने का निर्णय सचमुच ही बहुत कठोर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का बढ़ता दबाव और उदारीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अपनी आर्थिक व्यवस्था में लूट मचाने की खुली छूट दे देना कोई साधारण निर्णय नहीं है। देश की नीतियां हमारी सरकार तय न करे, बल्कि आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक तथा उनके मूल देश की सरकार तय करे, यह भी बहुत कठिन निर्णय है। "डंकल" प्रस्तावों को कानूनी रूप दे देना और थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो अमरीकन सीनेटर बेकर का भारत को अमरीकन डालर का कुख्यात चोर कह देना, वह बहुत ही कठिन निर्णय है। इस तरह की बातें सुनने के बाद रात-दिन इस देश की गरिमा को गिराने का निर्णय लेना सचमुच बहुत ही कठोर निर्णय है और ये कठोर निर्णय इस सरकार के लिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश को बराबर अपमानजनक बातों का सामना करना पड़ा रहा है। अगर हम क्यूबा को चावल देते हैं तो उसके लिए भी अमरीका को सफाई देनी पड़ती है, विश्व बैंक के सामने सफाई देनी पड़ती है; यदि कोई नीति तय करते हैं तो उसके लिए भी इन लोगों को सफाई देनी पड़ती है। क्या हमारे अमर शहीदों ने देश को इसलिए आजादी दिलाई थी; क्या सरदार भगत सिंह और अशफाक-उल्ला ने हंसते-हसते फांसी का फंदा इसलिए चूमा था कि उदारीकरण के नाम पर देश को आर्थिक गुलामी में जकड़ दिया जाए। आज देश पूरी तरह से आई एम एफ और विश्व बैंक के सम्मोहन जाल में फंस चुका है और एक ऐसे बीहड़ जंगल में चला जा रहा है, जहां से लौट कर आना बहुत मुश्किल हो जायेगा। आज देश के सम्मान और अस्मिता को गिरवी रखा जा रहा है। जो देश विश्व में अपना स्थान रखता था, धीरे धीरे गुलामों की श्रेणी में जाकर खड़ा हो रहा है और कर्ज के बोझ से दबता चला जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस देश में आएंगी तो अपने साथ पूंजी लेकर आएंगी, इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। पुरानी घटनाएं और अनुभव हमें बताते हैं कि ये कम्पनियां हमारे देश से ही पूंजी ग्रहण करती हैं और हमारे ही लोगों को बेरोजगार कर देता हैं। हमारे यहां के जो परम्परागत हुनर और शिल्प कलाएं हैं, उनको नष्ट करने की पूरी-पूरी साजिश की जा रही है और देश को एक तरह से पूरे तौर पर आर्थिक गुलामी के रास्ते पर पहुंचाया जा रहा है।

सरकार ने महिलाओं और बच्चों के बारे में कहा है कि ये समाज का सबसे संवेदनशील वर्ग है। इनकी आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा समेकित बाल विकास योजना से संबंधित कार्यक्रम को व्यापक बनाया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि महिलाओं के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए जो समेकित बाल विकास योजना है, उसमें काम करने वाली वर्कर को, जो बच्चों को स्कूल पूर्व की शिक्षा देकर अध्यापिका का काम करती हैं, गर्भवती माताओं की देखभाल करके डाक्टर का काम करती हैं। पोषाहार बांट कर रसोइये का काम करती है, बच्चे जो राष्ट्र के भावी नागरिक हैं, उनके बचपन को संवारने का काम करती है, उसका शोषण किया जा रहा है और उसको मात्र 27 रुपये मासिक देकर उससे 8 घंटे काम लिया जाता है। अध्यापिका डाक्टर और समाजसेविका का काम करने वाली जो अपने बच्चे को भूखा रखेगी, वह कभी भी समाज सेवा नहीं कर पायेगी, वह समाज के पिछड़े वर्ग को कभी आगे नहीं ला पाएगी। एक ओर तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कहा जाता है कि वह बच्चों में पोषाहार बांटे और बच्चों को कुपोषण से बचाए लेकिन इस महंगाई के समय में 275 रुपए में अपने परिवार को भूखा रख कर वह कैसे कर पाएगी, कैसे बच्चो को पोषाहार बांट पाएगी, कैसे बच्चों के चेहरे पर मुस्कराहट ला पाएगी, जब तक उस समाजसेविका के चेहरे पर मुस्कराहट नहीं होगी। कैसे वह बच्चों के व्यक्तित्व को संवार पाएगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस समेकित बाल विकास योजना पर व्यापक रूप से विचार किया जाना चाहिए, तभी महिलाओं और बच्चों के बारे में सही कदम उठाया जा सकेगा और इनके विकास के लिए काम किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बालिकाओं के बारे में विशेष ध्यान देने की बात की गई है। आपको मालूम है कि गावों में बालिकाओं के लिए कोई विद्यालय नहीं होता है। कई-कई गांवों में कहीं जाकर एक प्राइमरी या मिडल स्कूल होता है। बालिकाए केवल इसीलिए अशिक्षित रह जाती हैं, क्योंकि शिक्षा पाने की सुविधा उनको नहीं दी जाती और इसीलिए उनका सारा विकास और विकास के रास्ते बंद हो जाते हैं।

अशिक्षा के कारण अंधविश्वास और रूढ़िवादिता में जकड़ी हुई नारी समाज के शोषण का शिकार होती रहती है। सरकार उनके नाम पर योजनाए बनाकर ढिंढोरा पिटते रहते हैं। इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के बारे में कहा गया है कि यह सरकार का संकल्प था कि चौदह साल तक बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जायेगी। 31 साल तक यह संकल्प पूरा नहीं हो पाया है। आज भी इस देश में चौदह वर्ष तक के बच्चे ज्यादातर स्कूल के बाहर है और किसी ढाबे, होटल या किसी कांच फैक्टरी में या कहीं पर भी काम करते हुए आपको मिल जायेंगे। अबरख खानों में कूड़ा बीनते हुए या रेल की पटरियों के किनारे कोयला बीनते हुए गाड़ियां साफ करते हुए बच्चे बाल श्रमिक

कानून के मुंह पर तमाचा है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि उनका शोषण बन्द हो गया है। वाराणसी और मिर्जापुर में बनारसी साड़ियों और कालीन का काम होता है। वहां पर पचासों हजार बच्चे आज बारह से अट्ठारह घंटे तक काम करते हैं। ढाबों और होटलों में भी ये 12 से 18 घंटे तक काम करते हैं। यह कहा जाता है कि बच्चे ज्यादा काम करते हैं और काम करने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती। मद्रास में हमने देखा है कि बालिकाएं साड़ी पहनकर अपने को बड़े श्रमिक की श्रेणी में शामिल करने की कोशिश करती हैं। महिलाओं के लिए भी दर्जनों कानून बनाए गए हैं। आपको मालूम है कि महिलाओं में शिक्षा का प्रचार नहीं हो पाया है। अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत काम होने का दावा किया जाता है, लेकिन यह काम कागजों पर चल रहा है। महिलाओं के बीच में कोई भी शिक्षा का प्रचार नहीं हो रहा है। महिलाओं को दिन में समय नहीं मिलता है। उनको पानी लेने के लिए चार-चार किलोमीटर तक जाना पड़ता है। एक महिला एक बच्चे की उंगली पकड़कर और सिर पर मटका लिए हुए चार किलोमीटर तक पानी लेने के लिए पैदल दिन में दो बार जाती है। जब वह घर में आती है तो उसको लकड़ी व चारे की तलाश में दोबारा जाना पड़ता है। इस तरह की जो महिलाएं गांवों में रहती हैं उनके सुधार के लिए आपको काम करना है न कि शहरों में रहने वाली जागरूक नारी के लिए आपको काम करना है। सारी विकास योजनाएं शहरों के लिए नहीं होनी चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र में जुल्म सह रहे हैं और अज्ञानता और अंध-विश्वास में डूबे हुए हैं, उनके बीच में जागृति पैदा करनी है। भारत की नारी का पहले से शोषण हो रहा है और आज भी हो रहा है। ढीले कानून बने रहे और उनका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में स्थिति में भी कोई सुधार होने वाला नहीं है। फैमिली कोर्ट्स; दहेज विरोधी एक्ट और बाल-विवाह एक्ट बनाया गया। आपको मालूम है कि राजस्थान में सामूहिक तौर पर बाल विवाह होता है। सती-प्रथा की घटनाएं हो जाती हैं जौगिन बनाकर रखा जाता है। हमारे देश की बेटियों को गरीबी में शादी करने और नौकरी दिलाने के लिए मजबूर कर विदेशों में बेच दिया जाता है बाहर से सेठ-साहूकार और शेख आते हैं और उनको खरीदकर ले जाते हैं। जब उनके चंगुल से निकलती हैं बीमारियों का शिकार हो जाती हैं तो उनको कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। योजनाएं बनाकर महिलाओं के विकास नाम पर ढिंढोरा पिटा जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने की मांग की जा रही है। गांवों में हमने देखा है कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में दरवाजे नहीं होते, डाक्टर नहीं होते और जो स्कूल चल रहे हैं उनमें मास्टर नहीं होते और जो नल लगे हुए हैं उनमें पानी नहीं होता। इसी प्रकार ट्यूबवैलों में पानी नहीं होता। इस तरह की योजनाएं बनाकर कौन से विकास की बात की जाती है। पिछले साल भी हमारे सामने आदर्श और सुन्दर मसविदा पेश किया गया था। यह उम्मीद थी कि इस साल महिलाओं और बाल श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार होगा। लेकिन सुधार होने के बजाय एक ही उपलब्धि हम लोगों को इस साल हुई है कि इस देश की आर्थिक सम्प्रभुता को और देश की अस्मिता को दूसरे देशों के गुलामी के दरवाजे पर धकेल दिया गया है। मैं यह कहना चाहती हूं, वर्तमान सरकार से कि आपने बहुत शब्दों के जाल में हमें उलझा लिया, बहुत से आश्वासन दे दिये, बहुत से कानून बना दिये, अब 44 साल के बाद यह मत कहें कि हम महंगाई को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कठोर बनायेंगे। 44 साल में आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कठोर नहीं बना पाये। आज शहरों में फिर भी उचित मूल्य की दुकानें सही काम कर रही हैं, लेकिन गांवों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं उनमें कोई सामान नहीं पहुंचता है। सारा

सामान्य दुकान के बाहर ब्लैक में बिक जाता है। ग्रामीण लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिलता है गांवों में टायर जलाकर रोशनी कर रहे हैं, सूखे पत्ते जलाकर रोशनी कर रहे हैं। चीनी का स्वाद गांव के लोग भूलते जा रहे हैं। खाने के नाम पर छः रुपये किलो आटा और बीस रुपये किलो दाल खरीदकर खाने की किसी भी गरीब मेहनतकश मजदूर की हिम्मत नहीं है। यही वजह है कि कालाहांडी और मालवा आदि जगहों पर भुखमरी से लोग मर गए और हमारे बुनकर सामूहिक रूप से आत्महत्या कर रहे हैं। इस सारी व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करना चाहिए न कि एक आदर्श संहिता बनाकर देश के सामने पेश कर देनी चाहिए कि हमारे देश में ये काम हो रहे हैं और स्थिति में सुधार हो रहा है। न तो आर्थिक स्थिति में न सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और न ही महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। देश के बच्चों के बारे में बयान किया जाये तो दर्दनाक कथायें उभरकर आयेंगी। झुग्गियों के सामने काम करते हुए बच्चों का बचपन हमें मुर्झाता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार अपनी नीतियों को बदलकर और राजनीति से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचें ताकि देश का विकास हो सके और देश की अस्मिता को बचाया जा सके।

मैं अन्त में कहना चाहती हूं कि सरकार को इस कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है इसलिए मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर शब्दों में विरोध करती हूं और इस सरकार को अपना देशद्रोही रवैया अलग करके देश के बारे में सोचना चाहिए। मैं पुनः राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिचर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस सदन में, जो सदस्य चर्चा में पहले भाग ले चुके हैं तथा जो सदस्य उपस्थित है, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं।

बड़े खेद की बात है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने वाले विपक्ष के सभी सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की भूमिका की केवल आलोचना ही की है। संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के अनुच्छेद 87 (1) के अनुरूप है। इसलिए राष्ट्रपति जी के लिए यह एक संवैधानिक दायित्व होता है। लेकिन हमें अपने देश के माननीय राष्ट्रपति जी की इस तरह से निंदा नहीं करनी चाहिए।

जो भी माननीय सदस्यगण इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उन्हें सदन में एक सुविस्तृत बजट प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले सरकार की सराहना करनी चाहिए। इससे पूर्व जनता सरकार तथा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार इस सदन में सविस्तार बजट प्रस्तुत नहीं कर पाई। इसलिए उन्हें सरकार की भूमिका की सराहना करनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने गिरवी रखा हुआ सोना छुड़ा लिया है। इसलिए इस बारे में भी सरकार की भूमिका की आपको सराहना करनी चाहिए। जनता सरकार तथा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा 480 क्विंटल सोना गिरवी रखा गया था। सरकार की इस भूमिका के लिए माननीय सदस्यों की प्रशंसा की जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव ने इस सभा में यह आश्वासन दिया था कि 22 फरवरी 1992 तक पंजाब में चुनाव करा लिया जाएगा। उन्होंने उस आश्वासन को पूरा किया है। इसके लिये हमें सरकार की सराहना करनी चाहिये। जब हम इस पर अलग चर्चा करेंगे तब हम यह स्पष्ट करेंगे कि हमें सरकार की सराहना क्यों करनी चाहिये।

पंजाब, कश्मीर और असम में देश ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खो दिया था। अब पंजाब जैसे राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल कर दिया गया है। इसलिए आपको सरकार के दृष्टिकोण और इस कार्य के लिए उसकी सराहना करनी होगी।

तीसरी बात यह है कि पूरा देश राम जन्मभूमि के मुद्दे में उलझा था। अब मुद्दा नहीं रहा है। इसलिये सरकार की सराहना करनी चाहिये।

एक अन्य ज्वलंत समस्या है मंडल आयोग की सिफारिशों को हल करने की। उस समय पूरे देश में लपटें उठ रही थी। कई माता-पिता ने अपने अनमोल पुत्र-पुत्रियों को खो दिया। इस सरकार द्वारा इस समस्या को हल कर लिया गया है। (व्यवधान)

पाकिस्तान के मुद्दे पर श्री पी० वी० नरसिंह राव ने साहसपूर्ण कदम उठाए। पाकिस्तान हमारे देश की सीमा में प्रवेश कर समस्याएं खड़ी करना चाहता था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बातचीत न करें।

(व्यवधान)

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : हमारे प्रधान मन्त्री ने पाकिस्तान की गतिविधियों को रोकने के लिये साहसिक कदम उठाए। अतः हमें इस सरकार की प्रशंसा करनी चाहिये। पिछले दिनों देश में सभी युद्ध की आशंका से ग्रस्त थे। लेकिन पाकिस्तान को पूर्णतः आतंकित कर दिया गया और संभावित युद्ध टल गया। इसके लिये भी हमें सरकार की प्रशंसा करनी चाहिये।

इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी—यहां उनका नाम उद्धृत करने के लिये क्षमा चाहता हूं—अपने भाषण में कहा है कि इस देश में राष्ट्रपति को घिसी-पिटी बातें कहनी होती है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व और जनता के पक्ष में होने का आभास दिये बिना पूरे अभिभाषण के दौरान व्यर्थ की औपचारिकताओं में लिप्त होना होता है। मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस सभा में जब हम शपथ ग्रहण करने आये थे तो देश की स्थिति क्या थी। उस समय हमने यह सुना था कि 400 मिट्रिक टन सोना गिरवी रखा गया। लेकिन हमें उन लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना था जिन्होंने हमें मत दिया है। उस स्थिति में हमारे प्रधान मन्त्री देश के लिये ऐसा कैसे कर सकते थे? हमारा देश किस तरह आर्थिक संकट से उभर सकता था? उस समय विश्व बैंक ने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारे देश को ऋण देने से मना कर दिया तब कोई भी देश संकटों से उबारने के लिये सामने नहीं आया। ऐन वक्त पर श्री पी० वी० नरसिंह राव और वित्त मन्त्री श्री मनमोहन सिंह देश की रक्षा के लिये सामने आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे देश को इन संकटों से बचा सकते हैं। आज देश के सभी लोग यह अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में श्री मनमोहन सिंह ने ही देश को आर्थिक संकटों से निकाला है। यह कहा जाता है।

[हिन्दी]

बड़ा-बड़ा सब कहता है, ताड़ और खजूर, पर उससे छाया नहीं मिलता है ।

[अनुवाद]

सभी बढ़-चढ़ कर बोल रहे हैं । जब लोगों ने उनमें अपना विश्वास दिखाया, जब जनता ने उन्हें अपने विश्वास दिया उन्होंने उनके साथ धोखा किया । अब वे कह रहे हैं कि वे पूरी तरह जनता के साथ हैं । यह तो मात्र दिखावा है । आप जानते हैं कि 1977 में देश में दो सरकारें बनीं । हमारे कोष से पूरा सोना खुले आम बेच दिया गया । तथ्य सभी जानते हैं और सभी उसे स्वीकार भी करेंगे । 1989 में और जब तक राष्ट्रीय मोर्चा सत्ता में बनी रही तब तक उस दौरान जो कुछ भी हुआ उससे देश की जनता अवगत है । देश की क्या स्थिति थी, जब माननीय श्री पी० वी० नरसिंह राव ने अपनी सरकार बनाई थी । हर जगह आतंकवाद फैला था, चाहे पंजाब हो या तमिलनाडु या असम या कश्मीर । हर जगह की आंतरिक स्थिति खराब थी । आर्थिक संकट था । देश गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा था । उस समय हमें भी यह नहीं लग रहा था कि हमारे माननीय प्रधानमन्त्री देश को इन समस्याओं से निकाल सकेंगे । हमारे प्रधानमन्त्री ने जो आश्वासन दिये थे उन्हें पूरा कर दिखाया । जब वे सत्ता में आए थे तो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कर सकेंगे ।

जब विपक्ष के नेता और सभा में अन्य नेतागण यह समझ रहे थे कि यह तो अल्पमत की सरकार है तो हमारे प्रधानमन्त्री ने स्पष्ट तौर पर यह बता दिया था कि यह सरकार अल्पमत सरकार हो सकती है या एक ऐसी सरकार जो बहुमत से थोड़ा ही कम है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । मैं इस सभा में ज्वलंत समस्याओं को उठाना चाहता हूं और उन मुद्दों के हल हमारे पास होंगे । यदि कोई समस्या आधारित निराकरण का समर्थन नहीं करता है तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे । आज हम सभा में हर चुनौती का सामना करने के लिए कमर कस कर आये हैं चाहे हमारी सरकार रहे या चली जाए । इस सरकार को कोई भी गिरा नहीं सकता । वे जो धमकियां दे रहे हैं वे स्वयं इसी तरह भयग्रस्त हो जाएंगे । उन्हें यह नहीं समझना चाहिये कि लोग घास पात है और ये नेतागण हवा के झोंके कि वह जिधर चलेंगे जनता भी उधर ही चल पड़ेगी । स्थिति एक दम विपरीत हो गई है । आज जनता जिधर जाएगी नेताओं को भी घास पात की तरह उधर ही जाना पड़ेगा ।

श्री पासवान ने कई उपदेश दिये जैसे लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और समाजवाद दूसरी चीज है लोकतंत्र । हम लोकतन्त्र की प्रशंसा कर रहे हैं और माननीय स्वर्गीय इन्दिरा जी और स्वर्गीय राजीव गांधी ने लोकतन्त्र के लिये अपने प्राणों की आहुति दे दी । दूसरी बात यह कि जब 1977 में इन्दिरा जी के मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और उनके वरिष्ठ सहयोगियों ने भी यह सलाह दी थी कि चूंकि देश में चुनाव कराने के लिये उपयुक्त माहौल नहीं है इसलिये वह चुनाव न कराएं, फिर भी वह चुनाव कराने के अपने निर्णय पर अडिग रहीं और पराजित भी हुई । इस सभा में लोकतंत्र के बारे में एक चर्चा हुई थी (व्यवधान) माननीय सोमनाथ चटर्जी ने कहा था :—

"इस नरसिंह राव सरकार का नेतृत्व एक गम्भीर भद्र व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। वह व्यक्ति कुछ ही माह में अभिमादी हो गया और यह इतिहास में लिखा जाएगा कि इस व्यक्ति ने देश को पूंजीवादियों, आर्थिक लुटेरों के हाथों गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने के लिये गिरवी रख दिया है।

यह उनका वक्तव्य था····(व्यवधान) विपक्ष के माननीय सदस्य गण हमारी आलोचना करते है और इस ख्याल में रहते हैं कि वे ही देश की तथा देश के कमजोर लोगों की चिंता करते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता और अत्यधिक गरीब लोगों के बारे में सोचती है और उसी के अनुरूप आचरण करती है। इन्दिराजी के कार्यकाल के दौरान बड़े कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्रिवीपर्स समाप्त किया गया और बीस सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जो कुछ उनके शासन के दौरान शुरू किया गया था वह राजीव गांधी और श्री पी०वी० नरसिंह राव के कार्यकाल में भी जारी है। हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें लागू किया जाए। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कार्तिकेश्वर पात्र, जो समय आपके लिये निर्धारित था वह समाप्त हो चुका है। कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, कृपया मुझे कुछ और समय दें। कई अनार्थिक लाभकारी कार्य हैं जिससे सरकार की छवि बेहतर हो सकती है। प्रशासनिक सुधार समिति के प्रतिवेदन का वर्तमान परिस्थित में पुनरावलोकन किया जाना चाहिये। दूसरे, निर्णय लेने में विलम्ब होता है। साधारण-सा मामला भी निर्णय के लिये चार-पांच अधिकारियों के पास भेजा जाता है। उससे लाल फीताशाही बढ़ती है और हमें इसे रोकना चाहिये। हमें यह प्रयास करना चाहिये कि निर्णय यथा शीघ्र लिये जाएं। तीसरा यह है कि अधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत के मामले में शीर्ष स्तर पर उत्तरदायी माना जाना चाहिये। किसी न किसी तरह हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं समय पर पूरी नहीं होती हैं। प्रायोजक विभाग को यह देखना चाहिये कि प्रत्येक परियोजना के लिये एक समय निर्धारित हो जिसे समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पूरा कर लिया जाए। अनुमानित लागत में किसी भी तरह की बढोतरी को मजूर नहीं किया जाए।

दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जनसंख्या में वृद्धि। यह हमारे देश की ज्वलंत समस्या है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाए बिना हम देश की किसी भी समस्या के समाधान के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं।

निरक्षरता भी हमारे देश की दूसरी बड़ी समस्या है। इसलिये इस बारे में भी कार्रवाई की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, डा० कार्तिकेश्वर आपकी बड़ी कृपा हुई।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० के० पी० सिंह देव : महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि जनता दल के हमारे मित्र उनका विरोध क्यों कर रहे हैं जबकि उनके ही दल के मुख्यमन्त्री श्री बीजू पटनायक हमारी नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बुधवार मुझे दिल्ली से बाहर रहना पड़ा और मुझे बताया गया कि मेरा नाम वक्ताओं की सूची में शामिल किया गया था। अतः मैं अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने आज इस चर्चा के अन्त में मुझे कुछ मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी। यह पर्याप्त समय नहीं है, अतः मैं संक्षेप में कहने का प्रयत्न करूंगा।

पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं महोदय, वह यह है कि इस बारे में व्यापक प्रचार किया जा रहा है कि विपक्ष अथवा गैर मा०ज०पा० विपक्ष न केवल विश्व में बल्कि देश में भी उत्पन्न नई परिस्थितियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं करना चाहते तथा, इसलिए संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है जैसा कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री द्वारा करते हैं तथा कि वे ऐसा कर रहे हैं। हमसे पुराने विचारों को पुरानी नीतियों तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी पुरानी संकल्पनाओं को आंखें बन्द करके मान लेने की अपेक्षा की जाती है तथा इसलिए हम सुधार की तत्काल आवश्यकता को कार्यान्वित करने की बात की सराहना नहीं कर सकते। मैं इस बात को प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सुधारों का विरोध नहीं करते हैं। वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसी बातें तत्व हैं जिनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है; यहां अनेक तत्व ऐसे हैं जो कि हमारी अर्थ-व्यवस्था को पीछे धकेल रहे हैं। हम उस पर फिर किसी समय भी बहस कर सकते हैं लेकिन हमारी मुख्य चिन्ता यह है कि जिन सुधारों को कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है, उसका बोझ किस पर पड़ेगा।

2.42 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर लोगों की आय और रहन-सहन के स्तर के बीच अन्तर बहुत बड़ा है; जहां पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त किया हुआ है। इस देश में, यहां ऐसे लोग हैं, यहां ऐसे वर्ग हैं जो कि निश्चय ही इसे वहन कर सकते हैं। मुझे पिछले वर्ष की बात याद है कि जब माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा सर्वदलीय पहली बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तो उसमें वित्त मन्त्री ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने खर्चों में कटौती करने के लिए कहा जाएगा। मैंने उनसे पूछा था कि आप किसके खर्चों में कटौती करना चाहते हैं। निश्चय ही, यहां ऐसे लोग हैं जिनके खर्चों में कटौती की जा सकती है फिर भी ऐसे परन्तु करोड़ों ऐसे लोग हैं। जिनके पास व्यय करने के लिए धन है ही नहीं जिसमें वे कटौती कर सकें। तो आप उनके खर्चों में किस तरह से कटौती करेंगे ? हम जानना चाहते हैं कि इन सुधारों का बोझ किन पर पड़ेगा ? क्या यह बोझ उन लोगों पर पड़ने वाला है जो कालाधन इकट्ठा कर रहे हैं, जो देश से बाहर धन भेज रहे हैं तथा विदेशी बैंकों में गुप्त खाते रखे हुए हैं अथवा यह बोझ काला बाजारियों, लाभ कमाने वालों अथवा नियमित कर अपवंचकों पर पड़ेगा ? हम यहां ऐसा कुछ नहीं पाते हैं जिससे कि हमें एक मिनट के लिए ऐसा लगे कि इन सुधारों के परिणामस्वरूप पड़ने वाले बोझ को बराबर उन लोगों पर डाल दिया जाएगा। वित्त मन्त्री द्वारा सुधारों के जिस विशेष तरीके का समर्थन किया गया है उसके प्रति हमारी आपत्ति यह है कि इसका बोझ उन वर्गों पर डाला जा रहा है जो इस बोझ को सहन करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है और इसके कारण अत्यन्त भयावह परिणाम सामने आयेंगे।

सबसे पहले, अभी तक हमें किसी विश्वास के साथ कोई नहीं बता सकता कि यह खुले बाजार की नीति किस तरह से अपनाई जा रही है – विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय निगमें तथा आयात के लिए खुले बाजार की नीति देश की तत्काल आवश्यकताओं को किस तरह पूरा करेगी। हम भुगतान संतुलन के घाटे की बात कर रहे हैं। सभी इस बारे में चिन्तित हैं। हम कहते हैं कि निर्यात को बढ़ाया जाना चाहिए और आयात में भारी कटौती की जानी चाहिए अन्यथा, जैसा की सम्भव है, हम इस भुगतान संतुलन के संकट से कभी नहीं निकल पायेंगे। महोदय, मैं यह नहीं समझ सका कि आयात शुल्क में भारी कटौती के कारण भुगतान संतुलन के संकट का निवारण कैसे हो सकता है। इसके साथ ही जहां-जहां सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि निर्यात आशा के अनुकूल नहीं है वहां आयात शुल्क में कटौती कर दी गई है। तो आयात की मात्रा तथा लागत बढ़ाकर तथा उस अनुपात में निर्यात को न बढ़ाने से आप भुगतान संतुलन के इस संकट से बच निकलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आप कृपया इसके बारे में बताए। उस तरफ बड़े-बड़े अर्थशास्त्री हैं, जिनमें से श्री सन्तोष मोहन देव एक है। वे बतायेंगे कि निर्यात को बिना बढ़ाए आयात बढ़ाने से आप किस तरह से भुगतान संतुलन के इस संकट से निकल सकते हैं। मैं समझता हूं यह तो इसके विपरीत हो जाएगा। संकट बहुत बढ़ जाएगा।

इसका स्वदेशी उद्योग पर क्या असर पड़ेगा? यह सच है कि यह उद्योग अनेक वर्षों तक उनको संरक्षण देने वाले बाजार में पनपे है और आप उन्हें उनसे मुक्ति दिलाना चाहते हैं ताकि वे प्रतियोगिता का सामना करें। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा जबकि आप विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों और बहुराष्ट्रीय निगमों को बिना किसी रोक-टोक के आगे आने का अवसर दे रहे हैं? उनको यह कहा गया है कि उन्हें भारतीय उद्योगों के समान माना जाएगा। यह आश्वासन उनको दिया गया है। उन्हें निर्यात करने के लिए दबाव नहीं डाला जायेगा जब वे अपने एकक लगायेंगे तथा उत्पादन आरम्भ करेंगे तो उन पर किसी तरह का निर्यात करने की शर्त नहीं होगी। यही आश्वासन है जो कि सरकार द्वारा दिया गया है। हमारे कितने आंतरिक, स्वदेशी, भारतीय उद्योग इस प्रतियोगिता में पनप सकेंगे जिन्होंने बहुत कुर्बानी तथा बहुत धन व्यय करके अपने उद्योगों को विकसित किया है? हमारे लघु उद्योगों का क्या होगा?

हमारे देश में लघु उद्योग क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है जो कि एक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। तकनीकी रूप से वे शायद इतने उन्नत नहीं है। इनमें से अनेक उद्योगों की तकनीक पुरानी है लेकिन वे लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और उनका निर्यात निष्पादन बहुत अच्छा है। यदि आप लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात के आंकड़ों को देखें तो आप पायेंगे कि ये इतने बुरे नहीं बल्कि ये बड़े उद्योगों के निर्यात आंकड़ों से बेहतर हैं। लेकिन अब इस लघु उद्योग क्षेत्र का क्या होने जा रहा है। आप विदेशी फर्मों को बड़ी संख्या में बिना किसी प्रकार के बन्धन के इस देश में आने की अनुमति दे रहे हैं? आप कहते हैं कि आप कोई बन्धन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से वे फर्में हमारे देश में नहीं आएंगी। इसलिए, मैं अपने उद्योगों, अपने कर्मचारियों तथा अपने लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए चिन्तित हूं। मुझे विश्वास है कि सरकार भी इस बारे में अवश्य चिन्तित होगी। कांग्रेस पार्टी को भी इस सम्बन्ध में चिन्ता होनी चाहिए।

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि वर्तमान नीति के कारण रोजगार के अवसर भी समाप्त होने जा रहे हैं। आज सुबह रेलवे बोर्ड के स्रोतों द्वारा एक समाचार मिला है कि यह घोषणा की गई है कि रेलवे विभाग द्वारा की जाने वाली नई भर्ती, जो कि प्रतिवर्ष की जाती है जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति वर्ष 7 लाख लोगों को रोजगार देने वाला यह सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का नियोक्ता है, में 30,000 से 35000 तक लोगों की भर्ती में कटौती कर दी गई है। अब कम लोगों को भर्ती की जाएगी। यह मैंने नहीं कहा है। तो रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर होने की संभावना है।

मैं नहीं जानता कि कितनी फैक्टरियां बन्द हो जाएंगी और कितने नये लोगों को बेरोजगारी रजिस्टर में डाल दिया जाएगा।

तो महोदय, प्रधानमन्त्री जी भी अक्सर देश को यह आश्वासन देते रहते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाएगा। अनेक नई दुकानें खोली जा रही हैं अनेक और वस्तुओं को इसकी सूची में शामिल किया जा रहा है। हमने यहां देखा है कि आपने निश्चित रूप से गलत शुरूआत की है। आपने इस आधार पर कि कृषकों को इनकी वसूली का अधिक मूल्य देना पड़ता है। उन तीन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से शुरूआत की है जो कि साधारणतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निश्चित की जाती हैं। चावल का मूल्य बढ़ाया गया था, गेहू का मूल्य बढ़ाया गया था तथा चीनी का मूल्य बढ़ाया गया। महोदय, आप और मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वस्तुएं नहीं खरीदते हैं। इस बारे में हमें खुले दिमाग से बात करनी चाहिए। हमारे पास खुले बाजार में सामान खरीदने के लिए पर्याप्त साधन है। यह प्रणाली किसके लिए बनाई गई है ' यह प्रणाली देश के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है। यदि उन्हें उचित दर दुकानों से 4 रु० अथवा 5 रु० प्रति किलो की दर पर चावल खरीदना है, तो इस प्रणाली का क्या लाभ है ? यह किसके लिए बनाई गई है ? इन कीमतों को मनमानी से लागू किया गया है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेश के अनुसार राज सहायता में कटौती की जानी है। वे इतनी अधिक राज सहायता की अनुमति नहीं देंगे। यहां तक कि जिस राज सहायता को गरीब वर्ग की मदद के लिए रखा गया है वे उसको भी स्वीकृति नहीं देंगे। मैं अन्य राज सहायताओं के बारे में भी जानता हूं लेकिन यदि खाद्य सामग्री पर राज सहायता, जो कि पूर्णतः गरीब वर्ग की मदद के लिए है, यदि बाहर के ऋण-देवताओं के आदेशों के पर इस सहायता में कटौती की जाती है तो इन गरीब वर्ग के लोगों का क्या होगा ? कुछ भी है, मैं इसका विस्तृत वर्णन नहीं करना चाहता। यही कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं इन सुधारों पर होने वाले व्यय का बोझ किस पर पड़ेगा ' कोई भी इन सुधारों के विरुद्ध नहीं है। लेकिन वित्त मन्त्री, जो कि एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं—सभी कहते हैं कि इस बार उन्होंने एक अर्थशास्त्री की नजर से बजट प्रस्तुत किया है न कि राजनीतिज्ञ की दृष्टि से, हमें बतायेंगे कि इन क्षेत्रों का भविष्य क्या होगा और इस सुधार का पूरा बोझ किस पर पड़ने की संभावना है ? यह बोझ बड़ी-बड़ी कम्पनियों तथा कालाधन कमाने वालों अथवा कर चोरी करने वालों, देश के बाहर वस्तुओं की तस्करी करने वालों पर नहीं पड़ेगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में मैं एक अन्य मुख्य बात कहना चाहता हूं। वह यह है कि मैं यह देख कर वास्तव में आश्चर्य चकित था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में वास्तव में कोई

महत्वपूर्ण बात नहीं थी, देश की एकता तथा अखंडता को सांप्रदायिक तथा विभाजीय शक्तियों द्वारा दी जा रही चेतावनी के प्रति कोई गम्भीर दृष्टिकोण नहीं था जिसने कि इस देश की एकता तथा अखंडता को बरबादी की तरफ घसीटा है। वे अभी भी कार्यशील हैं। मैं समझता हूं कि देश के अनेक भागों में ये शक्तियां अभी भी पनप रही हैं। उन्होंने अनेक स्थानों पर अशान्ति फैलाई है तथा दंगे भड़काए हैं तथा वे खुले तौर पर हिन्दू राष्ट्र के नारों के उपदेश दे रहे हैं जो कि मौलिक रूप से हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्षता के आधार के विरुद्ध है। आप भारत के संविधान की शपथ लेकर हिन्दु राष्ट्र का उपदेश नहीं दे सकते। आप यह कैसे कर सकते हैं ? आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या नहीं ? यह इसलिए हैं कि आप पृथक राज्य के समर्थन का अनुमोदन करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है जो कि किसी तरह के धर्मतान्त्रिक आधार पर आधारित है। यहां पूरे भारत को हिन्दु राष्ट्र में बदलने की मांग है। गैर हिन्दुओं का क्या होगा ? मुसलमान कहां जायेंगे ईसाई कहां जायेंगे, सिक्ख कहां जायेंगे; बुद्ध धर्म का पालन करने वाले कहां जायेंगे; तथा जैनधर्म का पालन करने वाले लोग कहां जायेंगे ? क्या उन्हें इस देश में नहीं रहना है ? मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस प्रश्न पर, इस समस्या पर कोई बात उल्लेखनीय नहीं लगी। हमें देश की अखंडता और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए आगामी वर्षों में किस प्रकार से एक साथ लड़ना है ?

महोदय, अन्त में मैं कहूंगा कि उस ओर से और इस तरफ से मेरे मित्र श्री आडवाणी द्वारा भी सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चे के बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने भा० आ० पा० को सहयोग देने का निर्णय किया है। आज के समाचार-पत्र में भी यह खबर छपी है कि श्री आडवाणी जी ने कहा है कि समापटल पर जो संशोधन रखे गये हैं और इस अभिभाषण के प्रति अपनाये गये दृष्टिकोण के प्रश्न पर राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा ने भा० ज० पा० के साथ सहयोग करने का निर्णय किया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हममें और भा० ज० पा० में केवल एक यही बात समान है कि कुछ संशोधन जो उन्होंने अलग से समापटल पर रखे हैं और जो हमने रखे हैं वे एक ही मामले से सम्बन्धित हैं। यह मूल्य-वृद्धि अथवा बेरोजगारी से सम्बन्धित मामला हो अथवा कोई और विषय हो, भाषा और संशोधन अलग-अलग हैं। चूंकि संयोग से मामला एक ही है। लेकिन यह किसी भी प्रकार से सहयोग का उदाहरण नहीं है बल्कि यह मात्र संयोग है और कुछ भी नहीं।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : यह मुद्दे पर आधारित नहीं है। चूंकि आपने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया है अतः यह मुद्दे पर आधारित नहीं है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : कल के मुम्बई में हुए नगर निगम महापौर के चुनाव में एक और सहयोग का उदाहरण देखा गया है। स्वयं आपने और जनता दल ने कांग्रेसी उम्मीदवार को समर्थन दिया है। क्या आपको इसकी जानकारी है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उन्हें बता दीजिये। इसका विकल्प यह था कि आप दूसरा उम्मीदवार खड़ा कीजिए।

श्री राम नाईक : मैं आप से पूछ रहा हूं । मैं श्री वी० पी० सिंह से भी पूछ रहा हूं । आप अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सके यद्यपि वहां पर आपका प्रतिनिधि है । आप इसका उत्तर दीजिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अतः आप हमारे सहयोग के बहुत इच्छुक हैं ।

श्री राम नाईक : हम इच्छुक हैं । हम सभा में समन्वय चाहते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं कुछ और बात कह रहा हूं । (व्यवधान)

[हिन्दी]

शरद पवार, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, बम्बई में इनको साथ ले लो ।

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : बम्बई के कम्युनिष्ट ज्यादा सेंसीबल हैं इसलिए उन्होंने हमें मदद दी । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु मैं एक भिन्न मसले के बारे में कह रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि सभी मूल सिद्धान्त; मुख्य सिद्धान्त सरकार की तथाकथित आर्थिक नीति के सभी सिद्धान्त, नई औद्योगिक नीति, नयी वित्तीय नीति और मूलभूत सिद्धान्तों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे है । उन्होंने खुलेआम ऐसा कहा है, उन्होंने यहां पर और अमरीका में भी ऐसा कहा है और कई वक्तव्यों में भी उन्होंने यही कहा है । इसी के साथ-साथ उन्होंने कई संशोधन प्रस्तुत किए हैं जिनमें मूल्य-वृद्धि, बेरोजगारी इत्यादि के प्रति अपनी चिन्ता जताई है और इनकी आलोचना की है ।

यदि मेरे प्रिय मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी नाराज नहीं हों, तो मेरा विचार है कि आप कृत्रिम-रूप से उन नीतियों के परिणाम से नीतियों को अलग नहीं कर सकते । इन नीतियों में एक और पहलू अर्थात् बाजार अर्थव्यवस्था के पहलू को भी जोड़ा गया है । इस समय हम इसी महत्वपूर्ण पक्ष के लिए वकालत कर रहे हैं । हमें निश्चित रूप से बाजार अर्थव्यवस्था के लिए प्रयत्न करना चाहिए यहां तक कि भारत को विश्वव्यापी बाजार अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होना चाहिए । इसका अभिप्राय यह है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो जो कि सभी प्रकार के नियंत्रण और नियमन से मुक्त हो । श्री आडवाणी ने हमारे खिलाफ शिकायत की थी कि हमने अपनी आंखें बन्द कर ली हैं और हम जवाहर लाल नेहरू के उसी पुराने, आदर्श से ही चिपके हुए हैं जिसे छद्म-समाजवाद का नाम दिया गया था । "आप पुनः उसी पर चलना चाहते हैं ।" उन्होंने कहा था । वह अप्रचलित है और हमेशा के लिये समाप्त हो चुका है । मुझे आशा है कि कांग्रेसी भी उनसे सहमत हैं ।

अतएव हमें एक नयी नीति एक नये दर्शन की तलाश करनी है जिसमें विनियमन इत्यादि की व्यवस्था भी शामिल हो ।

श्री पी० एन० सईद (जम्मू) : आप उन्हें कुछ और बता रहे हैं । (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सईद जी, जब आप बोल रहे थे उस समय मैंने आपको बीच में टोका नहीं था। यद्यपि आप लगभग तीन घंटे तक बोलते रहे थे।

विनियमिन, निजीकरण, स्वतन्त्र बाजार अर्थव्यवस्था और नियन्त्रण-रहित इत्यादि ये सभी नीतियां इसमें सम्मिलित होनी चाहिए।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : क्या आप हमें सोवियत संघ में हो रही घटनाओं के बारे में बता रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, मैं सोवियत संघ पर ही आ रहा हूं। मैं दार्जिलिंग और नेपाल के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं रूस में हो रही घटनाओं की बात कर रहा हूं। कृपया आप अपने सुझाव घीसिंग तक ही रहिये। आप अपने विषय पर बोलिये।

मैं यह कह रहा हूं कि क्या आप एक भी ऐसे देश का नाम बता सकते हैं, चाहे यह पूंजीवादी देश ही क्यों न हो, जहां पर पहले ही बाजार अर्थव्यवस्था अपनाई जा रही है, अथवा जैसा कि वह जानने के अत्यन्त इच्छुक हैं, आप किन्हीं भी भूतपूर्व समाजवादी देशों का नाम बताइये, जो बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप मुझे किसी भी ऐसे देश का नाम बताइये, जो मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से ग्रसित न हो गया हो।

हो सकता है कि आपको समाजवादी देशों की उस पुरानी प्रणाली की कई बातें अच्छी न लगें। परन्तु इसके पश्चात् ही इस प्रणाली को विखण्डित किया गया है, इस ढांचे को हटाया गया है क्योंकि वे कह रहे हैं कि अब हमारे यहां भी बाजार अर्थव्यवस्था लागू होने जा रही है, क्योंकि वहां की जनता यह महसूस कर रही है कि उनके रोजगार सुरक्षित नहीं हैं, वहां पर बेरोजगारी, मूल्य-वृद्धि और मुद्रास्फीति जैसी समस्याएं हैं।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मेरे विचार से यदि आप संयुक्त राष्ट्र के पास भेजे गये सोवियत संघ के वक्तव्यों और दस्तावेजों को पढ़े तो आप पायेंगे कि तत्कालीन सोवियत संघ सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये सारे आंकड़े गलत थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है। मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं·····(**व्यवधान**) मैं समाज और अर्थव्यवस्था के साधारण पहलुओं की बात कर रहा हूं वे सब गलत थे। परन्तु मेरे विचार से आप सोवियत संघ कई बार गये थे, जैसे कि हममें से कई गये थे। आप मुझे बताइये कि क्या आपने वहां पर मुद्रास्फीति, बेरोजगारी देखी और क्या आपने वहां सड़कों पर भिखारियों को देखा ··· (**व्यवधान**) मेरा कहना यह है कि कोई भी बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी इत्यादि से नहीं बच सकता। बाजार अर्थव्यवस्था का यह एक सहवर्ती अंग है। आप कहेंगे कि तीन वर्ष तक हमें दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। आपका सूत्र यह है कि तीन वर्ष तक कठिनाइयां सहो और उसके पश्चात् सब कुछ ठीक हो जायेगा। वे इसे "पाइ इन दि स्काई" कहते हैं।

जैसे भी हो, मैं तो अपने भा०ज०पा० के मित्रों को यही सुझाव दूंगा कि सरकार की तथाकथित उदारीकरण की मूलभूत नीतियों का समर्थन करना बेकार है और इसी के साथ-साथ आप बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि की आलोचना करते रहिये जिसके लिए आपने सशोधन भी रखे हैं। मैं

समझता हूं कि या तो वे भ्रमित हो गये हैं अथवा इन संशोधनों को प्रस्तुत करने का तात्पर्य केवल उस जनता के प्रति लोकप्रिय संकेत मात्र देना है जिसके बीच में वे काम करते हैं क्योंकि उन्हें काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है वे हर रोज मूल्य-वृद्धि और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसीलिए भा०ज०पा० के चतुर नेता उन बातों को अनदेखा नहीं कर सकते और मैं उनकी इस चतुराई का काफी सम्मान करता हूं। वे इन पर ध्यान अवश्य देंगे। परन्तु उन्हें समझना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था रूपी मूलभूत नीति के ये अनिवार्य अंग हैं। इसी कारणवश वे समर्थन कर रहे हैं। और आप प्रसन्न हैं चूंकि वे इसका समर्थन कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : स्वदेशी·····(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल स्वदेशी ही नहीं। अतः मैं भा०ज०पा को सुझाव दूंगा कि वह यह न समझे कि हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। कुछ एक जैसे मामले हैं, जिनके लिये एक से संशोधन रखे गये हैं। उसके पीछे हमारा सम्पूर्ण दृष्टिकोण उनके दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न है। यदि वे बाहर जनता को यह कहकर सन्तुष्ट करना चाहते हैं कि हमने मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी पर संशोधन रखे थे, तो ठीक है वे ऐसा कर सकते हैं। परन्तु वे हमें इतना स्पष्ट करें कि इस बाजार अर्थव्यवस्था नीति को अपनाकर वे इन सारी समस्याओं का निदान कैसे करेंगे। यह किसी भी प्रकार संभव नहीं है।

चूंकि हमारे वित्त मन्त्री जो अभी पदासीन हैं, मुझे आशा है कि वह कहेंगे "हम देखेंगे"। मेरा कहना है: "वह देखेंगे", अगले दो तीन वर्षों में क्या किया जायेगा, यह हम भी देखेंगे। निश्चित रूप से कुछ व्यक्तियों को लाभ होगा। मुझे इसमें सन्देह नहीं। आपकी इस नीति से जनता के एक छोटे से वर्ग को काफी लाभ होने जा रहा है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है। अनिवासी भारतीय प्रसन्न होंगे। एक बड़ा निगम क्षेत्र भी सन्तुष्ट होगा। अन्य व्यक्ति जिनके पास शहरों में खर्च करने के लिए कुछ रुपया है, जो वीडियो, रेफ्रिजरेटर, धुलाई मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उनका व्यय वहन भी कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति भी इससे प्रसन्न होंगे। हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम हो कि 10 करोड़ व्यक्तियों को इससे लाभ हो। मैं मानता हूं कि यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। यह कई देशों की जनसंख्या से भी कहीं अधिक है। परन्तु शेष 70 करोड़ व्यक्तियों का क्या होगा? 10 करोड़ लोगों को इसका तुरन्त लाभ होगा। और 70 करोड़ लोग यूं ही रह जायेंगे·····(व्यवधान) मुझे दुःख है कि मैं लाखों और करोड़ों को एक साथ जोड़ रहा हूं। इसीलिए मैं वित्त मन्त्री कभी भी नहीं बन सकता।

अतः मैं कह रहा हूं कि हमारे संशोधनों के पीछे हमारी सम्पूर्ण भावना और इन आर्थिक सुधारों के प्रति आम रुख यह नहीं है कि ये सुधार खराब हैं परन्तु इन सुधारों को गलत तरीके से रखा जा रहा है अर्थात् वे बोझ उस जनता के कंधे पर रख रहे हैं, जो इसका बोझ वहन नहीं कर सकती और वे अपने स्वदेशी उद्योग के एक बड़े वर्ग को ही समाप्त कर रहे हैं। वे इसका बोझ क्यों उठायें? हम यह भी नहीं चाहते कि हमारे उद्योगों का स्थान विदेशी उद्योग ले लें और वह भी केवल इसीलिए कि क्योंकि वे लोग यहां पर अपना उद्योग लगाने के इच्छुक हैं।

महोदय, अतः मैं सभा का और अधिक समय लेना नहीं चाहता। यही कारण है कि हम इस अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव करने के खिलाफ हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि

इसके लिए धन्यवाद किया जाए। मैं पुनः कह रहा हूं और मुझे दुःख है कि देश की एकता और अखन्डता जो कि इस समय अत्यधिक संकटग्रस्त है, उसकी रक्षा करने के बारे में इसमें कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। ये चुनौतियां केवल पंजाब से ही हमें नहीं मिल रही है, चूंकि पंजाब की स्थिति अब कुछ सुधर सकती है, यह चेतावनी केवल कश्मीर से ही नहीं मिल रही है बल्कि उन आन्तरिक ताकतों से हमें यह खतरा पैदा हो रहा है, जो हमारे देश को पूरी तरह से विभाजित करने वाले खतरनाक उपदेश और शिक्षा दे रही हैं।

अतएव इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और हम निश्चित रूप से इन विभिन्न मुद्दों से सम्बन्धित अपने संशोधनों के लिए जोर डालेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में यह लाना है कि इस परिचर्चा के लिए बारह घन्टे का जो समय दिया गया था वह पूरा हो चुका है। सभी दलों को भी जितना समय दिया गया था, उन दलों द्वारा भी उतना समय ले लिया गया है।

बहरहाल, मेरे पास कुछ व्यक्तियों के नाम हैं और हम उनके विचार भी सुनना चाहेंगे। जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम लीग और अन्य दलों के नेता भी हैं। मैं उन्हें समय दे रहा हूं। मैं आप से इतना अनुरोध करूंगा कि आप संक्षेप में कहें और हमें सहयोग दें, ताकि हम निर्धारित समय के अन्दर इस विषय पर चर्चा समाप्त कर सकें और इसके उत्तर तथा अन्य विषयों के लिए भी हमें चार बजे के बाद समय न देना पड़े।

अब श्री सुलेमान सेट बोलेंगे।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं।

जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का सवाल है, मैं यही कहूंगा कि देश और सरकार का यह एक महत्वपूर्ण नीति विषयक वक्तव्य है और इसीलिए इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां तक श्री नरसिंह राव सरकार का सम्बन्ध है, निःसन्देह इस सरकार ने देश में स्थिरता कायम की है, और देश में व्याप्त तनाव को दूर किया है तथा कई जटिल समस्याओं का समाधान किया है। पंजाब में चुनाव कराये हैं। यह बहुत अच्छा हुआ है। मुझे विश्वास है कि कश्मीर में भी बहुत जल्दी ही चुनाव होंगे और इसी उद्देश्य हेतु सरकार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से बातचीत करेगी और एक ऐसा वातावरण वहां बनायेगी जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव होगा और इस देश के संविधान के अन्तर्गत कश्मीर के लोगों को अपना भविष्य सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

परन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ मामलों के बारे में सरकार द्वारा बनाई गई नीति से और की गई कार्रवाई से देश का एक काफी बड़ा वर्ग पूरी तरह से सन्तुष्ट नहीं है। मैं अवश्य ही ऐसा कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार की नीति ने देश की जनता के मन में एक, आशंका और एक प्रकार का संदेह उत्पन्न कर दिया है। कुछेक अन्य नीतियां भी हैं जो कि देश के दुःख दर्द का मुख्य कारण हैं।

मैं यह भी कहूंगा कि सम्पूर्ण देश में सभी लोग ऐसा महसूस करने लगे हैं कि हम अमरीका और वास्तव में बुश प्रशासन के दबाव के समक्ष झुक रहे हैं। एक तरफ हम अमरीका अथवा बुश प्रशासन जैसी विदेशी ताकतों के दबाव के समक्ष झुक रहे हैं और दूसरी ओर अपने देश के अन्दर हम मा०ज०पा० और इस जैसे फासिस्ट और साम्प्रदायिक संगठनों के दबाव के समक्ष झुक रहे हैं। इस समय हमारी सरकार इन दोनों दबावों के तहत काम कर रही है। एक तरफ मा०ज०पा० का दबाव है और दूसरी तरफ अमरीका का दबाव उस पर है। ये ही सब बातें हमारे मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न कर रहीं हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब यह सरकार केन्द्र में आयी थी उस समय आर्थिक स्थिति अत्यन्त गम्भीर थी। उस समय देश में वित्तीय संकट व्याप्त था और विदेशी मुद्रा की स्थिति भी अत्यन्त निराशाजनक थी। हर कोई समझ सकता है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अन्य ताकतों से ऋण मांगा जाता है और यदि ऋण हमें मिल भी जाता है तो इसके लिए कुछेक शर्तें भी निर्धारित की जावेंगी। परन्तु एक बात जिसके प्रति हमें अत्यन्त सावधानी बरतनी होगी, वह यह है कि इन शर्तों के कारण कहीं हम पर निगरानी न रखी जाये। हम इसी के बारे में अत्यन्त चिन्तित हैं। जब हमने शर्तें मान ली हैं, तब राष्ट्रीय हित और प्रतिष्ठा के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इसी बारे में वित्त मन्त्री जी को अत्यन्त सतर्क रहना चाहिए।

मैं समझता हूं कि कुछ क्षेत्रों में शीघ्र कार्रवाई करने से पूर्व वित्तमन्त्री जी को सदन में काफी पहले पहुंचना चाहिए।

मैं यह भी कहूंगा कि दलितों, कमजोर वर्ग और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के हितों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको बेरोजगारी और मूल्य-वृद्धि से निपटना है। इन्हीं विशिष्ट मामलों के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत कम जिक्र किया गया है। इस देश में आज मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी से आम जनता की कमर टूट रही है। और इसी के साथ-साथ जनता में रोष और दर्द की यह भावना भी बढ़ रही है कि विदेश नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार अमरीकी दबाव के सामने झुक रही है।

महोदय, पृष्ठ 16 और 17 पर अपने अभिभाषण के पैरा 43 और 44 में राष्ट्रपति जी ने जो कहा है उसे मैं यहां उद्धृत करता हूं :

43. "पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों के साथ हम अपने सम्बन्धों को विशेष महत्व देते हैं। हम अरब के हित विशेष रूप से फिलिस्तीनियों के न्यायिक और अविच्छेद्य अधिकारों के संघर्ष को वर्षों से निरन्तर एवं स्पष्ट समर्थन देते रहे हैं। भारत ने पश्चिमी एशिया की शांति प्रक्रिया को फिर से बहाल करने तथा अरब राज्यों और इजरायल के बीच अरब-इजरायली विवादों के न्यायसंगत एवं उचित समाधान ढूंढने के लिए बातचीत जारी रखने का स्वागत किया है।"

44. "इस क्षेत्र में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय लिया है। हम इजराइल के साथ व्यापक और बहुआयामी सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं।"

महोदय अरब और भारत की परस्पर मित्रता के बारे में राष्ट्रपति ने उल्लेख किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी की यही नीति रही है? उन्होंने सियोनवादी इजरायल की आक्रामक भूमिका और उसके फलस्वरूप उनके अत्याचारों और क्रूरताओं को अभी-स्वीकृति दी थी। राष्ट्रपति जी का कहना है कि परिवर्तित परिस्थितियों के अन्तगत राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि परिस्थितियों में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। आक्रमण अभी भी जारी है। अरबी भूमि अभी भी इजरायल के कब्जे म है। मैड्रिड, मास्को और वाशिंगटन में आयोजित सभी वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला है। वही स्थिति विद्यमान है। इजरायल क साथ र'जनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का हमारी सरकार का यह निर्णय बहुत असामयिक और जल्दी में लिया गया निर्णय है।

मैं यह उल्लेख करूंगा कि फिलिस्तीनी संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं। इजरायल का आक्रमण जारी है। अत: मैं पुन: यही कहूंगा कि इस स्थिति में इजरायल को मान्यता देना बिल्कुल अनुचित है। इस देश की जनता और विशेषकर मुस्लिम अल्पसख्यकों में इससे काफी रोष उत्पन्न हो गया है।

महोदय, अब मैं एकता यात्रा के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा (व्यवधान) इस देश की सरकार ने फासिस्ट और साम्प्रदायिक नीति को काफी प्रोत्साहन दिया है और डा० मुरली मनोहर जोशी की उनकी एकता यात्रा में मदद की है। हर कोई जानता है कि श्री जोशी श्रीनगर कैसे पहुंचे और झंडा कैसे फहराया गया है। आपको ज्ञात होगा कि वहां पर पिछले तीन दिन से कर्फ्यू लगा हुआ था और वहा सेना तैनात थी लालचौक पर मशीनगनों का भी बन्दोबस्त किया गया था। राकेट छोड़े गये हैं। मैं इस सम्माननीय सभा में निवेदन करूंगा कि इन सब से फासिज्म को प्रोत्साहन मिल रहा है और इससे इस देश की धर्मनिरपेक्षता कमजोर होगी। इस सब के लिए सरकार जिम्मेदार है:

महोदय, अब मैं राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में कहूंगा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पृष्ठ 2 पर पैरा 6 में कहा है, जिसे मैं यहां उद्धृत करता हूं :—

> "रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद से उत्पन्न स्थिति पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार ने 15 अगस्त 1947 को विद्यमान अन्य पूजा स्थलों की स्थास्थिति बनाये रखने के लिए कानून बनाया है।"

यह अच्छा हुआ है कि यह कानून पारित हो गया है। यद्यपि इसमें कुछ खामियां थी, परन्तु हमने इसका समर्थन किया और यह विधान पारित हो गया।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि उस राज्य में भा०ज०पा की सरकार है। उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि बाबरी मस्जिद और उसके आसपास के क्षेत्रों को यथावत् रखा जाये इसके बावजूद दिनांक 9 अक्टूबर 1991 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद के आस-पास की जमीन को प्राप्त करने के लिए अध्यादेश जारी किया। दिनांक 21 अक्टूबर को खुदाई का

कार्य शुरू हो गया है। 30 अक्टूबर को मस्जिद पर हमला किया गया। मेरा निवेदन है कि यह सब न्यायालय के आदेश के विरुद्ध किया जा रहा है।

अभी हाल ही में इस विषय पर राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक आयोजित की गई थी।

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में श्री कल्याण सिंह ने वचन दिया था कि वह मस्जिद की रक्षा करेंगे। लेकिन उसके तुरन्त बाद ही उन्होंने घोषणा कर दी कि कोई कानून, कोई न्यायालय का आदेश नहीं चलेगा, मस्जिद गिराई जायेगी और मन्दिर का निर्माण किया जायेगा। सरकार को इस बारे में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। परन्तु आज क्या हुआ? पिछले 18 दिनों में एक 20 फीट ऊंची और 300 गज लम्बी दीवार बनाई जा रही है। बजरंग दल और बहुजन समाज पार्टी इसे मन्दिर का ही एक हिस्सा बताते हैं। परन्तु सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, हालांकि संविधान के अनुच्छेद 358 के अन्तर्गत सरकार को उस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने का अधिकार है। अत: यह स्थिति है इस समय। महोदय, हम नहीं चाहते कि देश का अहित हो। हम शांति और सम्मानपूर्वक रहना चाहते हैं। परन्तु यहां पर भा०ज०पा० के इरादों का यह एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि वे दीवार निर्माण का कार्य करवाते जा रहे हैं। और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मस्जिद और उसके निकटवर्ती क्षेत्र की यथावत् स्थिति कायम रखने के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है।

एक और बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि पृष्ठ 9 पर पैरा 24 में राष्ट्रपति जी ने कहा है।

> "मैंने अपने पिछले अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और लोक सेवाओं में नियोजन और विकास योजनाओं से होने वाले लाभ के मामले में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे नया रूप दिया जा रहा है।"

लेकिन मैं कहता हूं कि 15 सूत्री कार्यक्रम को बिल्कुल भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। अत: 15 सूत्री कार्यक्रम में निहित निर्देशों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। कोई सुरक्षा नहीं है और भेदभाव हो रहा है। इसलिए केवल यही समाधान है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हो। मैं मांग करता हूं कि सरकार मेरे द्वारा उठाए गए मामलों के सम्बन्ध में नीति में सुधार करे और अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करे ताकि न्याय किया जा सके।

मैं एक बात और कहूंगा कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्ध नहीं रख सकती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो आर्थिक विनाश और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने की पक्षधर है। हम, मुस्लिम शांति से रहना चाहते हैं लेकिन गरिमा और पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता के साथ। हमारे वामपंथी मित्र हमें राजनैतिक अछूत मानते हैं। जब तक ऐसी मनोदशा रहेगी, मुस्लिम लीग

और वामपंथियों में सहयोग पर विचार नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि 1989 में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल तथा वामपंथियों के बीच मित्रता के कारण 27 महीने पूर्व दुखद घटनाएं हुई। यह देश के लिए अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसी बड़ी गलती पुनः हो। हम चाहते है कि एकता, अखण्डता और साम्प्रदायकता और सद्भावना बरकरार रहें। हम इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण पर सरकार को गिराकर देश में अशांति उत्पन्न नहीं करना चाहते। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

श्री लोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानबूझकर की गई इस शरारत की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तेलुगु देशम संसदीय पार्टी के सदस्यों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर प्रयत्न किया गया है। एक तार भेजा गया जिसमें सचेतक के द्वारा यह कहा गया था कि उन्हें 10 और 11 तारीख को उपस्थित रहना चाहिए। इस सरकार द्वारा जानबूझ कर प्रयास किया गया है। इस बारे में जांच की जाएं। क्या यह इस सभा में उपस्थित रहने के हमारे अधिकारों पर प्रहार नहीं है? क्या यह सही है? (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, आज मतदान हो रहा है और सदस्यों को यहां पर 9 तथा 10 तारीख को उपस्थित रहना है, लेकिन उन्हें तार मिला है कि उन्हें 10 और 11 तारीख को उपस्थित रहना है। सम्बन्धित मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं; वह इसका उत्तर दें।

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मैं इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करूंगा कि इसे कब भेजा गया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हां; श्री मोहन रावले।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनकर बड़ी निराशा हुई। राष्ट्रपति ने अपने विचार प्रकट नहीं किये। मजबूर होकर सत्ताधारी पक्ष जो कहना चाहता था वह उन्होंने कहा है। हमारे मुम्बई शहर में 10 वर्ष से मिलें बन्द हैं जिसकी वजह से 70 हजार मजदूर बेरोजगार हैं, सरकार उनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं कर रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उसके लिए को-आपरेटिव बेसिज पर मिल्स चलाने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है, कोई वित्तीय मदद या वित्तीय ढांचा उसके लिए खड़ा नहीं किया जा रहा है।

महंगाई इतने जोरों से बढ़ रही है कि जैसे मरते समय आदमी ऊपर चला जाता है उसी तरह से महंगाई भी ऊपर ही ऊपर चली जा रही है। राष्ट्रपति महोदय ने बढ़ती हुई महंगाई पर तो चिन्ता प्रकट की है, लेकिन इसे कम करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया है। 100 दिन में महंगाई कम करने वाली वह सरकार कहां गई जिसने कहा था कि महंगाई 100 दिन में कम कर देंगे।

मैं बतलाना चाहता हूं कि अमरीका से हंगर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर यहां आये थे। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में 11 हजार लोग भूख से मरते हैं। हमारी जनसंख्या इतनी है कि दिन में 59 हजार लोग जन्म लेते हैं और 22 हजार उसमें से मर जाते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। लेकिन हमारी सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन सरकार को यह आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि परिवार नियोजन योजना को अमल में लाने के लिए कड़ाई से इसका इस्तेमाल कराये। हम हिन्दुस्तानी हैं। हिन्दू-मुस्लिम हम सब भाई-भाई हैं। लेकिन दोनों के लिए अलग-अलग कानून हैं। ऐसा क्यों है। अगर हम इंडोनेशिया जायें या मलेशिया जायें तो वहां भी परिवार नियोजन सबके लिए समान रूप से लागू है। यहां पर धर्म के नाम पर इसका विरोध किया जाता है। कभी हिन्दू राष्ट्र कहें तो इनको दुःख होता है। इसका विरोध किया जाता है। सत्ताधारी पक्ष विरोध को स्वीकार कर लेता है। पाकिस्तान की फारेन मिनिस्टर बेनम रिबाक जब सार्क कांफ्रेंस में भाग लेने गोवा आई तो उन्होंने कहा था कि शरीयत अल्लाह का आखिरी अल्फाज नहीं है लेकिन हम धर्म के नाम पर इसका विरोध करते हैं। इसका भी कहीं कोई भाषण में उल्लेख नहीं है।

मुम्बई क्षेत्र में जो गैस निकलती है उसको जला दिया जाता है। एक घण्टे तक अगर गैस जलाई जाये तो 3। लाख रुपये का नुकसान होता है। अभी तक 36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार ने इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करने के लिए मुम्बई और महाराष्ट्र में इसके इस्तेमाल के लिए कोई सुविधा नहीं दी है। कल टाइम्स आफ इण्डिया में आया था कि अगर हमारे यहां कोई एड्स का रोगी हो तो उसके इलाज के लिए मुम्बई में कोई अस्पताल नहीं है। मुम्बई में जहां तक मेरी जानकारी में है एड्स की रोकथाम और इलाज के लिए कोई अस्पताल नहीं है। यहां इसका इलाज करने के लिए कोई राजी नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, मलेरिया के बारे में भी हम गम्भीरता से सोचते नहीं हैं।

पाकिस्तान ऐशियाई सैटेलाईट के जरिये भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? पाकिस्तान के सब न्यूक्लीयर स्टेशन नष्ट कर देने चाहिए। कश्मीर की जिस जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, उसे वापिस लेने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर पर हमारी सैनिक चौकियों पर लगातार गोली-बारी करता रहता है, उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करनी चाहिये कि जिससे उसे सबक मिल जाये।

पिछले 22 वर्षों से हमारे ऊपर 35 हजार करोड़ रुपये का विदेशी कर्जा बढ़ गया है। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान को 300 करोड़ रुपया दिया था लेकिन भारत उसे वापिस लेने के लिए राजी नहीं है।

गैर-योजना कार्यक्रम में 1975-76 में जितना रुपया लगता था उसका 5 गुना अब बढ़ गया है। अभी राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में देश के समस्त राज्यों से मुख्यमन्त्री आये थे। उन्होंने सुझाव दिया था लेकिन उनके खर्चों में कटौती कर दी गयी जबकि हरियाणा में 90 विधानसभा के सदस्य हैं और उनमें से 35 विधायक मन्त्री हैं। इस छोटे से राज्य में 45 से अधिक बोर्ड्ज हैं। सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं देती है? सरकार हम लोगों से कटौती करने के

लिए कहती है। एक वर्ष में एक करोड़ लोग हो बेरोजगार गये हैं और इस प्रकार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार को जब खत लिखा जाता है तो केवल उसकी पावती ही आती है, जवाब बिलकुल ही नहीं आता है।

जम्मू कश्मीर में अब तक 70 हजार करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है लेकिन वह लोगों के पास पहुंचा ही नहीं है। आज जब हिन्दू राष्ट्र के नाम पर बोलेंगे तो इनको गुस्सा आता है लेकिन जब कश्मीर के किसी भाग से हिन्दू को भगा देते हैं, उनका मकान, उनकी सम्पति छीन ली जाती है, तब आप लोग कहां जाते हैं ? मुझे मालूम नहीं है। उन लोगों को कम्पनसेशन देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं शिव सेना दल की तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध कर रहा हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया।

श्री यज्ञ (जालंधर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा सदन का अभिवादन कर मैं कुछ कड़वी और कुछ मीठी बातें करना चाहता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव आमतौर पर एक वैधानिक औपचारिकता होती है लेकिन इस बार जो अभिभाषण इस सदन के सामने रखा गया है, उसको मैं अनौपचारिक नहीं मानता, साधारण भी नहीं मानता। कोई इस अभिभाषण का विरोध करे, समर्थन करें, यह उसका अपना दृष्टिकोण है लेकिन सारे देश ने इस अभिभाषण का स्वागत किया है। इसलिए कि जब यह सरकार बनी थी, हमारा देश एक गहरे संकट में फंसा हुआ था—आर्थिक संकट राजनैतिक संकट कानूनी व्यवस्था के संकट।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने थोड़े से अरसे में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसके लिए हम सब को गर्व है। मेरी यह भी मान्यता है कि जो लोग इसका विरोध करते हैं, दिल से वे इस बात का समर्थन करते हैं कि भारत सरकार को काफी सफलता मिली है। यही कारण है कि सभी पार्टियां बारी-बारी से किसी न किसी ढंग से इस सरकार को सहयोग देती रही हैं। मैं इसे अपने प्रधानमंत्री की एक बड़ी भारी सफलता मानता हूं। उन्होंने देश में टकराव का माहौल बदल कर सहमति की सियासत की शुरूआत की है जो एक साधारण बात नहीं है। आमतौर पर हम टकराव ही करते चले गये हैं; किसी बात पर हमने सहमत होने की चेष्टा नहीं की लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने एक नये वातावरण में नयी रणनीति अपना कर सारे देश की हालत को बदलने की कोशिश की है जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं।

जब यह सारा सिलसिला चल रहा था तो कुछ ऐसी बातें भी हुईं जिनसे कुछ कठिनाई पैदा हो सकती थी। यहां चर्चा चली एकता यात्रा की। मैं इसकी भावना का विरोधी नहीं हूं। एकता यात्रा से अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन जिस माहौल में, जिस ढंग से यह एकता यात्रा प्रारंभ की गई, उससे एक धर्मसंकट पैदा हो गया। यदि सरकार इस एकता यात्रा को रोके तो बजा तौर पर कहा जा सकता है कि यह कैसी सरकार है, हमें एकता का प्रयास नहीं करने देती। और यदि न रोके और इन्हें सीधे कश्मीर जाने दे तो जिस तरह की वहां पर उग्रवादियों की धमकियां आयी थीं, उससे बड़ा भारी नुकसान हो सकता था, ये धर्म संकट सभी लोग समझ सकते हैं। इस धर्मसंकट से उबरने के लिए भारत सरकार ने जो नीति अपनाई, उसके लिए वह बधाई के पात्र है। एकता यात्रा श्रीनगर पहुंच गई, झंडा भी लहरा दिया गया, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों में, कि सरकार कहती है कि हमारी जीत है और एकता यात्रा वाले कहते हैं कि हमने बड़ा भारी लक्ष्य प्राप्त

कर लिया। कुछ भी हो, एक धर्मसंकट पैदा हो गया जिससे निकलने में यह सरकार सफल हुई। यदि वहां पर उस दिन झंडा न लहराया जाता तो सारे देश पर यह आरोप लग सकता था कि यह कैसा देश है जहां इस देश के लोग अपने ही देश का झन्डा नहीं लहरा सकते। झंडा तो लहरा दिया गया, लेकिन उससे जो नुकसान हो सकता था, वह नहीं हुआ, इसके लिए मैं बधाई देता हूं।

यहां पर पंजाब का जिक्र हुआ है। बड़ी स्वाभाविक बात है पंजाब का प्रश्न सारे देश के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण है और यदि हम इस पर गहराई से विचार न करें तो हम कभी भी अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। कहा जा सकता है कि क्या बात है कि इतने बरस हो गए, कितनी सरकारें बदली, इतने प्रधान मंत्री बदले, इतने प्रयास किए गए लेकिन अभी तक पंजाब की समस्या का समाधान नहीं हुआ। कुछ लोगों को शिकायत है कि समाधान करने की कोशिश नहीं की गई। मुझे यह शिकायत है कि पंजाब को एक राजनैतिक प्रयोगशाला (पोलिटिकल लेबोरेटरी) बना दिया गया और जिस किसी ने कोई भी सुझाव दिया, इस लेबोरेटरी में उसका एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंटेशन से लाभ होने की बजाय नुकसान होता चला गया। एक और बात थी। कुछ लोगों ने जान-बूझकर इस सारी समस्या को उलझाने की चेष्टा की। उन्होंने यह कोशिश नहीं की कि समस्या जड़ को काटा जाए, जो बुराई है उसकी जड़ तक पहुंचकर उसको उखाड़कर हालात को बेहतर बनाया जाए। वे पत्ते काटने की ही सलाह देते रहे।

अभी यहां पर जिक्र हुआ था और कई बार हमारे देश में स्थान-स्थान पर होता रहा है कि दिल्ली में जो दंगे हुए सन् 84 में, उसके अपराधियों को दंड नहीं दिया गया। अपराधियों को दंड तो मिलना चाहिए, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं और यदि कोई सरकार अपराधियों को दंड देने में विलंब करती है तो इसका आरोप उस पर आएगा ही, लेकिन इस बारे में कुछ बातें जरूर जाननी चाहिए। ये दंगे क्यों हुए? आप कहेंगे कि लोगों को गुस्सा आ गया, या लोगों के अन्दर प्रति हिंसा की भावना थी, या लोगों ने गलत राह अपनाई उन्हें गुमराह किया गया या उत्तेजित किया गया। कोई भी बात हो, ये दंगे तब हुए जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या कर दी गई। श्रीमती गांधी की हत्या के साथ एक और बात है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के जो हत्यारे थे, उनको सजा दी। एक तो वहां पर पहले ही गोलियों का शिकार हो गया और बाकी दो को फांसी की सजा हुई। जब दोनों व्यक्तियों को फांसी दी गई तो कुछ लोगों ने, जो अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ढंग से उग्रवाद का समर्थन करते हैं, उन्होंने यह कहना शुरू किया कि इनको रिहा करना चाहिए। यह भी कहा गया कि इन लोगों को फांसी देना नुकसानदेह हो सकता है। बड़ी अजीब सी बात है। जिन लोगों को अदालत सजा या दंड देती है उन्हें रिहा करने के लिए कहा जाता है और जिन लोगों ने आवेश में आकर, गुस्से में आकर, प्रति हिंसा की भावना से किसी भी तरह से दंगे कर दिए; उनके लिए बार-बार कहा जाता है कि उनको सजा क्यों नहीं दी गई। यहां पर कैसा न्याय है? मैं इसके साथ एक और बात कहना चाहता हूं। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद जो दंगे हुए उसमें हम एक और बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई तो किसी भी ऐसे प्रमुख व्यक्ति ने इसकी निन्दा नहीं की जिसकी निन्दा करने से लोगों की भावनाएं शांत हो सकती थीं। पहले कुछ जत्थेदारों ने कहा कि यह बड़ी निन्दाजनक बात है. लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने अपना निन्दा का वक्तव्य वापस ले लिया, इससे भी नुकसान हो गया। यदि इन बातों को छोड़ दिया जाये, तो प्रश्न है कि दंगे क्यों हुए। दंगे इसलिये हुए क्योंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या कर दी गयी थी।

प्रश्न है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या क्यों हुई, इसलिये कि उन्होंने ब्लू स्टार आपरेशन कराया था। कहा जाता है, इससे कुछ लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचा, कुछ लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी पूरी बात सुन लीजिये। फिर प्रश्न है कि ब्लू स्टार आपरेशन क्यों हुआ, वह इसलिये कि कुछ लोग धार्मिक स्थानों का दुरूपयोग करने लगे और इसलिए ब्लू स्टार आपरेशन करने की जरूरत महसूस की गयी। दरबार साहब जैसे पवित्र स्थान को किला बना दिया गया था। उसमें जगह-जगह बंकर बना दिये गये और बंकर ही नहीं बनाये गये, बल्कि वहां जो मलबा था, कुछ लोगों को मारकर उनकी लाशें वहां दबा दी गयीं। मैं यह नहीं कहता कि ब्लू स्टार आपरेशन होना चाहिये था लेकिन मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम पत्तों को काटने की कोशिश करते हैं। इस सारे उपद्रव की जड़ यह है कि धार्मिक स्थानों का धार्मिक भावनाओं का और धार्मिक सिद्धांतों का राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपयोग या इस्तेमाल करने की कोशिश, उससे धार्मिक उन्माद पैदा होता है। फण्डामैंटलिज्म मजबूत होता है।

इसलिये जब तक हम, वहां धार्मिक उन्माद की जड़ काटने की कोशिश नहीं करते, तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। पंजाब में आज भी शांन्ति नही है, चुनाव वहां अवश्य हो गये हैं, जिसके लिये मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं। पंजाब के लोगों ने सामान्य स्थिति में चुनाव नहीं लड़ा हैं वहां ऐसा माहौल बना हुआ था कि प्रायः लोग चुनाव लड़ने के लिये तैयार ही नहीं थे। अनेक किसी पार्टी का टिकट लेने के लिये तैयार नहीं थे। उन्हें डर यह था कि प्रत्याशियों की कुछ हत्याएं फिर हो जायेंगी। उनकी आशंका निर्मूल नहीं थी क्योंकि पिछली बार जब चुनाव की घोषणा हुई थी, एक एक करके लगभग अढ़ाई दर्जन प्रत्याशी मौत के घाट उतार दिये गये। बार-बार चुनाव को रद्द करना पड़ा, बार-बार चुनाव की तारीखें बदलनी पड़ीं। लेकिन इस बार जो चुनाव हुए, उसमें किसी प्रत्याशी की हत्या नहीं हुई, कोई उम्मीदवार नहीं मरा। इतना ही नहीं, और ढेर सारी बातें वहां हुई, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत हालात बेहतर थे। चुनाव हो गये, लेकिन अभी भी सारा पंजाब जल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि आज वहां ऐसी स्थिति है कि एक लाश को ठिकाने लगाते हैं, दो लाशें और तैयार होतीं है। पंजाब के कंधे लाशों को ढोते-ढोते छिल गये हैं। अभी भी वहां शान्ति नहीं हुई है।

मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान, हम तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब हम इसकी जड़ पर अपना ध्यान केन्द्रित करें। इसकी जड़ है धार्मिक उन्माद धार्मिक स्थानों का दुरूपयोग, भाषा का दुरूपयोग, और धार्मिक भावनाओं का दुरूपयोग, धार्मिक ग्रन्थों का दुरूपयोग और धार्मिक संस्थाओं का दुरूपयोग। यदि हम इसे रोक सके हैं तभी फण्डामैंटलिज्म का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिये समूचे सदन से प्रार्थना है कि वह पूरा सहयोग सरकार को दे। इन शब्दों के साथ, मैं राष्ट्रपति महोदय से अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

3.39 म०प०

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय से प्राप्त नोटिस

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक और मामला आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि समिति के पास महा अभियोग का एक मामला लम्बित पड़ा है। एक मामले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक और मामला दायर किया गया है। हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री रविराय जी को उच्चतम न्यायालय से एक नोटिस मिला है। श्री रविराय जी ने मुझे लिखा है और मेरे विचार पूछे हैं तथा मौजूदा अध्यक्ष के सुझाव भी पूछे हैं। कुछ दिन पहले विभिन्न दलों के माननीय नेता तथा श्री रविराय जी मुझे मिले थे। हमने इस मामले पर चर्चा की थी। उन्होंने इस मामले पर मेरे विचार पूछे थे। मैंने उन्हें स्पष्ट किया था कि हमने भारत के पीठासीन अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की थी और उस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि जब तक कानून में संशोधन नहीं होता, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। हमने उस बैठक में यह भी कहा था कि माननीय पीठासीन अधिकारी संभवतः स्वयं को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के अधीन न मानें। एक अत्यन्त उत्तरदायी संस्था के नाते हम न्यायपालिका और विधायिका दोनों के सम्मान और गरिमा की रक्षा करना चाहते हैं। हमें एक सन्तुलन कायम करना है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

हमने कहा है कि हम पत्रों का अध्ययन करने और निर्णय लेने के लिए न्यायालय को जो सम्बन्धित पत्र दिए जा सकते हैं, उन्हें न्यायालय को उपलब्ध कराएंगे। उन द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है, पीठासीन अधिकारी और विधायिका उसका सम्मान करेगी। इस विषय में एक या दो व्यक्तियों के विचार भिन्न थे। परन्तु अन्ततः सभी इस पर सहमत हो गए थे। मैंने माननीय नेताओं और श्री रविराय जी को भी यह दृष्टिकोण बताया था। मैंने कहा है कि अध्यक्ष न्यायालय में उपस्थित न हो। संबंधित पत्र न्यायालय को दिए जा सकते हैं और न्यायालय अपने तरीके से कोई भी फैसला ले सकता है। इस मामले को विधि मंत्रालय के ध्यान में भी लाया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो विधि मंत्रालय के माध्यम से विधायिका के दृष्टिकोण को न्यायपालिका के सम्मुख रखा जा सकता है।

लेकिन हम एक तरफ तो सम्बन्धित पत्रादि देंगे और फैसले को स्वीकार करेंगे और इसका सम्मान करेंगे लेकिन दूसरी ओर हम नहीं चाहेंगे कि पीठासीन अधिकारी न्यायालय में जाएं और स्वयं को न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन मानें। मैंने यह विचार व्यक्त किए थे। उस समय मैंने यह भी कहा था कि मैं इस मामले को इस पुनीत सभा के ध्यान में लाऊंगा और उनकी सहमति से ही हम एक निष्कर्ष पर पहुचेंगे। इसलिए मैंने आपके ध्यान में यह विचार लाया है। मैं समझता हूं कि अगर हमें यह स्वीकार्य है तो हम इसका अनुपालन करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : हां, महोदय।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : संसदीय कार्य मंत्री भी वहां उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य राज्य मन्त्री भी उपस्थित थे। निःसन्देह उन्होंने कहा था कि वह अपनी सरकार से चर्चा करेंगे। आमतौर पर इस विचार पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कोई विचार व्यक्त नहीं किए थे। लेकिन हमें यह पता था कि उनके विचार हमारे विचारों से अलग नहीं थे।

3.42 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी)

अध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु बोलें।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में देश के सम्मुख चुनौतियों के प्रति विश्वसनीय और सुसंगत दृष्टिकोण की कमी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारे देश के लम्बे समय से लम्बित किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। अभिभाषण अप्रेरक तथा घिसीपिटी बातों से भरपूर है। श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में इस कांग्रेस (इ) सरकार ने नौ महीने पूर्व कार्यभार सम्भाला था। यह घोषणा की गई थी कि यह सरकार सर्वसम्मति से चलेगी। लेकिन इसका अनुपरण नहीं किया गया। नौ महीने के बाद इस सरकार ने सर्वप्रथम सोने को गिरवी रखकर कार्य करना शुरू किया। हम नौ महीने के बाद देखते हैं कि यह सरकार देश की प्रभुसत्ता को विश्व बैंक के पास गिरवी रख रही है।

इस सरकार ने रुपये का अवमूल्यन करके कार्य करना शुरू किया। नौ महीने के बाद हम देखते हैं कि यह सरकार इस संसद सहित सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं का अवमूल्यन कर रही है।

मैं सच कहता हूं कि यह माननीय सभा इस सरकार के कार्यकरण में अप्रासंगिक हो गई है क्योंकि इस सभा से परामर्श किए बगैर अथवा यहां पर चर्चा किए बगैर ही इस सभा से बाहर सभी मुख्य नीति संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। इस सभा की मर्यादा, मुख्य प्रतिष्ठा और सर्वोच्चता खतरे में है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस विकट परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया। इस सरकार की यह मानसिकता रही है कि विदेशी ऋण और विदेशी निवेश ही इस महान देश की प्रगति और विकास का एकमात्र रास्ता है।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में, विश्व कोष और विश्व बैंक के आगे, सरकार के शर्मनाक आत्मसमर्पण का उल्लेख नहीं हुआ। मुझे यह कहते हुए खेद है कि सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया यह बजट दिल्ली नार्थ ब्लाक में तो केवल मुद्रित ही हुआ है लेकिन इस बजट को विश्व कोष और विश्व बैंक द्वारा वाशिंगटन में तैयार किया गया है।

भारत सरकार की आर्थिक, व्यापार और उद्योग संबंधी सारी नीतियां, विश्व कोष और विश्व बैंक के निर्देशों पर बनाई गई है। और यह बात यहीं पर खत्म नहीं होती। विश्व कोष और विश्व बैंक, कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी भी रखेंगे। बजट की प्रक्रिया और व्यापार नीति सूत्रीकरण में भी विश्व बैंक का दखल है। क्या मैं उस ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों से यह पूछ सकता हूं कि क्या वे, देश के आर्थिक प्रभुत्व से समझौता किए जाने पर, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के रूप में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे हैं? क्या वे लज्जा अनुभव नहीं कर रहे हैं कि सभा की सर्वोच्चता के साथ समझौता हुआ है। हालांकि, वे सत्तारूढ दल के सदस्य है, उनके नेता नीति सम्बन्धी निर्णय ले रहे है

और वे कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन वे लोग बहुत कुछ छुपा रहे हैं, और बहुत कम बता रहे हैं। ये सरकार जो मतैक्य की बात करती है, वो वह गुप्त रूप से और इस सभा को नजर अन्दाज करते हुए कार्य कर रही है।

पंजाब समस्या को लें वहां हम देखते हैं कि कांग्रेस दल को अपना नाम मिल गया है। पंजाब से 12 कांग्रेस (इ) सांसद चुने गए हैं और इससे सरकार की अल्पमत स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन पंजाब की समस्या का समाधान नहीं किया गया। पंजाब अभी भी संकट में है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंजाब समस्या के तुरन्त समाधान के लिए विकल्प के रूप में क्या किया जाए, यह नहीं बताया गया है।

कश्मीर की समस्या के बारे में जोकि कांग्रेस (इ) की राजनीति का परिणाम है, कश्मीरी जनता की पहचान बनाए रखते हुए सरकार को राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भावाई क्षेत्रों में ठोस एवं तुरन्त कदम उठाकर, वहां के निवासियों की विमुखता और असन्तोष को दूर करना चाहिए। भाजपा को एकता यात्रा का आयोजन करने में सहयोग देकर, सरकार लघु कालीन लाभों के विषय में सोच सकती है, लेकिन इससे देश की समस्या का समाधान नहीं होगा।

रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे के सम्बन्ध में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता की भावना को उत्तेजित करने का प्रयास कर रही है। भाजपा के नेतृत्व वाली साम्प्रदायिक शक्तियों के बुरे इरादों के खिलाफ, भारत सरकार को गम्भीरता और ईमानदारी के साथ कार्रवाई करनी चाहिए।

नाजुक आर्थिक-स्थिति पर काबू पाने के वास्ते कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता के नाम पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में, नयी आर्थिक व्यापारिक और औद्योगिक नीति के विनाशक परिणामों पर ध्यान नहीं दिया गया। नरसिंहा राव सरकार के काम आरम्भ करने के पहले ही दिन से प्रत्येक आवश्यक सामग्री की कीमत बहुत बढ़ गई है। और अब, जनता यह जान गई है कि अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि जिसका स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, नई सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें जिन पर सरकार सहमत हुई है इस मूल्य-वृद्धि का मुख्य कारण हैं। सरकार, देश के आर्थिक प्रभुत्व पर समझौता कर रही है। सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक द्वारा निर्देशित उपायों का पालन कर रही है और इस कारण भारत ऋण के एक पेचिदा जाल में फंसता जा रहा है। नई औद्योगिक नीति, आत्म-निर्भरता को संकट में डाल रही है। ये नीतियां जन विरोधी है। इन नीतियों से आसन्न 'एक्जिट' नीति के कारण कई सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के बंद होने का खतरा बना हुआ है। आर्थिक सहायता को कम करने के कारण किसानों और उपभोक्ताओं के हित खतरे में पड़ गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रहार किया जा रहा है। दूसरी ओर विदेशी बहुराष्ट्रीय निगम और भारत के बड़े एकाधिकारियों को भारी रियायतें प्रस्तावित की गई है। आर्थिक प्रभुसत्ता पर नए आक्षेपों के कारण 'सैट वार्ता में', डंकल प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दुर्भाग्य से, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन तथ्यों के विषय में चुप्पी साधी गई। व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : अब आपको अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिये।

श्री अनिल बसु : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी समस्या पर बहुत कम कहा गया है। 'एन्टिक्ट' नीति, भर्ती पर विवेध, 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रमों पर किए जाने वाले विनियोजनों को कम करने के कारण बेरोजगारी समस्या, पहले के मुकाबले बहुत अधिक बढ़ जाएगी। उद्योग के लघु एवं छोटे क्षेत्र सरकार के नई नीतियों के कारण समाप्त हो जाएंगे।

यह हास्यास्पद बात है कि सरकार ने अपने नेता श्री राजीव गांधी जी को भी नहीं छोड़ा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में 'राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल अयोध' के सम्बन्ध में एक घोषणा की गई थी। 'पेय जल' पर प्रोद्योगिकी मिशन' का नाम बदलकर श्री राजीव गांधी के नाम से कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। ये सब बातें आवश्यक नहीं है।

श्री अनिल बसु : मैं समाप्त कर रहा हूं। यदि आप देश के सामने प्रस्तुत किए गए इस बजट को देखेंगे तो यह मालूम होता है कि ग्रामीण जल वितरण कार्यक्रम बहुत प्रभावित हुआ है। चालू वर्ष के 758.57 करोड़ रुपयों से घटकर 1992-93 में 460.58 करोड़ रुपयों तक रह गया है।

रही बात अन्य गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के विषय में ·····

अध्यक्ष महोदय : अब आप दोहरा रहे हैं। आप का समय कब का समाप्त हो चुका है।

श्री अनिल बसु : मैं एक अन्य मुद्दे की ओर इशारा कर रहा हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में 'भूमि सुधार कार्यक्रम' के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया। भूमि सुधार उपाय, लाभकारी उपाय हैं और ये उत्पादन को बढ़ाते है और साथ ही साथ उत्पादन और मांग में सन्तुलन बनाए रखते हैं। यह सरकार जोकि अर्थव्यवस्था के विश्वीकरण की बात करती है, यह सरकार जो बाजार अर्थ-व्यवस्था की बात करती है, यह सरकार जो भारतीय उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग से प्रतिस्पर्धा करने पर जोर देती है, ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करने की क्षमता बना सके, तो फिर क्यों यह सरकार भूमि सुधार उपायों के विषय में एक भी शब्द कहने से संकुचा रही है ? क्यों यह सरकार हमारे देश में अर्ध सामन्तवादी भूमि संबंध बनाए रखना चाहती है ? यह इसलिए क्योंकि यह सरकार जमीदारों और बड़े एकाधिकारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए तो हमने देखा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भूमि सुधार के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा गया।

मैं यह भी देख रहा हूं कि ग्रामीण सम्पन्न व्यक्तियों पर कर का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार और वे नेता जो इस सरकार को चला रहे हैं; ये सब जमीनदार पृष्ठभूमि से आए हुए है और वे जमीनदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश की सारी अर्थ-व्यवस्था बड़े एकाधिकारियों के लाभ के लिए है। यह सरकार जमीनदारों और बड़े एकाधिकारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। वे इस देश की कई करोड़ गरीब जनता का ध्यान नहीं रख रहे है। जब आप करोड़ों गरीब लोगों की स्थिति को देखेंगे·····

अध्यक्ष महोदय : आपने यह पहले भी कहा था, अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अनिल बसु : हमारे कई करोड़ युवा लोग बेरोजगार हैं। जब नई नीतियों के कारण कई करोड़ युवा सड़क पर भटकने लगे हैं, जब सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में छंटनी हो रही है, जब रोजगार नहीं है तब इस देश में युवाओं का क्या भविष्य होगा ?

अध्यक्ष महोदय : अब तो हद हो गई है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अनिल बसु : मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के इस अभिभाषण ने देश को कोई दिशा नहीं दी है। यह अभिभाषण मंत्रिमण्डल द्वारा बनाया गया है और इसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार नहीं है, राष्ट्रपति के इस अभिभाषण.....

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)*

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में केवल भारत की प्रभुसत्ता के विषय को छोड़कर, हर विषय छेड़ा है, और यह बहुत बड़ी भूल है। ऐसा सभी लोग सोच रहे हैं और यही विचार इस देश के हरेक देश-भक्त के मन में है।

आज यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकार संसद को उत्तर देने के लिए बाध्य है, देश को जवाब देने के लिए बाध्य है या फिर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के विशेषज्ञों को जवाब देने के लिए बाध्य है।

प्रश्न यह है कि क्या यह लोगों को अपने विश्वास में लेगी, संसद को अपने विश्वास में लेगी अथवा पहले यह विदेशी संस्थानों को अपने विश्वास में लेगी। प्रश्न यह है कि क्या विदेशी नीति हमारी अपनी होगी अथवा सभी नीतियां विदेशी हो जाएंगी क्या उन मूल्यों, जिनके लिए स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, उनको कायम रखा जाएगा अथवा नहीं। हमारे देश की राजनैतिक तथा आर्थिक संप्रभुता खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। हमारी भावी पीढ़ी हमारा आकलन करेगी, हमें यहां अपनी भावी पीढ़ी के लिए बेड़ियां तैयार नहीं करनी चाहिये।

मैं किसी को कोई दोष नहीं दे रहा हूं लेकिन यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है।(व्यवधान) महोदय मैंने विश्व बैंक, आई०एम०एफ०, यू०एन०सी०टी०ए०डी० व 'गैट' इन सभी की अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेने का अवसर मिला है। कुछ देशों ने हमें बताया कि पहले वे अपने देश के बजट छात्रवीन के लिए विश्व बैंक तथा आई०एम०एफ० को प्रस्तुत करते थे और तत्पश्चात् इसकी अपने

* कार्यवाही- वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

देश में घोषणा करते थे। मैं नहीं जानता कि कितने बजट प्रस्तुत किये गये हैं। मैं उन बारीकियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बात का हमें अवश्य ही खेद है कि विश्व बैंक को दस्तावेज प्रस्तुत किए गये हैं—और जहां तक नीतियों का संबंध है, बजट की उन तकनीकियों की अपेक्षा जोकि उन्होंने विश्व बैंक तथा आई०एम०एफ० को प्रस्तुत की हैं, इन नीतियों का अधिक महत्व होता है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह कहा गया है :—

"मेक्रो इकानोमिक, कार्य-निष्पादन की निगरानी पर, विशेष-रूप से आई०एम०एफ० के साथ समन्वय रखा जाएगा। जून 1992 से पहले अन्तरिम परामर्श लेकर बैंक प्रशासन भी सुधारात्मक कार्रवाई की प्रगति व उसके कार्यान्वयन पर निगाह रखेगा। ए०आई०सी० एल०। एल०एस०सी० कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न मंत्रियों के बीच व्यापक समन्वय स्थापित करने के लिए एक उत्प्रेरक के अतिरिक्त, समीक्षा से एक ऐसा मोर्चा तैयार किया जाएगा जिससे सरकार द्वारा स्थापित अनेक उच्च-स्तरीय समितियों की सिफारिशों पर उच्च-अधिकारियों के साथ विचार किया जा सके और तब वर्ष 1992-93 के बजट में उचित पाठ जोड़ा जाएगा।"

इस दस्तावेज से उन आशंकाओं का स्पष्ट पता चलता है जोकि हमारे आगे आ रही है। मुझे याद है कि उसके वार्ता में, जब संयुक्त राज्य के अपने साथी से मैंने संपर्क किया तो उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा, "ठीक है, सिंह जी, आप सहमत न होइए, लेकिन हम द्विपक्षीय आधार पर विभिन्न देशों के साथ बातचीत कर सकते हैं और हम समझते हैं कि वे सहमत होंगे। "मैंने उन्हें बताया कि यह बहु-पक्षीय व्यापार के सभी सिद्धान्तों के विपरीत है; लेकिन आप ऐसा कर सकते है। किन्हीं अवैध सम्बन्धों के लिए, मैं आपकी बात को समर्थन देकर इसे स्वीकार नहीं करूंगा।

इस तरह की अभिमान पूर्वक बातें व धमकियां अब हमारे देश में भी प्रविष्ठ हो चुकी हैं और आज हम अपने विभिन्न नीतिगत मामलों में इस तरह की विकृतियों की घटनाए देख रहे हैं।

4.00 म०प०

हमारी विदेश नीति में इसकी छाप सबसे अधिक दिखाई देती है। जहां तक मुझे याद है, इस सभा में मुझे गलत भी बताया जा सकता है, जहां तक इजराइल को मान्यता देने का सम्बन्ध है, माननीय प्रधानमन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि हम इजराइल को तब तक मान्यता नही देंगे जब तक कि पश्चिम एशिया शान्ति वार्ता के माध्यम से फिलस्तीन की समस्या का कोई सन्तोषजनक हल नहीं निकल आता। पश्चिम एशिया शान्ति वार्ता का कोई परिणाम नही निकला है। लेकिन इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी गई है।

मैं यह समझता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा किया होता तो कोई विशेष बात न होती चूंकि उनके घोषणा पत्र में इजराइल को मान्यता प्रदान करने के बारे में उल्लेख है। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। आज यदि ऐसा किया गया है, तो मैं समझता हूं कि दबाव में आकर ही किया गया है। यह गुलामी है और यह विदेशी दबाव के सामने घुटने टेकना है। हमारी विदेशी नीति के बारे में इस बात का प्रमाण मिलता है।

इसी तरह से दूसरा प्रमाण यह है कि सियोनवाद पर मतविभाजन को जातिवाद की संज्ञा नहीं दी गयी। लीबिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करना भी इसका एक अन्य प्रमाण है। आज इराक में बच्चे दवाइयों के उपलब्ध न होने के कारण दम तोड़ रहे हैं। लेकिन इस मानवीय आधार पर भी, इस बात के लिए कोई प्रयास करने हेतु वर्तमान सरकार कोई आवाज नहीं उठा सकती। हमने वहां खाद्यान भेजने के प्रयास किए और इसमें हमें सफलता भी मिली। यह इस बात का प्रमाण है कि हमने इसका विरोध किया। यह इस दल अथवा उस दल का प्रश्न नहीं है। हमारा देश एक ऐसा रास्ता अपना रहा है जोकि इसकी अपनी ही संप्रभुता व आर्थिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध है। (व्यवधान) ऐसी चुनौती के मुकाबले में प्रत्योत्तर क्या है? प्रत्योत्तर है—विवशता। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस देश के लोगों की सहायता मांगी? जी नहीं। क्या आपने इस संसद की सहायता मांगी? जी नहीं। क्या आपने सम्बन्धित राजनैतिक दलों से सहायता मांगी? जी नहीं। आपने केवल आई०एम०एफ० तथा विश्व बैंक से सहायता मांगी। और जब वे अपनी शर्तें कोयते हैं, तो आप अपने आप को पूर्णता विवश पाते हैं।

हमें स्वतन्त्रा संग्राम की भावना को याद रखना चाहिए। क्या गांधी जी ने कभी यह कहा था कि अंग्रेजों के पास बहुत-सा असला है। हम मजबूर है; हम कुछ भी नहीं कर सकते? जब संयुक्त राज्य अमरीका ने 'कारपेट-बम्बारी' से वियतनाम को चुनौती दी थी, क्या वियतनाम के लोगों ने यह कहा था कि हम मजबूर है, उनके पास बहुत से बम्ब हैं; हम क्या कर सकते हैं? लेकिन यहां जानबूझ कर मानसिक दासता की भावना पैदा की जा रही है। बजट के विवरण की अपेक्षाकृत इसमें संकट अधिक हैं। (व्यवधान) राष्ट्र की भावना को सही ढंग से नहीं समझा गया। मैं यह कहूंगा कि हमें लोगों की देश भक्ति की भावना को कम नहीं आंकना चाहिये। यदि आपने उन्हें विश्वास में लिया होता, तो आर्थिक व राजनैतिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए वे किसी किस्म का भी बलिदान देने के लिए तैयार हो सकते थे। लेकिन आपने उन पर विश्वास नहीं किया। आपने उनको अन्धेरे में रखा। आपने जो भी रास्ता अपनाया—अपने केवल समाचार पत्रों में उसे पढ़ा—इसे लोगों को विश्वास में लिये बिना और उन्हें बिना कोई सूचना दिए अपनाया गया। और अब आपके प्रस्ताव क्या है? 'श्री डंकल ने हमें यह बताया है कि कोई भी बहु-राष्ट्रीय कंपनी हमारे किसी भी क्षेत्र में जहां वह चाहे, आकर उद्योग स्थापित कर सकती है, कोई भी उद्योग स्थापित कर सकती है। उस पर निर्यात की कोई बाध्यता नहीं होगी। इस देश के किसी भी उत्पाद को खरीदने की उस पर कोई बाध्यता नहीं होगी। यदि वह कम्पनी विदेशों से कोई भी चीज आयात करना चाहती है, तो उसे इसके लिए पूरी स्वतन्त्रता होगी। यह तो 'श्री डंकल जी' कहते हैं। बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अन्तर्गत इस देश के वैज्ञानिकों का क्या होगा जोकि इस देश की आत्मनिर्भरता तथा इसकी शक्ति के निर्माण के लिए कारगर हैं? यहां तक कि बीज और जैवीय खाद भी बौद्धिक सम्पदा अधिकार तथा 'पेटेन्टस' के क्षेत्राधिकार में होंगे। यदि कोई किसान किसी फसल को उगाता है तो दोबारा भी बीज उसे बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से खरीदने पड़ेंगे। मैं नहीं जानता कि संस्कृति व आयात की जाने वाली अन्य चीजें 'पेटेन्टस' के अन्तर्गत है अथवा नहीं। महोदय मैं तो केवल उत्तर चाहता हूं। आज अन्य किसी चर्चा का प्रश्न ही नहीं हो सकता। हमें यह साफ-साफ बताया जाये कि इन प्रस्तावों को लागू नहीं किया जा रहा है। हमें इस बात का स्पष्ट उत्तर चाहिए कि 'ट्रिम्स' तथा 'ट्रिप्स' के बारे में 'डंकल' के प्रस्तावों पर सुपर 301 की क्या स्थिति है। वास्तव में, सरकार 'डंकल' का नाम लिए

बिना उसके प्रस्तावों को लागू करती रही है। वे प्रस्ताव सरकारी जामा पहने हुए आते रहे हैं। महोदय, यह बहुत ही पारदर्शी है। यहां तक कि 'कलर' (सी०ओ०एल०ओ०यू०आर०) शब्द की स्पेलिंग (स्पेलिंग) तक भी बदल कर 'कोलोर' (सी०ओ०एल०ओ०आर०) कर दी गई है। यह तो सरकार का कलर है·····(व्यवधान)·····महोदय, जब मैं प्रधानमन्त्री श्री नरसिंहराव को देखता हूं, तो मैं उसे निजि मित्र के रूप में लेता हूं। लेकिन महोदय, जब मैं सरकार की ओर देखता हूं, तब मैं 'श्री डंकल' को उनके अन्दर देखता हूं ·····(व्यवधान)·· और श्री 'डंकल' को इससे अच्छा क्या चाहिए था कि उनके सभी प्रस्ताव लागू किये जा रहे हैं और सरकार उनके प्रस्तावों के पीछे उनके नाम को भी छिपा रही है। और यह सभी आधार भूत परिवर्तन और कौन करवा रहा है? ···(व्यवधान)····यहां तक कि वित मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने भी इतनी टीका-टिप्पणी के बाद इन आधार भूत परिवर्तनों और देश पर पड़ रहे भार के बारे में, खासकर समाज के निर्धन वर्ग के बारे में बात करते हुए यह कहा है, "जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्था 'मेक्रो-इकनामिक' स्थिरता तथा आर्थिक पुनर्व्यावस्थपन की प्रक्रिया से गुजरती, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों पर खासकर अन्यथा भार पड़ेगा"···(व्यवधान)

मैं इसे दोबारा भी पढ़ दूंगा। आप मुझे भलि प्रकार से जानते हैं। इस शोरगुल के बाद भी मैं न तो बैठूंगा और न ही बोलना बंद करूंगा। इसलिए कृपया मुझे सहयोग दीजिए।

> "सरकार समाज के गरीब वर्गों की रक्षा के लिए अपने विशेष दायित्व के प्रति पूरी तरह से सजग है।"

यह इसका स्थूल भाग है और वास्तविक भाग है :

> "जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्था 'मेक्रो इकनामिक' स्थिरता तथा आर्थिक पुनर्व्यव्यिस्थापन की स्थिति से गुजरती है तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों पर खासकर अन्यथा भार पड़ेगा।"

यह पूर्ण वाक्य है। महोदय, आपके सचिवालय द्वारा इसका सार बनाया गया है। मैं सार के शब्दों को ज्यों का त्यों पढ़ रहा हूं। इसलिए महोदय, यदि आपने इसमें कुछ गलत सूचना दी है तो कृपया इसके बारे में हमें बताया जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आदर सहित यह सुझाव दे सकता हूं कि सार को न पढ़कर भाषणों को पढ़ा जाए?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस पर बहुत ही संयम रखना होगा। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं यह मानता हूं कि आपके माध्यम से जो कुछ भी आता है, वह प्रामाणिक होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यालय से आता है।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इन्द्रजीत जी ने ठीक ही इस मुद्दे को उठाया है कि यह भार किन लोगों पर पड़ेगा। पहला भार तो गरीबों पर कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रास्फीती के द्वारा बढ़ा है। और अब इन्द्रजीत जी ने जो कुछ कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार की नीतियों का समर्थन करती है तो मुझे उन दोनों में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता तो मैं उन से सहमत हूं····(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : वी०पी० सिंह जी को [कोई अन्तर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जरा वे ऊपर देखें तो पता चलेगा कि इनमें कोई अंतर नहीं है, मेरा और आपका तो अन्तर है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अटल जी ने जो कहा, अपने ढंग से वे कहते हैं, वह अनोखा ही रहता है, लेकिन वे सिर्फ ऊपर ही न देखें, उस ऊपर के नीचे क्या है, उसको देखें, असल बात यह है, मैं उस ऊपर के नीचे क्या है, उस चीज को कह रहा हूं।

[अनुवाद]

इसलिए महोदय, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मैं बड़े आदर के साथ निवेदन कर रहा था कि यदि वे नीतियों का व्यापक तौर पर समर्थन करते हैं, तो इसके परिणामों से वे स्वयं को अलग नहीं कर सकते। ये जड़ों पर तो पानी डाल रहे हैं लेकिन कहते हैं कि फलों से बहुत दूर हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यदि सरकार की नीतियां गलत है, तो आपको जड़ से लेकर फल तक इनका विरोध करना चाहिए। जड़ों में तो पानी देना और फिर फलों को लेने से मना करने का यह द्विभाजन अच्छा नहीं होगा।

अब इस पुनर्व्यवस्थापन की कीमत किसने चुकाई है ? 1992 के योजना खर्च में 700 करोड़ रुपये की कटौती की गई है जोकि 7 प्रतिशत है। गैर योजना पूंजी व्यय के बजट अनुमानों को 15,382 करोड़ रुपये से घटाकर 13,374 करोड़ रुपये किया गया है। गत वर्ष ग्रामीण विकास में 500 करोड़ रुपये की कमी की गई थी; जल संसाधन में 15 करोड़ रुपये, पर्यावरण में 33 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य में 22 करोड़ रुपये, शिक्षा में 72 करोड़ रुपये, लघु-स्तर के तथा कृषि उद्योग में 40 करोड़ रुपए की कटौती की गई थी। यह सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आधार भूत परिवर्तनों के लिए हानि झेलनी पड़ी। उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के बाद किसानों की दुर्दशा, बुनकरों व श्रमिक समुदाय की दशा, सरकारी कर्मचारियों की छंटनी, यह सभी अपने-आप में एक और कहानी है।

इतना मूल्य चुकाने के बाद हमें क्या मिला ? कृषि के मामले में जड़ता आ गई है, उद्योगों में नकारात्मक विकास हुआ है, हमारा निर्यात अवरुद्ध हुआ और हमने अपनी आर्थिक और राजनैतिक संप्रभुता का समर्पण कर दिया है। यही मूल्य हमने चुकाया है।

इन ऋणों को लेने के बाद अब हमारा भविष्य क्या होगा ? और हम इन ऋणों का उपयोग किस तरह करने जा रहे हैं ? बड़े गर्व के साथ बजट भाषण में यह घोषणा की गई है, "विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार होने से मुद्रा स्फीति का सामना करने की हमारी क्षमता बढ़ी है।" विदेशी मुद्रा जो बहुत हद तक अनिवासी भारतीयों के जमा अथवा ऋण के कारण अर्जित हुई है, उसका उपयोग मूल्य को कम करने के लिए किया जा रहा है। सारांश में, इन नियमित ऋणों की सहायता से हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। मेरी चिंता यह है कि हमने बृहद् आर्थिक समायोजन के लिए ये ऋण लिए हैं। यही हमारा दावा है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि राजस्व घाटों के बारे में क्या किया जा रहा है। यह यहां बताया जाना चाहिये।

बजट अनुमान 13,850 करोड़ रुपया था और पुनरीक्षित बजट अनुमान 17,000 करोड़ रुपया है। राजस्व घाटा में 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : आप प्रस्ताव पर बोलें। यह विषय से संगत नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह संगत है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। सरकार ने जो कुछ भी किया है हम उस पर चुप्पी नहीं साधे रह सकते। यह सभी उन्हें बताना होगा।

महोदय, आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारी आर्थिक प्रभुता खतरे में पड़ गई है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष झुकना पड़ा है। वृहद् आर्थिक अव्यवस्था इसका एक भाग है। राजस्व घाटे पर चर्चा करनी होगी। उन्होंने किस तरह अव्यवस्था फैला रखी है ? किस तरह सरकार राजस्व घाटे की गड़बड़ कर रही है ? इस पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिये। फिर क्या हुआ ? 1990-91 राजस्व व्यय में 70 प्रतिशत था और पूंजीगत व्यय 30 प्रतिशत था जो 1991-92 में क्रमशः 74 प्रतिशत और 6 प्रतिशत हो गया। 1992-93 में राजस्व व्यय 75 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय घटकर 25 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय और राजस्व घाटे में यह आनुपातिक वृद्धि है जो एक गम्भीर बात है।

1986 में मैंने मन्त्रिमण्डल के समक्ष कुछ पत्र प्रस्तुत किये थे। मेरे द्वारा हस्ताक्षरित वे पत्र अब भी वित्त मन्त्रालय में है। यदि राजस्व घाटा इसी तरह चलता रहा तो 1990 तक, हम दिवालिया हो जाएंगे। यह 14,000 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। यह मुख्य कारण है। इसके बावजूद राजस्व घाटे को व्यवस्थित किया जा रहा है। इसकी गलत व्याख्या की जा रही है और जनता के ध्यान में नहीं आने दिया जा रहा है। आगे क्या बातें और विचाराधीन है ? यह प्रस्ताव किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लाभ जो करीब 1500 करोड़ रुपया है, उसका उपयोग किया जाएगा। यह पता ही है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लाभ की राशि का उपयोग नाबार्ड और आई डी बी आई के द्वारा किया जाना है। इसलिये इन ढांचागत परिवर्तनों में यह वर्ग प्रभावित होने जा रहा है। बजट में क्या कहा गया है, मैं उसकी चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। उस पर बाद में चर्चा होगी। प्रत्येक वित्त मन्त्री में बहुत अधिक पैबन्द लगाने की कोशिश की है, परंतु यहां इतनी अधिक पैबंद लगा! गए हैं कि यह समझ में नहीं आता। सार्वजनिक क्षेत्र से सामान्य तौर पर 7500 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है।

सीमाशुल्क को भी घटाया जा रहा है। जब इसे घटाया जाता है तो उससे हजारों करोड़ रुपये की राशि की आशा होती है।

महोदय, देश को न केवल पहले अंधेरे में रखा गया है बल्कि वर्तमान सरकार द्वारा इसे अब भी अंधेरे में रखा जा रहा है। तथा सभी आवश्यक तथ्यों को सभा के समक्ष नहीं लाया जा रहा है। अब मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि सरकार के कृषि नीति में परिवर्तन के साथ-साथ कृषि मंत्री के परिधान में भी परिवर्तन होता है। आज वह किसान नहीं दिख रहे हैं। वे कोई अमरीकी कृषक दिखाई पड़ रहे हैं।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : उन्हें बेकार की चाटुकारिता न करने दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप अमरीकी गेहूं प्राप्त कर रहे हैं जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। विदेशी नीति के मामलों के संबंध में आपने क्यूबा को चावल नहीं बेचे जाने के ब्लैकमेल के समक्ष घुटने टेक दिये। आपके झुकने या अपने स्थाई मित्र क्यूबा को अपमानित करने का यह एक अन्य उदाहरण है। मैं नहीं जानता कि आप चावल बेचेंगे या नहीं।

आज जिस बात की आवश्यकता है, वह यह है। आप उदारीकरण की बात करते हैं। किसान तंजीरों से जकड़े हैं। यदि वे धान पैदा करते हैं तो वे चावल तैयार नहीं कर सकते उदारीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह एक जगह पैदा करता है तो दूसरी जगह उसे बेच नहीं सकता है। हम स्वयं ही इसका उल्लंघन करते हैं। जनता दल की ओर से हम इस मामले पर चुप नहीं रह सकते और किसानों को इस तरह असहाय नहीं रहने दे सकते।

उर्वरक क्षेत्र की अक्षमता को कृषि क्षेत्र पर डाला जा रहा है जो ऐसा क्षेत्र है जिसका निवेश पहले से दबा जा रहा है। यह नई नीति है जिसे लागू किया जा रहा है और हमारे एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषकों को प्रभावित करेगा। (व्यवधान)

जहां तक बुनकरों का संबंध है मैंने पहले भी कह दिया है कि लघु क्षेत्र, जिसमें रोजगार के अत्यधिक अवसर हैं, वह प्रभावित होगा और जहां तक गरीब तबकों का सम्बन्ध है उस बारे में यदि हम इसके लिये राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ें तो ज्यादा न हो कहा जाए, तो बेहतर है।

अनुसूचित जातियों के बारे में कहा गया है कि "अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किये जाएंगे।" इसकी बात यहीं समाप्त हो जाती है। आगे कोई प्रस्ताव नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बकाए रिक्त पदों का क्या हुआ ? बिहार में हमारी सरकार है। श्री लाल यादव ने एक कानून बनाया है कि यदि कोई अधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कोटा को पूरा नहीं करता है, तो उसे तीन महीने की कैद की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। यह राष्ट्रीय कानून होना चाहिये। यह कार्य हम स्वतंत्रता के 43 वर्ष बाद भी नहीं कर पाए हैं। यदि आप कुछ कहते तो हम जानते, हमने यह समझा था कि इस बारे में कोई घोषणा की जाएगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह श्रम का निष्कासन है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, उन्होंने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बुलाया है और श्रमिकों का निष्कासन हो रहा है।

पिछड़े वर्ग के बारे में आपने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। यहां प्रश्न पैसे का नहीं है। क्या आप उन्हें सत्ता में भागीदारी देने जा रहे हैं? मंडल आयोग के बारे में क्या हुआ? इस बारे में राष्ट्रपति अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। आपने इसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं किया। (व्यवधान) उनका यही उत्तर है। यह उत्तर पूरे देश को बताया जाना चाहिये। इस तरह आप इस पर बात कर रहे हैं।

आर्थिक आधार और सामाजिक तौर पर पिछड़े होने के आधार को एक दूसरे से जोड़ने से क्या होगा? इसमें एक खतरा भी है। यह दोनों तरफ ही समस्या पैदा करता है। यह खतरा है। मेरा कहना है कि इसे समाप्त क्यों नहीं कर देते? (व्यवधान) आप पिछड़े वर्ग के आर्थिक आधार को उच्च वर्गों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं जानता हूं कि उनके पास कोई उत्तर नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह केवल मंडल आयोग के बारे में पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अल्पसंख्यकों के बारे में केवल इतना ही कहा गया है कि—

"·····अल्पसंख्यकों के लिये 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अल्प संख्यकों को सुरक्षा दी जाएगी और रोजगार के मामले में सार्वजनिक सेवाओं और विकासात्मक योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में उनके साथ किस तरह का भेदभाव नहीं बरता जाएगा" लेकिन उन्हें रोजगार देने के लिये क्या ठोस उपाय किये गए हैं?

हमने यह आदेश जारी किया है कि सभी चयन बोर्डों में एक अल्पसंख्यकों का और एक अनुसूचित जाति का एक सदस्य होगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम चयन बोर्डों में उनकी नियुक्ति हो। आप चयन कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है। (व्यवधान)

आप संयुक्त एकता यात्रा नहीं कर सकते और अल्पसंख्यकों के बारे में भी नहीं बोल सकते। संयुक्त एकता यात्रा आयोजित करने और अल्पसंख्यकों के बारे में बोलने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान) यह बताया जाए। (व्यवधान) हम आपके जाल में फंसने वाले नहीं हैं क्योंकि जब भी आप बचना चाहते हैं उनसे एक प्रस्ताव पेश करवा देते हैं और वे यह कहेंगे कि आप स्वयं को बचा लें। (व्यवधान) यह जो संयुक्त अभियान है उसे हम नहीं चलने देंगे। (व्यवधान) हम मुद्दों पर मत देंगे। (व्यवधान) यह हमें बताया जाए। हम मुद्दों पर मत देंगे। (व्यवधान) और भा. ज. पा. के साथ किसी तरह के राजनैतिक सहयोग को बनाए रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारी बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाए। इसमे कोई शक नहीं है। परन्तु हम अपने ही संशोधनों पर मतदान कर रहे हैं (व्यवधान)

यह प्रश्न पूछा गया है कि इसका विकल्प क्या है। पहली बात यह है कि पूरे ढांचेगत परिवर्तन में आपको श्रमिक वर्ग को विश्वास में लेना होगा। आप सोचते हैं कि श्रमिक वर्ग को विश्वास में लिए बिना आप संसार का सामना कर सकते हैं? उन्हें कभी भी नहीं बुलाया गया। कृपया उन्हें बुलाएं और उनके साथ एक बैठक करें।

यदि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां लाभप्रद नहीं है, तो उनके प्रबन्धन में श्रमिकों को भागीदारी बनाया जा सकता है और उन्हें अधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है किन्तु उन्हें बंद करना और निर्मम-नीति अपनाना उचित नहीं है। श्रमिकों की भागीदारी और उन्हें विश्वास में लेना एक विकल्प है; वे आपको परिणाम देंगे····(व्यवधान) जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, सिर्फ यह कहना कि "यह एक राज्य का विषय है और आशा है कि वे यह करेंगे" यह उचित उत्तर नहीं है। गांवों में कृषि उद्योग और विकेन्द्रित उत्पादन रोजगार उत्पन्न कर सकता है; और खेतों के भार को कम करते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न कर सकता है। और क्रय शक्ति उत्पन्न होने से उद्योग में सुधार होंगे और जन-उपभोग की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इस के द्वारा यह ध्यान रख कर कि संसाधन कहां जाते हैं और अपने कृषि उद्योग पर बल देकर हम ढांचागत परिवर्तन ला सकते हैं।

एक विकल्प होना असली बात है। एक गुलाम के लिए गुलामी के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं होता है ? स्वतंत्र होने के लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए और हमें गुलामी और मानसिक गुलामी की इस भावना को पैदा नहीं होने देना चाहिए। इस सदन में हम अपनी आगामी पीढ़ियों के लिए बेड़ियां तैयार नहीं करेंगे। इसलिए हम इस राष्ट्रपति के अभिभाषण के खिलाफ, मंहगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मत देंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ से आरम्भ करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी ने 24 फरवरी को सदन के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित किया। वे प्रतिवर्ष ऐसा करते हैं। लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं। इस मामले में उनकी स्थिति ब्रिटेन की महारानी की तरह है लेकिन ब्रिटेन की महारानी को कम से कम संसद मदस्यों का पूरा सम्मान तो मिलता है। यहां तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टोका-टोकी होती है। कभी-कभी बहिष्कार होता है। कभी स्थिति इससे भी ज्यादा बिगड़ सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं 1957 से राष्ट्रपति के अभिभाषणों को सुन रहा हूं और उस दिन बैठे-बैठे सैंट्रल हाल में सोच रहा था कि क्या राष्ट्रपति का अभिभाषण जरूरी है ? क्या यह कर्म-काण्ड बनकर नहीं रह गया है ? क्या उस अवसर की गरिमा की रक्षा करने में समर्थ होते हैं ? क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण को टोका-टोकी का विषय बनाया जाना चाहिये ? ठीक है, हमारे राष्ट्रपति अमरीका के राष्ट्रपति की तरह सारे राष्ट्र को सम्बोधित नहीं करते हैं। उनकी संवैधानिक स्थिति भिन्न है लेकिन हमारे राष्ट्रपति किस कठिनाई में पड़ जाते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करें। पहले उन्होंने श्री वी० पी० सिंह की सरकार द्वारा लिखा हुआ भाषण पढ़ा, बाद में श्री चन्द्रशेखर की सरकार द्वारा लिखा हुआ भाषण पढ़ा और फिर अभी श्री नरसिंह राव की सरकार का लिखा भाषण पढ़ा। अब पता नहीं कि आज क्या कुछ हो जाए···, मैं जानता हूं होगा नहीं। अब राष्ट्रपति को फिर एक नया भाषण पढ़ने के लिए तैयार होना, मैं समझता हूं कि इस स्थिति पर विचार होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेशों में तो स्थिति और भी खराब है। राज्यपाल जब विधान मंडलों के अधिवेशन में भाषण देने के लिए आते हैं तो हाथापाई के लिए तैयार होकर आते हैं। उन्हें सदन में

घुसने से रोका जाता है, बोलने से उन्हें रोका जाता है, उनके ऊपर कागज फेंके जाते हैं, दस्तावेज उनके सिर पर उछाले जाते हैं। अनेक राज्यपाल तो भाषण का पहला परिच्छेद पढ़ते हैं और अंतिम परिच्छेद पढ़ते हैं और वापस चले जाते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। क्या आवश्यकता है उन्हें इस मुसीबत में डालने की ?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर मामला उठा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस संबंध में पुरानी परंपराओं को फिर से स्थापित करने, और आवश्यकता हो तो नयी परम्पराएं डालने का मौका है। लोकतंत्र को हम उपहास का विषय न बनाए। नयी पीढ़ी के सामने गलत आदर्श न रखें। अगर हम किसी अवसर की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, उस अवसर को टाल दें। आप एक सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं, इस सम्बन्ध में एक आचार-सहिता बना सकते हैं। इस समय देश में ऐसी स्थिति है कि कोई न कोई दल कहीं न कहीं शासन में है, और इसलिए इस तरह व्यवहार की मर्यादा तय करना कठिन नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का भाषण मैं पढ़ रहा था—जरूरत से ज्यादा लंबा है। छोटी-छोटी बातों का समावेश किया गया है। अब राष्ट्रपति के मुंह में छोटी बात रखने की क्या जरूरत है ? मैं देख रहा था यह जो 30 परिच्छेद हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यह 30वां परिच्छेद बाद में जोड़ा गया है, जल्दी में जोड़ा गया है। पूरा भाषण छोटे-छोटे पैराग्राफ में बंटा हुआ है मगर यह जो 30 वां परिच्छेद है, यह एक लम्बा पैरा है और मुझे ऐसा लगता है····, और यह शिक्षा की नीति से संबंधित है। हो सकता है कि शिक्षा मन्त्री कहीं व्यस्त हों, हो सकता है कुरुक्षेत्र से चित्रकूट की यात्रा कर रहे हों, और उन्हें समय न मिला हो इस परिच्छेद को देखने का, यह पढ़ने में अच्छा नहीं लगता और ये पूरे भाषण में ठीक नहीं बैठता। लेकिन ऐसा लगता है कि अभिभाषण होना है, हरेक मंत्रालय का एक न एक नोट जाना है, भेज दो। इस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण को नहीं लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जब बनी तो यह आशा की गई थी और सरकार ने भी यह उद्घोषणा की थी और सरकार का जो अल्पमत का स्वरूप था, उसमें भी यह आवश्यक था कि देश को एक आम सहमति के आधार पर चलाया जाएगा। अगर स्पष्ट बहुमत होता, तो भी हम जिन संकटों में आज फंसे हैं, चाहें वह संकट देश की एकता और अखंडता के लिए हों और चाहे वह आर्थिक संकट हों जब तक उन संकटों से लड़ने के लिए एक समान मानसिकता, एक दृढ़ संकल्प पैदा नहीं किया जाएगा, उन संकटों से पार पाना मुश्किल है। इसलिए हमें लगा कि सरकार अल्पमत में है, लेकिन सबको साथ लेकर चलेगी, एक सहमति का विकास करेगी। कुछ दिनों इसका प्रयास हुआ, लेकिन बाद में स्थिति बदल गई।

मगर बाद में स्थिति बदल गयी। स्व० श्री राजीव गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं उस इतिहास में पूरी तरह जाना नहीं चाहता। आज आम सहमति न तो विकसित करने की कोशिश हो रही है, जो सहमति हुई भी है या बनी है, उसके अनुसार आचरण नहीं हो रहा है। आखिर मेघालय में क्या हुआ। प्रतिपक्ष के साथ बैठकर, अध्यक्ष महोदय, अगर आपको स्मरण होगा, मैं आपको इस विवाद में घसीटना नहीं चाहता, यह तय हुआ था कि वहां की सरकार की तकदीर का फैसला विधान सभा पर छोड़ दिया जायेगा। ऐसा नहीं हुआ। दलबदल करके वहां कांग्रेस की

सरकार बना दी गयी। क्या यह जरूरी था ? मेघालय देश का एक महत्वपूर्ण भाग है। अखिल भारतीय राजनीति में, अगर मूल्यों की राजनीति की जानी है और अगर सर्वानुमति से इस देश के संकटों पर विजय पाना है तो क्या मेघालय में जो किया गया, वह जरूरी था। जरूरी नहीं था।

पंजाब के जो नये मित्र चुनकर आये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं लेकिन पंजाब में चुनाव कराने का केवल इतना तो उद्देश्य नहीं हो सकता था कि पंजाब से कांग्रेस वाले लोकसभा में चुनकर आ जायें और सरकार का संख्याबल थोड़ा सा बढ़ जाये। उद्देश्य और गहरे थे। हम लोकतंत्र के तकाजे को पूरा करना चाहते थे और इसीलिये पहले चर्चा चली कि पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। फिर चर्चा चली कि अलग लड़ेंगी। एक स्तर पर कहा गया कि कांग्रेस वहां सरकार बनाने में रुचि नहीं रखती। वहां पर ऐसी सरकार बननी चाहिये जो आतंकवाद का मिलकर मुकाबला कर सके। दुर्भाग्य से अकाली दल ने चुनावों का बहिष्कार किया, उन्होंने ठीक फैसला नहीं किया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, मैं कांग्रेस को, इतनी भारी भरकम विजय के लिये, बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेस अगर चाहती तो अमरेन्द्र सिंह जी को सरकार में शामिल होने के लिये बुला सकती थी और हमारी बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को भी सहयोग के लिये निमंत्रण दे सकती थी। क्या पंजाब की स्थिति आज इस आवश्यकता की मांग नहीं करती। देश की स्वाधीनता के बाद, डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी को मंत्रिमण्डल में शामिल करने में संकोच नहीं हुआ था।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : अटल जी, पंजाब में जो वोटिंग हुई है, उसमें अकालियों ने इलैक्शन में हिस्सा नहीं लिया और लोगों ने वहां अपनी मर्जी से वोट डाले हैं। अमरेन्द्र सिंह की पार्टी को सिर्फ तीन सीटें वहां मिली हैं। अकालियों की बात कैसे आप कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मैं वोटों का सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं लेकिन अगर आप टोकेंगे तो मैं कुछ ऐसे सवाल खड़े कर सकता हूं जिन्हें खड़ा करना ठीक नहीं होगा। (व्यवधान)

वहां यह नहीं होना चाहिए, यह मेरा सुझाव है और मैं अपने दृष्टिकोण को आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें किसी की पसंद का सवाल नहीं है।

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं जानता हूं, आप जो यहां सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा होता तो अच्छा होता, आज मेरी मजबूरी है। उसका जवाब मैं खुले आम नहीं दे सकता। आपको उसका बाद में जवाब बताऊंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यही तो मुश्किल है। (व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सारे मेम्बर्स के साथ, यह बड़ा अन्याय है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री जी अपनी मजबूरी बता रहे हैं। हम उनकी मजबूती देखना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, अगर प्रधानमन्त्री जी की मजबूरी है तो उन्हें यहां कोई बात कहना नहीं चाहिये था, यदि वे कोई बात बताना नहीं चाहते तो (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसीलिये मैं कह रहा हूं कि छुपाने की कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

यहां प्रधानमन्त्री जी अपनी मजबूरी बता रहे है, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री जी अपनी मजबूती बतायें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, कुछ मामलों, कतिपय समझौतों और अन्य दलों के नेताओं के साथ हुई वार्ताओं को प्रकट करने में कुछ मर्यादा का पालन करना होता है और यही मेरी कठिनाई है। कुछ अंतराल के बाद मैं निश्चय ही विपक्षी दल के नेताओं को विश्वास में लेना चाहूंगा। मैं उसे छुपाना नहीं चाहता। कुछ समय पश्चात् यदि किसी संबंधित व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं हुई तो पूरी बात सामने आ सकती है।

[हिंदी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि अगर किसी दल के साथ स्पष्ट बहुमत हो, तो अच्छा है। दो-तिहाई बहुमत हो, तो और भी अच्छा है, संविधान बदलने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन पिछले 10 साल का संसदीय जीवन का हमारा अनुभव इस बात का साक्षी है कि केवल संख्या-बल पर इस देश को चलाया नहीं जा सकता। संख्या-बल यहां फैसले कर सकता है, मगर इस देश के अस्सी करोड़ लोगों को अनुप्राणित नहीं कर सकता है।

दुर्भाग्य से समस्याएं इतनी उलझ गई हैं और कांग्रेस पार्टी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। अभी तक एक बार भी प्रधानमन्त्री जी ने या उनके किसी सहयोगी ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को दोष दिया, चन्द्रशेखर की सरकार को दोष दिया, कुछ मात्रा में वे दोषी हैं भी, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ था और जिसके कारण आज हम दिवालियापन के द्वार पर खड़े हैं; उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। किस स्वाभिमानी व्यक्ति को यह स्थिति अच्छी लग सकती है? आज कर्जे के बिना काम नहीं चल सकता है? कर्जे के साथ शर्तें लगी हैं, लगेंगी—

"रहिमन कर पर कर करौ कर तर करो न कोय
जा दिन कर तर कर करौ ता दिन मरण होय,"

रहिमन ने कहा है कि देने के लिए हाथ ऊपर रखें। अगर देने के लिए हाथ ऊपर हैं, तो सब ठीक है और अगर हाथ नीचे लेने के लिए हैं, तो उस दिन मरण के समान है। यह सत्य है। यह बात अलग है कि इस स्थिति का सामना करने के लिए सारे देश को संगठित किया जा सकता था, अनुप्राणित किया जा सकता था जो नहीं किया गया।

एक चीज प्रधान मंत्री जी पूछते हैं, वे ठीक पूछते हैं कि और रास्ता क्या है? मैं अपने वामपन्थी मित्रों से कहूंगा कि बार-बार यह कहना कि देश को बेच दिया, देश को बेच दिया, अच्छा

नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस प्राचीन और महान देश को कौन बेच सकता है? किसमें इतनी शक्ति है? और अगर हमारे रहते हुए, इस देश को बेच दिया जाए, तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। यह कहना और यह चेतावनी देना कि हम इस देश को बेचने नहीं देंगे, ठीक है। कोई इस देश को बेच नहीं सकता है। यह देश का मनोबल बनाए रखने का तरीका है इस देश को हतबल कर के आप इस देश का मनोबल नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे प्रधानमन्त्री जी से शिकायत है, वे एक नये विकल्प की खोज के लिए, अब प्रयत्न क्यों नहीं करते ठीक है उस समय ठीक है उनके पास समय नहीं था, उन्होंने जल्दी में शपथ ली, रुपए का अवमूल्यन, सोने की वापसी, तत्काल कोई कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन अब तो समय है। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी का पेंडुलम एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाए और ऐसी स्थिति तक पहुंच जाएं कि हम फिर अपने को कठिनाई में अनुभव करने लगें।

अध्यक्ष महोदय, साम्यवाद विफल हो गया है, मगर यह समझने का कोई कारण नहीं है कि पूंजीवाद सफल हो गया है। अमरीका आज स्वयं संकट में है। वित्त मन्त्री तो अर्थशास्त्री हैं, वे उस दिन हमारे ऊपर बाहें चढ़ा कर कह रहे थे—

"सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है"

अरे, आप हम से लड़ेंगे? लड़ना है इस संकट से और लड़ना है इस तरीके से कि इस देश का स्वाभिमान, इस देश की सर्वप्रभुता भी बनी रहे और विकसित और विकासशील दोनों देशों के सामने भारत एक नया रास्ता दिखाए, लेकिन अगर हम खुद रास्ता भूल गए या भटक गए तो क्या होगा? इसलिए प्रधानमन्त्री अगर सब को बैठाते कि इस प्रकार संकट है, कैसे हल करें, सरकार ने तात्कालिक कदम उठाए हैं, मगर दूरगामी उपाय होने चाहिए, आईए, बैठिए, विचार करिए। ऐसा नहीं हुआ है। होना चाहिए था: मैं नहीं जानता तीसरा रास्ता है या नहीं। लेकिन हमने कोशिश नहीं की। तीसरा रास्ता खोजा जाना चाहिए, जो विदेशी कम्पनियां यहां आना चाहती हैं वह मुनाफे के लिए आना चाहती हैं। किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वे हमारा उद्धार करने के लिए आना चाहती हैं। हम किसको आने दें, किस सीमा तक आने दें, किस क्षेत्र में आने दें, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे विवेक पर निर्भर करता है। अभी तो दरवाजे खोले जा रहे हैं। कोई भी विश्व बैंक का अधिकारी आता है वित्तमंत्री से मिल सकता। दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाइए। अगर दरवाजा बन्द है तो खिड़की में से भी घुसने की इजाजत है। ऐसा पहले नहीं था। पहले अगर विश्व बैंक के, आई० एम० एफ० के अधिकारी आते थे तो हमारे किसी सचिव से, सचिवालय में किसी अधिकारी से मिलते थे। लेकिन अब सम्बन्ध बड़े घनिष्ठ हो गए हैं। यह घनिष्ठता हमें कहां ले जाएगी।

देश को, जो बुनियादी परिवर्तन किए गए हैं और मैं मानता हूं, कि कुछ परिवर्तन आवश्यक थे। उसके लिए तैयार नहीं किया गया। हमने सरकार की अनावश्यक नियंत्रण हटाने की नीति का समर्थन किया है। हमने, नौकरशाही द्वारा जो अवरोध खड़े किए जाते हैं, उनको हटाने का भी समर्थन किया है। प्रगति के लिए प्रतियोगिता जरूरी है। यह यूरोप के कम्युनिस्ट देशों से स्पष्ट हो गया है। लेकिन प्रतियोगिता में मोनोपोली भी बन सकती है। अगर राज्य की मोनोपोली गलत है तो व्यक्तियों की मोनोपोली भी हमारे लिए कठिनाई पैदा करेगी, यह हमें समझना चाहिए।

आज छोटे उद्योग समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें कहां जाना है। जोर दिया जा रहा है ऐसी नीतियां अपनाने पर जिसमें छोटे किसान का क्या होगा, उसके मन में भविष्य के बारे में आशंकाएं पैदा हो गई हैं। सरकारी कारखाने घाटे में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चेतावनी दी थी कि पब्लिक सैक्टर में सिद्धान्त: कोई बुराई नहीं है। एक पिछड़े हुए देश में स्टेट का इन्टरवैन्शन होना चाहिए, करना पड़ता है। वह जरूरी है। लेकिन जहां जरूरी है वहीं होना चाहिए और उनको सफल बनाने के लिए पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। हमने पब्लिक सैक्टर में कारखाने खोल दिएमगर प्रोफैशनल मैनेजमैंट की तैयारी नहीं की। हम मैनेजीरियल स्टाफ डैवलप नहीं किया। हमने आई० ए० एस० अधिकारियों के भरोसे उद्योगों को छोड़ दिया। वे आई० ए० एस० अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, इस हमें निकट से देखने का मौका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मिला है।

कारखाना चलाने में उनका स्टेक क्या है? अगर कारखाना घाटे में चलता है, बीमार हो जाता है, अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो वे दूसरे कारखाने के मैनेजिंग डायरेक्टर होकर चले जाते हैं। उनकी नौकरी सुरक्षित है। यह कब तक चलेगा? कारखाना लेने के नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक कारखाना ले लिया गया था। सीमेंट बनाता था। कहा गया कि चल नहीं सकता। पुरानी सरकार ने ले लिया था। मजदूरों ने आन्दोलन किया। मजदूरों ने कहा हम कारखाना चलाने को तैयार हैं। मामला अदालत मे गया। अदालत ने सरकार का कारखाना लेने का फैसला रद्द कर दिया। अब वह कारखाना चल रहा है, अच्छा चल रहा है और मजदूरों के सहयोग से चल रहा है। उसे प्राईवेट हाथों में देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इस तरह से हर कारखाने का विवेक के साथ विचार करने के लिए शासन तैयार है?

मैंने पिछले बजट में भाषण करते हुए पश्चिम बंगाल की एक जूट फैक्ट्री का उदाहरण दिया था। मजदूर 7-8 करोड़ रुपये देने को तैयार हैं जो उनकी जमा पूंजी है। वे कहते हैं कि आप चलाइए, कुछ अपनी मदद दीजिए। जहां कारखाना बिना बन्द किए कोई रास्ता नहीं है वहां भी मजदूरों का सहयोग लेना चाहिए। उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐगा-जिट पालिसी ठीक है मगर यहां कोई सोशल सिक्युरिटी का सिस्टम नहीं है। मजदूरी से निकलते ही आदमी सड़क पर चला जाएगा, भूखों मरेगा। उसका कहीं न कहीं प्रबन्ध होना चाहिए। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो मिलकर, बैठकर तय होने चाहिए। ये प्रश्न राजनीति के प्रश्न नहीं होने चाहिएं। ये तत्काल तो चुनाव भी नहीं होने वाले हैं। मगर कांग्रेस से मुझे शिकायत है। क्या अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए शिव सेना को तोड़ना जरूरी था?

"काय शरदराव तुम्ही सांगा काय सांगायचे ते"

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : आपसे दूर करने की जरूरत थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सिर्फ दो मेम्बर—(व्यवधान)

श्री अशोक आनंदराव देशमुख (वाशिम) : बी० जे० पी० ने भी शिव सेना को तोड़ने में साथ दिया था और उन्होंने तुरन्त ही गोपी नाथ मुंडे को विरोधी पक्ष का नेता बना दिया। ....(व्यवधान) ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर लाभ है तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही तात्कालिक लाभ है। ....(व्यवधान) ..जनता दल टूट गया, अपने कारणों से टूट गया, मगर मुझे मालूम है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए स्वामी, भू-स्वामी और गृह स्वामी उस विभाजन को बढ़ाने में अपनी भूमिका खेलने में लगे हुए थे। आपका बहुमत हो जाये, अच्छी बात है, मगर याद रखिये, केवल बहुमत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। देश आज जिस नाजुक मोड़ पर खड़ा है, बाहर का संकट, भीतर विघटन, आर्थिक क्षेत्र में नई नीतियां अपनाने का आपका संकल्प, मगर उस संकल्प के पीछे इच्छा शक्ति नहीं, जन-बल नहीं। देश जैसे कहते हैं एक साफ्ट स्टेट बन गया है। कौन याद करेगा, कौन कुर्बानी करेगा ? टेलीविजन के कारण एक उपभोक्ता संस्कृति पैदा हो रही है और जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं, वह मध्यम वर्ग उस संस्कृति के पीछे दौड़ रहा है। अगर उसके सामने कठिनाई का जीवन रखने का कोई निश्चय है तो आदर्श रखना पड़ेगा, सारे देश में उस तरह के जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा पैदा करनी पड़ेगी। यह हम नहीं कर पाये, इसका मुझे दुख है। इस दुख को हम प्रकट करना चाहते हैं। डंकल प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है। वर्तमान स्वरूप में डंकल प्रस्ताव स्वीकार किये भी नहीं जा सकते हैं। सरकार स्पष्ट करे कि समझौते वार्ता के बाद डंकल प्रस्ताव में संशोधन की, परिवर्तन की गुंजाइश है या नहीं ? अगर प्रस्ताव अपरिवर्तनीय है तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये। लेकिन अगर गुंजाइश है तो बात करिये। पश्चिमी देशों की भी अपनी समस्यायें हैं। अमरीका में सबसिडी चल रही है, जापान की अपनी कठिनाई है, यूरोप के देश अपने-अपने किसानों में से जूझ रहे हैं और अपने अपने किसानों की समस्याओं से निपटना चाहते हैं, उबरना चाहते हैं। हमारे मन में एक काम्पलेक्स भी है, यह नेतृत्व को समझना चाहिये। हम इतने दिनों तक गुलाम रहे हैं। आज इंटर-डिपेंडेंस का युग है सचमुच में। इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद इंटर डिपेंडेंस उसमें हमारे हितों की रक्षा हो, यह प्रबन्ध करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर यह बात कह दी जायेगी कि देश को बेचा जा रहा है, तो लोग बिगड़ जायेंगे। अब बेचा जा रहा है या नहीं बेचा जा रहा है, सचमुच में कौन बेच रहा है, इसमें गहराई से जाने की बजाय अगर देश में एक भावोन्माद पैदा करना हो तो देश को बेचा जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है, यह कहा जा सकता है, यह कहना सरल है। मगर यह महंगा पड़ेगा, मैं इसके खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूं। अगर देश को सचमुच में बेचा जा रहा है तो यह सरकार, यह संसद, यह सारा ढांचा आज कोई मतलब नहीं रखता है। वह सर्वोपरि सवाल है, वह सर्वप्रथम सवाल है, लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं जिन के हाथों में शासन की बागडोर है, वे देश को बेच रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि देश के जीवन में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण कभी नहीं आयेगा कि लोकतन्त्र के मार्ग में ऐसी सरकार चुनकर आयेगी जो देश का बेचेगी, ऐसा नहीं होगा। आखिर में तो जनता के पास जाने का दरवाजा खुला हुआ है जो बेचेंगे, उनको जनता कटघरे में खड़ा करेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह भावनाओं का तूफान नहीं है मिल कर कोई रास्ता निकालिये, कोई तीसरा विकल्प। पेंडुलम दूसरी तरफ पूरी तरह मत घुमने दीजिये, कहीं न कहीं संतुलन चाहिये और कहीं न कहीं नीतियों में सामंजस्य चाहिये। प्रधान मंत्री सर्वानुमति की ओर आम सहमति की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनकी पार्टी उन्हें नहीं करने दे रही है अब वह पार्टी के अध्यक्ष हो गये हैं। वह पार्टी को समझायें। यह सत्ता का खेल क्या एक बार फिर देश के भाग्य के साथ खिलवाड़ करेगा।

मैं साक्षी रहा हूं, 1957 से मैं यह खेल देख रहा हूं। हम कहां से कहां पहुंच गये हैं, हमारी

संस्थाओं की क्या स्थिति हो गई है। अब चीफ इलैक्शन कमिश्नर अभियोग पत्र तैयार हैं, मैं तो समझता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा जायेगा कि आपने बहुत अच्छी सेवायें की हैं, अब आप पधारो। अब अगर सरकार कहे कि हम तो चाहते हैं कि वह पधारें मगर वह पधारते ही नहीं तो यह स्थिति बड़ी हास्यास्पद है। उनको जाने के लिए तैयार करियें।

सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ पहले ही मुकदमे की बात हो रही है। अब चीफ इलैक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी मुकदमा, याद रखिये यह देश किसी दिन इस पार्लियामेण्ट के मैम्बरों के खिलाफ खुली अदालत में मुकदमा चलाएगा। यह ठीक नहीं है। इसलिए जिन प्रश्नों पर आम सहमति हो सकती है, अभी समय है; आज का वोट तो हो जायेगा, मुझे पता लगा है कि आपने पूरा इन्तजाम कर लिया है लेकिन इसके बाद क्या होगा ? इसके बाद आने वाला कल फिर इन सवालों को हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर खड़ा रहेगा और आने वाले कल के सवालों का हम ठीक उत्तर दे सकें इसलिए राजनीति को एक नया रूप, राजनीति की शैली को एक नई शैली देने की जरूरत है और हम इसी को व्यक्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, आपका धन्यवाद। आपने अध्यक्षीय अभिभाषण के व्यवधान के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं, उन पर अमल बेजानी करने की कोशिश की जायेगी।

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, उनका मैं आभारी हूं, विशेष रूप से श्री विश्वनाथ जी के सर्वोच्च सुदर्शन का और अटल जी के अत्यन्त सौम्य, अत्यन्त मनोरंजक, अत्यन्त निर्देशपूर्ण, कहीं कहीं सकारात्मक और कहीं कम सकारात्मक भाषण का आभारी हूं।

मैंने इस अचानक मोड़ की आशा नहीं की थी कि जिस स्थिति में राष्ट्रीय सर्वसम्मति मांगी जा रही थी, प्राप्त की जा रही थी और सामान्यत: दी जाती थी, उसमें अचानक हमें एक तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा, एक तनावपूर्ण क्षण, तो सिर्फ इस देश में इस देश की जनता के लिए ही नहीं किन्तु विश्व में देश की छवि की दृष्टि से भी तनावपूर्ण है। यही मेरे लिए अधिक चिंताजनक है, ऐसे समय, जबकि भारत में शुरू की गई सुधार योजना की हर जगह प्रशंसा हो रही है; ऐसे समय जबकि हमें निवेश मिल रहा था, आधार भूत संरचना में निवेश मिल रहा था, जिसकी हमें अत्यन्त आवश्यकता थी, और उसकी गति अत्यन्त तीव्र थी पिछले वर्षों से 14 से 15 गुना तेज, ऐसे समय, इस चर्चा—मुझे यह कहते हुए खेद है—से एक धक्का लगा है या लगेगा। इस नुकसान की भरपाई करने में हमें समय लगेगा। मैं ईमानदारी और स्पष्ट रूप से यह बात कह रहा हूं।

5.00 म० प०

जनता के मस्तिक में फिर प्रश्न उठेंगे। हम स्थिति का सामना करेंगे। हम इसे पुन: उचित रास्ते पर लाएंगे। किन्तु; फिर भी यहां हुए घटनाक्रम से मैं थोड़ा दु:खी हूं।

महोदय, 26 या 27 जून को, इस सरकार के पदभार संभालने के तीन या चार दिन पश्चात् मैंने विपक्षी दल के नेताओं की एक बैठक बुलाई। मेरे वित्त मन्त्री ने उनके सामने सारी स्थिति

स्पष्ट कर दी थी। वह स्थिति हमें तीन या चार दिन पूर्व भूतपूर्व सरकार से उत्तराधिकार में मिली थी और चर्चा के अंत में प्रायः सभी का यह मत था कि जो भी करना था वह टाला नहीं जा सकता और इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से उस बैठक के दलों के नेताओं को पुनः स्मरण कराना चाहूंगा इससे मुझे सुधार कार्यक्रम जारी रखने की हिम्मत मिली। और, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सुधार-कार्यक्रम का देश में और बाहर स्वागत हुआ है। मैंने इस सदन में और दूसरे सदन में भी और अन्य जहां कहीं मैंने किसी भी बैठक को संबोधित किया वहां मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं संख्या पर निर्भर नहीं हूं और संख्या से मैं भयभीत नहीं हूं। ना तो मुझे अपनी संख्या पर गर्व है और ना ही संख्या कम हुई तो मुझे इसका कोई भय है। मैंने कहा था कि यदि सदन में मुझे 20 या 30 सीटें अधिक भी मिलतीं, तो भी मैं सर्वसम्मति से कार्य करूंगा क्योंकि मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वह समय आ गया है जबकि सिर्फ अधिक संख्या होने से हम आज की समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं उसको अब पुनः दोहराता हूं। मैं संख्या पर निर्भर नहीं हूं। जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो निश्चय ही संख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि मेरे वर्षों के काल में संख्या कभी भी इतनी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाएगी किन्तु निश्चय ही इन आठ महीनों में मुझ पर इस सरकार पर यह स्थिति थोपी गई है, यदि आपकी संख्या दो कम हो जाती है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह स्थिति हो जाएगी। किन्तु राजनैतिक व्यग्रता जैसा कुछ होता है। शायद वह हमारे तंत्र में हमारी सोच में समा गया है। इसलिए, मेरे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शायद व्यग्रता जरूरत से अधिक हो गई और आज हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, मैं सदन को स्मरण कराना चाहूंगा, जैसा कि अटल जी ने अभी कहा है कि हमें ऐसी स्थिति में फंसना पड़ा, ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जो हमें सौंपी गई थी। किन्तु यह कहानी का सिर्फ एक भाग है। मेरा किस्सा यह नहीं है कि मुझे स्थिति में ढकेल दिया गया। नहीं। मेरा किस्सा यह है कि बहुत कम समय के अन्दर ही मुझे इस स्थिति का सामना करना पड़ा। मैं सोचता हूं और मेरा दल भी सोचता है कि हम ठीक वही कर रहे हैं जो हमने अपने चुनाव पत्र में करने का वायदा किया था। इससे कुछ अधिक नहीं कुछ कम नहीं। अतः जो कुछ किया गया है उसके लिए मैं शर्मिन्दा नहीं हूं। जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है उसकी पुनरावृत्ति करने में मुझे हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि यह कांग्रेस दल का जनता से किया हुआ वायदा है और इससे विभिन्न दल भी विभिन्न कोनों से सहमत हैं किन्तु सामान्यतः इस पर राष्ट्रीय सहमति है। स्थिति यह है और मैं संतुष्ट हूं। मैंने कभी भी यह नहीं चाहा कि कोई अन्य दल मुझसे शत प्रतिशत सहमत हो। अन्यथा, दो दल तो होंगे ही नहीं।

विभिन्न दल नहीं होंगे। विचारों में मतभेद, विचारों में विभिन्नता होगी और ऐसा होना जरूरी भी है। मुझे विचारों में अन्तर की परवाह नहीं है। वास्तव में, अपनी नीतियों का ताना-बाना बुनते समय, हमने अन्य दलों के विचारों को भी स्थान दिया है। हमने उन विचारों को भी ध्यान में रखा है, जिन्हें किसी नेता ने किसी स्थान पर कहा है और जिन कार्यक्रम को हमने शुरू किया है, उसमें यह ध्यान रखा गया है कि इन विचारों पर अमल किस प्रकार किया जाए। अतः ऐसी बात नहीं है कि हम अन्य दलों के विचारों से अप्रभावित रहे हों। हमने अपनी नीति से मेल खाने वाले सभी विचारों को शामिल किया है। यदि वह हमारी नीति से ही मेल नहीं खाते थे,

स्वाभाविक है कि हम उन्हें अपनी नीति में शामिल नहीं कर सकते थे। यह स्थिति रही है, यही कार्यप्रणाली रही है। इसकी पृष्ठ भूमि सर्वविदित है।

अटल जी ने कहा, राष्ट्रपति जी को अनेक अभिभाषण तीन अभिभाषणों—को पढ़ने पड़े, जिन्हें, पढ़ने के लिये उन्हें 15 वर्ष लगने चाहिए थे। परन्तु यह मेरा दोष नहीं है। क्योंकि सरकार का कार्यकाल उतना ही रहा है, जितना कि यह था, जिसके कारण उन्हें तीन अभिभाषण पढ़ने पड़े।

हां, भावी पीढ़ी के बारे में, हमें यह निर्णय करना होगा कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है और हमारा यह मूल्यांकन इस देश के लिए सम्पति बन जायेगा, राष्ट्र के लिए तो विचार का विषय बन जायेगा और भावी पीढ़ी के लिए सावधानी पूर्वक, धैर्यपूर्वक विचार करने का विषय बन जाएगा।

जून, 1991 में हम पुन: सत्ता में आये। मैं जो कहना चाहता हूं, उसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। परन्तु, यदि किसी भी तथ्य पर किसी किस्म का विरोधाभाष है, चूंकि मैं छोटी-से छोटी बारिकी के लिये स्वयं संतुष्ट हूं; तो मैं आपको फाईलें उपलब्ध कराने को तैयार हूं। आप चाहें तो किसी भी गलती का सत्यापन कर सकते हैं, इसके लिए मेरी जिम्मेदारी होगी।

कुछ माननीय सदस्य : किसके बारे में ? (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : फाइलें यहां नहीं लाई जाती हैं। मेरा कहना है कि जो भी तथ्य और आंकड़े मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, वह पूर्णतया सत्यापित, सही और अनुप्रमाणित हैं।

विदेशी-मुद्रा भण्डार खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ है कि पिछली दो सरकारों ने जुलाई, 1990 से जनवरी, 1991 तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.4 बिलियन डालर लिया है। उस समय इसे गलत नहीं माना गया। जो कुछ वह वहां से ले सकते थे, उन्होंने लिया। उन्होंने जो राशि ली है वह विभिन्न देशों, सरकारों की राशि है। इसके लिए किसी बड़ी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। हमने उस राशि को लिया है। और प्रथम किशत भी अगली सरकार द्वारा ली गई थी। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूं ? आखिरकार, विश्व बैंक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है ? अब यह एक दैत्य के समान प्रतीत होता है जोकि देश से बाहर क्या है। विश्व बैंक भारत मे उतना ही संबंधित है जितना कि हमसे संयुक्त राष्ट्रसंघ। तथ्य यहीं हैं और विश्व बैंक और अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रथम बार ही सम्पर्क नहीं किया गया है, बल्कि इससे पहले भी अनेक बार हमने ऐसा किया है। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसने विश्व बैंक से सहायता के लिए सम्पर्क न किया हो। जो देश विश्व बैंक के सदस्य नहीं हैं वह भी अब सहायता के लिए विश्वबैंक से सम्पर्क कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : ऐसी शर्तों पर नहीं। (**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : चाहे वह शर्तें कुछ भी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के विरुद्ध ऐसा दुराग्रह अथवा पक्षपात अथवा विचारधारा पैदा करना हमारे देश के हित में नहीं है।

हां, 'ब्रेटोनवुड' 'ब्रेटोनवुड' के संस्थान, उनका स्वरूप उनकी कार्यप्रणाली कुछ ऐसी है जिसे हम पूर्णतया पसन्द नहीं करते हैं। हम गुट-निर्पेक्ष आन्दोलन और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों ही में इन संस्थानों में सुधार के लिए लगातार, दृढ़तापूर्वक कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। परन्तु यह कहना कि विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना ही देश को बेचना है, यह बिल्कुल मान्य नहीं है। मैं किसी सरकार और विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने स्वतन्त्रता दिलायी, के विरुद्ध प्रयुक्त की जा रही ऐसी भाषा का विरोध करता हूं। यह बिल्कुल अशोभनीय है। मैं माननीय सदस्यों और विरोधी दलों के माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि वह विचार करें कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना कहां तक उचित हो सकता है उनके हमारे साथ मतभेद हों; उनके विचार अधिक प्रबल हों। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का आह्वान है परन्तु "बेच देंगे" जैसे शब्द न तो उनके लिए उचित है और न ही उनकी पार्टियों के लिए और नहीं इस देश के लिए।

महोदय, करार—विश्व बैंक के करार एग्रीमेंट का अनुच्छेद—पर मेरे पास यह दो पुस्तकें हैं। अनुच्छेद में निम्नानुसार उल्लिखित है :

> "कोष के सामान्य स्रोतों को उचित संरक्षण के अन्तर्गत उन्हें अस्थाई तौर पर उपलब्ध कराकर सदस्य-देशों का विश्वास दिलाना, इस प्रकार उन्हें राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आयामों के विनाशकारी उपायों को प्रयोग किये बिना भुगतान संतुलन में कुप्रबंधों को सही करने के अवसर प्रदान करना।"

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन्हीं सब के लिए बना है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास किस लिए गये ? संक्षिप्त रूप में इसी के लिए गये और इससे अधिक या कम कुछ नहीं। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार के अनुच्छेदों के ही अंतर्गत पूर्णतया आता है।

विश्व बैंक के बारे में :

> "निजी निवेशकों द्वारा गारंटियों अथवा ऋणों में भागीदारी और अन्य निवेशों के माध्यम से निजी विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और जब निजी पूंजी वाजिब शर्तों पर उपलब्ध नहीं है, उचित शर्तों पर इस द्वारा विश्व बैंक द्वारा। अन्य स्रोतों से एकत्रित की गई अपने ही पूंजी कोष से उत्पादकीय कार्यों के लिए नीति निवेश की पूर्ति करना।"

विश्व बैंक, ऐसी सहायता के इच्छुक सहायतार्थ आये देशों को राहत प्रदान करने वाली संस्था है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हमारे द्वारा ऋण लेने से पहले हुआ है। परन्तु हमने सभी किश्तें नहीं ली हैं। हमने एक अथवा दो किश्तें ली हैं और जब अन्तिम किश्त लेनी थी, तो हमारी स्थिति सुधर गई, और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री होने के नाते, कहा, "मुझे अन्तिम किश्त लेने की जरूरत नहीं है; मैं अन्तिम किश्त नहीं लूंगी और इसे छोड़ दूंगी।" यह हम पर निर्भर है कि हम इसे लेते हैं अथवा नहीं लेते हैं। प्रश्न यह है कि क्या यह उपलब्ध है। क्या श्री विश्वनाथ ने अपनी सरकार को यह ऋण मांगने की स्थिति में रहने दिया ? मुद्दा यह है। इसे प्राप्त करके, उसने इसे उपयोग किया अथवा नहीं, यह बिल्कुल भिन्न सवाल है।

महोदय, यह जानना बहुत रुचिकर है कि कभी-कभी वाकपटुता द्वारा हमें कैसे दूर धकेल दिया जाता है। श्री विश्वनाथ के सब प्रयासों के बावजूद भी भुगतान संतुलन की स्थिति सुधरी नहीं। निःसंदेह, यह हमारा दोष नहीं है; वह जो कुछ करना चाहते थे, उन्होंने वह करना जारी नहीं रखा।

विश्व बैंक द्वारा अप्रैल, 1991 में एड इण्डिया कानसोरिटियम की एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों ही से विचार विमर्श किया गया था। विचार विमर्श प्रतिवेदन में जब तक मूल सुधार नहीं कर लिये जाते सहायता कोई भी नया वायदा न किये जाने के बारे में उसमें उल्लेख था। और कोई हल नहीं था। विश्व बैंक के पास जाने वाले और बातचीत करने वाले प्राधिकारी श्री विश्वनाथ जी को स्मरण होना यद्यपि उनके उन हस्ताक्षरों का कोई महत्व नहीं है; जो उन्होंने प्रधानमन्त्री होने के नाते किये थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : शर्तों के प्रश्न के बारे में यह सर्वविदित है कि दो-तीन प्रकार की निधियां उपलब्ध है। एक तो देश की अपनी ही जमा निधि होती है। एक देश बिना किसी शर्त के इसमें से राशि ले सकता है। इस पर कोई आपत्ति नहीं है; यह आपका अपना पैसा है। एक और माध्यम है जिससे आपको इससे कम पैसा मिलता है; परन्तु इसको प्राप्त करने की कोई शर्त नहीं है। जब खाड़ी संकट के दौरान, यही सुविधा बिना शर्तों के उपलब्ध थीं। हम शर्तों से सहमत नहीं थे। अब दोनों को आपस में मिलाकर मामला प्रस्तुत करने की कोशिश करना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह सही नहीं है। यह सत्यापन पर आधारित है। मैं सहमत हूं कि अपने ही पैसे के लिए शर्तों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप इसे कभी भी ले सकते हैं। आप परिस्थितियों से इस हद तक घबराये हुए थे कि आपको इसे प्रथम स्थान पर लाना पड़ा और आपने द्वितीय साख को भी प्राधिकृत कर दिया। बातचीत आपके समय में शुरू हुई थी। मैं सहमत हूं, कि बातचीत के सिलसिले को जारी रखने के लिए आप वहां नहीं थे। इसमें यहीं सब कुछ था। मैं आपको केवल तथ्य और आंकड़े बता रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : खाड़ी संकट के दौरान खनिज तेल के मूल्यों में अचानक वृद्धि हो गई थी और देश को इसे वहन करना पड़ा था। ये तेल मूल्य शर्तों के बगैर उपलब्ध थे। यही वजह थी। इन शर्तों के सामने झुकने का प्रश्न ही नहीं था। यही मुद्दा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं आपको सारे विवरण दे सकता हूं। मैं आपको और अधिक विवरण दे सकता हूं। यदि आवश्यक हुआ तो वित्त मन्त्री इस बारे में और विवरण देंगे : लेकिन तथ्य यह है कि मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह मुद्दा है। मैं विश्वनाथ जी या उनके बाद आने वाली श्री चन्द्रशेखर की सरकार पर या किसी भी पूर्व सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा।

मैं यह कह रहा हूं कि देश के सम्मुख स्थिति में हमें, उन्हें या उनके बाद आने वाली सरकार को, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं मात्र यही कर रहा हूं।

मैं चन्द्रशेखर सरकार में तत्कालीन वित्त मन्त्री के वक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं जो उन्होंने किसी अन्य स्थान पर नहीं बल्कि संसद में दिया था। उन्होंने कहा था कि—

श्री वसुदेव आचार्य : आपकी पार्टी ने इसे समर्थन दिया था। आपने उस सरकार के गठन में सहायता दी थी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं समझता हूं कि वे सही बात सुनने के मूड में नहीं हैं। मैं मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री वसुदेव आचार्य : यह सच है। आप इसे स्वीकार करते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : " आज प्रशासन विकल्प उपलब्ध नहीं है। अब यह हमारे लिए आवश्यक हो गया है कि हम आवश्यक वृद्ध आर्थिक समायोजन करना शुरू करें। हमें यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि अनेक वर्षों के दौरान जुड़े आर्थिक असंतुलन को एक ही कार्यवाही से समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यह आवश्यक है कि हम सुधारात्मक कार्यवाही शुरू करें। इसके अन्तर्गत भी कठोर निर्णय और कठिन उपाय ही करने पड़ेंगे। अगर हमें देश के आर्थिक सुधार को पुनः कायम रखना है तो हमें वास्तविकता की उपेक्षा करने की बजाय इसका सामना करना चाहिए। हम इस सन्दर्भ में आर्थिक संगठन को अत्यधिक वरीयता देते है। इस प्रकार फिजूलखर्ची न करना सरकार के लिए न सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष बल्कि 1991-92 और बाद में भी मुख्य उद्देश्य होगा। सरकार अगले वित्तीय वर्ष से आर्थिक सुधार और संगठन की प्रक्रिया को जारी रखेगी। हमें आशा है कि हम केन्द्र सरकार का बजट घाटा काफी हद तक कम कर देंगे ..." और यहां पर यह जादूई आंकड़ा है।

"काफी हद तक, ताकि यह 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.5% हो।' यही आंकड़ा डा० मनमोहन सिंह ने लिया था।

"इस प्रकार की कमी तीन वर्षों की अवधि के दौरान एक वहनीय आर्थिक शासन में हमारे परिवर्तन की शुरूआत होगी जिसमें 70 के दशक में मध्य की तरह आर्थिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद के तीन से चार प्रतिशत के बीच लौट आए। इस उद्देश्य हेतु सरकार व्यय पर सख्त नियन्त्रण रखेगी और राजसहायता को तर्कसंगत बनाएगी ताकि इनका उपयोग गरीबों के लिए हो....."

> "इसके साथ ही सरकार अपेक्षित बजट घाटे के कम करने के लिए राजस्व प्राप्ति और राजस्व और व्यय उपायों के समन्वय को सुधारेगी। इस संबंध में निकट भविष्य में योजना बनाई जाएगी और उसे आगामी वित्त वर्ष के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा"।

लेकिन 'निकट भविष्य में' सरकार ही बदल गई। यह स्थिति है। इसलिए इस कार्य में निरन्तरता है।

जैसा कि मैंने कहा है, मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हम ऐसी स्थिति में थे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था; हमें वहां जाना पड़ा। एक समूह था, इस समूह ने कहा' "खेद है कि हम आपको कुछ नहीं दे रहे, आपकी स्थिति इतनी खराब है कि आप हमारी अदायगी को वापस नहीं दे सकेंगे। इसलिए कृपया हमसे कुछ भी मत मांगिए"। यह स्थिति थी।

महोदय वित्त मन्त्री द्वारा लिखे पत्र में भी यही बात कही गई है। मैं इस पत्र में से नहीं पढ़ना चाहता; लेकिन इस पत्र का उद्देश्य यह है कि इस पर निगरानी रखी जाएगी क्योंकि जब तक ऋणदाता ऋण देता है चाहे वह भारत में एक सहकारी बैंक हो या अन्य बैंक हो और यदि आप मात्र एक भैंस खरीदने के लिए ऋण देते हैं तो कोई व्यक्ति होता है जो यह देखता है कि भैंस है या कोई अन्य पशु भैंस के नाम पर खड़ा कर दिया गया है, महोदय यह सामान्य प्रक्रिया है।

कोई भी व्यक्ति जो एक बैंक चलाता है और विशेषकर ग्रामीणों के लिए ऐसा करता है तो वह जानता है कि इस कार्य के विकास के पहलू पर गौर करने के लिए भी कोई है क्या यह धनराशि उचित रूप में उपयोग की जा रही है, क्या ऐसी योजना है जिसके द्वारा ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण लौटा भी सकेगा या नहीं। एक बैंक को सरकार के आदेशानुसार बैंक के रूप कार्य करना होता है एक दान देने वाले निकाय के रूप में नहीं। इसी वजह से कुछ पार्टियां ऐसे बैंक बनाना चाहती थी (व्यवधान) इसी के कारण इस समस्या का एक भाग उत्पन्न होता है। (व्यवधान) सरकार ने प्रथम ऋण किश्त में अतिरिक्त व्यवस्था के लिए भी अनुरोध किया था, इसके तहत मार्च, 91 के अन्त तक कीअवधि थी।

आर्थिक घाटे में सुधार लाने और भुगतान संतुलन में सुधार करने के लिए प्रगति हुई है। हम इस समर्थन को और बढ़ाना चाहते हैं इसलिए और अधिक समर्थन चाहते हैं। सहायता प्राप्त करने और ऋण प्राप्त करने के लिए सभी निर्णय और सभी इच्छाएं एक समान थी। ऐसा नहीं है कि कोई नया निर्णय लिया गया है। यह इस मामले का एक भाग है।

दूसरा भाग यह है कि हमें यह स्थिति विरासत में मिली है और मैं कहूंगा कि हम एक दम सही कार्य करना चाहते थे और हमने यही किया है। अगर मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं होता कि हमें क्या करना है तो मैं ऐसा नहीं करता। यह सरकार ऐसा नहीं करती।

जैसा कि मैंने कहा है जो प्रस्ताव किया गया था वह उसी के अनुरूप था जिसका हमने लोगों को वायदा किया था और इसलिए हमने इसे स्वीकार का लिया। इसे स्वीकारने का वास्तविक तर्क यही है। अब अगर यह चुनाव घोषणा पत्र अथवा इसमें निहित हमारी बातों पर लोग, कुछ पार्टियां सहमत नहीं होंगी तो सारा देश इस पर फैसला देगा। (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : आपने अनेक अन्य मुद्दों पर भी वादा किया था जैसे मूल्यों में सौ दिन के अन्दर कमी लाई जाएगी। (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हां। हमने अनेक वायदे किये हैं और हम अनेक कार्य कर रहे हैं। हम कुछ में सफल रहे हैं और कुछ में नहीं। लोग पांच वर्ष के बाद हमें अपना फैसला देंगे। वे हमसे किए गए कार्यों का ब्यौरा लेंगे, कृपया इसकी चिन्ता मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आपने वायदा किया था कि आप सौ दिन में मूल्य कम कर देंगे। इस बारे में क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह सरकार जनता के प्रति पूर्णतया जवाबदेह होगी, जो इसे सत्ता में लाई है। पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद इसके कार्य निस्पादन के कारण ऐसा हुआ है किसी

बहानेबाजी के कारण ऐसा नहीं हुआ है। हम इसे करेंगे। (व्यवधान) मैं पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं कि हम अपने वायदों पर कायम है। वास्तव में हमने लोगों को एक वादा किया था जिसके लिए चार वर्ष का समय निर्धारित था। हमें यह चार वर्षों में करना चाहिए था। हमने यह कार्य अर्थात नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चार महीनों में ही लागू करना शुरू कर दिया है। हमने पाया कि यह इतना अनिवार्य है कि चार वर्ष इन्तजार करने की बजाय इस कार्य को इसी वर्ष लिया जाए। मैं इस पर बाद में बोलूंगा। (व्यवधान)

इसलिए, देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को अस्त व्यस्त करना पूर्णतया अप्रासंगिक है। यह मुद्दा नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूर्णतया यह कहना चाहूंगा कि इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को किसी भी प्रकार हमारे द्वारा प्रभावित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

लेकिन प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता का अर्थ यह नहीं है कि संकट के समय में कुछ भी ना किया जाए। प्रभुसत्ता के अन्तर्गत अपनी नीतियों पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण रखना होता है। विश्व बैंक ने यह नहीं कहा कि मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कुछ भी करूं। विश्व बैंक ने गरीबी के खिलाफ कार्यक्रमों के बारे में कुछ नहीं कहा। यदि विश्व बैंक कल यह कहे कि आपको ऐसे कार्यक्रम नहीं चलाने तो मैं कहूंगा कि मुझे अफसोस है, आप इसे पसन्द करें या न करें हम इन कार्यक्रमों को लागू करूंगा। इस प्रकार विश्व बैंक किसी भी सीमा तक मेरी आन्तरिक नीति, आर्थिक नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। निश्चित रूप से विश्व बैंक की अपनी कुछ शर्तें हो सकती है। अगर मुझे ये शर्तें उपयुक्त लगती हैं केवल तब ही मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। अगर ये शर्तें हमारे लिए अनुपयुक्त हैं, हमारी नीति के विरुद्ध हैं तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कुछ कहा है वह अर्थपूर्ण है। (व्यवधान) मैं यह नहीं मानता कि विश्व की जो स्थिति आज है वह मेरे या किसी के विचार से असीमित पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इस पर प्रस्ताव के रूप में सहमत नहीं हो सकता क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि इसका देश के कार्यक्रम के तौर पर कोई संबंध है। गरीबों के हितों संबंधी कार्यक्रम के बारे में हमें विचार करना चाहिये। देश में व्याप्त व्यापक गरीबी जिससे देश पीड़ित है उसे देखना होगा। विश्व में दो तीन देश ऐसे हैं जिनकी समस्या एक ही तरह की है। चीन की भी ऐसी ही समस्या है। हमारी कुछ कठिनाईयां हैं। ब्राजील जैसे देश के साथ भी कुछ कठिनाईयां हैं और देश में पूर्ण पूंजीवाद के आने से हमारे इन कठिनाईयों का निदान नहीं हो सकता। इसका हमें पूरा यकीन है। इसलिए हमें एक तीसरा रास्ता खोजना होगा। तीसरा मार्ग यह है कि जब हम उदार अर्थव्यवस्था को अपना ले और जब विश्व अर्थव्यवस्था के भाग बन जाए तब तक हम विश्व अर्थव्यवस्था को अपने ऊपर हावी न होने दें। हमें अपने कार्यक्रम को पूरी तरह किसी अन्य प्रभावों से बचाए रखना होगा चूंकि यह हमारी जनता के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ऐसा हमारा मानना है। इस प्रकार इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आयेगा। हमने सोच समझकर गरीबों के लिए देश में जो भी कार्यक्रम हैं उसे बजट में शामिल किया है। हमारे कार्यक्रमों में कुछ कटौती भी की गई है जो सामान्य है।

यदि हमारे पास पैसे नहीं हों तो यहां-वहां कहीं थोड़ी और कहीं अधिक कटौती करनी ही पड़ती है। लेकिन हमने दूसरी तरह से भी उस कटौती को पूरा करने का प्रयास किया है। डा०

मनमोहन सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि जो 500 करोड़ रुपये की कटौती ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में की गई है उससे अधिक धन नेशनलट्रिन्यूअल फंड से लेकर केवल गांवों में रोजगार कार्यक्रमों पर लगाया जाना है। (व्यवधान) वास्तव में इसमें सुधार किया गया है। (व्यवधान) या तो आप मुझे बोलने दें या आप कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। जिन लोगों के पास न तो विचार है और न कोई मुद्दा वे पुनः ऐसा ही करेंगे।

[संस्कृत]

'शेषम् कूपे न पूरयेत।'

[अनुवाद]

यही कहना है। इसलिये महोदय, यह जो एक यह मुख्त कार्यक्रम है यह बेहतर है, क्योंकि यदि ग्रामीण विकास के लिये सामान्य तौर पर हम 500 करोड़ दे देते तो उसका विभिन्न कार्यों में उपयोग हो जाता। अब यह 500 करोड़ रुपया या 800 करोड़ रुपया उससे कुछ अधिक रुपया विशेष रूप से रोजगार पैदा करने के कार्यक्रम पर लगाया जायेगा और इसकी मुझे प्रसन्नता है। उसी कार्य के लिए यह राशि निर्धारित की जाती थी क्योंकि इसकी आज आवश्यकता है और हम इस पर ध्यान देंगे कि उक्त राशि का इसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जायगा।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है, यह गरीबों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह सच है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य असन्तोषजनक है क्योंकि इसे केन्द्र सरकार नहीं चलाती है। यह बहुत स्पष्ट है और किसी को भी यह मालूम होना चाहिये कि राज्य और केन्द्र स्तर पर जो सरकारें हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केन्द्र सरकार आंशिक रूप से चलाती है। उसके अतिरिक्त सारे कार्यों के लिए इसे राज्य सरकार के तंत्र पर निर्भर करना होता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम या तो उचित दर की दुकानों की व्यवस्था कर सकते या उसके कार्यकरण की देखरेख कर सकते हैं। इसे राज्य सरकार की व्यवस्था द्वारा चलाया जाना है और मुझे प्रसन्नता है कि जब राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा की गई तो सभी दलों के मुख्यमन्त्रियों ने इसमें सुधार करने के लिए सहयोग की अपनी इच्छा व्यक्त की और इसका पूरा लाभ लेते हुए मैंने राजस्थान जाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया। यह मैंने आन्ध्र प्रदेश या कर्नाटक में नहीं किया क्योंकि वास्तव में यह कोई दलगत मुद्दा नहीं था। मैंने सबसे पिछड़े क्षेत्र को चुनने का इरादा किया और वहां गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद वह स्वयं कई जिलों में गये और पाया कि कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने और लागू किये जाने के बाद यह अच्छी तरह कार्य कर रहा है। इसमें कहीं थोड़ी बहुत खामी रह गई होगी। उन खामियों पर हम किसी भी समय विचार करने के लिये तैयार हैं क्योंकि इतना विशाल और व्यापक कार्यक्रम पूरी तरह त्रुटिविहीन नहीं हो सकता। यदि कोई खामी है तो हमें जो भी करने की आवश्यकता होगी हम करेंगे और जो उन्हें करने के लिये है उसे वे करेंगे। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को एक साथ मिलकर सुचारु रूप से और पूर्ण सहयोग के साथ कार्य करना होगा। और ऐसा ही होना चाहिये। आने वाले समय में यह गांवों में वास्तविक रूप में आर्थिक केन्द्र होगा।

केवल चावल और गेहूं ही नहीं बल्कि जो भी खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं हम उपलब्ध कराते हैं हमने वहां उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुओं के साथ जोड़ दी हैं। राज्य सरकारें उत्पादकों और निर्माताओं से बातचीत कर रही है कि दियासलाई, नमक जैसी वस्तु प्रचुर मात्रा में उन्हें उपलब्ध कराई जाएं और वहां से दुकानों को वितरित की जाएंगी। महोदय, यह अति साधारण कार्यक्रम है। यह कोई जोरदार कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि यह कार्यक्रम आने वाले कल के लिये है जिस पर देश की पूरी आर्थिक क्रियाकलाप टिकी होगी। हमने विशेष कस्बों में 1700 दुकानों को चुना है। मैं नहीं जानता कि सदस्यों में यह जानने का प्रयास किया है या नहीं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के कितने ब्लाक इसमें शामिल किये गये हैं। मेरा उनसे करबद्ध निवेदन कि वह इसकी जानकारी ले, उन दुकानों पर जाएं और यह देखें कि वे अच्छी तरह कार्य कर रही हैं या नहीं। यदि वे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं तो पता लगाये कि इसका क्या कारण है। यह सभी सदस्यों का कर्त्तव्य है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : हमारे बनासकांठा में फेमीन है फिर भी अनाज नहीं मिलता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस वर्ष हमने चार मिलियन टन अधिक खाद्यान्न जारी किया है फिर भी स्टाक की कमी है। हमें आयात करना पड़ता है। ऐसा वर्षों से होता आया है। हमने आयात और निर्यात किये हैं। लेकिन निर्यात के कारण भी यहां सुसंगत है। जब 1990 में दस लाख टन गेहूं निर्यात करने का निर्णय लिया गया था तो उस समय ऐसी बात नहीं थी कि हमारे पास अनाज का अपार भंडार था बल्कि हमें किसी भी तरह विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी थी। अब इस तरह की स्थितियों से हमें बचना होगा। हमें अपना भंडार खाली नहीं करना चाहिये, हमें किसी भी स्थिति में अपने अतिरिक्त भंडार को खाली नहीं होने देना है और यह पाठ हमने विगत दो-तीन वर्षों में सीखा है। इसे हमें नीति के तौर पर स्वीकार करना चाहिए और हमें अपनी इस नीति पर दृढ़ रहना चाहिये। खाद्यान्न के मामले में जो भी हो हमें किसी भी संकट में नहीं पड़ना चाहिए और मेरा यह कहना है कि इस सरकार की भी यही नीति रहेगी।

महोदय, औद्योगिक मुद्दे पर मैंने पहले ही संसद में प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। यह ध्यान दिया गया है कि निवेश की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है और विगत कुछ महीनों में, चार या पांच महीनों में जब से नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी मिली है। 1000 करोड़ रुपये के लगभग निवेश हुआ है। एक प्रश्न के उत्तर के दौरान मैंने यह भी कहा था कि निवेश का यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपया से 2000 करोड़ रुपया तक अगले एक सप्ताह या कुछ सप्ताहों के अन्दर पहुंच जाएगा। यह सब हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए और सामान्य रूप से देश के विकास के लिये अत्यन्त जरूरी है क्योंकि इस निवेश की 80 प्रतिशत राशि हमें मूलभूत क्षेत्रों में प्राप्त हो रही है। यह कोई अनावश्यक चीज नहीं है। यह हमारे देश के लिए अति आवश्यक है— जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि यदि हम अपने संसाधनों पर ही निर्भर रहे तो इस तरह का निवेश कर पाना हमारे लिये अगले 20 वर्षों तक असम्भव होगा। विद्युत और

दूर्वरक क्षेत्र तथा सभी मूलभूत क्षेत्रों की इस निवेश से लाभ मिल रहा है और इसकी मुझे खुशी है। और महोदय, आठवीं योजना के लिए जो हमने योजनाएं बनाई है यदि वह सफल होती हैं और मैं आशा करता हूं कि वे सफल होंगी, परन्तु उन पर विदेशों से राशि प्राप्त किये बिना कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है। इस योजना को पूरा करने के लिये विदेशों से निवेश प्राप्त करना होता है और हमारे संसाधनों से जो भी राशि प्राप्त होगी वह गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों में चली जाएंगी। इस तरह की रोक लगाने का हमने प्रयास किया है और इस संबंध में हमने निर्णय भी लिये हैं। हमने योजना आयोग से कहा है कि इस तरह योजनाबद्ध तरीके से हमें प्रतिबन्ध लागू करना है।

रोजगार के मुद्दे पर भी बहुत सारी टिप्पणियां की गई है। कुछ सदस्यों का यह कहना है कि रोजगार के लिये हमने जो भी वादे किये वे सभी ठीक नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप शांत रहेंगे।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : महोदय, रेल मन्त्री ने यह घोषणा की है। कि 6000 किलोमीटर लम्बी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बहुत से श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यह हिसाब लगाया गया है····

श्री झोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : विद्युत चालित इन्जनों के बारे में क्या किया जाएगा ? भेल (बी० एच० इ० एल०) ने आपूर्ति करने की पेशकश की है। क्या आप यह उपलब्ध कराने जा रहे हैं ..(व्यवधान)

श्री पी०वी० नरसिंह राव : प्रत्येक किलोमीटर में 1800 से 2000 कार्य दिवस की रोजगार सम्भावना उत्पन्न करने का हिसाब लगाया गया है। इस हिसाब से 6000 किलोमीटर के लिये रोजगार सम्भावना कितनी होगी आप हिसाब लगा सकते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : नई रेल लाइन के बिछाने के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : एक मात्र कठिनाई यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हम कुछ भी पढ़ते नहीं हैं।

योजना आयोग ने हमें रोजगार के आंकड़े दिये हैं : कृषि—4·16 मिलियन, खनन और खदान कार्य—0.13 मिलियन, विनिर्माण कार्य – 1.36 मिलियन, निर्माण कार्य—.59 मिलियन, विद्युत—.03 मिलियन परिवहन और संचार—.28 मिलियन और अन्य सेवाएं 8 89 मिलियन प्रतिवर्ष। चुनाव घोषणापत्र में हमने यही वायदा किये हैं, इसके अतिरिक्त, वृक्षरोपण और बंजर-भूमि विकास का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह कल्पना की जा सकती है कि इन कार्यक्रमों का सम्मिलित प्रभाव हमारे जनता से किए गए वायदों से कम नहीं हो सकता और इसे पूरा किया जाएगा।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए यह उपयोगी नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। देश के द्रुत औद्योगिकीकरण के संदर्भ में ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर देने होंगे। मैं किसी माननीय सदस्य या अर्थशास्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या कोई दूसरा रास्ता है। देश के द्रुत औद्योगिकीकरण के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य रास्ता नहीं दिखाई देता।

कृषि क्षेत्र में, स्वरोजगार के लिए जो भी संभव होगा वह किया जायेगा किन्तु साथ-साथ उस देश में रोजगार के अवसर जुटाने का एकमात्र उपाय औद्योगिकीकरण ही है। अतः उसका निर्णय तो लिया गया है।

महोदय, अटलजी ने शिक्षा के बारे में एक कटु टिप्पणी की है। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो भी कहा गया है, वह हमें कुछ प्रोत्साहन देता है। वास्तव में भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह बताए जाने पर कि साक्षरता क्षेत्र में हमने सफलता प्राप्त की है। उन्हें प्रोत्साहित होना चाहिए और गौरवान्वित महसूस करना चाहिए ?

यह कहा गया था कि इस शताब्दी के अंत तक भारत में अशिक्षितों की संख्या सर्वाधिक होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण से ऐसा लगता है भारत इस स्थिति से बच जाएगा। उन्होंने जिस एक तथ्य का उल्लेख किया है उससे मैं अति प्रसन्न हूं। बालिकाओं में साक्षरता बढ़ रही है यह उत्तरी राज्यों में बढ़ रही है। केरल में नहीं। केरल में बढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं क्योंकि यह पहले ही पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर चुका है। यह उत्तरी राज्यों में बढ़ रही है। साक्षरता कार्यक्रमों में हिमाचल प्रदेश ने उत्तम कार्य किया है। दूसरे राज्य भी आगे आ रहे हैं। अतः, इस शताब्दी के अन्त तक भावी भारतीय नागरिक को इस धर्म से अपना सिर नहीं झुकाना पड़ेगा कि इस देश में सर्वाधिक अशिक्षित रहते हैं। इसमें जिन कार्यक्रमों का उल्लेख है उन पर निश्चय ही हम गर्व कर सकते हैं और मैं किसी पैरा का महत्त्व उसकी लम्बाई से नहीं आंकूंगा।

महोदय, अब अल्पसंख्यकों के कार्यक्रम को लीजिए। अल्पसंख्यक आयोग के बारे में कई कट तथा अन्य टिप्पणियां की गई है. महोदय, मैं सदन में घोषणा करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक आयोग को इसी सत्र में वैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा। पूरी तैयारी है और मुझे विश्वास है कि, हम यह करने में सफल होंगे ? यह मांग काफी समय से चली आ रही है। यह प्रस्ताव काफी समय से है। हमने इसे मान लिया है। हम इसे पूरा करना चाहते हैं। और हम इसी सत्र में पूरा करना चाहते हैं।

इस सदन में कई अवसरों पर कतिपय विदेश नीति के कतिपत पहलुओं की व्याख्या की है। सिर्फ एक महत्त्वपूर्ण निर्णय है जिस पर मतभेद है। और वह है इजराइल के साथ राजनायिक संबंध। महोदय, जब हम इजराइल को मान्यता देने की बात करते हैं। तो मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य वास्तव में क्या कहना चाहते हैं क्योंकि इजराइल मान्यता प्राप्त देश है। बहुत समय पूर्व जब पण्डित जी जीवित थे। तभी हमने इसे मान्यता दे दी थी। हमने यह किया है कि, हमने राजनायिक संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुम्बई में एक वाणिज्य दूतावास पहले ही है।

आज, स्थिति यह है कि फिलिस्तीनियों द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्ति के संघर्ष में मध्य-पूर्व में में शांति स्थापित करके घटनाक्रम में भारत की भागीदारी पहले की अपेक्षा काफी महत्त्वपूर्ण हो गई है। मैं वैयक्तिक चर्चा इत्यादि नहीं करना चाहता। किन्तु पूरी जिम्मेदारी की भावना से मैं कहूंगा कि यह निर्णय मध्य-पूर्व में शांति स्थापित करने में घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। हम दो वर्ष, चार वर्ष और प्रतिक्षा कर सकते थे। मुश्किल सिर्फ यही थी कि सारे विश्व में सिर्फ हमारा ही देश अकेला पड़ जाता। उस प्रकार से अलग-अलग पड़ जाना हमें स्वीकार नहीं था।

और इसके साथ ही आप मध्य-पूर्व में शांति स्थापित करने के घटनाक्रम में भारत की जो भूमिका होगी; आप देखेंगे। किसी अवसर पर माननीय सदस्य यह निर्णय लेने पर मुझे बधाई देंगे।

इस तथ्य के बावजूद कि हमने जो किया है हम उसे बिलकुल उचित मानते हैं। आज जो मतभेद विद्यमान है, हो सकता है कि मित्रों के दिमागों में कुछ संशय है। कुछ मित्रों ने मुझ पर इन संशयों को व्यक्त किया। इन संशयों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं उन्हें सिर्फ यह आश्वासन देता हूं कि ये सशय आधारहीन है। फिलिस्तीनियों के उद्देश्य का उतना ही समर्थन करते हैं जितना कि पहले करते थे और भारत द्वारा लिए गए निर्णय से यह उद्देश्य भली-भांति पूरा होगा और शायद अन्यथा इतनी अच्छी तरह पूरा न होता। मैं यह चाहता हूं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : इजराइल द्वारा फिलिस्तीनो टैंकों पर बमबारी की घटना पर सरकार मौन क्यों है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल द्वारा किए गए किसी भी कृत्य पर हम मौन नहीं है। हम किसी बात पर कभी भी मौन नहीं रहे **(व्यवधान)**

मैं वास्तव में नहीं जानता। प्राय: प्रत्येक देश के उन देशों को छोड़कर, जिनके साथ विवाद है, लगभग सभी देशों ने ऐसा ही किया है क्योंकि वह इसमें भूमिका निभाना चाहते थे। आगामी वर्षों में मध्य-पूर्व क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण मंच होगा जिसमें कि हर देश की भूमिका काफी नाजुक होगी। हमें इन मामलों में थोड़ी दूरदृष्टि रखनी होगी। हमने इसे अस्थायी रूप से लिया है। किन्तु इसके साथ ही हमने उचित कार्य किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो किया है वह सही है।

जिन मुद्दों को उठाया गया था उन सभी का मैंने उल्लेख किया है। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन्हें उठाने की आवश्यकता नहीं थी किन्तु उन्हें रखा गया है। मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि यह प्रश्न, यह नारा जो उठाया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, कि देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को कोई खतरा है, या कोई संकट है।

मैं अपनी पूरी शक्ति से, पूरे बल से इसका खण्डन करूंगा और इस पर मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। हमने जो किया है वह उचित है।

मैं विद्यार्थियों को संबोधित करता रहा हूं। मैं नवयुवकों को संबोधित करता रहा हूं, मैं लाखों की संख्या में ग्रामीणों का संबोधित करता रहा हूं और मैं पाता हूं कि जब उन्हें बताया जाता है कि लाइसेंस-परमिट राज समाप्त हो रहा है। समाप्त हो गया है। आपको उनसे जिस प्रकार की प्रतिक्रिया मिलती है वह जबर्दस्त होती है।

हां, एक परिवर्तन है। हमारे साधनों में परिवर्तन हुआ है पर उद्देश्य में नहीं। मैं इसे पूर्णत: स्पष्ट करना चाहता हूं। उद्देश्य वही है। मैं उस उद्देश्य को पुराने तरीकों से पूरा नहीं कर सकता। मुझे तरीके बदलने होंगे। संपूर्ण विश्व बदल गया है।। सभी देश बदल गए हैं। इस बात में कोई औचित्य नहीं है कि भारत नहीं बदलेगा। जबकि हम कल तक जो उद्देश्य कुछ अन्य साधनों से प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए आज अलग साधनों की जरूरत है। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह व्यावहारिक है, उद्देश्य बिना बदले और उद्देश्य छोड़े बिना। हमने इस पर विस्तार से विचार किया है कि क्या इसका कोई विकल्प था।

श्री वसुदेव आचार्य : विकल्प था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : नहीं था। मैं इस पर सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैं सदन में एक विस्तृत चर्चा करने के लिए तैयार हूं। यह सिर्फ संशोधन के लिए है। यह एक बहुत मामूली-सी बात है। इस पर चर्चा करें। भारत के सामने क्या विकल्प थे? आज भारत के सामने क्या विकल्प हैं? आठ महीने पूर्व की बात छोड़िये। आज भारत के पास क्या विकल्प हैं? मैं खुले विचार रखूंगा। मुझे विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं वह उचित है। यदि कोई इस सदन को, अथवा मुझे विश्वास दिला सकता है कि आज के विश्व में इसी के समान लाभप्रद। समान प्रभावकारी एक और अन्य मार्ग है, तो मैं उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा। किन्तु मैं बार-बार कहूंगा कि मैंने जो किया है वह उचित है और इसी विश्वास ने इस कार्यक्रम पर आगे कार्य करने के लिए मुझे प्रेरणा दी है? मैं राष्ट्रीय सर्वसम्मति चाहता हूं। जो पहले से ही है। एक मत का अर्थ सर्वसम्मति नहीं होता। मैं यही कह सकता हूं कि एकमत का अर्थ है वी० पी० सिंह के अलावा सर्वसम्मति श्री चटर्जी के अलावा सर्वसम्मति कुछ व्यक्तियों के अलावा सर्वसम्मति ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि सी० पी० आई (एम०) में मेरे मित्रों को आपत्ति है। मैं यह जानता हूं। किन्तु इसके बावजूद मुझे यह कहना होगा कि हमने जो सुधार का यह नया कार्यक्रम बनाया है और जो मार्ग चुना है उसके पीछे इस देश की जनसंख्या के एक बहुमत का समर्थन एक चट्टान की भांति खड़ा है। यह ऐसे ही होगा और हम इसका पालन करेंगे। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : मंडल आयोग के विषय में आप क्या कहेंगे? प्रधान मन्त्री जी ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में कई संशोधन के प्रस्ताव आए हैं। क्या मैं इन सभी संशोधनों को सदन में मतदान के लिए एक साथ रख दूं? और क्या कोई माननीय सदस्य किसी संशोधन को अलग प्रस्तुत करना चाहते हैं? (श्री धूमल)

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरी अमेंडमेंट नम्बर 1 जोकि अनएम्प्लायमेंट पर है और अमेंडमेंट नम्बर 4 जो प्राइस राइस पर है, उस पर डिविजन की डिमांड करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं निम्नलिखित संशोधन संख्याओं पर मत विभाजन चाहता हूं : 881, 780 और 790

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं चाहता हूं कि निम्नलिखित संशोधनों पर मत विभाजन कराया जाए।

387 बेरोजगारी से सम्बन्धित

620 नई औद्योगिक नीति से सम्बन्धित

628 उन शर्तों से सम्बन्धित, जो आर्थिक संप्रभुता को प्रभावित करती हैं।

336 भूमि सुधारों से सम्बन्धित और

1043 मूल्य वृद्धि से सम्बन्धित

श्री बिप्लब बसु (बारसाट) मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में आर्थिक संप्रभुता से सम्बन्धित मेरे संशोधन संख्या 28 को मतदान के लिए सदन में अलग से प्रस्तुत किया जाए।

श्री मानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में मेरे संशोधन संख्या 1005, 1010, 1011, 1013 का सदन के समक्ष मतदान के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के विषय में मेरे संशोधन संख्या 657 और 662 को सदन के समक्ष अलग से मतदान हेतु प्रस्तुत किया जाए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : मैं चाहती हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मेरे संशोधन संख्या 340, 342, 807 और 819 को सदन में मतदान के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाए।

श्री राम विलास पासवान : मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मेरे संशोधन संख्या 369 को मतदान के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाए।

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने संशोधन संख्या 219, 223, 231 और 234 और 1,027 को मतदान के लिए अलग से प्रस्तुत करना चाहता हूं।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने संशोधन संख्या 365 को सदन के समक्ष मतदान के लिए अलग से प्रस्तुत करना चाहता हूं।

6.00 म० प०

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी सायं के 6 बजे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकारता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि सदन आज की कार्रवाई खत्म करके उठना चाहती है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संशोधन सं० 293, 294 और 295 को सदन के समक्ष मतदान के लिए अलग से प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने संशोधन प्रस्तुत नहीं किए हैं।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : महोदय, मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मेरे संशोधन सं० 431, 432, 438, 440 और 449 को सभा में मतदान के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद घुलुत सलीम (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी तवज्जह इस तरफ लाना चाहता हूं, छः बज गए हैं और आपको मालूम है कि हम लोगों का आज रोजा है तबालिबे रमजान शरीफ शुरू हो गया है। रोजे के बाद नमाज पढ़नी होती है। नमाज के बाद हम लोगों को मस्जिद जाकर तरावी पढ़नी होती है अगर आप यह वोटिंग कलकरायें तो हम लोगों पर बड़ा एहसान होगा। हमारे लिए मुश्किल है, नमाज के वक्त रोजे के वक्त आप वोटिंग करा रहे हैं। आमतौर पर छः बजे तक सदन का समय होता है इसलिए अगर आप वोटिंग कल करायें तो अच्छा होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम देखेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आर्यं फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मेरे संशोधन संख्या 820 और 825 को सदन के समक्ष मतदान के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाए।

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मेरे संशोधन संख्या 184, 185, 189, 190 और 193 और 194 को सदन के समक्ष मतदान के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री घूमल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या तथा 4 की सभा के मतदान हेतु रखूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे संशोधनों का क्या हुआ ? व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपकी प्रक्रिया को नहीं समझ पाया। एक ही विषय पर कई संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। आप उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बतलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : इस पर कनवेंशन रहा है हमेशा रहा है और होते रहे हैं तो आज क्यों नहीं करना चाहते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बाधा मत पहुंचाइये। आप वहां से क्यों चिल्ला रहे हैं। मुझे प्रत्येक व्यक्ति की बात सुननी है। कृपया मेरी सहायता कीजिए।

[हिन्दी]

देखिए, ये कनवेंशन ऐसा है कि हम हाउस को पूछ लेते हैं कि क्या अमेंडमेंटस एम ही दफा हाउस के सामने रखने हैं। अगर किसी ने कहा कि नहीं, हम अपने अमेंडमेंट अलग रखना चाहते हैं तो प्रीसाइडिंग आफिसर को कोई अथोरिटी नहीं है कि उनके अमेंडमेंट साथ में रखें, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि कौन-कौन अपने अमेंडमेंटस अलग-अलग रखना चाहते हैं तो आपने अपने-अपने अमेंडमेंटस के यहां पर नाम दिए हैं। अब मुश्किल यह है कि एक ही प्रकार के अमेंडमेंट एक-दो लोगों ने अलग-अलग दिए हैं जैसा कि "राईट टू वर्क" है, तो एक के देने के बाद दूसरे को उठकर बोलने की जरूरत नहीं थी पर आपने बोला है और अब मुझे यह देखना है कि कितने अमेंडमेंटस है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात को सुन लीजिए और मेरी बात को सुनने के बाद आप बताईएगा। तो अब मैं एक के बाद एक अमेंडमेंटस रख रहा हूं। इसमें यह भी है कि एक ही प्रकार के अमेंडमेंट दूसरों ने रखे हैं, अगर एक अमेंडमेंट डिफिट हो गया और उसी प्रकार का दूसरा अमेंडमेंट है तो वह रखने की जरूरत नहीं होती। अब ये सारी चीजें मैं यह समझ कर चल रहा था कि आपके इस में यह सब हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं। दी गई संख्याओं के विषय में, मुझे विश्वास है कि प्रत्येक सदस्य इस बात से सहमत होगा कि ये सब संख्याएं एक साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं नहीं···

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्यों नहीं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे बहुत कठिनाई होगी क्योंकि संशोधनों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं श्री धूमल का संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि कार्यालय संशोधन को जांच करेगा तो मेरा मतलब है—संशोधन सं 1 और 4··· —

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे भिन्न विषयों पर है।

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 1 और 4 को प्रस्तुत नहीं करूंगा बशर्ते किसी अन्य सदस्य द्वारा इसी तरह का संशोधन रखे जाते हैं। उन्हें यहां रखना आवश्यक नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे भिन्न विषयों पर हैं। संशोधन संख्या 1, बेरोजगारी और संशोधन संख्या 4, मूल्य वृद्धि के बारे में हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री प्रेम धूमल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या एक और चार को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

घंटियां खाली कर दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं अब खाली हो गई हैं।

इससे पूर्व कि संशोधन प्रस्तुत किया जाए, नये सदस्यों की जानकारी के लिए सभा में मैं यह बताना चाहूंगा कि मतदान किस ढंग से किया जाता है। प्रत्येक सदस्य के बैठने के स्थान पर एक पुश बटन सेट लगा हुआ है जिसमें एक पायलट लाइट तथा तीन बटन लगे हैं; मस्टर्ड रंग का बटन 'पक्ष में' के लिए है, लाल रंग का बटन 'विपक्ष में' के लिये तथा काले रंग का बटन 'मतदान में भाग न लेने' के संकेतार्थ है। इनके साथ एक पुश स्विच भी लगा है जो कि तार के सहारे लटका है। जब अध्यक्ष पीठ द्वारा इस आशय की उद्घोषणा करने पर कि 'अब मत विभाजन होगा' मशीन को चालू किया जाता है, एक आवाज आती है जोकि सदस्यों को इस बात का संकेत करती है कि वे अपना मतदान करें। प्रत्येक सदस्य को पुश बटन दबाकर तीनों में से कोई भी बटन 'पक्ष में', 'विपक्ष में' अथवा मत मतदान में भाग न लेना' अपनी इच्छानुसार दबाना होता है। जब तक कि आवाज नहीं आती, पुश बटन तथा पुश स्विच दोनों को एक साथ ही दबाकर रखना होता है और इसके 10 सैकिंड बाद इसे दोबारा दबाना होता है। इसी के साथ-साथ ही पुश बटन व स्विच पर लगा पायलट लैम्प बटन व स्विच को दबाने के साथ जगमगाने लगता है और इसकी जगमगाहट इस बात का संकेत करती है कि मशीन में वोट रिकार्ड कर लिया है। यदि कोई सदस्य बटन को दबाकर वोट रिकार्ड कराने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी सीट पर खड़ा हो सकता है और डिवीजन क्लर्क से स्लिप लेकर इसके माध्यम से अपना वोट रिकार्ड कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि इस प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए—

अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी समस्या को हल करने के लिए किसी प्रभावशाली कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।" (1)

प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए अर्थात्—

"किन्तु खेद है अभिभाषण में आम आदमी के उपयोग की आवश्यक वस्तुएं तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावशाली व दूरगामी उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है। (4)

लोकसभा में मत विभाजन हुआ

मत विभाजन संख्या 2] [समय 6.16 प० प०

पक्ष में

अन्सारी, श्री मुमताज
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अवैद्य नाथ, महन्त
आचार्य, श्री बसुदेव
आजम, डा० फैयाजुल
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु, प्रो०
उमा भारती, कुमारी
उरांव, श्री ललित
कटियार, श्री विनय
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल
कमल, श्री, श्याम लाल
कश्वा, श्री राम सिंह
कापसे, प्रो० राम
कालका दास, श्री
कुन्जी लाल, श्री
कुमार, श्री नीतीश
कुमार, श्री वी० धनंजय
कुसमरिया, श्री रामकृष्ण
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) श्रीमती
केशरी लाल, श्री
कोरी, श्री गया प्रसाद
खंडेलवाल, श्री ताराचन्द
खन्दूरी, श्री भुवनचन्द्र
खनोरिया, श्री डी० डी०
खां, श्री सुखेन्द्र
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, डा० परशुराम
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गफूर, श्री अब्दुल
गिरि, श्री सुधीर
गिरिजा देवी, श्रीमती
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गोहिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी
गौतम, श्रीमती शीला
गौड़ा, प्रो० के० वेंकटगिरि
घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव
चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चावड़ा, श्री हरिसिंह
चिरबलिया, श्रीमती भावना
चौधरी, डा० के०वी०आर०
चौधरी, श्री पंकज
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री चेतन पी०एस०
चौहान, श्री शिवराज सिंह
छटवाल, श्री सरताज सिंह
छोटे लाल, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जसवन्त सिंह, श्री
जायनल अबेदिन, श्री
जेना श्री श्रीकान्त
जेम्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरामेल
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री मोगेन्द्र
टंडेल, श्री डी० जे०
टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच०
ठाकुर, श्री मामाजी मंगाजी
डोम, डा० राम चन्द्र
तीरकी, श्री पीयूष
तेजनारायण सिंह, श्री

तोपदार, श्री तरित बरण
तोंमर, डा० रमेश चन्द
त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि
त्रिवेदी, श्री अरविंद
दत्त, श्री अमल
दास, श्री जितेन्द्रनाथ
दास, श्री द्वारका नाथ
दास, श्री राम सुन्दर
दीक्षित, श्री ओश चन्द्र
देशमुख, श्री च·दूभाई
देशमुख, श्री सुदाम दत्तात्रेय
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
धनखड़, चौ० जगदीप
धर्मभिक्षम, श्री
धवन, श्री हरमोहन
धूमाल, प्रो० प्रेम
नाईक, श्री राम
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री वृशिण
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री सोमाभाई
पटेल, श्री हरिभाई
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाठक, श्री सुरेन्द्रपाल
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पासी, श्री बलराज
पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम, श्री वी० एल० शर्मा
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
प्रेमी, श्री मंगलराम
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फातमी, मोहम्मद अली अशरफ
फुंडकर, श्री पांडुरग पुण्डलीक
बंडारु, श्री दत्तात्रेय
बर्मन, श्री उद्धव
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा० असीम
बैठा, श्री महेन्द्र
भट्टाचार्य, श्री नानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिकार्जुनस्या, श्री एस०
महतो, श्री बीरसिंह
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महेन्द्र कुमारी, श्रीमती
मिश्र, श्री जनार्दन
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री सुव्रत
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री कड़िया
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
मुरमु, श्री रूपचंद
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहन सिंह, श्री

मौर्य, श्री आनन्द रत्न
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम लखन सिंह
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री सूर्य नारायण
रंगपी, डा० जयन्त
राजनारायण, श्री
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेश कुमार, श्री
राणा, श्री काशीराम
रामदेव राम, श्री
राम, श्री प्रेम चन्द
राम बदन, श्री
राय, श्री रवि
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हाराधन
रायचौधुरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री डी० वेंकटेश्वर
रावल, श्री भगवान शंकर
रावल, प्रो० रासा सिंह
रावत, डा० लाल बहादुर
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री बी० एन०
लालजान वाशा, श्री एस० एम०
लोढा, श्री गुमान मल
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्रीमती रीता
वर्मा, श्री सुशील चन्द्र
वाघेला, श्री शंकरसिंह
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजी भाई
शर्मा, श्री जीवन
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास
शाह, श्री मानवेंद्र
शुक्ल, जी अष्टभुजा प्रसाद
संघानी, श्री दिलीप भाई
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
सलीम, श्री मुहम्मद यूजुस
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री अभय प्रताप
सिंह, डा० छत्रपाल
सिंह, श्री जगबीर
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री बृजभूषण शरण
सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्री राम
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री शिवशरण
सिंह, श्री सत्यदेव
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सिंह, श्री हरि किशोर
सुर, श्री मनोरंजन
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सैयद, शाहाबुद्दीन
सोरेन, श्री शिबू
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
स्वामी, श्री सुरेशानन्द
हीरा भाई, श्री
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी०
अडईकलराज, श्री एस०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु, श्री इरा
अय्यर, श्री मणि शंकर
अरुणाचलम, श्री एम०
अशोकराज, श्री ए०
अहम, श्री ई०
अहमद, श्री कैमालुद्दीन
अहिरवार, श्री आनन्द
अर्स, श्रीमती चन्द्र प्रभा
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी
इम्चातम्बा, श्री
इन्द्र जीत, श्री
इस्लाम, श्री नुरुल
उम्ब्रे, श्री लाईता
उपाध्याय, श्री स्वरूप
एन्थनी, श्री फ्रैंक
ओडेयर, श्री चनैया
कमल नाथ, श्री
करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी
कहांडोले, श्री जेड० एम०
कामत, श्री गुरुदास
कामसन प्रो० एम०
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम
कालियापेरुमल, श्री पी० पी०
काले, श्री शंकरराव दे०
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुडुमुला, श्री पदमश्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुली, श्री बालिन
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
कृष्ण कुमार, श्री एस०
केवलसिंह, श्री
कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह
कौंतला, श्री राम कृष्ण
कैंविची, डा० विश्वानाथम
कौल, श्रीमती शीला
कौर, श्रीमती सुखबंस
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री अयूब
खुर्शीद, श्री सलमान
गजपति, श्री गोपीनाथ
गहलोत, श्री अशोक
गामित, श्री छीतूभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरियप्पा, श्री सी०पी० मुदाल
गुडाडिन्नी, श्री बी० के०
गूडेवार, श्री बिलासराव नामनापराव
गोगोई, श्री तरुण
गोमांगो, श्री गिरिधर
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रशेखर, श्रीमती, मारगपम
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०
चानको, श्री पी० सी०
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खानभाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्री राम प्रकाश
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौरे, श्री बापू हरि
जनार्दनन्, श्री एम० आर० कादम्बुर
जयमोहन, श्री ए०
जांगड़े, श्री खेलनराम
जाखड़, श्री बलराम

आटव, श्री बारे लाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जावाली डा०, बी० जी०
झिकराम, श्री मोहनलाल
टोपे, श्री अंकुशराव
टाईटलर, श्री जगदीश
टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेका,श्री प्रबीन
डेसिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई एस०
तंग्काबालू, श्री के० बी०
तारा सिंह श्री
तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०
तोपनो, कुमारी फिदा
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरात श्री संदीपान भगवान
दत्त, श्री सुनील
दादाहूर, श्री गुरचरणसिंह
दिघे, श्री शरद
दिग्विजय सिंह श्री
दीवान, श्री पवर
देवगौड़ा, श्री एच० डी०
देव, श्री सतीष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवराजन श्री बी०
देवी, श्रीमती विभू कुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
नन्दी श्री येल्लैया
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नायक, श्री मृत्युन्जय
नायक, श्री सुवास चन्द्र
नायक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री ए० वेंकटेश
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्रीके० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
निकाम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
पंडियन, श्री डी०
पंवार, श्री हरपाल
पंवार, श्री शरद
पंवार, डा० बंसत
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पद्मा, डा० (श्रीमती)
पांजा, श्री अजित
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, श्री अन्वरी बसवराज
पाटिल, कुमारी सूर्यकान्ता
पाटिल, श्री प्रकाश वी०
पाटिल, श्री यशवंतराव
पाटिल, श्रीमती प्रतिमा देवीसिंह
पाटिल, श्री विजय एन०
पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ
पायलट, श्रीराजेश
पाल, डा० देवी प्रसाद
पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रभु झांटये, श्री हरीश नारायण
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
काक्क, श्री एम० ओ० एच०

फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बरार, श्री जगजीत सिंह
बीरबल श्री
बूटासिंह, श्री
ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भड़ाना, श्री अवतार सिंह
भाग्ये, गोवर्धन, श्री
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोसले, श्री तेजसिंहराव
भोसले, श्री प्रतापराव बी०
मरबनियांग, श्री पीटर जी
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लू डा० आर०
मल्लिकार्जुन, श्री
मसूर, श्री रशीद
माडे गोड़ा, श्री जी०
माणे, श्री राजाराम, शंकरराव
माथुर, श्री शिव चरण
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिर्धा, श्री राम निवास
मीणा, श्री भैरूलाल
मुजाहिद, श्री बी० एम०
मुकर्तमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री क० एच०
मुरलीधरण, श्री के०
मुरुगेसन, डा० एन०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर
मेघे, श्री दत्ता
मैथ्यू, श्री फ्लाई के० एम०
यशपाल, श्री
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
रघ, श्री रामचन्द्र
राजशेखरमूर्ति, श्री बी०
राजुलू, डा० आर० के० जी०
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
राजेन्द्रकुमार, श्री एस० एस० आर०
राठवा, श्री नारायणभाई जमलाभाई
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सिंह, राव
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राममूर्ति, श्री के०
रामासामी, श्री राजागोपाल नायडू
राय, श्री कल्प नाथ
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्णा
रावत, श्री प्रभुलाल
राही, श्री रामलाल
रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी श्री एम० वागा
रेड्डी, श्री मल्लिकार्जुन सुब्बारामा
रेड्डी, श्री महासमुद्रम गयन्द्र
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर
रेड्डी, श्री विजय भास्कर
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
वर्मा, श्री भवानीलाल
वर्मा, कुमारी विमला
वासनिक, श्री मुकुल वासनिक
वान्डायार, श्री के० तुलसिअैया
विजयराघवन, श्री वी०ए स०
विलियम्स, श्री आर० जी
व्यास, डा० गिरिजा
शंकरानन्द, श्री वी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री सतीश कुमार
शिगडा, श्री डामू बरकू
शिवप्पार, श्री कोडाकनी गौडाना
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
श्रीधरण, डा० राजागोपालन
श्रीनिवासन, श्री चिन्तासामी
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सईद, श्री पी० एम०
सज्जन कुमार, श्री
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या
साय, श्री ए० प्रताप
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह, श्री अजित
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री दलवीर
सिंह कुमारी पुष्पा देवी
सिंह, श्री मनफूल
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंह, देव, श्री के० पी०
सिंगला, श्री संतराम
सिंदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुन्दरराज, श्री एन०
सुखराम, श्री
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील
सुल्तानपुरीश्री, कृष्ण दत्त
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सोडी, श्री मानकूराम
सोलंकी, श्री सूरजभानु
सौन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एस०
स्वामी, श्री जी० वेंकट
हरचन्द सिंह, श्री
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्याधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार से है।

पक्ष में—210

विपक्ष में—262

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के हित में फोकस लाइट बन्द कर दी जाए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं माननीय प्रधानमन्त्री महोदय को एक निवेदन कर सकता हूं, आप मेरे भतीजे को प्रबन्ध मन्त्री बना दें। **(व्यवधान)**

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया।

पक्ष में : सर्वश्री सोमनाद्रीश्वर एव वाड्डे, एम० रमन्ना राय, सूरज मण्डल, थैमा सिंह युमनाम भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, श्री थाइल जान अंजलोज एम० के० बलीयान, डा० जी० एल० कनोजिया, श्रीमती सरोज दुबे, श्री रोशन लाल, श्री शशी प्रकाश, श्री नवल किशोर राय, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री देवीबक्स सिंह, सिंह बी० एन० शर्मा, श्री सरस्वती योगानन्द, श्री गंगाराम कोली, श्री रामनारायण बेरवा, श्री विश्वनाथ दास शास्त्री, श्री श्याम बिहारी मिश्रा और डा० साक्षीजी।

विपक्ष में : सर्वश्री हरीलाल बनजी पटेल, एस० गंगाधर, आर० जीवरत्नम, सरत चन्द्र पटनायक, पुरचरण सिंह गालिब; सुधीर सावन्त और श्री मुर्ती राम सैंकिया।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 780, 790, 807 व 881 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या मेरा मत दर्ज कर लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : हां, एक फोटो-कापी आपको दे दी जाएगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या आप किसी सदस्य/विशेष के नाम में प्रस्तुत संशोधनों को विषयाकर एक साथ न रखकर इससे संबंधित सदस्यों के नाम से एक साथ रख रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : क्या आप संशोधनों को क्रमानुसार रख रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे हर बात स्पष्ट करनी पड़ती है। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। कृपया बैठ जायें।

श्री चित्त बसु : क्या आप सभी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी एक-एक कर के उन सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं जिन्होंने मुझे संशोधन दिये हैं। मैं समझता हूं कि कभी-कभी संशोधनों की संख्याओं को क्रमानुसार रखना कठिन हो जाता है। इसलिए कृपया मुझे सहयोग दें। इस बार बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने संशोधनों को अलग तरीके से प्रस्तुत किये जाने की मांग की है। इसलिए, हमें इन्हें इस थोड़ी सी अनियमितता को सहन करना होगा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संशोधन संख्या 807 श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य का संशोधन है।
अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे दूसरों के साथ सम्बद्ध किये जाने के पक्ष में नहीं है।
श्री सोमनाथ चटर्जी : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा रखे गये संशोधन क्रमांक 780, 790 तथा 881 को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

संशोधन संख्या 780, 790 व 881 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब हम संशोधन 807 पर चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे ले रहा हूं। आपने इसे अलग प्रस्तुत करना चाहते थे। श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य के संशोधन के लिए मैं बाद में बुलाऊंगा। मैं अवश्य बुलाऊंगा। मैं तो इसे भी शामिल कर रहा था। लेकिन आपकी मांग थी कि इसे अलग से प्रस्तुत किया जाये। श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य को मैं बाद में बुलाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप संशोधन संख्या 807 के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने संशोधन दिया है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : आपने संशोधन दिया है। मुझे विश्वास है कि आप इस पर मत विभाजन नहीं चाहती हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम केवल संशोधन संख्या 807 चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां। यदि आप वास्तव में ही दूसरे संशोधनों पर भी मत विभाजन चाहते हैं, तो मैं सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि कक्ष से बाहर न जायें क्योंकि इस अवस्था में हमें उनके आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। चूंकि मेरे पास बहुत से संशोधन आये हैं, और यदि अनेक बार मतविभाजन होता रहा तो हमारे लिए उन सभी को उपलब्ध समय में ही निपटाना कठिन साध्य होगा।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, संशोधन संख्या 603 के बारे में क्या हुआ है? यह काम के अधिकार से संबंधित है। क्या आप इन सभी संशोधनों को एक साथ रख जोड़ रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात आपको बता दूं। सदस्यों द्वारा रखे गये सभी संशोधन सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत किये जाएंगे। यदि कुछ सदस्य यह चाहते हैं कि उनके संशोधनों पर अलग मतदान करवाया जाए, तो हम ऐसा भी कर रहे हैं। अन्त में, हम शेष सभी संशोधनों को एक-साथ सभा के मतदान के लिए रखेंगे और तभी ही इन पर निर्णय लेंगे।

अब लाबी खाली कर दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय : लाबी खाली हो गई हैं? मैं पुनः यह अनुरोध करता हूं कि आप अपनी सीट न छोड़ें, बाहर न जायें दीर्घा में न जाएं अथवा बीच में झुंड बनाकर न खड़े हों. अब मैं श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा रखे गये संशोधन को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

'लेकिन खेद है कि 'काम के अधिकार' को संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल करने की आवश्यकता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। (807)"

6.32 म० प०

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 3]समय 6.32 म० प०

पक्ष में

अंजलोज, श्री थाइलजान
अंसारी, श्री मुमताज
आचार्य, श्री बसुदेव
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
उम्मारेड्डि वेंकटेस्वलु, प्रो०
कुमार, श्री नीतीश
खां, श्री सुखेन्दु
गफूर, श्री अब्दुल
गिरि, श्री सुधीर
गिरिजा देवी, श्रीमती
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गौड़ा, श्री डी० एम० पुट्टे
कंधारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव
चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी श्री सोमनाथ
चौधरी श्री संफुद्दीन
जायनल अबेदिन, श्री
जेना, श्री कान्त
झा, श्री भोगेन्द्र
डोम, डा० राम चन्द्र
तीरकी, श्री पीयूष
तेजनारायण सिंह, श्री
तोपदार, श्री तरित बरण
दत्त, श्री अमल
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दास, श्री राम सुन्दर
दुबे, श्रीमती सरोज
धर्ममिक्षम, श्री
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, श्री वृशिण
पटेल, श्री राम पूजन
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फर्नान्डीज, श्री जास
फातमी, मोहम्मद अली अशरफ
बर्मन, श्री उद्धव
बर्मन, श्री पलाश
बसु श्री अनिल
बसु, श्री चित
बाला, डा० असीम
बैठा, श्री महेन्द्र
भट्टाचार्य, श्री नानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मधुकर, श्री कमल मिश्र
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
महतो श्री बीर सिंह
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री सुव्रत
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
मुरमु, श्री रूपचन्द
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री चन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम लखन सिंह
यादव, श्री विजय कुमार

यादव, श्री राम शरण
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सूर्य नारायण
राजेश कुमार, श्री
राय, श्री प्रेमचन्द
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री रवि
राय, श्री लालबाबू
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हाराधन
राय चौधरी, श्री सुदर्शन
राय प्रधान, श्री अमर
रेड्डी, श्री बी० एन०
लालजान बाशा, श्री एस० एम०
वर्मा, श्री उपेन्द्रनाथ
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
सिंह, श्री अभय प्रताप
सिंह, श्री मोहन
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री शिवशरण
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सिंह, श्री हरि किशोर
सुर, श्री मनोरंजन
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सोरेन, श्री शिबू
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी०
अडईकलराज, श्री एल०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्नारासु, श्री इरा
अरुणाचलम, श्री एम०
अय्यर, श्री मणि शंकर
अशोकराज, श्री ए०
असं, श्रीमती चन्द्र प्रभा
अहमद, श्री ई०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहिरवार, श्री आनन्द
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी
इम्बालम्बा, श्री
इन्द्र जीत, श्री
इस्लाम, श्री नुरुल
उम्बे, श्री लाईता
उपाध्याय, श्री स्वरूप
एन्थनी, श्री फ्रैंक
ओडेयर, श्री चनैया
कमल नाथ, श्री
कहाडोले, श्री जेड० एम०
करेददुला, श्रीमती कमला कुमारी
काम्बते, श्री अरविन्द तुलशीराम
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० एम०
काले, श्री शंकरराव दे०
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुली, श्री वालिन
कृष्ण स्वामी श्री एम०
कृष्ण कुमार, श्री एस०
केवल सिंह, श्री
केरों, श्री सुरेन्द्र सिंह
कोंतला, श्री राम कृष्ण

कैनिथी, डा० विश्वनाथम
कौल, श्रीमती शीला
कौर, श्रीमती सुखबंस
क्षीरसार, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खां, श्री अयूब
खां; श्री असलम शेर
खुर्शीद, श्री सलमान
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलोत, श्री अशोक
गामित, श्री छीतूभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव
गालिब, श्री गुरचरन सिंह
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुंडाविन्नी, श्री बी० के०
गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गोगोई, श्री तरुण
गोमांगो, श्री गिरिधर
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०
चाक्को, श्री पी० सी०
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्री राम प्रकाश
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौरे, श्री बापू हरि
जर्नादनन्, श्री एम० आर० कादम्बुर
जयमोहन, श्री ए०
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाखड़, श्री बलराम
जाटव, श्री बारे लाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जावाली, डा० बी० जी०
जीवरत्नम, श्री आर०
झिकराम, श्री मोहनलाल
टोपे, श्री अकुशराव
टाईटलर, श्री जगदीश
टिंडिवनाम, श्री के० राम मूर्ति
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजी भाई
डेका, श्री प्रबीन
डेलकर, श्री मोहनभाई एस०
तंग्काबालू, श्री के० बी०
तारा सिंह, श्री
तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०
तोपनो, कुमारी फिदा
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरात, श्री संदीपान भगवान
दत्त, श्री सुनील
दादाहूर, श्री गुरचरनसिंह
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दीवान, श्री पवन
देवगौड़ा, श्री एच० डी०
देव, श्री सतोष मोहन
देवराजन, श्री बी०
देवी, श्रीमती बिमू कुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नायक, श्री ए० वेंकटेश
नायक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री मृत्युजन्य
नायक, श्री सुवास चन्द्र

नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
निकाम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
न्यामगौड, श्री सिद्दमेंप्पा भीमप्पा
पंडियन, श्री डी०
पंवार, श्री हरपाल
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पवार, श्री शरद
पवार, डा० वसत
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पद्मा डा० (श्रीमती)
पांजा, श्री अजित
पाटिल, श्री कुमारी सूर्यकान्ता
पाटिल, श्री यशवतराव
पाटिल, श्री अन्वरी ईसवराज
पाटिल, श्री प्रकाश वी०
पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, श्री विजय एम०
पाणिमाही, श्रीवल्लभ
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर
पायलट, श्री राजेश
पाल, डा० देवी प्रसाद
पाल, श्री रूपचन्द
पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू
पेरुमल, डा० पी० वल्लल
पोतदुबे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रभु, श्री आर०
प्रभु झांटये, श्री हरीश नारायण
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फर्नान्डीज श्री जास
फारुख, श्री एम० ओ० एच०
फैलीरो, श्री एड्वार्डो
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बरार, श्री जगमीत सिंह
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भडाना, श्री अवतारसिंह
भागेय गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोसले, श्री तेजसिंहराव
भोसले, श्री प्रतापराव बीदरा
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लू, डा० आर०
मसूद, श्री रशीद
माणे, श्री राजाराम शंकर राव
माथुर, श्री शिव चरण
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिर्धा, श्री राम निवास
मीणा, श्री भेरू लाल
मुजाहिद, श्री बी० एम०
मुनियप्पा, श्री के० एच०
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरलीधरण, श्री के०
मुस्मेसब, डा० एन०

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर
मेघे, श्री दत्ता
मैथ्यू, श्री पाल के० एम०
यशपाल, श्री
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
राजरविवर्मा, श्री वी०
राजुलू, डा० आर० के० जी०
राजेन्द्र कुमार, श्री एस० एस० आर०
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती वासव
राठवा, श्री नारायण भाई अमलभाई
राम बाबू श्री ए० जी० ए ०
राम सिंह, राव
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राममूर्ति, श्री के०
रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू
राय, श्री रूप नाथ
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
रावत, श्री प्रभु लाल
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री एम० बागा
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बाराम
रेड्डी, श्री महासमुद्रम गणेन्द्र
रेड्डी, श्री वाई० राजशेखर
रेड्डी, श्री विजय भास्कर
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
वर्मा, श्री भवानीलाल
वर्मा, कुमारी विमला
वान्डयार, श्री के० तुलसिऐया
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विलियम्स, श्री आर० जी०
व्यास, डा० गिरिजा
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री सतीश कुमार
शिवडा, श्री डामू वरकू
शिवनकर, प्रो० महादेव
शिवप्पा, श्री कोडाकनी गौडाना
शुक्ल, श्री विद्याचरण
सैलजा, कुमारी
श्रीचरण, डा० राजगोपालन
श्रीनिवास, श्री चिन्तासामी
सक्सेना, श्री पूर्णो ए०
सईद श्री पी० एम०
सईद श्री मुफ्ती मोहम्मद
सज्जन कुमार, श्री
सादुल, श्री धर्मण्णा सोन्डयूया
सामीपल्ली, श्री गंगाधरा
सावन्त, श्री सुधीर
साय, श्री ए० प्रताप
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंगला, श्री सत राम
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह श्री अजित
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री बेलगाय
सिंह श्री बलबीर
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह, श्री मनफूल
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंह देव, श्री क० पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुंदराम, श्री एन०
सूरजराम, श्री
सुरेश श्री कोडीकुन्नील
सुल्तानपुरी कृष्ण दत्त
सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान
सैकिया, श्री महीराम
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सोनकी, श्री सूरजभानु
स्वामी, श्री जी० वेंकट
हरचन्द सिंह, श्री
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हुडडा, श्री भूपेन्द्र सिंह

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार से है :

पक्ष में : 097
विपक्ष में : 262

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अनुरोध किया है मैं संशोधन संख्या 336, 338, 387, 620, 628 तथा 1043 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 628 पर मत विभाजन चाहता हूं। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आपकी सन्तुष्टि के लिए मैं सभा के मतदान के लिए इसे दोबारा प्रस्तुत करूंगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है।

अब मैं संशोधन संख्या 336, 338, 387, 620 तथा 1043 सभा के मतदान कर लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 336, 338, 387, 620 व 1043 मतदान के लिये रखे गए तथा

अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब, जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अनुरोध किया है, मैं संशोधन संख्या 628 को पुनः सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं इस पर मत-विभाजन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि लॉबी पहले से ही खाली है और अब कोई भी सदस्य अपना मत दिये बिना सदन से बाहर नहीं जाना चाहिए।

प्रश्न यह है :

> "कि प्रस्ताव के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :— किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंकों की शर्तें ऐसी हैं जिनसे भारत की आर्थिक प्रभुसत्ता खतरे में पड़ रही है। (628)"

6.39 अ० प०

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : डा० जयन्त रंगपी, सर्वश्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे, डी० वेंकटेश्वर राव, सूरज मंडल, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, हरि केवल प्रसाद, केसरी लाल, रोशन लाल, शशि प्रकाश, ब्रज किशोर त्रिपाठी, अभय प्रताप सिंह।

विपक्ष में : सर्वश्री येल्लैया नंदी, रमेश चेन्नितला, जी० माडे गौडा, मुरली देवरा, कुमारी के० पद्मजी, श्री एच० डेविस और डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम।

मत विभाजन संख्या 4] [समय 6.39 प० म०

पक्ष में

अंसारी, श्री मुमताज
आजम डा० फैयाजुल
आचार्य, श्री वसुदेव
अंजलोज श्री बाइल जान
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
इन्द्र जीत, श्री
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
उमावेड्डि वेंकटेस्वरलु, प्रो०
कुन्डू, श्री समरेन्द्र
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुमार, श्री नितीश
केशरी लाल, श्री
खां, श्री सुखेन्दु
गिरि, श्री सुधीर
गिरिजा देवी, श्रीमती
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोपालन, श्रीमती सुशीला
घंघारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव
चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जायनल अबेदिन, श्री
जेना; श्री श्रीकान्त
झा, श्री भोगेन्द्र
डोम, डा० राम चन्द्र
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर
तीरकी, श्री पीयूष
तेज नारायण सिंह, श्री
तोपदार, श्री तरित बरण
दत्त; श्री अमल
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दुबे, श्रीमती सरोज
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री वृशिम
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद; श्री हरि केवल
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फातमी, मोहम्मद अली अशरफ
बर्मन, श्री उद्धव
बसु; श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा० असीम
बैठा, श्री महेन्द्र
भट्टाचार्य, श्री नानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मंडल, श्री सूरज
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
महतो, श्री बीर सिंह
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री सुव्रत
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
मुरमु, श्री रूप चन्द
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद
मोल्मार, श्री हन्नान
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री चन्द्र जीत

यादव; श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव; श्री राम लखन सिंह
यादव, श्री राम शरद
यादव, श्री शरद
यादव, श्री विजय कुमार
युमनाम, श्री याइमा सिंह
राजेश कुमार, श्री
राय, श्री प्रेम चन्द
राय, बदन, श्री
राय, श्री नवल किशोर
राय, श्री रवि
राय, श्री लालबाबू
राय; डा० सुधीर
राय, श्री हाराधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
रेड्डी, श्री बी० एन०
रंगपी, डा० जयन्त
लालजान बाशा, श्री एस० एम०
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वाड्डे श्री शोभनाद्रीश्वर राव
शास्त्री श्री विश्वनाथ
सिंह, श्री अभय प्रताप
सिंह, श्री शिवशरण
सिंह, श्री जगबीर
सिंह, श्री मोहन
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह; श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सिंह, श्री हरि किशोर
सेठी, श्री अर्जुन चरण
हुसैन, श्री सैयद मसदूल
सुर, श्री मनोरजन
सोरेन, श्री शिबू

विपक्ष में

अडईकलराज, श्री एल०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु, श्री इरा
एन्थनी, श्री फ्रैंक
अम्बरी; श्री लेइता
अर्से, श्रीमती चन्द्रप्रभा
अरुणाचलम; श्री एम०
अय्यर, श्री मणि शंकर
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहमद; श्री ई०
अहिरवार, श्री आनन्द
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी
इन्द्र जीत; श्री
इम्यालम्बा, श्री
इस्लाम, श्री नूरुल
उम्बे, श्री लाईता
उपाध्याय, श्री स्वरूप
ओडेयर, श्री चनैया
कमल नाथ; श्री
क्षीरसागर; श्रीमती केसरबाई सोनाजी
कहांडोले, श्री जेड० एम०
करेदुला, श्रीमती कमला कुमारी
कांशी राम, श्री
कापसे, प्रो० राम गजेश
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम
कावडे, डा० वेंकटेश
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० एम०
काले, श्री शंकरराव दे०

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुडुमुला, श्री पदमश्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमी, श्री बालिन
श्री रंगराजन
कुमार मंगलम
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कैनिथी, डा० विश्वनाथम
कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
कृष्ण कुमार, श्री एस०
केवल सिंह, श्री
कोंताला, श्री राम कृष्ण
कौल, श्रीमती शीला
कौर, श्रीमती सुखबन्स
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री अयूब
खुर्शीद, श्री सलमान
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलोत, श्री अशोक
गामीत, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गायकवाड़; श्री उदयसिंह नानासाहिब
गावीत; श्री माणिकराव होडल्या
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुडाडिन्नी, श्री बी० के०
गूंडेवार, श्री विलास राव नामनाथ राव
गोगोई, श्री तरुण
गोमांगो, श्री गिरिधर
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रशेखर, श्री मारगथम
चव्हान, श्री पृथ्वीराज डी०
चार्ल्स, श्री ए०
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई
चालिहा, श्री किरिण
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन डा०
चेन्निसला, श्री रमेश
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री राम प्रकाश
चौधरी, श्री संतोष
चौरे, श्री बापूहरि
जनार्दनन; श्री एम० आर० कादम्बुर
जयमोहन, श्री ए०
जाखड़, श्री बलराम
जांगड़े, श्री खलेन राम
जाटव, श्री बारे लाल
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जावाली, डा० बी० जी०
जीवरत्नम, श्री आर०
टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति
टोपे, श्री अंकुशराव
टाईटलर, श्री जगदीश
डामोर, श्री सोमजी भाई
डेलकर, श्री मोहन एस०
डेनिस, श्री एन०
डेका, श्री प्रबीन
तंग्कावालू, श्री के० बी०
तारा सिंह, श्री
तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०
तोपनो, कुमारी फिडा
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोराव, श्री संदीपान भगवान
थोरट, श्री एस० बी०
दत्त, श्री सुनील
दादहर, श्री गुरुचरण सिंह
दिघे, श्री शरद
दिग्विजय सिंह, श्री
देवगौड़ा, श्री एच० डी०
देव, श्री सन्तोष मोहन

दिवान; श्री पवन
देवरस, श्री मुरली
देवराजन, श्री वी०
देवी, श्रीमती विमू कुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव
नन्दी, श्री येल्लैया
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नायक, श्री जी० देवराय
नायक, श्री ए० वेंकटेश
नायकर, श्री डी० के०
नायक, श्री मृत्युंजय
नारायणन, श्री के० आर०
नायक, श्री सुबास चन्द्र
नारायणन, श्री पी० जी०
निकाम. श्री गोविन्दराव
न्यामगौड़, श्री सिवप्पा भीमप्पा
नेताम, श्री अरविन्द
पंडियन, श्री डी०
पवार, डा० वसंत
पंवार, श्री हरपाल
पंवार, श्री शरद
पटनायक, श्री रावतचन्द्र
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री उसनभाई हावजी भाई
पदमा, डा० (श्रीमती)
पांजा, श्री अजित
पाटिल, श्री अनवरी वसंतराज
पाटिल, श्री उत्तमराव देवरोव
पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह
पाटिल, कुमारी सूर्यकान्ता
पाटिल, श्री यशवंतराव
पाटिल, श्री विजय एन०
पाटिल, श्री प्रकाश वी
पाणिग्राही, श्री श्रीबल्लभ
पात्र डा० कार्तिकेश्वर
पायलट, श्री राजेश
पाल, डा० देवी प्रसाद
पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्रीके०
प्रभु, श्री आर०
प्रभुझांट्ये, श्री हरीश नारायण
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
फर्नान्डीज, श्री ओस्कार
फारूक, श्री एम० ओ० एच०
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बरार, श्री जगमीत सिंह
ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्र नाथ
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
भक्त, श्रीमनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भडाना, श्री अवतार सिंह
भाग्ये गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोसले, श्री प्रतापराव वी०
भोंसले, तेजसिंह राव
मरबनियांग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मसूद, श्री रशीद
मांडे गौडा, श्री जी०
माथुर, श्री शिव चरण

मागे, श्री राजाराम शंकरराव
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिर्धा, श्री राम निवास
मीणा, श्री भैरुलाल
मुनियप्पा, श्री के० एच०
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुजाहिद, श्री बी० एम०
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरलीधरण, श्री के०
मुरुगेसन, डा० एन०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेघे, श्री दत्ता
मैथ्यू, श्री पाला के० एम०
यशपाल, श्री
यादवेन्द्र दत्त, श्री
रघु, श्री रामचन्द्र
राजरवि वर्मा, श्री बी०
राजुलु, डा० आर० के० जी०
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती वासव
राठवा, श्री नारायण भाई जमनाभाई
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सिंह, राव
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राममूर्ति, श्री के०
रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू
रामेश्वर प्रसाद, श्री
राय, श्री कल्प नाथ
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
रावत, श्री प्रभुलाल
राही, श्री रामलाल
राजेन्द्रकुमार, श्री एस० एस० आर०
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री एम० बाबा
रेड्डी, श्री एम० वी०
रेड्डी, श्री विजय भास्कर
रेड्डी, श्रीमहासमुद्रम यवेन्द्र
रेड्डी, श्री मधुन्टा सुब्बारामा
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर
लक्ष्मन, प्रो० सावित्रि
व्यास, डा० विरिजा
वर्मा, श्री भवानीलाल
वर्मा, कुमारी विमला
वान्डायार, श्री के० तुलसिरेया
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विनयराघवन, श्री वी० एस०
विलियम्स, श्री आर० जी०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरजी लाल
शर्मा, श्री सतीश कुमार
शिगडा, श्री डामू बक्कू
शिवप्पा, श्री कोडाकनी गौडाना
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
श्रीधरण, डा० राजगोपालन
श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी
स्वामी, श्री जी० वेंकट
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सईद, श्री पी० एम०
सानीपल्ली, श्री मंगाचरा
सादुल, श्री धर्मण्या मोंड्या
साय, श्री ए० प्रताप
साही, श्रीमती कृष्णा
सावन्त, श्री सुधीर
सिंगला, श्री संतराम
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह, श्री अजित
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह, श्री मखफूल

सिंह, श्री मोतीलाल	सुरेश, श्री कोडीकुन्नील
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर	सेठ, श्री इब्राहिम सुलेमान
सिंह देव, श्री के० पी०	सैकिया, श्री मुहीराम
सिंह देव, श्री ए० एन०	सोढ़ी, श्री मानकूराम
सिदनाल, श्री एस० बी०	सोलंकी, श्री सूरजभानु
सिलवेरा, डा० सी०	सौन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एस०
सुखराम, श्री	हरचन्दसिंह, श्री
सुन्दरगज श्री एन०	हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
सुल्तानपुरी, श्री दर्शन दत्त	

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के *अध्यर्धन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार से है :—

पक्ष में : 102

विपक्ष में : 258

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री चित्त बसु द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 28सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं संशोधन संख्या 28 पर मत विभाजन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे यह स्पष्ट करने दें सब आपमें से प्रत्येक सदस्य का मत-विभाजन के लिए कहना आवश्यक नहीं है मैं यह मानता हूं कि यदि पीठासीन अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसे ठीक ढंग से नहीं कहा जा रहा तो वे इससे मना कर सकता है। क्या मैं आपसे यह निवेदन कर सकता हूं कि निरर्थक ही मत विभाजन के लिए न कहें।

श्री चित्त बसु महोदय, हम आर्थिक प्रभुसत्ता का हनन करने वाली सरकारी नीति के खिलाफ है। मैंने इसे यों ही निरर्थक ढंग से ही नहीं लिया है मैंने तो केवल एक ही संशोधन दिया है और मैं यह चाहता हूं कि उस पर सभा में मतविभाजन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं मतविभाजन की अनुमति दे रहा हूं।

हमें सदस्य की भावना का आदर करना चाहिए। लेकिन यहां तो बहुत से संशोधन हैं। इसलिये कृपया संशोधनों पर मतविभाजन के लिए इतनी सुगमता से न कहें क्योंकि नतीजा तो वही हाथ लगता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक नीतियां बनाने संबंधी मामलों में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशों के सामने सरकार के स्पष्ट रूप से झुकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसका राष्ट्र की आर्थिक प्रभुसत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा राष्ट्र द्वारा स्वीकृत आत्मनिर्भरता नीति से दूर हटना है।"

6.43 म० प०

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत दर्ज किया।

पक्ष में : सर्वश्री पलास बर्मन, एम० रमन्ना राय, राम सुन्दर दास, रोशन लाल, शशि प्रकाश।

विपक्ष में : सर्वश्री मोहन लाल, झिकराम, ईश्वर भाई खोड़ा भाई चावड़ा, पी० सी० चाको, महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर, बी० अकबर पाशा, सज्जन कुमार, पी० पी० कालिया पेरुमल गुरुचरण सिंह गालिब, सत्यपाल सिंह यादव, डा० आर० मल्लू तथा श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा।

मत-विभाजन संख्या 2] [समय 6.43 अ० प०

पक्ष में

अन्सारी, श्री मुमताज
अंजलोज, श्री थाइल जान
आचार्य, श्री बसुदेव
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
उमारेड्डि वेंकटेस्वरलु, प्रो०
कुमार श्री नीतिश
केशरी लाल श्री
खां, श्री सुबेन्द्र
गिरि, श्री सुधीर
गिरिजा देवी, श्रीमती
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोपालन, श्रीमती सुशीला
चंधारे, श्री रामचन्द्र मछेतराव
चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जायनल अबेदिन, श्री
जेना, श्री श्रीकान्त
झा, श्री भोगेन्द्र
डोम, डा० रामचन्द्र
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर
तीरकी, श्री पीयूष
तेजनारायण सिंह, श्री
तोपदार, श्री तरित वरण
दत्त, श्री अमल
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दास, श्री राम सुन्दर
दुबे, श्रीमती सरोज
धर्ममिलम, श्री
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल श्रीराम पूजन
पटेल, श्री वृशिण
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
प्रकाश, श्री शशि
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फातमी, मोहम्मद अली अशरफ
वर्मन, श्री पलास
वर्मन, श्री उद्धव
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा० असीम
बैठा, श्री महेन्द्र
भट्टाचार्य, श्री नानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मंडल, श्री सूरज
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
महतो, श्री वीरसिंह
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री सुव्रत
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुंडा श्री गोविन्द चन्द्र
मुरमु, श्री रूप चन्द
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री राम शरद
यादव, श्री राम लखन सिंह
यादव, श्री शरद
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री सूर्य नारायण

यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
राजेश श्रीकुमार,
राम, श्री प्रेम चन्द
राय, श्री बबल किशोर
राय, श्री रवि
राय, श्री लाल बाबू
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हाराधन
राय चौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री डी० वेंकटेश्वर
रेड्डी, श्री बी० एन०
रोशन लाल, श्री
रंगपी, डा० जयन्त
लालजानवाशा, श्री एस० एम०
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वाड्डे श्री शोभानीद्रीश्वर राव
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
सिंह, श्री अभय प्रताप
सिंह, श्री जगबीर
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मोहन
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सिंह, श्री शिवशरण
सिंह, श्री हरि किशोर
सुर, श्री मनोरंजन
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सोरेन, श्री शिबू
सोलंकी, श्री सूरजभानु
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी०
अडईकलराज, श्री एल०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्वारासु, श्री इरा
अरुणाचलम, श्री एम०
असं, श्रीमती चन्द्रप्रभा
अशोकराज, श्री ए०
अय्यर, श्री मणिशंकर
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहमद, श्री ई०
अहिरवार, श्री आनन्द
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी
ओडेया, श्री चनैया
इन्द्र जीत, श्री
इम्बालम्बा, श्री
इस्लाम, श्री गुलाम
अम्बे, श्री लाईता
उपाध्याय, श्री स्वरूप
एन्थनी, श्री फ्रैंक
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोवाजी
कमल नाथ, श्री
करेद्दुल्ला, श्रीमती कमला कुमारी
कहांडोले, श्री जेड० एम०
कांशीराम, श्री
कामल, श्री गुरुदास
कामसन, एम०
काम्बले, श्री अरविन्द तुलसीराम
काले, श्री शंकरराव दे०
कालियापेरुमल, श्री पी० पी०
कुड्मुला, श्री पदमश्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुसी, श्री बालिन

कृष्णस्वामी, श्री एम०
केवल, सिंह, श्री
कृष्ण कुमार, श्री एम०
कैनिथी, डा० विश्वनाथम
कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह
कोंताला, श्री राम कृष्ण
कौल, श्रीमती शीला
कौर, श्रीमती सुखबंस
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री अयूब
खुर्शीद, श्री सलमान
गहलोत, श्री अशोक
गजपति, श्री गोपीनाथ
गालिब, श्री गुरुचरण सिंह
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव
गामीत, श्री छीतूभाई
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोगोई, श्री तरुण
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगयम
चव्हान, श्री पृथ्वीराज डी०
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चाक्को, श्री पी० सी०
चिदम्बरम, श्री पी०
चिता मोहन, डा०
चेन्निसला, श्री रमेश
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री राम प्रकाश
चौधरी, श्रीमती संतोष
चौरे, श्री बापूहरि
जयमोहन, श्री ए०
जनार्दनन, श्री एम० आर० कादम्बूर
जांगडे, श्री खेलनराम
जाटव, श्री बारे लाल
जाखड़, श्री बलराम
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जावाली, डा० बी० जो०
जीवरत्नम, श्री आर०
टाईटलर, श्री जगदीश
झिकराम, श्री मोहनलाल
टोपे, श्री अंकुशराव
टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेका, श्री प्रदीन
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई एस०
तंग्काबालू, श्री के० वी०
तारासिंह, श्री
तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०
तोपनो, कुमारी फिडा
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरात, श्री संदीपान भगवान
दत्त, श्री सुनील
दासगुप्त, डा० विप्लव
दादाहूर, श्री गुरचरणसिंह
दिघे, श्री शरद
दिग्विजय सिंह, श्री
दीवान, श्री पवन
देव, श्री संतोष मोहन
देवगौड़ा, श्री एच० डी०
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देवी, श्रीमती विमलकुमारी
देशमुख, श्री अनंतराव

देशमुख, श्री अशोक आनंदराव
न्यायगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
नंदी श्री येल्लैया
नवले, श्री विदुरा विठोबा
नायक, श्री ए० वेंकटेश
नायक, श्री जी० देवराय
नायकर, श्री डी० के०
नायक, श्री मृत्युंजय
नारायणन; श्री के० आर०
नायक, श्री सुबास चन्द्र
नारायणन, श्री पी० जी०
निकाम, श्री गोविन्दराव
नेताम; श्री अरविन्द
पदमा, डा० (श्रीमती)
पंडियन, श्री डी०
पंवार, श्री हरपाल
पवार, डा० बसंत
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पवार, श्री शरद
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजी भाई
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पांजा, श्री अजित
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराय
पाटिल, श्री विजय एन०
पाटिल, श्री यशवंतराव
पाटिल, कुमारी सूर्यकान्ता
पाटिल, श्री प्रकाश वी०
पाटिल, श्री अन्दरी बसवराज
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर
पाणिग्रही, श्री बल्लभ
पायलट, श्री राजेश
पाल, डा० देवी प्रसाद
पालाचोला, श्री वेंकटरंगया नायडू
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू
पेरुमान, डा० पी० बल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रभु, श्री आर०
प्रभु झांटये, श्री हरीश नारायण
प्रधानी, श्री के०
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
फारुक, श्री एच. ओ. एच.
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बरार, श्रीजगमीत सिंह
ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री विश्वेश्वर
भडाना, श्री अवतार सिंह
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी
भाग्ये गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दम लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
भोंसले, श्री तेजसिंह राव
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपालसिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लू, डा. आर.
मसूद, श्री रशीद
माथुर, श्री शिवचरण
माडे गौडा, श्री जी.
माणे, श्री राजाराम शंकरराव
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिर्धा, श्री राम निवास
मांगा, श्री भेरूलाल
मुरुगसन; डा. एन.

मुरलीधरण, श्री के.
मुत्तेमवार, श्री विलास
मूर्ति, श्री एन. वी. चन्द्र शेखर
मुनियप्पा, श्री के. एच.
मेघे, श्री दत्ता
मैथ्यू, श्री पाला के. एम.
यशपाल, श्री
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
रथ, श्री रामचन्द्र
राठवा, श्री नारायण भाई जमला भाई
राजरवि वर्मा, श्री वी.
राजुलु, डा. आर. के. जी.
राजेन्द्र कुमार, श्री एच. एस. आर.
राजेश्वरन, डा. वी.
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा
रामसिंह, श्री राव
राम बाबू, श्री ए. जी. एस.
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामसामी, राजगोपाल नायडू
राममूर्ति, श्री के.
राय, श्री कल्प नाथ
राव, श्री जे. चौक्का
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
रावा, श्री वी. कृष्णा
रावत, श्री प्रभुलाल
राही, श्री रामलाल
रेड्डी, श्री आनन्त वेंकट
रेड्डी, श्री एम. बागा
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा
रेड्डी, श्री महासमुद्रय गणेन्द्र
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री विजय भास्कर
लक्ष्मन, प्रो. सावित्री
व्यास, डा. गिरिजा
वर्मा, श्री भवानी लाल
वान्डायार, श्री के. तुलसिऐया
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी. एस.
विलियम्स, श्री आर. जी.
शर्मा, श्री चिरजी लाल
शर्मा, श्रीसतीश कुमार
शिगड़ा, श्री डामू बरकू
शिवप्पा, श्री कोडाकली गौडाना
शुक्ल, श्री विद्याचरण
श्रीनिवासन, श्री चिन्नामामी
स्वामी, श्री जी. वेंकट
सज्जन कुमार, श्री
सईद, श्री पी. एम.
सादुल, श्री धर्मण्णा मोंडम्या
सानीपल्ली, श्री रांगाधरा
साय, श्री ए. प्रताप
सावन्त, श्री सुधीर
सावे, श्री मोरेश्वर
साही, श्रीपती कृष्णा
सिंघला, श्री सतराम
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंह देव, श्री के. पी.
सिंदनाल, श्री एस. बी.
सुखराम, श्री
सुन्दरराज, श्री एन.
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान
शैलजा, कुमारी
सैकिया, श्री मुही राम
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सौन्दरम, डा० (श्रीमती) के. एस.
शंकरानन्द, श्री बी.
सोलंकी, श्री सूरजभानु
संघमा, श्री पूर्णो ए.
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

अध्यक्ष महोदय : बुद्धि के अध्यक्षीन,* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा:—

पक्ष में : 104

विपक्ष में : 263

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री नानी भट्टाचार्य द्वारा अलग से रखे गये संशोधन सं० 1005, 1010, 1011 और 1013 को सभा के मतदान हेतु रखूंगा।

संशोधन सं० 1005, 1010, 1011 और 1013 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैयद शाहाबुद्दीन द्वारा अलग से रखे गए संशोधन सं 657 662 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सं० 657 और 662 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : मालिनी जी मैं आशा करता हूं कि आप संशोधन सं 342 और 819 के लिए जोर नहीं दे रही हैं क्योंकि उस समय आपने इसके लिए नहीं कहा था।

अब मैं श्री राम विलास पासवान जी द्वारा अलग से रखे गए संशोधन सं० 369 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सं० 369 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे अमेंडमेंट को तो नैगेटिव करवा दिया, कम से कम गवर्नमेंट से ऐश्योरेंस तो दिलवा दीजिए।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया :

पक्ष में : सर्वश्री एम० रमन्ना राय, मंजय लाल, हरि केवल प्रसाद।

विपक्ष में : सर्वश्री बी० एम० मुजाहिद, बी० के० गुडाडिन्नी, वेंकट कृष्ण रेड्डी कासु, डा० राधागोपालन श्रीधरण, श्री हरचन्द सिंह, कुमारी विमला वर्मा, श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह, कुमारी फरीदा तोपनो, श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुधीर गिरि द्वारा अलग से रखे गए संशोधन सं० 223, 231 233 और 1027 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 223, 231, 233, 1027 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० सुशांत चक्रवर्ती द्वारा अलग से रखे गए संशोधन सं० 365 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 365 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामाश्रय प्रसाद जी, आपने अपना अमेंडमेंट मूव नहीं किया था इसलिए मैं आपके अमेंडमेंट को वोट पर नहीं डाल रहा हूं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुदर्शन रे चौधरी द्वारा रखे गए संशोधन सं० 431, 432, 438, 440 और 449 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 431, 432, 438, 440 और 449 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा रखे गए संशोधन सं० 820 और 825 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन सं० 820 और 825 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जितेन्द्र नाथ दास द्वारा रखे गए संशोधन सं० 184, 185, 189, 190, 193 और 194 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 184, 185, 189, 190, 193 और 194 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हेतु सभी अन्य संशोधन जिन्हें एक साथ सभा के मतदान हेतु प्रस्तुत किया गया है, उन सब को रखूंगा ।

संशोधन संख्या 2, 3, 5—17, 29, 32, 71—75, 113—132, 149—154, 174—83, 186—88, 191, 192, 195, 215—222, 224—30, 232, 234—48 329—335, 337,339—364, 366—68, 370—386, 388—89, 421—30, 433—37, 439, 441—48, 496—513, 536—42, 550—63, 591, 619, 621—627, 629—56. 658—61, 663—672, 696—704, 714—744, 774—779, 781—789, 791—806, 808—819 821—24. 826—30, 850—880, 882, 916—924, 930—947, 1006—1009, 1012, 1014, 1024—26, 1028; 1033—1042, 1044—45, 1094—1115, 1123—68, 1184, 1187—1194 और 1302

मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा के मतदान हेतु मुख्य प्रस्ताव रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :

'कि इस सभा में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 24 फरवरी 1992 को एक साथ समवेत संसद को दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

जो इसके पक्ष में हैं वे कृपया "हां" कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : जो इसके विरोध में हैं वे 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय मेरे विचार में निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं वालों के पक्ष में हुआ है।(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मत-विभाजन कराना एक अभूतपूर्व बात होगी। इसीलिए मैं विपक्ष के अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय पर सभा में विभाजित न हों। (व्यवधान) मैं उनसे पुनः अनुरोध करूंगा। (व्यवधान) ऐसा कभी नहीं किया गया। (व्यवधान) हमेशा संशोधन रखे जाते हैं। संशोधनों में भी

धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध कभी नहीं किया जाता। संशोधनों के जरिये भी यही कहा जाता है कि यद्यपि हम राष्ट्रपति का धन्यवाद करते हैं, परन्तु हमें खेद है कि इस सम्बन्ध में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है।

अत: परम्परा यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में विरोध कभी नहीं किया जाता। अतएव मैं उनसे पुन: अनुरोध करूंगा कि वे इस परम्परा को न तोड़ें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

मैं सभा में उपस्थित सभी सदस्यों से मत-विभाजन के लिए जोर न देने का अनुरोध करूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर मत-विभाजन के लिए जोर न देना संसदीय लोकतंत्र, परम्पराओं और नियमों, जिनका हम अनुपालन कर रहे हैं, उनके हित में ही होगा। अकस्मात् ऐसा किया गया होगा, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हम यह जानते हैं कि इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं और क्या नहीं। अतएव मैं अनुरोध करता हूं कि आप कृपया मत-विभाजन के लिए जोर न डालें।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 24 फरवरी 1992 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.52 **म० प०**

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 10 मार्च, 1992, 20 फाल्गुन, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रित : सम्राट प्रेस, बी-88' ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली।